

वार्षिक रिपोर्ट ANNUAL REPORT 2008-09



बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण INSURANCE REGULATORY AND DEVELOPMENT AUTHORITY

प्रधान कार्यालय
तीसरा तल, परिश्रम भवन
बशीरबाग, हैदराबाद - 500 004
फोन: +91-40-23381100
फैक्स: +91-40-66823334

Head Office

3rd Floor, Parisrama Bhavan
Basheerbagh, Hyderabad 500 004
Phone : +91-40-23381100
Fax : +91-40-66823334

दिल्ली कार्यालय
तीसरा तल, जीवन तारा,
संसद मार्ग, नयी दिल्ली - 110 001
फोन: +91-11-23747648
फैक्स +91-11-23747650

Delhi Office

3rd Floor, Jeevan Tara, Parliament Street
New Delhi – 110 001
Phone : +91-11-23747648
Fax : +91-11-23747650

Website / वेबसाइट: www.irda.gov.in
E-mail / ई-मेल: irda@irda.gov.in

जे. हरि नारायण

अध्यक्ष

J. Hari Narayan

Chairman



बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण

INSURANCE REGULATORY AND
DEVELOPMENT AUTHORITY

दिसम्बर 1, 2009

मिले,
सचिव
आर्थिक कार्य विभाग
वित्त मंत्रालय
तीसरा तल, जीवनदीप बिल्डिंग
संसद मार्ग
नयी दिल्ली - 110 001

श्रीमान,

हम बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण अधिनियम, 1999 की धारा 20 के उपबंधों के अनुसार, 31 मार्च 2009 को समाप्त हुये वर्ष के लिये प्राधिकरण की वार्षिक रिपोर्ट की एक प्रति को, भारत के राजपत्र, असाधारण भाग 2, खंड 3, उपखंड (ii) तारीख 14 जून, 2000 को अधिसूचित बी.वि.वि.प्रा. (वार्षिक रिपोर्ट विवरणियों, विवरणों और अन्य विशिष्टियों को प्रस्तुत किया जाना) विनियम, 2000 में विहित प्रारूप में भेज रहे हैं।

भवदीय,

(जे हरि नारायण)

Letter of Transmittal

November, 2009

To
The Secretary
Department of Financial Services
Ministry of Finance
3rd floor, Jeevandeep Building
Parliament Street
New Delhi – 110 001

Sir,

In accordance with the provisions of Section 20 of the Insurance Regulatory and Development Authority Act, 1999, we are sending herewith a copy of the Annual Report of the Authority for the financial year ended 31st March, 2009 in the format prescribed in the IRDA (Annual Report – Furnishing of returns, statements and other particulars) Rules, 2000, notified on 14th June, 2000 in Part II of Section 3, Sub Section (ii) of the Gazette of India, Extraordinary.

Yours faithfully,

(J. HARI NARAYAN)

विषय सूची

लक्ष्य

आईआरडीए की टीम

परिदृश्य	1
2006-07 के अर्धवार्षिक कार्य का स्तर	2
वर्ष 2009-10 की पहली तिमाही का कार्य निष्पादन	2
(i) जीवन बीमा	3
(ii) गैर जीवन बीमा	3
वर्ष 2009-10 की पहली छमाही का कार्य निष्पादन	

भाग I

नीति एवं कार्यक्रम

ए)	सामान्य आर्थिक वातावरण का पुनरीक्षण	5
बी)	बीमा बाजार का मूल्य निर्धारण	6
i)	बीमा बाजार का विश्वस्तर पर परिदृश्य	8
ii)	भारतीय बीमा उद्योग	10
	— जीवन बीमा	10
	— गैर जीवन बीमा	15
सी)	लिये गये अनुसंधान एवं विकास कार्य	24
डी)	पुनरीक्षण	25
(i)	पॉलिसीधारकों के हितों की रक्षा	25
(ii)	बीमाकर्ताओं के विलयन सीमाओं का रख-रखाव	25
(iii)	पुनर्बीमा की निगरानी	26
(iv)	बीमाकर्ताओं के निवेश की निगरानी	29
(v)	स्वास्थ्य बीमा	32
(vi)	ग्रामीण एवं सामाजिक क्षेत्रों में व्यापार	35
(vii)	लेखा एवं बीमांकक मानक	36
	I) लेखा मानक	36
	II) (ए) नियुक्त बीमांकक प्रणाली	36
	(बी) बीमांकन मानक	37
(viii)	कृषि बीमा	37
(ix)	सूक्ष्म बीमा	38
(x)	प्राधिकरण द्वारा जारी निर्देश, आदेश एवं विनियमन	40
(xi)	सूचना अधिनियम अधिकार	41

भाग II

काम एवं प्रचलन का पुनरीक्षण

(i)	बीमा एवं पुर्नबीमा कंपनियों का विनियमन	43
(ii)	बीमा व्यापार से संबंधित मध्यवर्ती	44
(iii)	मुकद्दमें, अपील एवं अदालती घोषणाएँ	48
(iv)	बीमा में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग	48
(v)	लोक शिकायते	49
(vi)	बीमा संघ एवं बीमा काउंसिल	51
(vii)	बीमा लोकपाल के कार्य	54

भाग III

प्राधिकरण के संविधिक कार्य

ए)	आवेदक को पंजीकरण पत्र जारी करना या ऐसे पंजीकरण का नवीनीकरण करना, सुधारना, वापस करना, निकालना, स्थगित अथवा रद्द करना	57
बी)	पॉलिसी देने, पॉलिसीधारक द्वारा नामांकन, बीमा किया जाने वाला ब्याज, बीमा दावे के निपटारे, पॉलिसी के सरेंडर मूल्य और बीमा ठेकों के अन्य नियमों एवं शर्तों से संबंधित मामलों में पॉलिसीधारकों के हितों की रक्षा करना	58
सी)	आवश्यक योग्यताओं का विनियमन, अचार संहिताओं एवं मध्यवर्ती या बीमा मध्यवर्ती या एजेंटों के लिये प्रायोगिक प्रशिक्षण	58
डी)	सर्वेक्षक एवं हानि निर्धारक के लिये अचार संहिता का विनियमन	58
ई)	बीमा व्यापार की संहिता में कामयाबी को प्रोत्साहन	58
एफ)	बीमा एवं पुर्नबीमा व्यापार से संबंधित व्यवसायिक संस्थाओं को प्रोत्साहन एवं विनियमन	58
जी)	अधिनियम के कार्यों को करने के लिये शुल्क एवं अन्य दरों की अदायगी	59
एच)	बीमा व्यापार से संबंधित बीमाकर्ताओं, मध्यवर्ती, बीमा मध्यवर्ती एवं अन्य संस्थाओं से जानकारी लेने, परीक्षण करने, जाँच एवं छानबीन करने के साथ लेखा परीक्षण	59
आई)	बीमा अधिनियम, 1938 (1938 का 4) के सेक्शन 64यू के अधिन प्राशुल्क सलाहकार समिति द्वारा ज्यादा नियंत्रित एवं विनियमन नहीं किये जाने वाले सामान्य बीमा व्यापार में बीमाकर्ता द्वारा नियंत्रित एवं विनियमित दर, सुविधायें, नियम एवं शर्तें	59
जे)	बीमाकर्ताओं एवं बीमा मध्यवर्तियों द्वारा लेखा पुस्तकों को संभालने का तरीका एवं प्रकार के बारे में विनियमन एवं खातों का बयान	60
के)	बीमा कंपनियों द्वारा निधियों के निवेश को विनियमित करना	60
एल)	विलयन सीमा के रख-रखाव का विनियमन	61
एम)	बीमाकर्ताओं एवं मध्यवर्तियों या बीमा मध्यवर्तियों के बीच विवादों पर फैसला सुनाना	61
एन)	प्राशुल्क सलाहकार समिति के काम का निरीक्षण	61
ओ)	बीमाकर्ता के प्रीमियम आय के प्रतिशत उपवाक्य 'एफ' में निर्दिष्ट अनुसार बीमाकर्ताओं की वित्त योजनाओं को प्रोत्साहित एवं विनियमित करने के लिये विनियमन	61
पी)	बीमाकर्ता द्वारा ग्रामीण या सामाजिक क्षेत्रों में बीमाकर्ता द्वारा किये गये जीवन बीमा एवं गैर जीवन बीमा व्यापार के प्रतिशत का विनियमन	61
क्यू)	निर्धारित कुछ अन्य अधिकारों का उपयोग करना	62

भाग IV संस्था मामले

i.	संस्था	63
ii.	प्राधिकरण की बैठक	63
iii.	मानव संसाधन	63
iv.	राजभाषा को प्रोत्साहन	63
v.	सूचना प्रौद्योगिकी का स्तर	63
vi.	लेखा	64
vii.	आईएसओ 9001-2000 पंजीकरण	64
viii.	आईआरडीए जर्नल	64
ix.	आभार	65

मदें

1.	स्वास्थ्य बीमा के क्षेत्र में फिक्की और सीआईआई जैसे बहुभागीदारी समूहों द्वारा संयुक्त प्रयास	18
----	--	----

विषय सारणी

1.	मुख्य बाजार संकेतक	6
2.	भारत में पंजीकृत बीमाकर्ताओं की संख्या	7
3.	बीमाकर्ताओं के कार्यालयों का वितरण	7
4.	जीवन बीमाकर्ताओं के कार्यालयों का विवरण	7
5(ए) .	बीमा शोधन - 2008	8
5(बी) .	बीमा धनत्व - 2008	9
6.	भुगतित पूँजी: जीवन बीमाकर्ता	10
7.	नई जारी पॉलिसियों की संख्या: जीवन बीमा	10
8.	जीवन बीमाकर्ताओं द्वारा एकत्रित किया गया प्रीमियम	11
9.	जीवन बीमाकर्ताओं की बाजार भागीदारी	11
10.	जीवन बीमाकर्ताओं के कमीशन खर्च	12
11.	कमीशन खर्च का अनुपात	12
12.	जीवन बीमाकर्ताओं के प्रचलन खर्च	12
13.	प्रचलन खर्च का अनुपात	13
14.	व्यक्तिगत मृत्यु दावे	14
15.	ग्रुप मृत्यु दावे	15
16.	भुगतित पूँजी- गैर जीवन बीमाकर्ता तथा पुर्नबीमाकर्ता	15
17.	नई जारी पॉलिसियों की संख्या: गैर जीवन बीमा	16
18.	बीमा लिखने का खर्च - गैर जीवन बीमाकर्ता (भारत में)	16
19.	सकल सीधे प्रीमियम के प्रतिशत के अनुसार भारतीय व्यापार का कुल एकत्रित प्रीमियम	17
20.	गैर जीवन बीमाकर्ता द्वारा भारत में लिखा गया बीमा - वर्गानुसार	17
21.	सकल सीधे प्रीमियम के प्रतिशत के अनुसार भारतीय व्यापार का कुल एकत्रित प्रीमियम	20
22.	भारत के बाहर से सीधा सकल प्रीमियम - गैर जीवन बीमाकर्ता	20
23.	बीमा लेखन हानि- गैर जीवन बीमाकर्ता	21
24.	प्रचलन खर्च	21
25.	कमीशन खर्च	21
26.	निवेश आय	21

27.	गैर जीवन बीमाकर्ता के शुद्ध दावे	22
28.	शुद्ध दावे	22
29.	लाभांश देय	23
30.	भारतीय व्यापार का शुद्ध प्रीमियम प्रतिशत सीधा सकल प्रीमियम का प्रतिशत (जीआईसी को छोड़कर)	26
31.	पुर्नबीमा का भारत तथा भारत के बाहर सकल सीधा प्रीमियम प्रतिशत में (जीआईसी को छोड़कर)	27
32.	भारतीय व्यापार पर भारत के बाहर किया गया पुर्नबीमा (जीआईसी को छोड़कर)	27
33.	सदस्य कंपनियों का भारतीय आतंकवाद फूल में भागीदारी	28
34.	आतंकवाद जोखिम बीमा की प्रीमियम दरें (1 अप्रैल 2009 से)	29
35.	आतंकवाद जोखिम बीमा पर मिड टर्म कवर (1 अप्रैल 2009 से)	29
36.	बीमाकर्ताओं का निवेश	30
36(I)	कुल निवेश: साधन अनुसार	30
36(II)	जीवन बीमाकर्ताओं का निवेश: फंड अनुसार	31
37.	कुल निवेश: फंड अनुसार	31
38.	गैर जीवन बीमाकर्ताओं का निवेश: फंड अनुसार	32
39.	टीपीए (संरचनात्मक) (2008-09)	34
40.	तीसरा पक्ष प्रशासक - दावा डाटा	35
41.	सूक्ष्म बीमा में नया व्यवसाय (2008-09)	38
42.	सूक्ष्म बीमा अभिकर्ता (जीवन बीमा)	38
43.	सूक्ष्म बीमा के अंतर्गत ग्रुप मृत्यु दावे - जीवन (2008-09)	39
44.	सूक्ष्म बीमा के अंतर्गत व्यक्तिगत मृत्यु दावे - जीवन (2008-09)	39
45.	समयानुसार व्यक्तिगत मृत्यु दावों का निपटारा - क्षेत्रवार (2008-09)	40
46.	समयानुसार ग्रुप मृत्यु दावों का निपटारा - क्षेत्रवार (2008-09)	40
47.	जीवन बीमाकर्ताओं के व्यक्तिगत अभिकर्ताओं का विवरण	44
48.	जीवन बीमाकर्ताओं के नैगमीय अभिकर्ताओं का विवरण	44
49.	चैनल अनुसार जीवन बीमाकर्ताओं का व्यक्तिगत नया व्यापार (2008-09)	45
50.	चैनल अनुसार जीवन बीमाकर्ताओं का ग्रुप नया व्यापार (2008-09)	46
51.	चैनल अनुसार जीवन बीमाकर्ताओं का ग्रुप तथा व्यक्तिगत नया व्यापार (2008-09)	47
52.	शिकायतों की स्थिति - जीवन बीमाकर्ता	49
53.	शिकायत कक्ष में जीवन बीमाकर्ताओं के लिए दर्ज की गयी शिकायतों का वर्गीकरण (2008-09)	50
54.	शिकायतों की स्थिति - गैर जीवन बीमाकर्ता	51
55.	शिकायतों की स्थिति - गैर जीवन बीमाकर्ता (अप्रैल से सितम्बर 2009)	51
56.	ओम्बड्समैन द्वारा शिकायतों का निपटारा (2008-09)	55

विवरणों की सूची

1.	घरेलू क्षेत्र के वित्त बचत (सकल)	69
2.	बीमा प्रभाव की अंतर्राष्ट्रीय तुलना	70
3.	बीमा घनता की अंतर्राष्ट्रीय तुलना	71
4.	राजस्व खाता: सभी बीमाकर्ता	72
5.	लाभ एवं हानि खाता: सभी बीमाकर्ता	74
6.	तुलन पत्र: सभी बीमाकर्ता	96
7.	भारतीय जीवन बीमा निगम: पूंजी छुड़ाने एवं निश्चित बीमा व्यापार (गैर भागीदारी) - राजस्व खाता	78
8.	भारतीय जीवन बीमा निगम: पूंजी छुड़ाने एवं निश्चित बीमा व्यापार (गैर भागीदारी) - लाभ एवं हानि खाता	79
9.	भारतीय जीवन बीमा निगम: पूंजी छुड़ाने एवं निश्चित बीमा व्यापार (गैर भागीदारी) - तुलन पत्र	80
10.	राजस्व खाता: सार्वजनिक क्षेत्र के गैर जीवन बीमाकर्ता	81
11.	लाभ एवं हानि खाता: सार्वजनिक क्षेत्र के गैर जीवन बीमाकर्ता	83
12.	तुलन पत्र: सार्वजनिक क्षेत्र के गैर जीवन बीमाकर्ता	84

13.	राजस्व खाता: निजी क्षेत्र के गैर जीवन बीमाकर्ता	85
14.	लाभ एवं हानि खाता: निजी क्षेत्र के गैर जीवन बीमाकर्ता	91
15.	तुलन पत्र: निजी क्षेत्र के गैर जीवन बीमाकर्ता	92
16.	स्वास्थ्य बीमाकर्ता - राजस्व खाता	93
17.	स्वास्थ्य बीमाकर्ता- लाभ एवं हानि खाता	94
18.	स्वास्थ्य बीमाकर्ता - तुलन पत्र	95
19.	भारतीय साधारण बीमा निगम - राजस्व खाता	96
20.	भारतीय साधारण बीमा निगम - लाभ एवं हानि खाता	97
21.	भारतीय साधारण बीमा निगम - तुलन पत्र	98
22.	भारतीय निर्यात ऋण गारंटी निगम- राजस्व खाता	99
23.	भारतीय निर्यात ऋण गारंटी निगम- लाभ एवं हानि खाता	100
24.	भारतीय निर्यात ऋण गारंटी निगम- तुलन पत्र	101
25.	कृषि बीमा निगम लिमिटेड- राजस्व खाता	102
26.	कृषि बीमा निगम लिमिटेड- लाभ एवं हानि खाता	103
27.	कृषि बीमा निगम लिमिटेड- तुलन पत्र	104
28.	गैर जीवन बीमाकर्ताओं के कुल अवरोध	105
29.	भारत में सकल सीधा प्रीमियम से आय	106
30.	कुल प्रीमियम आय (अर्जित)	107
31.	बीमा करने का अनुभव एवं सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों के लाभ	108
32.	बीमा करने का अनुभव एवं निजी क्षेत्र की कंपनियों के लाभ	109
33.	उपगत दावों का अनुपात: सार्वजनिक क्षेत्र	110
34.	उपगत दावों का अनुपात: निजी क्षेत्र	111
35.	बीमा कंपनियों की एक्युटी शेयर पूंजी	112
36.	बीमाकर्ताओं एवं विभिन्न मध्यवर्तियों की शुल्क संरचना	113
37.	निधि के अनुसार जीवन बीमाकर्ताओं के निवेश का आधार	114
38.	निधि के अनुसार गैर जीवन बीमाकर्ताओं के निवेश का आधार	117
39.	शिकायतों की स्थिति - जीवन बीमाकर्ता	118
40.	शिकायतों की स्थिति - गैर जीवन बीमाकर्ता	119
41.	शिकायतों की स्थिति - गैर जीवन बीमाकर्ता (सितम्बर 2009 में समाप्त होने वाले अर्ध वर्ष तक)	120
42.	तीसरा पक्ष प्रशासक - दावा डाटा: 2008-09	121
43.	विभिन्न केंद्रों पर ओम्बड्समैन का काम: 31 मार्च 2009 के वर्ष समाप्ति तक शिकायतों का निपटारा: जीवन बीमा	122
44.	विभिन्न केंद्रों पर ओम्बड्समैन का काम: 31 मार्च 2009 के वर्ष समाप्ति तक शिकायतों का निपटारा: गैर जीवन बीमा	123
45.	विभिन्न केंद्रों पर ओम्बड्समैन का काम: 31 मार्च 2009 के वर्ष समाप्ति तक शिकायतों का निपटारा: जीवन बीमा एवं गैर जीवन बीमा दोनों एक साथ	124
46.	प्रथम वर्ष (एकल प्रीमियम सहित) जीवन बीमा प्रीमियम	125
47.	कुल जीवन बीमा प्रीमियम	126
48.	गैर जीवन बीमा का सकल सीधा प्रीमियम (भारत तथा भारत के बाहर)	127
49.	व्यक्तिगत व्यापार (भारत में) - लागू व्यापार (पॉलिसियों का संख्या)	128
50.	व्यक्तिगत व्यापार (भारत में) - लागू व्यापार (बीमित राशि)	129
51.	जीवन बीमाकर्ताओं का शोधन अनुपात (2008-09)	130
52.	गैर जीवन बीमाकर्ताओं का शोधन अनुपात (2008-09)	132
53.	व्यक्तिगत व्यापार (भारत में) - गैर लिंकड व्यापार से संबंधित समपहरण / कालित पॉलिसियों का विवरण	134
54.	जीवन बीमाकर्ताओं का व्यक्तिगत नया व्यापार कार्य निष्पादन 2008-09 के लिये - चैनल के अनुसार	135
55.	जीवन बीमाकर्ताओं का ग्रुप नया व्यापार कार्य निष्पादन 2008-09 के लिये - चैनल के अनुसार	136

56.	राज्यानुसार व्यक्तिगत मध्यस्थों का फैलाव - तक बीमाकर्ताओं के अनुसार - 2009	137
57.	जीवन बीमाकर्ताओं के व्यक्तिगत मध्यस्थों का विवरण	138
58.	व्यक्तिगत मृत्यु दावे	139
59.	जीवन बीमाकर्ताओं के कार्यालय	140
60.	जीवन बीमाकर्ताओं के कार्यालयों का वर्गीकरण	141
61.	भौगोलिकता के आधार पर कार्यालयों का वर्गीकरण	142
62.	नया लिखा गया व्यक्तिगत व्यापार - राज्यानुसार (2008-09)	143
63.	शिकायतें - जीवन बीमाकर्ता	145
64.	ग्रुप मृत्यु दावे (2008-09)	146
65.	जीवन बीमाकर्ताओं के सूक्ष्म बीमा उत्पादों का विवरण	147
66.	समयानुसार व्यक्तिगत मृत्यु दावों का निपटारा (2008-09)	148
67.	समयानुसार व्यक्तिगत ग्रुप दावों का निपटारा (2008-09)	149
68.	सूक्ष्म बीमा के अंतर्गत नया व्यापार (2008-09)	150
69.	जीवन बीमाकर्ताओं के सूक्ष्म बीमा अभिकर्ताओं का विवरण (2008-09)	151
70.	जीवन बीमाकर्ताओं के नैगमीय अभिकर्ताओं का विवरण (2008-09)	152

संलग्नकों की सूची

I	भारत में काम करने वाली बीमा कंपनियाँ	153
II	आईआरडीए अधिनियम, 1999 के अधीन बनाये गये विनियमन	155
III	(ए) जीवन बीमाकर्ताओं के नियुक्त बीमांकक	156
	(बी) गैर जीवन बीमाकर्ताओं के नियुक्त बीमांकक	157
IV	(ए) भारतीय जीवन बीमा निगम के निश्चित जीवन में मृत्यु दर - एलआईसी 94-96 अंतिम	158
	(बी) भारतीय जीवन बीमा निगम के वार्षिक ग्राहियों में मृत्यु दर - एलआईसी ए (96-98) अंतिम	159
V	वित्त वर्ष 2008-09 में निकाल गये जीवन बीमा उत्पाद	160
VI	वित्त वर्ष 2008-09 में निकाले गये गैर जीवन बीमा उत्पाद (गैर-प्राशुल्क)	165
VII	जीआईसी द्वारा प्राप्त किये गये अनिवार्य सेशन	169
VIII	पंजीकृत दलाल (राज्य के आधार पर)	170
IX	प्राधिकरण द्वारा जारी किये गये संचारिका / आदेश / अधिसूचना	171
X	वर्ष 31 मार्च 2009 की समाप्ति के लिये खातों का वार्षिक विवरण	175
XI	बीमाकर्ताओं, मध्यवर्तियों एवं ओम्बड्समैन के पते	195

लक्ष्य

- ✓ पॉलिसीधारकों के हितों की रक्षा करना एवं अच्छे व्यवहार प्राप्त करना;
- ✓ आम आदमी के लाभ हेतु और अर्थव्यवस्था की दीर्घकालीन निधियों को तीव्रता से बढ़ाने के लिये बीमा उद्योग की तेज एवं क्रमबद्ध वृद्धि (वार्षिक एवं अर्ध-वार्षिक भुगतान सहित);
- ✓ उनके द्वारा विनियमित लोगों की एकाग्रता, वित्तीय स्थायित्व, सही संव्यवहार एवं योग्यता को स्थापित, प्रोत्साहित, निगरानी एवं लागू करना;
- ✓ सच्चे दावों के निपटारे, बीमा धोखों एवं अन्य गलत कार्यों को रोकने और दुविधा पुनरूद्धार संयंत्र को स्थापित करना;
- ✓ बीमा के साथ संव्यवहार करने वाले वित्त बाजारों में सही पारदर्शिता एवं क्रमबद्ध व्यवहार प्रोत्साहित करने एवं बाजार के व्यवसायियों में वित्तीय स्थिरता लागू करने में एक विश्वसनीय प्रबंधन जानकारी प्रणाली का निर्माण करना;
- ✓ सच्चे दावों जहाँ ऐसे स्तर काफी नहीं हैं और सही तरह से लागू नहीं किये गये हैं, वहाँ काम करना;
- ✓ उद्योग के दिन प्रतिदिन के विवेकपूर्ण विनियमन की आवश्यकताओं के साथ बहुत ज्यादा स्व-विनियमन लाना।

आईआरडीए की टीम
वर्ष 2008-09

अध्यक्ष
जे हरिनारायण

सदस्य

सी आर मुरलीधरन
के के श्रीनिवासन

जी प्रभाकरा
डॉ आर कन्नन

अंश कालिक सदस्य

उत्तम प्रकाश अग्रवाल, 6 फरवरी 2009 से
विजय महाजन, 7 अक्टूबर 2005 से
एला आर भट्ट, 27 फरवरी 2007 से

वेद जैन, 6 फरवरी 2008 से 5 फरवरी 2009 तक

सुषमा नाथ, 19 फरवरी 2009 तक
डॉ संजीव मिश्रा, 18 फरवरी 2009 तक
राहुल कुल्लड़, 20 फरवरी 2009 से

महा निदेशक (शोध एवं विकास)

डॉ डी वी एस शास्त्री

कार्यकारी निदेशक

प्रबोध चन्दर

ए गिरधर

के सुब्रह्मण्यम

परामर्शदाता एवं विशेष अधिकारी

कुन्नेल प्रेम

क्र. सं.	कर्मचारी का नाम
1	ए. केशव राव
2	ए. कृष्णन
3	ए. आर. नित्यानल्लम
4	ए. रमा सुधीर
5	ए. वी. राव
6	आकाश दंगवार
7	अमीर हसन
8	अमित श्रीवास्तव
9	अनिल कुमार अरोरा
10	अनुराग वाजपेयी
11	अरूप चटर्जी
12	बी. पद्मजा
13	बी. अरूणा
14	बी. राघवन
15	बी. सोमेश्वरा राव
16	बी. एस. वेंकटेश
17	बी.एच. सूर्यनारायण शास्त्री
18	बोल्ला बालाकृष्णा
19	सी.एच. बी. चंद्रशेखर राव
20	डी. ग्यान प्रसुन्ना
21	डी. पी. जोशी
22	डी. श्रीनिवास मूर्ति
23	डी. वी. एस. रमेश
24	दसिका एस. मुरली मोहन
25	दीपक खन्ना
26	दीपक कुमार गायकवाड़
27	दीकलंक चक्रवर्ती
28	दोमला रजनीकांत
29	जी. आर. सूर्य कुमार
30	गंदी वेंकट रमण
31	एच. बाबू योगेश
32	हरि
33	इंद्रदीप शाह
34	इशित्याक आलम
35	जे. अनिता
36	जे. मीना कुमारी
37	ज्योति भगत
38	के. आनंदा राव
39	के. के. चौधरी
40	के. श्रीधर राव
41	के. श्रीनिवास
42	के. श्रीधर
43	कमल चावला
44	कौलिश्री
45	के.जी.पी.एल. रमा देवी
46	लक्ष्मी पिल्लई
47	एम. एल. सौजन्या
48	महेश अग्रवाल
49	ममता सूरी
50	मंजू अरोरा

51	मथंगी सरिता
52	एमबीवीएन मूर्ति
53	एम एम निजामुद्दीन
54	मुकेश कुमार
55	मुकेश शर्मा
56	नंदन कुमार
57	नरेन्द्र सिंह
58	नीरज मणि त्रिपाठी
59	नमिशा श्रीवास्तव
60	पी के मैती
61	पी मजूमदार
62	आर कुमार
63	आर पार्थसारथी
64	आर ललिता कुमारी
65	रविन्द्र कौर
66	आर संगीता
67	आर उमा महेश्वरी
68	राज कुमार शर्मा
69	राकेश के बजाज
70	राकेश सरोदय
71	रणदीप सिंह जगपाल
72	रविन्द्रदास
73	एस कार्तिक्य शर्मा
74	एस एन जयसिंहन
75	एस पी चक्रवर्ती
76	संगीता के ए
77	संजय कुमार वर्मा
78	संजय मोहन शर्मा
79	संजीव कुमार जैन
80	शरत चंद्रा
81	शरदुल सुरेश अदमने
82	शशि पाल
83	शिक्षा शाहा
84	श्याम सुंदर मोहकुद
85	शिवा प्रसाद येदु
86	सोनिया सिंह
87	सुदीप्त भट्टाचार्य
88	सुजोय सोहा
89	सुनिता एल वी एस
90	सुरेश माथुर
91	सुरेश नायर
92	सुसान इत्तिरा
93	सुस पाल
94	टी एस नायक
95	टटी किरण
96	त्रिलोकी नाथ
97	वी वी एन किरणकुमार शर्मा
98	विकास जैन
99	विनय कुमार मथांगी
100	यू जवाहरलाल

परिदृश्य

वर्ष 2008-09 में बीमा कंपनियों का प्रदर्शन सबप्राइम संकट से प्रभावित रहा। सबप्राइम संकट का आरंभ संयुक्त राज्य से वर्ष 2007 के अंतिम समय में हुआ और यह संयुक्त राज्य में वित्तीय संकट का रूप में उभरा और बाद में इसने यूरोप और यूनाइटेड किंगडम को भी अपने दायरे में ले लिया। 2008 के आखरी दिनों में इसने एशिया को अपने चपेट में ले लिया। इसके परिणामस्वरूप विश्व के बहुत से देशों में वित्तीय संकट गहरा गया जिसके चलते संबंधित सरकारों ने संकट से उबरने के लिए आवश्यक कदम उठाये। दुनिया भर में बेरोजगारी के बढ़ने के अलावा आर्थिक विकास दर को भी धक्का पहुंचा और विश्व बैंक और अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष (आईएमएफ) ने 2008-09 के लिए अनुमानित विकास दर को 1.1 प्रतिशत कम कर दिया। वित्तीय संस्थाओं के पतन और बैंकिंग व्यवस्था में विश्वास की कमी ने वित्तीय बाजारों पर खासा असर डाला। मनी मार्केट और पूंजी बाजार दुनिया भर में अपने न्यूनतम स्तरों पर आ गये। इसके चलते बहुत से निवेशकों ने अपनी संपत्ति खो दी।

अंतरराष्ट्रीय परिदृश्य में, अपवाद स्वरूप बड़ी कंपनियों को छोड़कर बीमा कंपनियां संकट से काफी हद तक अछूती रही। यद्यपि 1980 के बाद पहली बार बीमा प्रीमियम, गैर-जीवन बीमा के मामले में .8 फीसदी गिरे तथा जीवन बीमा प्रीमियम उससे भी अधिक 3.5 प्रतिशत की दर से गिरे। साथ ही वित्तीय बाजारों में ऊंचे उथलपुथल के चलते बीमा कंपनियों के निवेश आय में भी गिरावट दर्ज की गई। 2008 में बीमा कंपनियों की लाभप्रदता केवल निवेश आय कम होने की वजह से ही नहीं घटी अपितु गारंटी की ऊंची लागत एवं प्रबंधन शुल्क से आने वाले कम राजस्व से भी यह प्रभावित रही।

निवेश में कमी होने के चलते बैंक तथा बीमा कंपनियों दोनों को नियामक जरूरतों को पूरा करने के लिए पूंजी की जरूरत पड़ी। यह बड़ी चुनौती थी क्योंकि निवेशक अपनी खासी संपत्ति गवां चुके थे और पूंजी की कमी के चलते नये निवेश करने में सक्षम नहीं थे। दुनिया भर की सरकारों ने व्यवस्था में स्थिरता वापस लाने के लिए वित्तीय तंत्र को पूंजी की संजीवनी दिलाने का कार्य आरंभ कर दिया। यद्यपि भारत अछूता था लेकिन वह भी इस वित्तीय ज्वार से पूरी तौर पर नहीं बच पाया। पांच साल से ऊंचे आय स्तर और सजग वित्तीय प्रबंधन एवं मजबूत बैंकिंग तंत्र (जिसने भुगतान तथा निपटारे के तंत्र को संभाल लिया) के चलते भारत इस संकट के असर को सीमित कर पाया। यद्यपि, शेयर बाजार के तेजी से गिरने के चलते पूंजी की उपलब्धता का संकट गहराया। भारत ने संकट से निपटने के लिए कुछ नीतियों को शिथिल भी किया और परंपरागत तथा गैर-परंपरागत दोनों ही तरीकों से इस संकट से निपटने का प्रयास किया। भारत की अर्थव्यवस्था जो 2008-09 में 8.8 प्रतिशत की गति से बढ़ रही थी वह केवल 6.7 प्रतिशत तक ही विकास गति अर्जित कर पाई।

यद्यपि 2009-10 की पहली छमाही में वित्तीय संकट के असर में कुछ सुधार देखने को मिला लेकिन संकट ने सरकारों तथा नियामक तंत्र के लिए कुछ गंभीर चिंताएं पैदा की हैं ताकि वह दीर्घकाल में वित्तीय तंत्र को मजबूत करने के लिए प्रभावी कदम उठाये। यह जी-20 के नेतृत्व के समक्ष प्रमुख विषय रहा और इसके द्वारा सुझाई गई प्रमुख अनुशंसा के मुताबिक पूंजी की पर्याप्तता तथा विभिन्न वित्तीय संस्थाओं के लिए आवश्यक साल्वेंसी के मानक प्रभावी बनाये। साथ ही व्यापक नियामक दृष्टि, बड़े और जटिल प्रकृति वाली वित्तीय ईकाईयों की बेहतर निगरानी के साथ ही विभिन्न देशों में सूचनाओं के आदान-प्रदान की सलाह दी गई है।

भारत में बीमा कर बचाने के वित्तीय उपकरण के रूप में देखा जाता है और इससे जुड़ी हुई जोखिम सुरक्षा शुद्धतः घटनात्मक मानी जाती है। यह मानसिकता वैसी ही बनी हुई है, यद्यपि यूनिट लिंक्ड उत्पाद लोकप्रिय बने हुए हैं। शुद्ध जोखिम आधारित उत्पाद अब हाशिये में चले गये हैं। पालिसी का व्यपगत (लैप्स) हो जाना गंभीर मुद्दा है। जीवन बीमाप्रदाताओं को ऐसे उत्पाद बनाने का प्रयत्न करना चाहिए जिनसे पालिसीधारकों की उत्पाद के प्रति दीर्घकालीन प्रतिबद्धता बनी रहे। इस प्रक्रिया में वितरकों की प्रमुख भूमिका हो सकती है कि वह उपभोक्ता की जरूरत को समझें और उन्हें वैसा उत्पाद उपलब्ध करा पायें ताकि उपभोक्ता लंबे समय तक पालिसी में बने रहें।

भारत में स्वास्थ्य सेवा के क्षेत्र में किये जाने वाले खर्च का प्रबंध अधिकतर उपभोक्ताओं को अपने ही साधनों से करना होता है और ऐसे परिदृश्य में स्वास्थ्य बीमा के क्षेत्र में 60 प्रतिशत की वृद्धि प्राप्त करना अद्भुत लगता है। इसके साथ ही यह भी, कि भारत में स्वास्थ्य बीमा बिल्कुल नया है यह वृद्धि और भी महत्वपूर्ण हो जाती है। इस वृद्धि के पीछे आम जनता की जागरूकता में वृद्धि का कारक भी अहम है। इसका यह मतलब नहीं कि इस श्रेणी में सब कुछ संतोषजनक और अच्छा है। उपभोक्ता की शिकायतें लगातार स्वास्थ्य बीमाप्रदाताओं को परेशान किये हुए हैं। वरिष्ठ नागरिकों को स्वास्थ्य बीमा तथा आसान दरों पर प्रीमियम की उपलब्धता ऐसे मुद्दे हैं जो चर्चा में बने हुए हैं। आशा है कि पूर्व-विद्यमान रोगों एवं प्रीमियम दरों में स्पष्टता से इस वर्ग से जुड़े बहुत से विवाद दूर हो जायेंगे। यह भी महत्वपूर्ण है कि पालिसीधारक किसी भी दावा आधारित विवाद में फंसने से पहले बीमा के मूल सिद्धांतों एवं इनके महत्व को जान लें।

किसी बीमा करार के सत्य का पल उसके दावे के निपटान में निहित होता है। कई मामलों में यह कई सालों बाद होता है और ऐसे में यदि दावे को अस्वीकृत कर दिया जाये तो यह पालिसीधारक के लिए काफी बड़ा आघात होता है। आदर्श रूप से, यदि करार के दोनों हिस्सों की औपचारिकताओं को पूरा किया जाये तो किसी भी प्रकार का अस्वीकरण नहीं होगा। दावों का अस्वीकरण कई कारणों से हो सकता

है कुछ जानबूझकर हो सकते हैं और कुछ अनजाने में। ऐसी स्थितियों में जब जागरूकता का स्तर कम हो, अस्वीकरण की समस्या से बचने के लिए अतिरिक्त प्रयासों की जरूरत है। इस दृष्टि में वितरकों की भूमिका अहम हो सकती है।

आईआरडीए द्वारा एक बीमा जागरूकता अभियान चलाया जाना है जिसे अंतिम रूप दिया जा रहा है। यह अभियान मास मीडिया द्वारा चलाया जायेगा जिसमें मुख्यतः प्रिंट, टेलीविजन तथा इंटरनेट के माध्यम से प्रचार किया जायेगा। अभियान का उद्देश्य आम जनता तथा साथ ही पालिसीधारकों को भी बीमा के बारे में शिक्षित करना है। इसमें विभिन्न रचनात्मक माध्यमों के द्वारा बीमा क्या है, बीमा की जरूरत क्यों है, बीमा पर्याप्त है अथवा नहीं, जोखिम प्रबंधन, जीवन बीमा क्या है, सामान्य बीमा क्या है आदि विषयों को समझाया जायेगा। इसके साथ ही आईआरडीए विशेष उपभोक्ता शिक्षा वेब पेज के साथ ही नमूने के बुकलेट भी तैयार किये जा रहे हैं जिसमें सामान्य सूचनाएं होंगी, बीमाप्रदाताओं को भी इन्हें प्रकाशित करने तथा वितरित करने की सलाह दी गई है।

भारत में, बीमा उद्योग में एनडावमेंट उत्पाद बाजार में प्रभावी रहे हैं क्योंकि यह बचत भी उपलब्ध कराते हैं। जब तक व्यवसाय सार्वजनिक बीमाप्रदाताओं द्वारा चलाया जा रहा था तब तक इसे बड़ी बाधा के रूप में नहीं देखा जा रहा था। यद्यपि उदारीकरण के बाद इस क्षेत्र के खुलने से कुछ बीमाप्रदाता फ्लेक्सिबल प्लान भी प्रस्तावित कर रहे हैं। जहां बिल्कुल नये उत्पाद ला पाना बेहद कठिन है जीवन बीमा में राइडर के माध्यम से फ्लेक्सिबिलिटी (लचीलापन) उपलब्ध कराई जाती है वहीं गैर-जीवन बीमा में एड्स-आन के माध्यम से पालिसीधारकों के हाथों में ऐसे उत्पाद आये हैं जो उनकी विशेष जरूरतों को पूरा करते हैं।

भारत में, बीमा उद्योग के साल्वेंसी मानक सरल हैं और जोखिम भरे पोर्टफोलियो तथा गैरजोखिम पोर्टफोलियो में अंतर खींचने वाली रेखा बेहद बारीक है। कुछ विकसित देशों में जोखिम आधारित पूंजी (रिस्क बेस्ड कैपिटल या आरबीसी) की गुंजाइश भी होती है जिसे निवेश के रूप में रखने से बेहतर लाभ मिलने की संभावनायें होती हैं। अंततः जब आईआरडीए आरबीसी क्षेत्र की ओर बढ़ रहा है तब हमारा यह प्रयत्न होना चाहिए कि इसके लिए सुदृढ़, व्यापक और गहरा डाटाबेस (आंकड़ों का संकलन) तैयार कर सकें ताकि इस बात के लिए आश्वस्त हुआ जा सके कि आरबीसी को लागू करना संभव है।

बीमा बाजार के विस्तार में वितरण की महत्वपूर्ण भूमिका होती है, जहां बद्ध एजेंसी व्यवस्था एकाधिकारवादी क्षेत्र में भलीभांति काम करती है वहीं ब्रोकर, निगमित अभिकर्ता जिनमें बैंक और अन्य वैकल्पिक श्रृंखला के वितरक शामिल हैं के आने ने बीमा उद्योग को काफी प्रभावित किया है। स्वास्थ्य बीमा के लिए टीपीए काफी अच्छा काम कर रहे हैं। यह श्रृंखला बीमा के विकास को बढ़ावा देने में सहायक हो

रही हैं। अभिकर्ता जो संभावित उपभोक्ता से मिलने वाले पहले व्यक्ति होते हैं, भलीभांति प्रशिक्षित किये जाने चाहिए तथा इन्हें उत्पाद के बारे में पूरी जानकारी होनी चाहिए। चूंकि अभिकर्ता संभावित खरीदार के परिचित होते हैं अतएव उन्हें उपभोक्ता के लिए उत्पाद के उपयुक्त होने अथवा न होने के संबंध में सलाह दी जानी चाहिए न कि कमीशन के बारे में जो वह इस पूरी प्रक्रिया में प्राप्त करते हैं। इस संदर्भ में बीमा कंपनियों को प्रतिबद्ध एवं सक्षम कार्यबल का गठन करना चाहिए एवं उन्हें समय-समय पर प्रोत्साहित करते रहना चाहिए। इसी प्रक्रिया से सर्वोत्तम कार्यप्रणाली तैयार होती है।

पालिसीधारक के हित पूरी तरह तभी सुरक्षित रखे जा सकते हैं जब उनके द्वारा संग्रहित किये गये प्रीमियम का बीमाप्रदाता सही तरीके से और बुद्धिमानी से निवेश किये जायें। इसी प्रयास के तहत, प्राधिकरण ने फंड के निवेश के संबंध में दिये गये मार्गदर्शन को संशोधित किया है। इसके साथ ही, प्राधिकरण बीमाप्रदाताओं का निवेश पोर्टफोलियो तिमाही आधार पर देखती है ताकि यह पता लगाया जा सके कि बीमाप्रदाता प्राधिकरण द्वारा दिखाये गये मानदंडों के अनुरूप चल रहे हैं अथवा नहीं। यह देखने के लिए कि यह सब वित्तीय विवरणों में झलक रहा है अथवा नहीं, लेखा संबंधी मानदंड की नींव भी रखी गई है।

आईआरडीए ने नियामक तथा अन्य जरूरतों के लिए आंकड़ों के जमा करने के लिए प्रारूप तैयार किये हैं। इन आंकड़ों का ठीक तरह से विश्लेषण किया जाना चाहिए ताकि जाना जा सके कि विनियमित ईकाई मानदंड के अनुरूप चल रही हैं अथवा नहीं एवं यह भी कि कंपनी समय के किसी भी बिंदू पर साल्वेंट रही अथवा नहीं। इन प्रारूपों को विभिन्न विनियमनों के अंतर्गत रखा गया है, वर्तमान में आईआरडीए बीमा कंपनियों द्वारा दिये गये सांख्यिकीय एवं गुणवत्ता युक्त आंकड़ों को समन्वित करने के कार्य में लगी हुई है। इस उद्देश्य के लिए एवं तकनीकी विश्लेषण को बढ़ावा देने के लिए आंकड़ा विश्लेषण प्रोजेक्ट (डाटा एनालिटिक प्रोजेक्ट) आरंभ किया गया है और अभी यह उन्नत स्तर में है। इस प्रोजेक्ट के लक्ष्य इश्योरेंस इनफार्मेशन ब्यूरो जैसे हैं जो फिलहाल हैदराबाद में मोटर एवं स्वास्थ्य आंकड़ों के विश्लेषण पर कार्य कर रहा है। सही एवं उपयोगी निष्कर्षों पर पहुंचने के लिए यह बेहद जरूरी है कि विनियमित ईकाई आंकड़े समय पर जमा करें और यह भी देखें कि आंकड़े त्रुटि मुक्त हों इस प्रकार से आंकड़ों की गुणवत्ता सुरक्षित रखी जा सके।

2009-10 की प्रथम तिमाही में प्रदर्शन

(i) जीवन बीमा:

वर्तमान वर्ष की प्रथम तिमाही के दौरान जीवन बीमाप्रदाताओं ने 14456.34 करोड़ रुपए की प्रीमियम राशि बटोरी जो पिछले साल की इसी अवधि के 14320.20 करोड़ रुपए की तुलना में थोड़ी सी अधिक रही।

एलआईसी ने इस अवधि में 9028.68 करोड़ रुपए जुटाये तथा अन्य निजी बीमाप्रदाताओं ने 5427.66 करोड़ रुपए का प्रीमियम जुटाया। जहां इस अवधि में एलआईसी की प्रीमियम राशि में 19.99 प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई वहीं निजी बीमाप्रदाताओं के प्रीमियम में 20.13 प्रतिशत की गिरावट आई। जीवन बीमाप्रदाताओं द्वारा जारी की गई पालिसियों की संख्या में 12.06 प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई। जहां एलआईसी द्वारा जारी की गई पालिसी की संख्या 22.59 प्रतिशत बढ़ी, वहीं निजी बीमाप्रदाताओं के मामले में इसमें 6.57 प्रतिशत की गिरावट दर्ज की गई। कुल जुटाये गये प्रीमियम में से व्यक्तिगत प्रीमियम द्वारा 10838 करोड़ रुपए जुटाये गये एवं शेष 4147.93 करोड़ रुपए प्रीमियम समूह बीमा से आये। एलआईसी के मामले में व्यक्तिगत व्यवसाय से 5963.64 करोड़ रुपए तथा समूह व्यवसाय से 3065.04 करोड़ रुपए आये। निजी बीमाप्रदाताओं के लिए यह आंकड़े क्रमशः 4344.75 करोड़ रुपए और 1082.90 करोड़ रुपए रहे।

जारी की गई जीवन पालिसी

बीमाप्रदाता	अप्रैल से जून 2008	अप्रैल से जून 2009
सार्वजनिक	4819546 (-23.36)	5908412 (22.59)
सार्वजनिक	2725468 (43.99)	2546339 (-6.57)
कुल	7545014 (-7.78)	8454751 (12.05)

नोट: कोष्ठक में दिये गये आंकड़े पिछले वर्ष की तुलना में प्रतिशत में वृद्धि को दर्शाते हैं।

जीवन बीमा कंपनियों की समूह योजनाओं द्वारा कवर के दायरे में लाये लोगों की संख्या 89.90 लाख रही यह पिछले साल की तुलना में 60.16 प्रतिशत अधिक रही। समूह योजनाओं में एलआईसी ने 33.18 लाख लोगों को तथा निजी बीमाप्रदाताओं ने 56.72 लाख लोगों को सुरक्षा दायरे में लिया। जीवन बीमाप्रदाताओं ने 37.86 लाख लोगों को सामाजिक क्षेत्र के अंतर्गत कवर दायरे में लिया और इनसे 34.13 करोड़ रुपए प्रीमियम के रूप में जुटाये। ग्रामीण क्षेत्र में बीमाप्रदाताओं ने 21.89 लाख पालिसी के माध्यम से 1455.71 करोड़ रुपए जुटाये।

(ii) गैर-जीवन बीमाप्रदाता

वित्तीय वर्ष की प्रथम तिमाही के दौरान 4.57 प्रतिशत की वृद्धि के साथ 8819.68 करोड़ रुपए का प्रीमियम जुटाया गया जबकि पिछले वर्ष इसी अवधि में 8434.00 करोड़ रुपए प्रीमियम जुटाया गया था। निजी बीमाप्रदाताओं ने इसी अवधि के दौरान 1.21 प्रतिशत वृद्धि के साथ 3584.64 करोड़ रुपए जुटाये जो पिछले साल इसी अवधि में 3541.78 करोड़ रुपए जुटाये गये थे। सार्वजनिक क्षेत्र के बीमाप्रदाताओं ने 2009-10 में 5235.04 करोड़ रुपए जुटाये जो पिछले साल की तिमाही में 7.01 प्रतिशत अधिक थे। इसीजीसी ने साख बीमा के रूप में पिछले

साल के 164.70 करोड़ रुपए की तुलना में इस बार 189.71 करोड़ रुपए जुटाये। एआईसी ने कृषि बीमा के रूप में पिछले साल के 53.70 करोड़ रुपए की तुलना में 131.70 करोड़ रुपए जुटाये। स्वास्थ्य बीमाप्रदाताओं (स्टार हेल्थ एवं अपोलो डीकेवी) ने पिछले साल के 131.70 करोड़ रुपए की तुलना में 245.75 करोड़ रुपए जुटाये। अग्नि, सामुद्रिक, मोटर, स्वास्थ्य एवं विविध वर्गों में जुटाये गये प्रीमियम क्रमशः 1305.72 करोड़ रुपए, 579.91 करोड़ रुपए, 3460.16 करोड़ रुपए, 1826.74 करोड़ रुपए, 1653.62 करोड़ रुपए जुटाये गये जो कि पिछले साल की तुलना में 7.66 प्रतिशत, 1.58 प्रतिशत, 5.47 प्रतिशत, 2.66 प्रतिशत एवं 3.90 प्रतिशत अधिक रही।

जारी किये गये गैर-जीवन पालिसी की संख्या

बीमाप्रदाता	अप्रैल से जून 2008	अप्रैल से जून 2009
सार्वजनिक	9600458 (8.52)	8887123 (-7.43)
सार्वजनिक	4971011 (27.93)	5318470 (6.99)
कुल	14571469 (14.44)	14205593 (-2.51)

नोट: कोष्ठक में दिये गये आंकड़े पिछले वर्ष की तुलना में प्रतिशत में वृद्धि को दर्शाते हैं।

2009-10 के प्रथम तिमाही में गैर-जीवन बीमाप्रदाताओं द्वारा जारी की गई पालिसी की संख्या 142.60 लाख रही जो पिछले साल के 145.71 लाख पालिसी की तुलना में 2.51 प्रतिशत गिरावट थी। इनमें से सार्वजनिक बीमाप्रदाताओं द्वारा जारी की गई पालिसी 88.87 लाख एवं निजी बीमाप्रदाताओं द्वारा जारी की गई पालिसी की संख्या 53.18 लाख रही। पिछले साल इन्होंने क्रमशः 96 लाख एवं 49.71 लाख पालिसी जारी की थी। जहां निजी जीवन बीमाप्रदाताओं ने 6.99 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की वहीं सार्वजनिक क्षेत्र के बीमाप्रदाताओं ने 7.43 प्रतिशत की नकारात्मक वृद्धि दर्ज की।

2009-10 की प्रथम छमाही में प्रदर्शन

बीमा उद्योग ने पिछले साल के प्रथम छह महीनों के 50171.09 करोड़ रुपए की तुलना में 11.35 प्रतिशत वृद्धि दर्ज कर 55866.54 करोड़ रुपए प्रीमियम आय दर्ज की। जहां जीवन बीमा उद्योग में 13 प्रतिशत की दर से वृद्धि दर्ज की वहीं गैर-जीवन बीमा संवर्ग में यह वृद्धि 8 प्रतिशत रही। जीवन बीमाप्रदाताओं के मामले में प्रथम वर्ष की प्रीमियम आय अप्रैल- सितंबर की अवधि के दौरान 39046.59 करोड़ रुपए रही जबकि पिछले वर्ष इसी अवधि में यह प्रीमियम राशि 34599.37 करोड़ रुपए रही। सामान्य बीमा कंपनियों द्वारा इसी अवधि में दर्ज प्रीमियम आय 16819.95 करोड़ रुपए रही जो पिछले साल 15571.72 करोड़ रुपए रही थी।

भाग I

नीतियां और कार्यक्रम

अ. सामान्य आर्थिक परिदृश्य

वर्ष 2008-09 का वैश्विक आर्थिक परिदृश्य काफी कमजोर रहा इसका कारण बहुत से विकसित और विकासशील देशों में आई आर्थिक मंदी रही जिसने विशेष रूप से वर्ष के बाद वाले हिस्से को प्रभावित किया। इस मंदी का विकसित देशों में प्रभाव अधिक गहरा और लंबा खींचने वाला था इसकी वजह इन देशों में सबप्राइम संपदा में प्रत्यक्ष निवेश और दूसरे जटिल वित्तीय उत्पाद रहे। चीन के साथ भारत में भी इन वित्तीय झटकों का प्रभाव तुलनात्मक रूप से कम दर्ज किया गया। भारत में 2008-09 के दौरान सरकार ने और रिजर्व बैंक ने वित्तीय झटकों को कम करने के लिए कई परंपरागत और गैरपरंपरागत उपाय किये गये। निचले स्तरों में आने के बावजूद भारत की अर्थव्यवस्था वर्ष की सारी तिमाहियों में सकारात्मक विकास के रास्ते पर रही। मंदी का प्रभाव कम ही रहा इसका कारण था यहां की मजबूत बैंकिंग व्यवस्था और जोखिम भरे उत्पादों में कम निवेश। बाजार में उथलपुथल अल्पकालीन ही रहे क्योंकि सही समय में उपयुक्त कदम उठा लिये गये थे।

लागत मूल्य पर सकल घरेलू उत्पाद (स्थिर कीमतों पर) वर्ष 2008-09 में पांच साल के औसत 8.8 प्रतिशत से 2.1 प्रतिशत पिछड़कर 6.7 प्रतिशत रह गया। सकल घरेलू उत्पाद में यह गिरावट सबसे ज्यादा तीसरी तिमाही में (5.8 प्रतिशत) रही। सभी क्षेत्रों (सेक्टर) में केवल दो क्षेत्र च्छन्नन एवं उत्खननज और च्छसमुदाय, समाज एवं वैयक्तिक सेवार्थेंज ही पिछले साल के मुकाबले बेहतर विकास दर अर्जित कर पाये। कृषि एवं संबद्ध क्षेत्रों में पिछले साल के 4.6 प्रतिशत के मुकाबले इस वर्ष केवल 1.6 प्रतिशत वृद्धि ही दर्ज की गई। विनिर्माण, ऊर्जा एवं निर्माण क्षेत्रों में तो रिकार्ड न्यूनतम विकास दर दर्ज की गई जो क्रमशः 2.4 (पिछले साल 8.2), 3.4 (पिछले साल 5.3), 7.2 (पिछले साल 10.1) प्रतिशत दर्ज की गई। औद्योगिक उत्पादन सूचकांक (आईआईपी) के संदर्भ में मापी जाने वाली औद्योगिक विकास दर पिछले साल के 8.5 प्रतिशत के मुकाबले इस वर्ष केवल 2.4 प्रतिशत रह गई।

केंद्रीय सांख्यिकीय संगठन द्वारा जारी किये गये ताजा मूल्यांकन के मुताबिक सकल घरेलू पूंजी निर्माण (जीडीसीएफ) लगातार बढ़ा है और 2002-03 के 25.2 प्रतिशत के मुकाबले 2007-08 में 39.1 प्रतिशत रहा है। इसका मुख्य कारण निगमित क्षेत्रों में (कापोरिट सेक्टर) निवेश की दर में वृद्धि है। वर्तमान बाजार मूल्यों में सकल घरेलू

उत्पाद (जीडीपी) के प्रतिशत के रूप में वर्ष 2003-04 के 29.8 प्रतिशत के मुकाबले 39.1 प्रतिशत हो गया है। रिजर्व बैंक के आरंभिक मूल्यांकनों के मुताबिक 2008-09 में घरेलू क्षेत्र की सकल बचत वर्तमान मूल्यों में सकल घरेलू उत्पाद की 10.9 प्रतिशत है जो 2007-08 में जीडीपी के 11.5 प्रतिशत की तुलना में कम है। शेयर और डिबेंचर में घरेलू निवेश में कमी वर्ष 2008-09 में घरेलू आर्थिक बचत कम होने का प्रमुख कारण है। अन्य वित्तीय उत्पाद जैसे मुद्रा, जमा, संविदा उत्पाद, सरकार पर दावे आदि वर्ष भर मुख्यतः स्थिर ही रहे।

वैश्विक स्तर पर मुद्रास्फीति का दबाव वर्ष 2007-08 की दूसरी छमाही में बढ़ना आरंभ हुआ और यह 2008-09 के प्रथम छमाही में और ज्यादा बढ़ गया। 2008-09 में मुद्रास्फीति का परिदृश्य अत्यधिक उथलपुथल से ग्रस्त रहा, थोक मूल्य सूचकांक आधारित मुद्रास्फीति अगस्त 2008 में 12.9 प्रतिशत तक चढ़ गया, इसके बाद तेज गिरावट हुई और मार्च 2009 में यह 1 प्रतिशत से नीचे चला गया। औसत आधार पर (52 हफ्तों का) थोक मूल्य सूचकांक आधारित मुद्रास्फीति वर्ष 2007-08 के 4.7 प्रतिशत के मुकाबले वर्ष 2008-09 में 8.3 प्रतिशत रही।

मुख्य जिंस समूह के रूप में प्राथमिक वस्तुओं में मुद्रास्फीति मार्च 2008 के 9.7 प्रतिशत की तुलना में 15 नवंबर 2008 को यह 12.7 प्रतिशत तक पहुंच गई। यह वृद्धि मूलतः खाद्य तथा अखाद्य दोनों वस्तुओं की वजह से हुई। प्राथमिक वस्तुओं की कीमतों में कमी जनवरी 2009 से आरंभ हो गई और यह 28 मार्च 2009 को खाद्य वस्तुओं विशेष रूप से सब्जियों और फलों के दाम गिरने से 5.2 प्रतिशत तक पहुंच गई। उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के मामले में मुद्रास्फीति मार्च 2008 के 6.0-7.9 प्रतिशत के मुकाबले में मार्च 2009 में यह 8.0-9.7 प्रतिशत रही। उपभोक्ता मूल्य सूचकांक से जुड़ी मुद्रास्फीति थोक मूल्य सूचकांक से जुड़ी मुद्रास्फीति से अधिक होती है।

वैश्विक मंदी के संक्रमण से भारतीय आर्थिक बाजार में उथलपुथल बढ़ गई, यह उथलपुथल विशेष रूप से विदेशी मुद्रा बाजार, पूंजी बाजार और वित्त बाजार के संबंध में रही। रिजर्व बैंक और सेबी ने वित्तीय बाजारों को मजबूत और सुरक्षित बनाने तथा निवेशकों के हितों की रक्षा करने उपयुक्त कदम उठाये हैं। सबप्राइम संकट का भारतीय बैंकों और वित्तीय संस्थाओं में सितंबर 2008 तक प्रभाव न्यूनतम रहा क्योंकि

संकटग्रस्त संपत्तियों में इनका निवेश सीमित था और रिजर्व बैंक ने इनके लिए विवेकपूर्ण नीतियां बना रखी थी। काल मनी (मांग मुद्रा) का बाजार भी 2008-09 की प्रथम छमाही में व्यवस्थित प्रदर्शन करता रहा। इस दौरान काल रेट रिवर्स रेपो और रेपो दरों के औपचारिक गलियारे में बने रहे। मनी मार्केट में दबाव 2008-09 की तीसरी तिमाही में देखा गया। 2008-09 के दौरान औसत काल रेट 7.06 प्रतिशत बनी रही जो पिछले साल के 6.07 प्रतिशत की तुलना में अधिक थी।

वैश्विक आर्थिक मंदी ने प्राथमिक इच्छि और डेट (ऋण) मार्केट को भी प्रभावित किया। द्वितीयक बाजार की अस्थिरता के चलते पब्लिक इश्यू, प्राइवेट प्लेसमेंट, यूरो इश्यू तथा म्यूचुअल फंड (साझा कोष) में भी तीव्र गिरावट दर्ज की गई। इच्छि इश्यू की संख्या 2007-08 के 116 की तुलना में 2008-09 में 45 रह गई।

द्वितीयक बाजार में मार्च 2009 तक बाम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सूचकांक सेंसेक्स का बाजार पूंजीकरण 40 प्रतिशत घट गया। बीएसई सेंसेक्स 8 जनवरी 2008 के अपने शीर्ष से 61 प्रतिशत गिरकर 9 मार्च 2009 को 8160 रह गया। बाजार पूंजीकरण और सकल घरेलू उत्पाद का अनुपात 108.8 प्रतिशत से आधा रहकर मार्च 2009 को 58 प्रतिशत रह गया। 2008-09 में पिछले साल के मुकाबले म्यूचुअल फंड की योजनाओं और उनके द्वारा उगाहे गये संसाधनों में महत्वपूर्ण कमी आई। म्यूचुअल फंड द्वारा प्रबंधित संपत्ति से पूंजी का प्रवाह काफी ज्यादा हुआ और इनके द्वारा प्रबंधित कोष में 17.4 प्रतिशत की कमी आई। द्वितीयक बाजार में सरकारी प्रतिभूतियों की यील्ड 2008-09 में मुद्रास्फीति के दबावों में आई। सितंबर 2008 मध्य से यील्ड सस्ते हुए।

2008-09 के दौरान भारत का वाणिज्यिक निर्यात पिछले वर्ष के 20.9 प्रतिशत की तुलना में 3.4 प्रतिशत तक गिर गया। इसी तरह आयात की दर भी पिछले साल के 35.5 प्रतिशत की तुलना में 2008-09 में 14.3 प्रतिशत रह गया। भारत में चालू खाते का घाटा जो 2005-06 से 2007-08 तक 1 से 1.5 औसत आधार पर रहा था वह 2008-09 में बढ़कर 2.6 प्रतिशत हो गया। अमेरिकी डॉलर में अगर देखें यह 2007-08 के 88.5 बिलियन की तुलना में यह बढ़कर 119.1 रह गया। 2008-09 में भारत में विदेशी निवेश एफडीआई (प्रत्यक्ष विदेशी निवेश) की आवक से संचालित रहा यद्यपि डिलिवरेजिंग की वजह से पैदा हुए वित्तीय संकट से इसका बड़ा हिस्सा बाहर भी चला गया। प्रत्यक्ष विदेशी निवेश मूल रूप से विनिर्माण क्षेत्र में आया।

भारतीय रूप से 2008-09 में अमेरिकी डॉलर के मुकाबले दो दिशाओं में गतिशीलता दिखाई। 2008-09 में चालू खाते में घाटा होने की वजह से और साथ ही बड़ी मात्रा में बाहर की ओर पूंजी प्रवाह होने के चलते विदेशी मुद्रा कोष में 20.1 अरब अमेरिकी डॉलर (मूल्यांकन शामिल नहीं) की कमी आई जबकि 2007-08 में इसमें 92.2 अरब अमेरिकी डॉलर की वृद्धि हुई थी। मूल्यांकन हानियों को शामिल करने पर यह 37.7 अरब डॉलर होती है जो अमेरिकी डॉलर की तुलना में बड़ी मुद्राओं के कमजोर होने से उपजी। भारत के विदेशी मुद्रा कोष में 2008-09 में 57.7 अरब डॉलर की गिरावट आई और यह मार्च 2009 तक 252 बिलियन डॉलर था। इस संकट में गिरावट के बावजूद भारत का विदेशी मुद्रा कोष संतोषप्रद स्तर तक रहा।

ब बीमा बाजार का मूल्यांकन

सारणी 1

बाजार के प्रमुख निदेशक कारक

कुल प्रीमियम	
(जीवन एवं गैर जीवन)	252143.10 करोड़ रुपए
जीवन	221791.26 करोड़ रुपए
गैर जीवन	30351.84 करोड़ रुपए
विश्व प्रीमियम *	
(जीवन एवं गैर जीवन)	4270 अरब अमेरिकी डॉलर
जीवन	2491 अरब अमेरिकी डॉलर
गैर जीवन	1779 अरब अमेरिकी डॉलर
नवागंतुकों के लिए भौगोलिक प्रतिबंध	नहीं
इकविटी प्रतिबंध	विदेशी प्रमोटर के लिए इकविटी की सीमा 26 प्रतिशत तक
पंजीयन प्रतिबंध	संयुक्त पंजीकरण उपलब्ध नहीं
स्रोत स्विस् आर * आंकड़ें कैलेंडर वर्ष 2008 से संबंधित। शेष आंकड़ें वित्तीय वर्ष 2008-09 से संबंधित	

भारत में पंजीकृत बीमाप्रदाता

भारत में पंजीकृत बीमाप्रदाता मार्च 2009 के अंत तक भारत में 44 बीमा कंपनियां काम कर रही थी जिनमें 22 जीवन बीमा कारोबार में तथा शेष 21 सामान्य बीमा कारोबार में तथा एक कंपनी राष्ट्रीय पुनर्बीमा क्षेत्र में काम कर रही थी।

इन 44 कंपनियों में से 8 सार्वजनिक क्षेत्र से (दो विशेषीकृत बीमा प्रदाता ईसीजीसी और एआईसी, जीवन बीमा में एक, सामान्य बीमा में

चार कंपनियां और एक पुनर्बीमा कार्यरत हैं।) शेष 36 कंपनियां निजी क्षेत्र से संबंधित हैं।

सारणी-2
भारत में पंजीकृत बीमाप्रदाता

व्यवसाय का प्रकार	सार्वजनिक क्षेत्र	निजी क्षेत्र	कुल
जीवन बीमा	1	21	22
सामान्य बीमा	6*	15**	21
पुनर्बीमा	1	0	1
कुल	8	36	44

* इसीजीसी और एआईसी जैसी विशेष बीमा कंपनियां शामिल

** दो स्वतः पूर्ण स्वास्थ्य बीमा कंपनियां स्टार हेल्थ एंड एलाइड इश्योरेंस कंपनी और अपोलो डीकेवी हेल्थ इश्योरेंस कंपनी शामिल

वित्तीय वर्ष 2008-09 के दौरान, आईआरडीए ने पंजीकरण के लिये सात नई कंपनियों को स्वीकृति प्रमाणपत्र दिये जिनमें चार जीवन बीमा क्षेत्र में तथा शेष 3 सामान्य बीमा कारोबार से संबंधित हैं।

यह बीमा कंपनियां कैनरा एचएसबीसी ओरियन्टल बैंक आफ कामर्स लाइफ इश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, एगान रेलिगेयर लाइफ इश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, डीएलएफ प्रैमेरिका लाइफ इश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, भारती एक्सा जनरल इश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, स्टार यूनिथन दाइची लाइफ इश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, श्रीराम जनरल इश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, भारती एक्सा जनरल इश्योरेंस कंपनी लिमिटेड और रहेजा क्यूबीई जनरल इश्योरेंस कंपनी लिमिटेड शामिल हैं। (संलग्नक 1)

कार्यालयों का प्रसार

समीक्षाधीन वर्ष में भारत में जीवन बीमा से जुड़े कार्यालयों की संख्या में बड़ा उछाल आया। जहां निजी बीमाप्रदाताओं ने इसके अंतर्गत नये 2394 कार्यालय जोड़े वहीं सार्वजनिक क्षेत्र के एलआईसी ने 508 नये कार्यालय जोड़े। इसी के साथ जीवन बीमा कार्यालयों की संख्या 31 मार्च 2008 के 8913 के आंकड़े से बढ़कर 31 मार्च 2009 को 11815 तक पहुंच गई। पिछले पांच सालों में निजी बीमाप्रदाताओं के कार्यालयों की संख्या में हर साल दोगुनी वृद्धि हुई है। यद्यपि 2008-09 के दौरान कार्यालयों की संख्या केवल 28 प्रतिशत की दर से बढ़ी। दूसरी ओर एलआईसी के मामले में कार्यालयों की संख्या 508 बढ़ गई (विवरण 59)

सारणी 3
जीवन बीमा कार्यालय * (31 मार्च 2009 तक)

बीमा प्रदाता	2009	2008	2007	2006	2005
निजी	8785	6391	3072	1645	804
एलआईसी	3030	2522	2301	2220	2197
कुल उद्योग	11815	8913	5373	3865	3001

* प्राधिकरण की स्वीकृति मिलने के बाद खुले कार्यालय

नोट: 1) विशेष रिटर्न के माध्यम से बीमा प्रदाता द्वारा जुटाये गये आंकड़े.

2) बीमा एक्ट 1938 के अनुच्छेद 64 बीसी द्वारा परिभाषित कार्यालय

3) 2001-2005 के ऐसे ही आंकड़ों के लिए देखें आईआरडीए की वार्षिक रिपोर्ट

सारणी 4
जीवन बीमा प्रदाताओं के कार्यालयों* का 31 मार्च 2009 तक विवरण

बीमा प्रदाता	महानगर	शहर	अर्धशहरीय	अन्य	कुल
निजी	927	1594	3603	2661	8785
एलआईसी	338	529	910	1253	3030
कुल उद्योग	1265	2123	4513	3914	11815

* प्राधिकरण की अनुमति मिलने के बाद खुले कार्यालय

नोट: 1) विशेष रिटर्न के माध्यम से बीमा प्रदाता द्वारा जुटाये गये आंकड़े.

2) वित्त मंत्रालय द्वारा किये गये स्थलों के एचआरए वर्गीकरण पर आधारित

महानगर: दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता, हैदराबाद एवं बंगलौर

शहर: ए, बी-1, बी-2 वर्ग के शहरों के लिए एचआरए वर्गीकरण पर आधारित

अर्धशहरीय : एचआरए वर्गीकरण पर आधारित सी वर्ग के शहर

अन्य: एचआरए के वर्गीकरण सूची में शामिल नहीं होने वाले स्थल.

इस सारणी से स्पष्ट है कि अधिकांश कार्यालय अर्धशहरीय अथवा छोटे शहरों में हैं जिन्हें वित्त मंत्रालय द्वारा तैयार किये गये एचआरए वर्गीकरण में

शामिल किया गया है। लगभग 70 प्रतिशत कार्यालय इन छोटे शहरों में स्थापित हैं। यह तथ्य निजी और सार्वजनिक दोनों क्षेत्रों के जीवन बीमाप्रदाताओं के लिए समान है। (विवरण 60)

i) विश्व बीमा परिदृश्य

स्विस रिसर्च के मुताबिक वर्ष 2008 में वैश्विक बीमा प्रीमियम 4270 अरब अमेरिकी डालर रहा जो 2007 के 4128 अरब यूएस डालर से थोड़ा ही अधिक है। जीवन बीमा का व्यवसाय 2491 अरब अमेरिकी डालर तथा गैर जीवन बीमा का हिस्सा 1779 अरब डालर रहा। अगर मुद्रास्फीति को जोड़ लें तो पिछले साल के मुकाबले इस साल जीवन बीमा प्रीमियम में 3.5 प्रतिशत और गैर जीवन बीमा प्रीमियम में .8 प्रतिशत की गिरावट आई। जहां गैरजीवन बीमा व्यवसाय में बीमा परिणाम संतोषप्रद रहे वहीं निवेश आय और रिटर्न(आवक) इच्छी के मामले में जीवन और गैरजीवन दोनों ही संवर्गों में तेजी से गिरे। 2008 में जहां औद्योगिक देशों में लाइफ प्रीमियम 5.3 फीसदी गिरा वहीं उभरते हुए देशों में यह 15 फीसदी बढ़ गया। वित्तीय संकट और आर्थिक मंदी से एकल प्रीमियम उत्पाद और यूलिप उत्पादों की बिक्री पर गंभीर प्रभाव पड़ा। 2008 में जीवन बीमा प्रदाताओं की आय गिरने के कारण नीची निवेश यूल्ड, गारंटी की ऊंची लागत और कोष प्रबंधन से आने वाला कम राजस्व रहा। पूंजी तक पहुंच कठिन हो गई और इसका सालवेंसी पर भी प्रभाव पड़ा। 2008 में गैरजीवन प्रीमियम में गिरावट के पीछे वजह कवर की मांग में कमी और प्रीमियम रेट के दरों में कमी रही। गैरजीवन प्रीमियम औद्योगिक देशों में 1.9 प्रतिशत तक गिरा लेकिन उभरते हुए बाजारों में इसने 7.1 प्रतिशत की सकारात्मक विकास दर दर्ज की।

2009 का परिदृश्य बीमा उद्योग के लिए अनेक चुनौतियों की वजह से अनिश्चित लग रहा है। 2009 में बीमा उद्योग के लिए घटी हुई मांग, न्यून ब्याज दरें तथा ज्यादा पूंजी की जरूरत सबसे बड़ी चुनौतियां हैं। आर्थिक मंदी की वजह से गैर जीवन बीमा में मांग में कमी आयेगी विशेष रूप से व्यवसायिक प्रकृति के बिजनेस में। वैयक्तिक श्रेणी के बीमा(उदाहरण मोटर) में मांग में ज्यादा प्रभाव नहीं पड़ेगा क्योंकि इस पर खर्च विवेकाधीन कम ही होता है विशेष रूप से औद्योगिक बाजारों में। अपने लाभ का स्तर बनाये रखने के लिए बीमाप्रदाताओं को बीमा अनुशासन और लागत में कमी का विशेष प्रयत्न करना होगा।

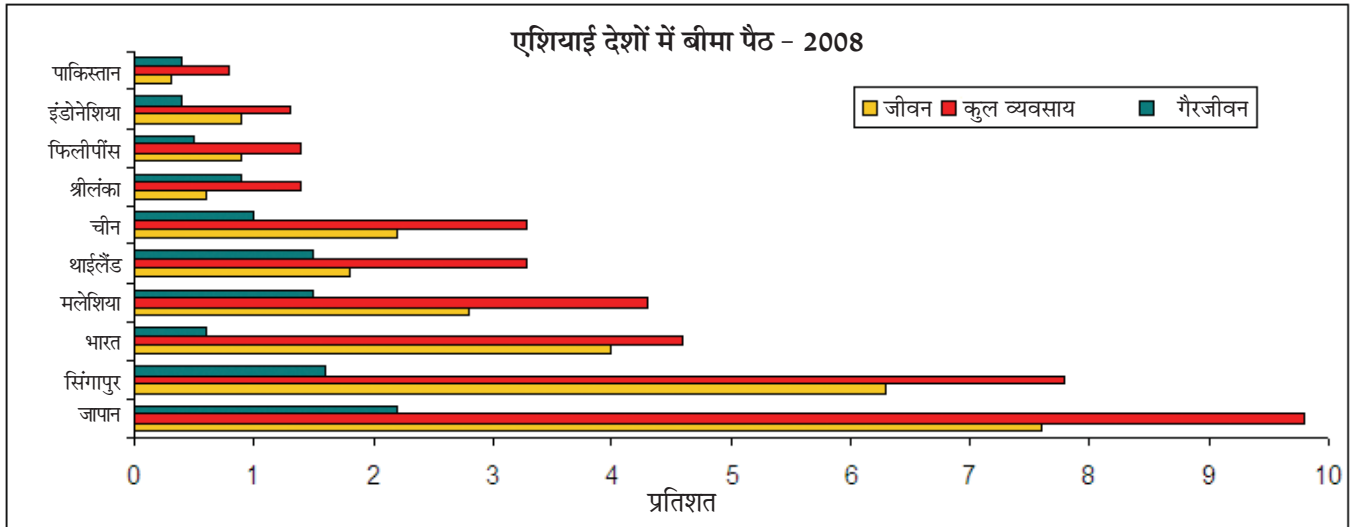
डालर के स्तर पर देखें तो औद्योगिक देशों में औसत बीमा घनत्व(पर कैपिटा प्रीमियम) 3655 अमेरिकी डालर रहा जो जीवन बीमा के मामले में 2175 अमेरिकी डालर और गैरजीवन बीमा मामले में 1481 अमेरिकी डालर रहा। उभरते हुए देशों में बीमा घनत्व 89 अमेरिकी डालर(जीवन के संवर्ग में 47 अमेरिकी डालर और गैरजीवन संवर्ग में 42 अमेरिकी डालर) रहा जो पिछले साल 74 अमेरिकी डालर रहा था। भारत में बीमा घनत्व 47.4 अमेरिकी डालर रहा जिसमें जीवन बीमा का दबदबा(41.2 अमेरिकी डालर) कायम रहा।

बीमा पैठ(सकल घरेलू उत्पाद के प्रतिशत के रूप में बीमा प्रीमियम) अर्थव्यवस्था के आकार के सापेक्ष बीमा गतिविधियों का मापन करता है। जब सकल घरेलू उत्पाद(जीडीपी) में वृद्धि होती है तब यह अनुमान लगाया जाता है कि इससे लोग अधिक बीमा खरीदेंगे। स्विस रि की रिपोर्ट से खुलासा हुआ है कि भारत में बीमा पैठ 2008 में 4.6 प्रतिशत रही जो जीवन बीमा के मामले में 4 प्रतिशत और गैरजीवन बीमा संवर्ग में .6 प्रतिशत रही, यह आंकड़ा 2007 में भी इतना ही था। अन्य एशियाई देशों की तुलना में भारत में बीमा पैठ तथा घनत्व नीचे दी गई सारणी और ग्राफ में दिखाये गये हैं।

सारणी 5 (ए) बीमा पैठ - 2008

	(प्रतिशत में)		
	कुल व्यवसाय	जीवन	गैरजीवन
जापान	9.8	7.6	2.2
सिंगापुर	7.8	6.3	1.6
जापान	4.6	4.0	0.6
मलेशिया	4.3	2.8	1.5
थाईलैंड	3.3	1.8	1.5
पीआर चाइना	3.3	2.2	1.0
श्रीलंका	1.4	0.6	0.9
फिलीपींस	1.4	0.9	0.5
इंडोनेशिया	1.3	0.9	0.4
पाकिस्तान	0.8	0.3	0.4

स्रोत: स्विस रि सिग्मा नंबर 3/2009



डालर में कुछ देशों का बीमा घनत्व

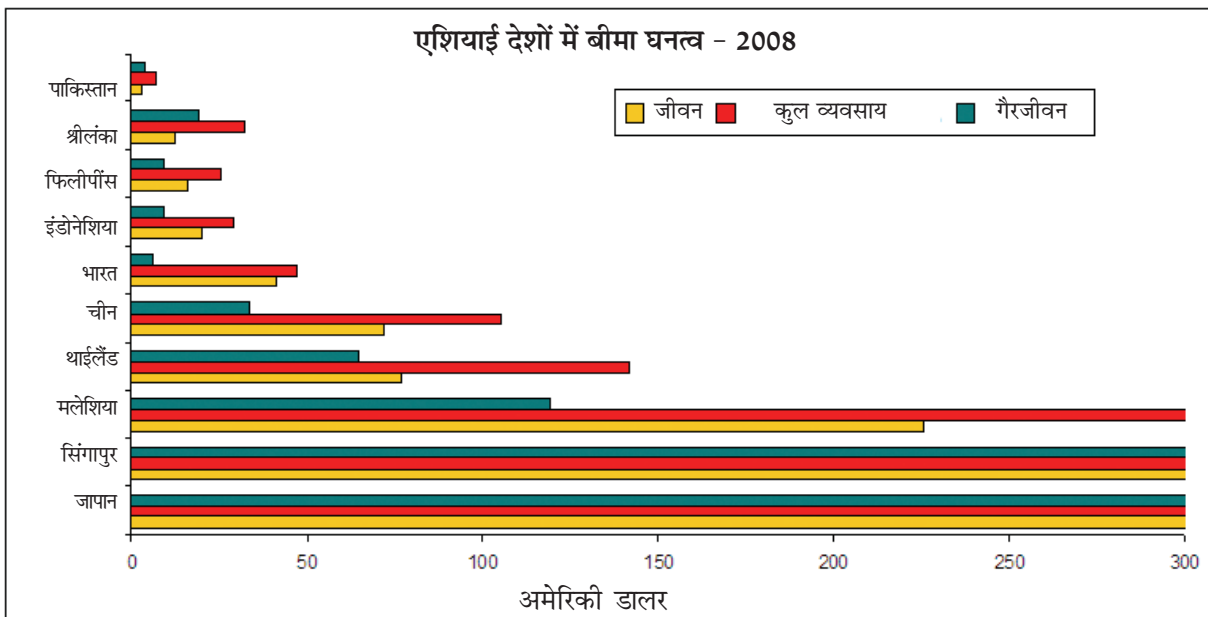
सारणी 5 (बी)

बीमा घनत्व 2008

(अमेरिकी डालर में)

	कुल व्यवसाय	जीवन	गैर जीवन
जापान	3698.6	2869.5	829.1
सिंगापुर	3179.0	2549.0	630.0
भारत	47.4	41.2	6.2
मलेशिया	345.4	225.9	119.5
थाईलैंड	142.1	77.2	64.9
चीन	105.4	71.7	33.7
श्रीलंका	32.1	12.8	19.3
फिलीपीन्स	25.6	16.2	9.4
इंडोनेशिया	29.5	20.1	9.4
पाकिस्तान	6.8	2.8	4.0

स्त्रोत: स्विस् रि सिग्मा नंबर 3/2009



(ii) भारतीय बीमा उद्योग

वित्त वर्ष 2008-09 में वैश्विक आर्थिक मंदी देखी गई। इसके बावजूद भारतीय बीमा उद्योग जिसके पास विस्तार के लिए बड़ी संभावना है, विशाल जनसंख्या है तथा अदोहित बाजार है संतोषजनक रूप से बढ़ा। 2008-09 में जहां जीवन बीमा व्यवसाय 10.15 प्रतिशत की दर से बढ़ा, वहीं गैरजीवन बीमा व्यवसाय ने 9.09 प्रतिशत विकास दर हासिल की। रुपए के संदर्भ में बीमा पैठ (जीडीपी और प्रीमियम वाल्यूम का अनुपात) 4.74 प्रतिशत, गैरजीवन बीमा के संदर्भ में 4.17 प्रतिशत तथा गैरजीवन बीमा के मामले में .57 प्रतिशत रहा। आय में वृद्धि से जीवन बीमा के पैठ में वृद्धि हुई है। अपने विशाल मध्यवर्ग के साथ भारत में बीमा उद्योग के बढ़ने के लिए काफी संभावनायें हैं। विकसित देशों के बाजारों के संतुष्ट होने की वजह से वैश्विक बीमा खिलाड़ियों के लिए भारतीय बाजार में दिलचस्प संभावनायें पैदा हो गई हैं। वैश्विक बीमाप्रदाताओं के प्रवेश से भारतीय बीमा बाजार तीव्र गति से परिवर्तन महसूस कर रहा है। अधिकांश निजी कंपनियों ने जानीमानी वैश्विक स्तर पर काम कर रही कंपनियों के साथ संयुक्त उद्यम किया है।

(i) जीवन बीमा

जीवन बीमा प्रदाताओं के पास मार्च 2009 तक 18253 करोड़ रुपए थे जिसमें 5956.62 करोड़ रुपए अतिरिक्त जोड़े गये। एलआईसी के मामले में किसी तरह की पूंजी नहीं डाली गई (31 मार्च 2008 तक पांच करोड़ रुपए)। 5956.62 करोड़ की अतिरिक्त पूंजी में से नयी कंपनियों ने 987.05 करोड़ जोड़े जबकि शेष 4969.57 करोड़ विद्यमान निजी बीमाप्रदाताओं ने जोड़े।

सारणी 6

चुकाई गई पूंजी: जीवन बीमा प्रदाता

बीमाप्रदाता	मार्च 31, 2008	2008-09 में जोड़े गये अतिरिक्त	मार्च 31, 2009
एलआईसी	5.00	0.00	5.00
निजी क्षेत्र	12291.42	5956.62	18248.04
कुल	12296.42	5956.62	18253.04

विवरण 35 में कंपनीवार चुकाई गई पूंजी दी गई है।

नई पालिसी

बीमाप्रदाताओं द्वारा वर्ष 2008-09 में जारी की गई नई पालिसी की संख्या 509.23 लाख रही जो पिछले साल जारी 508.74 लाख की तुलना में .10 फीसदी अधिक है। निजी बीमाप्रदाताओं ने 13.19 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की जो पिछले साल दर्ज 67.40 प्रतिशत की

वृद्धि से काफी कम है। जीवन बीमा निगम ने लगातार दूसरी बार नकारात्मक विकास दर दर्ज की है पिछले साल यह दर 1.61 फीसदी नकारात्मक थी इस बार यह दर 4.52 फीसदी नकारात्मक है।

सारणी 7

जारी की गई नई पालिसी संख्या: बीमाप्रदाता

बीमाप्रदाता	2007-08	2008-09
एलआईसी	37612599 (-1.61)	35912667 (-4.52)
निजी क्षेत्र	13261558 (67.40)	15010710 (13.19)
कुल	50874157 (10.23)	50923377 (0.10)

नोट: कोष्ठक में दिये गये आंकड़े पिछले वर्ष की तुलना में दर्ज विकास दर हैं (प्रतिशत में)

पालिसी की संख्या के संदर्भ में निजी बीमाप्रदाताओं ने अपनी बाजार हिस्सेदारी को 2008-09 में 29.48 फीसदी तक पहुंचा दिया है जो 2007-08 में 26.07 फीसदी थी। इस सीमा तक जीवन बीमा निगम ने अपनी हिस्सेदारी खोई है।

प्रीमियम

जीवन बीमा उद्योग ने वर्ष 2008-09 में 10.15 प्रतिशत वृद्धि के साथ 221791.26 करोड़ रुपए प्रीमियम आय दर्ज की यह आय पिछले वित्तीय वर्ष में 201351.41 करोड़ रुपए दर्ज की गई थी। 221791.26 करोड़ रुपयों में से यूलिप उत्पादों से होने वाली आय 90645.78 करोड़ रही इसकी वजह से कुल प्रीमियम में यूनिट लिंक्ड उत्पादों से जुटाये गये प्रीमियम का अनुपात वर्ष 2007-08 के 46.14 प्रतिशत से गिरकर 40.87 प्रतिशत तक पहुंच गया। यह कमी जीवन बीमा निगम और निजी बीमाप्रदाताओं के मामले में देखी गई है। इस गिरावट की वजह भारत के इच्छी बाजार में आया दबाव रहा। जीवन बीमा निगम के मामले में कुल प्रीमियम में यूलिप प्रीमियम का अनुपात वर्ष 2007-08 के 31.61 प्रतिशत के स्तर से गिरकर 22.06 हो गया। निजी बीमाप्रदाताओं ने यूलिप उत्पाद पर सीमांत गिरावट दर्ज की उनके मामले में कुल प्रीमियम से यूलिप प्रीमियम का अनुपात वर्ष 2007-08 के 88.34 प्रतिशत के मुकाबले 2008-09 में 86.74 प्रतिशत दर्ज किया गया।

2008-09 में नियमित प्रीमियम, एकल प्रीमियम तथा नवीनीकरण प्रीमियम क्रमशः 49370.56 करोड़ रुपए (22.26%), 37635.67 करोड़ रुपए (16.97%) और 134785.03 करोड़ रुपए (60.77%) रहा। उल्लेखनीय है कि वर्ष 2000-01 में जब इस उद्योग को खोला गया था तब जीवन बीमा प्रीमियम 34898.48 करोड़ रुपए था जिसके अंतर्गत नियमित प्रीमियम के 6966.95 करोड़ रुपए (19.96%), एकल प्रीमियम के 2740.45 करोड़ रुपए (7.86%), नवीनीकरण प्रीमियम के 25191.07 करोड़ रुपए (72.18%) शामिल थे। (विवरण 29 और 30)

सारणी 8
जीवन बीमाप्रदाताओं द्वारा जुटाये गये प्रीमियम
(करोड़ रुपए में)

बीमाप्रदाता	2007-08	2008-09
नियमित प्रीमियम		
जीवन बीमा निगम	26222.00	19140.61
	(-12.26)	(-27.01)
निजी क्षेत्र	28666.15	30229.95
	(85.24)	(5.46)
कुल	54888.16	49370.56
	(21.00)	(-10.05)
एकल प्रीमियम		
जीवन बीमा निगम	33774.56	34038.47
	(28.24)	(0.78)
निजी क्षेत्र	5049.80	3597.20
	(27.82)	(-28.77)
कुल	38824.36	37635.67
	(28.18)	(-3.06)
प्रथम वर्ष का प्रीमियम		
जीवन बीमा निगम	59996.57	53179.08
	(6.71)	(-11.36)
निजी क्षेत्र	33715.95	33827.15
	(73.56)	(0.33)
कुल	93712.52	87006.23
	(23.88)	(-7.16)
नवीनीकरण प्रीमियम		
जीवन बीमा निगम	89793.42	104108.96
	(25.41)	(15.94)
निजी क्षेत्र	17845.47	30676.07
	(102.16)	(71.90)
कुल	107638.89	134786.61
	(33.83)	(25.22)
कुल प्रीमियम		
जीवन बीमा निगम	149789.99	157288.04
	(17.19)	(5.01)
निजी क्षेत्र	51561.42	64503.22
	(82.50)	(25.10)
कुल	201351.41	221791.26
	(29.01)	(10.15)

नोट: कोष्ठक में दिये गये आंकड़े विकास दर्शाते हैं।

जीवन बीमा कारोबार का बाजार सकारात्मक वृद्धि दर दर्ज करने बावजूद सुस्त होता दिख रहा है। 2007-08 के 17.19 प्रतिशत वृद्धि के मुकाबले जीवन बीमा निगम ने 2008-09 के कारोबार में 5.01 प्रतिशत वृद्धि दर्ज की। निजी बीमाप्रदाताओं ने 2007-08 के 82.50 प्रतिशत की तुलना में 2008-09 में प्रीमियम में 25.10 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की।

नये प्रीमियम के लिखने के मामले में निजी जीवन बीमाप्रदाता कंपनियों की बाजार हिस्सेदारी वर्ष 2007-08 के 25.61 प्रतिशत के स्तर से बढ़कर 2008-09 में 29.08 प्रतिशत पहुंच गई। प्रथम वर्ष के प्रीमियम के मामले में निजी बीमाप्रदाताओं की हिस्सेदारी 2007-08 के 35.98 प्रतिशत की तुलना में 2008-09 में 38.88 प्रतिशत हो गई। निजी बीमाप्रदाताओं के संबंध में जहां नियमित प्रीमियम के मामले में बाजार हिस्सेदारी में बढ़ोत्तरी हुई वहीं एकल प्रीमियम के मामले में बाजार हिस्सेदारी में कमी आई। नियमित प्रीमियम के मामले में बाजार हिस्सेदारी 2007-08 के 52.23 प्रतिशत से बढ़कर 2008-09 में 61.23 फीसदी तक पहुंच गई। वहीं एकल प्रीमियम के मामले में निजी बीमाप्रदाताओं की बाजार हिस्सेदारी 2007-08 के 13.01 प्रतिशत से घटकर 2008-09 में 9.56 प्रतिशत रह गई। दूसरी ओर एकल प्रीमियम के मामले में जीवन बीमा निगम की बाजार हिस्सेदारी 2007-08 के 86.99 प्रतिशत से बढ़कर 2008-09 में 90.44 प्रतिशत तक पहुंच गई।

सारणी 9
जीवन बीमाप्रदाताओं की बाजार हिस्सेदारी
(करोड़ रुपए में)

बीमाप्रदाता	2007-08	2008-09
नियमित प्रीमियम		
जीवन बीमा निगम	47.77	38.77
निजी क्षेत्र	52.23	61.23
कुल	100.00	100.00
एकल प्रीमियम		
जीवन बीमा निगम	86.99	90.44
निजी क्षेत्र	13.01	9.56
कुल	100.00	100.00
प्रथम वर्ष का प्रीमियम		
जीवन बीमा निगम	64.02	61.12
निजी क्षेत्र	35.98	38.88
कुल	100.00	100.00
नवीनीकरण प्रीमियम		
जीवन बीमा निगम	83.42	77.24
निजी क्षेत्र	16.58	22.76
कुल	100.00	100.00
कुल प्रीमियम		
जीवन बीमा निगम	74.39	70.92
निजी क्षेत्र	25.61	29.08
कुल	100.00	100.00

जीवन बीमा प्रदाताओं का खर्च

बीमा एक्ट 1938 की धारा 40 बी के अनुसार भारत में जीवन बीमा व्यवसाय कर रहा कोई भी बीमाप्रदाता बीमा नियम 1939 के नियम 17 डी में दिये गये प्रबंधन व्यय की सीमा से अधिक खर्च नहीं कर सकता। प्रबंधन व्यय के अंतर्गत प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष तौर पर लिये गये शुल्क, सभी तरह के कमीशन का भुगतान, प्रचालन लागत, और पूंजीगत व्यय शामिल है। बीमाप्रदाताओं के लिए व्यय का बड़ा हिस्सा मध्यस्थों को दिये गये कमीशन के भुगतान में जाता है।

सारणी 10

जीवन बीमाप्रदाताओं का कमीशन पर किया गया खर्च (करोड़ रुपए में)

बीमाप्रदाता	2007-08	2008-09
नियमित प्रीमियम		
जीवन बीमा निगम	4459.48	4350.91
निजी क्षेत्र	4460.49	4559.30
कुल	8919.97	8910.21
एकल प्रीमियम		
जीवन बीमा निगम	504.33	432.81
निजी क्षेत्र	50.65	37.81
कुल	554.98	470.62
प्रथम वर्ष का प्रीमियम		
जीवन बीमा निगम	4963.81	4783.72
निजी क्षेत्र	4511.15	4597.11
कुल	9474.95	9380.83
नवीनीकरण प्रीमियम		
जीवन बीमा निगम	4650.89	5271.37
निजी क्षेत्र	578.46	880.78
कुल	5229.35	6152.15
कुल		
जीवन बीमा निगम	9614.69	10055.09
निजी क्षेत्र	5089.61	5477.89
कुल	14704.30	15532.98

2008-09 में कमीशन पर किया गया व्यय 5.64 प्रतिशत बढ़कर 15532.98 करोड़ रुपए तक पहुंच गया (2007-08 में यह 14704.30 करोड़ रुपए था)। यद्यपि बीमाप्रदाताओं द्वारा लिये गये सकल प्रीमियम की तुलना में यह व्यय कम था। इस प्रकार कमीशन व्यय अनुपात (प्रीमियम के प्रतिशत के रूप में कमीशन व्यय) 2007-08 के 7.30 प्रतिशत की तुलना में थोड़ा गिरकर 2008-09 में 7 प्रतिशत हो गया। जहां प्रीमियम नवीनीकरण के मामले में कमीशन व्यय बढ़ा, वहीं एकल और नियमित प्रीमियम में कमीशन के भुगतान में कमी आई। प्रीमियम उगाही के संदर्भ में ऐसा ही क्रम 2008-09 में भी देखने में आया।

सारणी 11 कमीशन व्यय अनुपात

(प्रतिशत में)

बीमाप्रदाता	2007-08	2008-09
नियमित प्रीमियम		
जीवन बीमा निगम	17.01	22.73
निजी क्षेत्र	15.56	15.08
कुल	16.25	18.05
एकल प्रीमियम		
जीवन बीमा निगम	1.49	1.27
निजी क्षेत्र	1.00	1.05
कुल	1.43	1.25
प्रथम वर्ष का प्रीमियम		
जीवन बीमा निगम	8.27	9.00
निजी क्षेत्र	13.38	13.59
कुल	10.11	10.78
नवीनीकरण प्रीमियम		
जीवन बीमा निगम	5.18	5.06
निजी क्षेत्र	3.24	2.87
कुल	4.86	4.56
कुल		
जीवन बीमा निगम	6.42	6.39
निजी क्षेत्र	9.87	8.49
कुल	7.30	7.00

नोट: कमीशन व्यय अनुपात जीवन बीमाप्रदाताओं द्वारा कमीशन में किये गये खर्च तथा कुल जमा किये गये प्रीमियम का अनुपात है।

जीवन बीमाप्रदाताओं की प्रचालन लागत (आपरेटिंग एक्सपेंसेस) 2008-09 में पिछले स्तर की तुलना में वृद्धि हुई है। जीवन बीमा व्यवसाय में प्रचालन लागत वर्ष 2007-08 के 20298.66 करोड़ रुपए के मुकाबले 2008-09 में 25723.89 करोड़ रुपए रही।

सारणी 12

जीवन बीमाप्रदाताओं का प्रचालन व्यय

(करोड़ रुपए में)

बीमाप्रदाता	2007-08	2008-09
जीवन बीमा निगम	8309.32	9064.29
निजी क्षेत्र	11989.34	16659.60
कुल	20298.66	25723.89

जुटाये गये सकल प्रीमियम के प्रचालन व्यय के अनुपात में अर्थात् प्रचालन व्यय अनुपात में 2008-09 में जीवन बीमा निगम तथा निजी बीमाप्रदाता दोनों के मामले में आंशिक वृद्धि हुई। यद्यपि औसत प्रचालन व्यय अनुपात 2007-08 के 10.08 प्रतिशत के मुकाबले 2008-09 में बढ़कर 11.60 प्रतिशत हो गया। निजी बीमाप्रदाताओं के मामले में यह

अनुपात पिछले वर्ष के 23.25 प्रतिशत के मुकाबले 25.83 प्रतिशत रहा। व्यय अनुपात में आई यह वृद्धि उद्योग द्वारा जताये गये पूर्वानुमानों के करीब थी जैसाकि 2007-08 में प्राधिकरण की वार्षिक रिपोर्ट में दिखाया गया था। जिस तरह से इस उद्योग में विस्तार हो रहा है और कंपनियां अपने कार्यालयों की संख्या को विस्तृत करना चाह रही हैं तो अनुमान लगाया जा सकता है कि इस साल भी व्यय पर इसका असर दिखेगा।

सारणी 13
प्रचालन व्यय अनुपात

	(करोड़ रुपए में)	
बीमाप्रदाता	2007-08	2008-09
जीवन बीमा निगम	5.55	5.76
निजी क्षेत्र	23.25	25.83
कुल	10.08	11.60

नोट: प्रचालन व्यय अनुपात जीवन बीमाप्रदाताओं के प्रचालन लागत का जुटाये गये प्रीमियम से अनुपात होता है।

दिये गये लाभ

जीवन बीमा उद्योग द्वारा दिये गये लाभ 2008-09 में 58343.10 करोड़ रुपए रहे जो 2007-08 के 61686.7 करोड़ रुपए की तुलना में कम रहा। 2008-09 में यह जुटाये गये प्रीमियम का 26.32 प्रतिशत तथा 2007-08 में जुटाये गये प्रीमियम का 30.64 प्रतिशत रहा। निजी बीमाप्रदाताओं द्वारा दिये गये लाभ 5864.97 करोड़ रुपए रहे (2007-08 में यह 5136.05 करोड़ रुपए रहे थे) जो पिछले वर्ष की तुलना में 14.19 प्रतिशत अधिक था। 2008-09 में यह जुटाये गये प्रीमियम का 9.11 प्रतिशत रहा (2007-08 में यह 9.96 प्रतिशत था)। जीवन बीमा निगम ने 2008-09 में 52478.14 करोड़ रुपए का लाभ दिया जो जुटाये गये प्रीमियम का 33.36 प्रतिशत था। (2007-08 में यह 56550.33 करोड़ रुपए था जो जुटाये गये प्रीमियम का 37.75 प्रतिशत था)। जीवन बीमाप्रदाताओं द्वारा पुनर्बीमा के संबंध में यह लाभ 58324.03 करोड़ रुपए रहा (2007-08 में यह 61726.64 करोड़ रुपए रहा)। समर्पण/निकासी के मामले में दिये गये लाभ 13869.56 करोड़ रुपए रहे जो 2007-08 के 21677.25 करोड़ रुपए से कम हैं। यूलिप उत्पादों के लिए तीन साल के लाक-इन पीरिएड (जिस अवधि में पूंजी की निकासी की मनाही होती है) होने की वजह से प्रीमियम के प्रतिशत के रूप में निकासी का हिस्सा और कम होने का अनुमान है।

निवेश आय

जिस तरह से जीवन बीमाप्रदाताओं का कार्यप्रचालन स्थायी हो रहा है उसी प्रकार से उनका निवेश आधार भी मजबूत होता जा रहा है जिसकी वजह से उनकी आय का बड़ा हिस्सा उनके निवेश से आ रहा है। जीवन बीमा निगम के मामले में 2007-08 को हुए पूंजीगत लाभ 56672.91 करोड़ रुपए थे जो 2008-09 को हुए 43122.17 करोड़ रुपए लाभ की तुलना में काफी अधिक थे। इसकी वजह से कुल आय में निवेश आय का प्रतिशत 2008-09 में 23.91 प्रतिशत गिर गया जिसमें 2007-08 में 37.78 प्रतिशत वृद्धि हुई थी। निजी बीमाप्रदाताओं के मामले में कुल आय के हिस्से के रूप में निवेश आय 2008-09 में 336.81 प्रतिशत गिर गई (इसके विपरीत 2007-08 में इसमें 23.37 प्रतिशत बढ़त हुई थी)। कंपनियों ने निवेश के यील्ड के संबंध में भी सुधार किये हैं। पूंजीगत लाभ को मिलाकर निजी बीमाप्रदाताओं की निवेश आय 2008-09 में (-16069.55) करोड़ रुपए रही है जबकि 2007-08 में यह आय 6785.94 करोड़ रुपए रही थी। उद्योग अभी स्थिर होने की प्रक्रिया में है और शेयर कैपिटल उपलब्ध कराने के बाद इसे समेकित होने में समय लगेगा।

जीवन बीमाप्रदाताओं को हुआ लाभ

जीवन बीमा उद्योग पूंजी प्रधान उद्योग है और प्रीमियम आय को बढ़ाने के लिए बीमा कंपनियों को नियमित अंतराल में पूंजी उपलब्ध करानी होती है। पहले साल में दिये जाने वाले कमीशन के ऊंचे दर, कार्यप्रचालन का ढांचा खड़ा करने में आई लागत, एजेंसी के लिए आया प्रशिक्षण व्यय, अपने उत्पादों के लिए बाजार बनाने में लगे संसाधन, पालिसी संबंधी उत्तरदायित्वों के लिए व्यवस्था, साल्वेंसी मार्जिन बनाये रखने की बाध्यता बीमाप्रदाता के लिए कार्य प्रचालन के आरंभिक सात से दस साल तक लाभ कमाना काफी मुश्किल कर देते हैं।

मार्च 2009 के अंत में, जीवन बीमा उद्योग ने 4878.49 करोड़ की हानि दर्ज की। यह पिछले साल हुए 3412.81 करोड़ रुपए घाटे से 42.95 प्रतिशत अधिक है। 22 जीवन बीमाप्रदाताओं में केवल चार ने लाभ दर्ज किया है यह कंपनियां जीवन बीमा निगम, कोटक महिंद्रा, मेट लाइफ और श्रीराम हैं। जीवन बीमा निगम ने पिछले साल के 844.63 करोड़ रुपए लाभ की तुलना में इस वर्ष 957.35 करोड़ रुपए कमाये। कोटक महिंद्रा ने पहली बार 14.34 करोड़ रुपए का शुद्ध लाभ दर्ज किया, पिछले साल कंपनी ने 71.87 करोड़ रुपए का घाटा सहा

था। मेट लाइफ ने 14.52 करोड़ रुपए का शुद्ध लाभ और श्रीराम ने 8.11 करोड़ रुपए का शुद्ध लाभ दर्ज किया।

एसबीआई लाइफ जो लाभ अर्जित करने वाली पहली निजी जीवन बीमाप्रदाता कंपनी थी और जिसने लगातार तीन सालों तक लाभ अर्जित किया था, ने 2008-09 में 26.31 करोड़ रुपए की शुद्ध हानि दर्ज की। आईसीआईसीआई फ्रुडेंशियल जो सबसे बड़ी निजी जीवनबीमाप्रदाता कंपनी है ने लगातार आठवीं बार घाटा दर्ज किया। कंपनी ने 2007-08 में 1395.06 करोड़ रुपए का घाटा सहा था और 2008-09 के दौरान यह घाटा 779.7 करोड़ रुपए रहा। समीक्षाधीन वर्ष के अंदर 12 कंपनियों का शुद्ध लाभ पिछले साल की तुलना में बढ़ गया। 2008-09 में चार नई जीवन बीमा कंपनियां अस्तित्व में आईं जिनमें एगान रेलिगेयर को छोड़कर अन्य कंपनियां कैनरा एचएसबीसी, डीएलएफ प्रैमेरिका और स्टार यूनियन दाइ-इचि ने घाटा दर्ज किया।

शेयरधारकों को लाभ

शेयरधारकों को लाभ जीवन बीमा निगम द्वारा अर्जित अतिरिक्त आय से कंपनी ने सरकार को 2008-09 में 929.12 करोड़ रुपए के लाभांश अदा किये जबकि 2007-08 में यह रकम 829.59 करोड़ रुपए थी। किसी भी निजी बीमाप्रदाता ने ऐसे लाभांश नहीं दिये हैं।

प्रतिधारण अनुपात

जीवन बीमा निगम परंपरागत रूप से अपने व्यवसाय का छोटा सा हिस्सा पुनर्बीमित करती है। 2008-09 के दौरान 100.91 करोड़ रुपए

पुनर्बीमा के लिए सौंप दिये गये (2007-08 में यह 87.95 करोड़ रुपए था)। इसी तरह से निजी बीमाप्रदाताओं के मामले में भी व्यवसाय का छोटा सा हिस्सा पुनर्बीमित किया गया जिसमें से अधिकांश हिस्सा समूह व्यवसाय की ओर से आया। निजी बीमाप्रदाताओं ने 2008-09 में पुनर्बीमा के लिए 325.18 करोड़ रुपए के प्रीमियम सौंपे जबकि 2007-08 में यह 231.23 करोड़ रुपए थे। इस संदर्भ में देखने पर यह रोचक लग सकता है कि यूनिट लिंकड निवेश उत्पादों में निवेश संबंधी जोखिम पालिसीधारकों ने उठाये और 2008-09 में उद्योग द्वारा जुटाई गई प्रीमियम राशि में महत्वपूर्ण हिस्सा यूनिट लिंकड उत्पादों की ओर से आया। यद्यपि 1 जुलाई 2006 से प्रभाव में आये नये यूनिट लिंकड मार्गदर्शन से यूनिट लिंकड उत्पादों के लिए न्यूनतम राशि रखना आवश्यक हो गया है वहीं पुनर्बीमा के मानदंडों में परिवर्तन आ गये हैं। (विवरण-4)

मृत्यु दावे का विश्लेषण

वैयक्तिक पालिसी

जीवन बीमा कंपनियों ने वैयक्तिक पालिसी पर 6.05 लाख दावे निपटाये हैं और कुल 4798.22 करोड़ रुपए भुगतान किये हैं। 179.59 करोड़ रुपए के 12781 दावे अस्वीकार कर दिये गये हैं। वर्षांत तक 242.84 करोड़ रुपए के 16915 दावे लंबित थे, इनमें 2574 दावे एक साल से अधिक समय से लंबित थे और 2875 दावे 6 महीने से अधिक समय से लेकिन एक साल की अवधि के भीतर लंबित थे। (विवरण 58)

सारणी 14 वैयक्तिक मृत्यु दावे — 2008-09

(पालिसी प्रतिशत में)

जीवन बीमाप्रदाता	कुल दावे	दावे जिनमें भुगतान हुआ	दावे जिन्हें अस्वीकार किया	वापस लिखे दावे	साल के अंत तक लंबित दाव	दावा लंबित समयवार (पालिसी)			
						<3 महीने	3 - <6 महीने	6 - <1 साल	> 1 साल
निजी	100.00	82.26	9.97	0.02	7.75	68.72	14.07	9.04	8.18
जीवन बीमा निगम	100.00	95.48	1.33	0.98	2.21	41.76	21.63	19.33	17.28
कुल	100.00	94.46	2.00	0.90	2.64	47.87	19.91	17.00	15.22

दावों के भुगतान का अनुपात निजी जीवन बीमाप्रदाताओं की तुलना में जीवन बीमा निगम का बेहतर रहा है? जहां जीवन बीमा निगम ने साल भर की अवधि में उन्हें सूचित 95.48 प्रतिशत मामलों में दावा निपटारा वहीं निजी बीमाप्रदाताओं ने 82.26 प्रतिशत दावों को निपटारा। अस्वीकरण का प्रतिशत जीवन बीमा निगम के मामले में 1.33 प्रतिशत रहा जो निजी जीवन बीमा प्रदाताओं के 9.97 प्रतिशत की तुलना में काफी कम है। (विवरण 58)

समूह पालिसी

इस वर्ष कुल 260507 समूह दावे निपटारे गये जिनमें 261906 दावे जीवन बीमाप्रदाताओं से संबंधित थे। इनमें से 1412 दावे अस्वीकृत कर दिये गये जो कुल सूचित दावों का .53 प्रतिशत है।

सारणी 15

समूह मृत्यु दावे (2008-09)

(प्रतिशत में)

जीवन बीमाप्रदाता	कुल दावे जिनमें दावे भुगतान हुआ	दावे जिन्हें अस्वीकार किया	वापस लिखे दावे	साल के अंत तक लंबित दावे	दावा लंबित समयवार (जीवन)				
					< 3 महीने 3 - < 6 महीने 6 - < 1 साल > 1 साल				
निजी क्षेत्र	100.00	92.51	3.39	0.17	3.93	60.26	9.98	16.08	13.68
जीवन बीमा निगम	100.00	99.76	0.01	0.00	0.24	78.29	13.71	6.48	1.52
कुल	100.00	98.63	0.53	0.03	0.81	64.66	10.89	13.73	10.71

जीवन बीमाप्रदाताओं ने 98.63 प्रतिशत दावों में भुगतान कर दिया था जबकि मार्च 2009 तक .81 प्रतिशत दावों में निपटारा शेष था जहां जीवन बीमा निगम ने 99.76 प्रतिशत समूह मृत्यु दावों को निपटारा वहीं निजी बीमाप्रदाताओं ने 92.51 प्रतिशत दावे निपटारे। (विवरण 64)

ने 739.05 करोड़ रुपए जोड़े (सभी निजी क्षेत्र के खाते से आये)। सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों की चुकता पूंजी 2008-09 में अपरिवर्तित रही।

सारणी 16

चुकता पूंजी: गैर-जीवन बीमाप्रदाता तथा पुनर्बीमाप्रदाता

(रु. करोड़ में)

बीमाप्रदाता	31 मार्च 2008 तक	2008-09 में जोड़ा गया अतिरिक्त गैर-जीवन	31 मार्च 2009 तक
सार्वजनिक क्षेत्र	550.00	कुछ नहीं	550.00
निजी क्षेत्र	1802.00.70	731.53	2533.23
	विशेषीकृत संस्थाएं		
ईसीजीसी	900.00	कुछ नहीं	900.00
एआईसी	200.00	कुछ नहीं	200.00
	स्वास्थ्य बीमाप्रदाता		
स्टार हेल्थ	108.60	0.70	109.30
अपोलो डीकेवी	100.55	6.82	107.37
पुनर्बीमाप्रदाता			
जीआईसी	430.00	-	430.00
कुल	4090.85	739.05	4829.90

(II) गैर जीवन बीमा

31 मार्च 2009 तक 21 सामान्य बीमा कंपनियों को गैर जीवन बीमा व्यवसाय के लिए अनुमति प्रदान की गई थी। इनके अंतर्गत 6 कंपनियां सार्वजनिक क्षेत्र से तथा शेष निजी क्षेत्र से संबंधित हैं। सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों में दो विशेषीकृत कंपनियां हैं जिनमें एक ईसीजीसी, साख बीमा (क्रेडिट इश्योरेंस) के क्षेत्र में तथा दूसरी एआईसी कृषि क्षेत्र में काम कर रही थी। निजी क्षेत्र की 15 बीमा कंपनियों में 3 को 2008-09 में लाइसेंस (अनुज्ञापत्र) प्रदान किया गया। दो विशेषीकृत बीमा कंपनियों की समीक्षा वार्षिक विवरण में पृथक रूप से दी गई है। इस तरह से इस भाग में केवल सार्वजनिक क्षेत्र की चार कंपनियों तथा निजी क्षेत्र की 13 बीमा कंपनियों को इजाजत दी गई है। स्वास्थ्य बीमा से जुड़ी हुई दो कंपनियों का प्रदर्शन एक पृथक उपविभाग में दिया गया है।

चुकता पूंजी

सामान्य बीमा कंपनियों द्वारा 31 मार्च 2008 तक चुकाई गई पूंजी 4091.15 करोड़ रुपए रही। 2008-09 के दौरान सामान्य बीमा कंपनियों

इस योग में स्वास्थ्य बीमा के क्षेत्र में काम कर रही दो कंपनियों स्टार हेल्थ और अपोलो डीकेवी द्वारा क्रमशः जुटाये गये .70 करोड़ रुपए एवं 6.82 करोड़ रुपए शामिल हैं। (विवरण 35)

जारी की गई पालिसी की संख्या

2008-09 में सामान्य बीमाप्रदाताओं द्वारा जारी की गई पालिसियों की संख्या 670.60 लाख रही जो 2007-08 में जारी किये गये 572.50 पालिसियों की संख्या से 17.13 प्रतिशत अधिक रही। यद्यपि विकास की दर 2007-08 के 22.69 प्रतिशत की तुलना में धीमी रही। यह निजी बीमाप्रदाताओं द्वारा जारी किये गये नई पालिसियों की संख्या में कमी से हुआ होगा। निजी बीमाप्रदाताओं द्वारा 2008-09 में पालिसी की संख्या में वृद्धि 17.21 प्रतिशत रही जो 2007-08 में 47.36 प्रतिशत रही थी। इसकी तुलना में सार्वजनिक क्षेत्र में 2008-09 में पालिसी की संख्या में 17.09 प्रतिशत वृद्धि दर्ज की गई जो पिछले पिछले साल 13.47 प्रतिशत रही थी।

सारणी 17

जारी की गई पालिसी की संख्या

बीमाप्रदाता	2007-08	2008-09
जीवन बीमा निगम	38547040 (13.47)	45137181 (17.09)
निजी क्षेत्र	18703219 (47.36)	21922906 (17.21)
कुल	57250259 (22.69)	67060087 (17.13)

नोट: कोष्ठक में दिये गये आंकड़े पिछले साल की तुलना में वृद्धि दर्शाते हैं (प्रतिशत में)

प्रीमियम

2007-08 को जुटाये गये 27823.74 करोड़ रुपए की तुलना में सामान्य बीमा उद्योग ने 2008-09 में 30351.84 करोड़ रुपए प्रीमियम जुटाये। यह बढ़त 2008-09 में 9.09 प्रतिशत रही जो 2007-08 में 11.72 प्रतिशत थी। सार्वजनिक क्षेत्र के बीमाप्रदाताओं ने 2008-09 में 7.12 प्रतिशत बढ़त दर्ज की जो 2007-08 में 3.53 प्रतिशत रही थी। इसकी तुलना में निजी बीमाप्रदाताओं ने 12.09 प्रतिशत विकास दर अर्जित की लेकिन 2007-08 के 27.12 प्रतिशत के आंकड़े से तुलना करें तो विकास दर थोड़ी धीमी पड़ गई नजर आती है।

सारणी 18

गैर-जीवन बीमाप्रदाताओं द्वारा जुटाया गया प्रीमियम (भारत के भीतर)

(करोड़ रुपए में)

बीमाप्रदाता	2007-08	2008-09
सार्वजनिक	16831.85 (3.52)	18030.75 (7.12)
निजी	10991.89 (27.12)	12321.09 (12.09)
कुल	27823.74 (11.72)	30351.84 (9.09)

नोट: कोष्ठक में दिये गये आंकड़े प्रतिशत में विकास दर बता रहे हैं।

2008-09 में निजी बीमाप्रदाताओं ने 12321.09 करोड़ रुपए प्रीमियम जुटाये जबकि 2007-08 में इन्होंने 10991.89 करोड़ रुपए प्रीमियम जुटाये थे। आईसीआईसीआई लोम्बार्ड लगातार सबसे बड़ी निजी सामान्य बीमाप्रदाता कंपनी बनी हुई है जिसका बाजार के 11.21 प्रतिशत हिस्से पर कब्जा है यद्यपि यह 2007-08 के आंकड़े 11.89 प्रतिशत की तुलना में थोड़ा कम है। बजाज एलियांज जो निजी क्षेत्र की दूसरी सबसे बड़ी सामान्य बीमा कंपनी है ने 2619.29 करोड़ रुपए कुल प्रीमियम बटोरा और अपनी बाजार हिस्सेदारी का विस्तार 2007-08 के 8.55 प्रतिशत से आगे ले जाकर 2008-09 में 8.63 प्रतिशत तक पहुंचा दिया। रिलायंस की बाजार हिस्सेदारी 2007-08 के 7 प्रतिशत से घटकर 2008-09 में 6.31 प्रतिशत रह गई। दो नये निजी बीमाप्रदाता भारती एक्सा और श्रीराम ने प्रीमियम आय के रूप में 28.50 करोड़ रुपए तथा 113.76 करोड़ रुपए पहले साल के कार्यसंचालन में बटोरे।

सार्वजनिक क्षेत्र के सामान्य बीमाप्रदाताओं चारों कंपनियों ने प्रीमियम संग्रहण में वृद्धि द्वारा अपने बाजार का विस्तार किया है। यद्यपि यूनाइटेड इंडिया के अतिरिक्त अन्य कंपनियों की बाजार हिस्सेदारी में पिछले वर्ष के स्तर की तुलना में कमी आई। यूनाइटेड इंडिया ने पिछले साल के 3739.56 करोड़ रुपए के मुकाबले 2008-09 में 4277.77 करोड़ रुपए बटोरे तथा इसकी बाजार हिस्सेदारी भी 13.44 प्रतिशत (2007-08) से बढ़कर 14.09 प्रतिशत (2008-09) तक पहुंच गई। (विवरण 29,30)

स्वास्थ्य बीमा के क्षेत्र में फिक्की और सीआईआई जैसे बहुभागीदारी समूहों द्वारा संयुक्त प्रयास

बीमा नियामक विकास प्राधिकरण ने स्वास्थ्य बीमा उद्योग से जुड़े विषयों और चिंताओं में सहयोगी भूमिका निभा रहे बहुभागीदारी वाले संगठनों को प्रोत्साहित करना जारी रखा है इसका उद्देश्य स्वास्थ्य बीमा के क्षेत्र में नियमित विकास के साथ ही इसकी क्षमताओं को बढ़ाकर अधिकतर लोगों तक इसकी भागीदारी सुनिश्चित करना है।

प्राधिकरण स्वास्थ्य बीमा के विशेष क्षेत्रों में सहयोग कर रहे फिक्की और सीआईआई के कार्यसमूहों को मदद कर रहा है। इन बहुभागीदारी समूहों में से प्रत्येक ने एक महत्वपूर्ण विषय को लेकर सहयोग किया है ताकि स्वास्थ्य बीमा क्षेत्र की पूरे देश में सतत और समान वृद्धि हो सके। प्राधिकरण ने इन कार्य समूहों की गतिविधियों में समन्वयक की भूमिका निभाई है और इन्हें एक समान धागे की भांति जोड़ा है ताकि देश भर की गतिविधियों में समन्वय बना रहे और किसी प्रकार का दोहराव न हो। दोनों ही संगठनों ने अपने कार्य पूरे कर लिये हैं और रिपोर्ट सौंप दी है। इन पर मिली टिप्पणियां काफी उत्साहित करने वाली हैं।

फिक्की की जुलाई 2009 को जारी रिपोर्ट में अस्पताल में भर्ती किये जाने के 21 कारणों पर मानक चिकित्सा मार्गदर्शन(स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट गाइडलाइन) शामिल किये गये हैं। इस मार्गदर्शन सूची को फिक्की के कार्यसमूह में शामिल प्रसिद्ध चिकित्सा विशेषज्ञों(क्लिनिकल एक्सपर्ट्स) तथा अन्य पेशेवर लोगों ने तैयार किया है और यह इस उद्देश्य के लिए किया जाने वाला भारत का पहला संयुक्त बीमा-प्रदाता प्रयास है। फिक्की के एक अन्य समूह द्वारा 11 गंभीर बीमारियों के नामकरण और परिभाषा पर बनाई गई मानक सूची न केवल उपभोक्ता के समझने के लिए आसान है अपितु इससे बाजार में उपस्थित विभिन्न बीमा उत्पादों के बीच तुलना भी आसान हो जाती है। मानकीकरण के इन प्रयासों से भारतीय बीमा उद्योग दुनिया भर के उन चुनींदा देशों में शामिल हो गया है जहां ऐसे महत्वपूर्ण मुद्दों पर काम किया गया है। फिक्की की तीसरी रिपोर्ट में गैर-चिकित्सकीय व्यय के मानकीकरण का प्रयास किया गया है जिससे यह जानने में आसानी होगी कि स्वास्थ्य बीमा पालिसी के अंतर्गत कौन से मद भुगतान की श्रेणी में गिने जायें।

अगस्त 2009 में सीआईआई के कार्यसमूह ने भी अपनी अनुसंधार्य प्रस्तुत की। इसके एक कार्यसमूह ने स्वास्थ्य बीमा में इस्तेमाल होने वाले महत्वपूर्ण दस्तावेजों के मानकीकरण की पहल की और इसके सूचना प्रौद्योगिकी(आईटी से जुड़ी तकनीक) माध्यम से डिजाइन और अंतिम रूप देने की बात कही ताकि क्लेम और अन्य मामलों में सहूलियत हो। यह फार्म जल्द ही टीपीए और बीमाप्रदाताओं के बीच लागू कर दिये जायेंगे। सीआईआई के कार्यसमूह ने स्वास्थ्य बीमा के क्षेत्र में प्रचलित शब्दों में 20 की मानक परिभाषा दी। स्वास्थ्य बीमा की सभी पालिसियों के साथ उपभोक्ता जानकारी पर्ची(कस्टमर इंफॉर्मेशन शीट) की प्रतिलिपि को जोड़ा जाना जिसे प्राधिकरण ने मई 2009 से अनिवार्य कर दिया, सीआईआई के कार्यसमूह के सुझाव पर जोड़ा गया। दूसरे समूह ने स्वास्थ्य बीमा के खरीदार के लिए एक गाइड प्रस्तुत की जिसमें सभी उत्पादों के बारे में सारी जानकारी मौजूद है। यह खरीदार को स्वास्थ्य बीमा की धारणा और इसकी कार्यपद्धति के अलावा बाजार में उपलब्ध विभिन्न उत्पादों के बारे में जानकारी उपलब्ध कराता है। इसके साथ ही इन्हें खरीदने की विधि और क्लेम और नवीनीकरण से संबंधित समस्त जानकारी प्रदान करता है। यह सामान्य अंग्रेजी में लिखा गया है और इसे आसानी से क्षेत्रीय भाषाओं में अपनाया जा सकता है साथ ही इसे समझने के लिए बीमा से जुड़ी हुई प्राथमिक जानकारी की आवश्यकता नहीं है। सीआईआई के एक अन्य समूह ने यूनीक हास्पिटल आईडी पर कार्य किया है जिसे प्राधिकरण(डाटा रेपजिटरी शाखा) ने लागू किया है। इसके साथ ही समूह ने

बीमा व्यवस्था से जुड़े हुए सभी अस्पतालों से डाटा एलीमेंट इकट्ठा किये हैं। यह समूह भागीदारों के लिए डाटा सिक्युरिटी चेक लिस्ट तैयार कर रहा है।

प्राधिकरण ने जारी किया स्वास्थ्य बीमा का नवीनीकरण और वरिष्ठ नागरिकों के स्वास्थ्य बीमा पर सर्कुलर

स्वास्थ्य बीमा व्यवस्था के संबंध में पालिसीधारकों का विश्वास बनाये रखने के लिए प्राधिकरण सक्रिय रूप से कार्य कर रही है। प्राधिकरण ने मील का पत्थर साबित होने वाले दो महत्वपूर्ण सर्कुलर जारी किये हैं जिनमें पहला स्वास्थ्य बीमा पालिसी के नवीनीकरण को लेकर है और दूसरा वरिष्ठ नागरिकों के स्वास्थ्य बीमा पर जारी किया गया है। यह सर्कुलर बीमाप्रदाताओं के साथ लंबे दौर तक चली चर्चाओं के बाद जारी किये गये हैं।

31 मार्च 2009 को जारी किये गये स्वास्थ्य बीमा के नवीनीकरण की पालिसी आधारित सर्कुलर के अंतर्गत गैर-जीवन बीमा प्रदाताओं को सलाह दी गई है कि बिना विशिष्ट कारणों के नवीनीकरण खारिज न किये जायें और इस आधार पर तो कतई नहीं कि बीमाप्रदाता ने पिछले वर्ष पालिसी पर क्लेम किया था। सर्कुलर में इस बात पर जोर दिया गया है कि नवीनीकरण के नियमों का पहले ही खुलासा हो और पालिसीधारकों के साथ पारदर्शिता तथा सही व्यवहार हो। सर्कुलर के अंतर्गत समूह बीमा के अंतर्गत बीमित व्यक्तिगत बीमाधारी के कवर को विस्तारित करने से संबंधी प्रक्रिया का खुलासा करने कहा गया है।

वरिष्ठ नागरिकों के स्वास्थ्य बीमा के संबंध में दिये गये निर्देशों के तहत 1 जुलाई 2009 को या इसके बाद जारी सभी स्वास्थ्य बीमित उत्पादों को 65 साल तक के नागरिकों को प्रवेश दिया जाना चाहिए और साथ ही वेबसाइट में इन उत्पादों की विस्तृत जानकारी उपलब्ध कराई जानी चाहिए। सर्कुलर ने यह भी सुनिश्चित किया है कि वरिष्ठ नागरिकों को लगने वाले प्रीमियम का खुलासा भी किया जाये, साथ ही यादृच्छिक आधार पर वरिष्ठ नागरिकों को बीमा सुरक्षा(कवर) देने से इंकार न किया जाये। निर्देशों के अंतर्गत यह भी शामिल किया गया है कि नवीनीकरण के वक्त टीपीए में परिवर्तन का विकल्प भी रखा जाये। इसमें उद्योग को धोखाधड़ी से संबंधित आंकड़े को सबको देने की बात कही है ताकि स्वास्थ्य बीमा व्यवस्था में भ्रष्टाचार को नियंत्रण में रखा जा सके।

स्वास्थ्य बीमा प्रीमियम के लिए आयु के निर्धारण के मामले में समानता लाने जुलाई 2008 में एक सर्कुलर जारी किया गया था। सभी सामान्य बीमा कंपनियों के लिए यह जरूरी है कि वह प्रीमियम की गणना बीमा के आरंभ होने से करे।

प्राधिकरण ने एक फ्री लूक पीरिएड इन हेल्थ इंश्योरेंस पालिसीज नाम से एक सर्कुलर जारी किया है इसके अंतर्गत सभी स्वास्थ्य बीमा पालिसी जिनका समय तीन साल या अधिक है। बीमित व्यक्ति के पास यह विकल्प होता है कि रसीद मिलने के 15 दिन के भीतर पालिसी के नियमों और शर्तों (टर्म्स एंड कंडीशन) पर विचार कर लें। अगर पालिसीधारक पालिसी की किसी भी शर्त से सहमत नहीं है तो उसे आपत्ति का कारण लिखकर पालिसी को लौटाने का अधिकार होगा। उसकी प्रीमियम राशि उसे व्यय शुल्क को काटकर वापस कर दी जायेगी।

सारणी 19
भारत में सकल सीधा प्रीमियम से आय

कुल कंपनी	बाजार हिस्सेदारी (करोड़ रुपए में)		(प्रतिशत में)	
	2007-08	2008-09	2007-08	2008-09
नेशनल	4007.23	4279.90	14.40	14.10
न्यू इंडिया	5276.92	5508.83	18.97	18.15
ओरियेन्टल	3808.14	3964.25	13.69	13.06
यूनाइटेड	3739.56	4277.77	13.44	14.09
उप कुल	16831.85	18030.75	60.49	59.41
रायल सुंदरम	694.41	803.36	2.50	2.65
रिलायंस	1946.42	1914.88	7.00	6.31
इफको-टोकियो	1128.15	1374.06	4.05	4.53
टाटा- एआईजी	782.64	823.92	2.81	2.71
आईसीआईसीआई लो	3307.12	3402.04	11.89	11.21
बजाज एलियांज	2379.92	2619.29	8.55	8.63
चोलामंडलम	522.34	685.44	1.88	2.26
एचडीएफसी एर्गो	220.60	339.21	0.79	1.12
फ्यूचर जेनराली	9.81	186.49	0.04	0.61
यूनीवर्सल सेंपो	0.48	30.14	0.00	0.10
श्रीराम	-	113.76	-	0.37
भारती एक्सा	-	28.50	-	0.09
रहेजा क्यूबीई	-	-	-	-
उपकुल	10991.89	12321.09	39.51	40.59
Grand Total	27823.74	30351.84	100.00	100.00

नोट: ' - ' कार्यप्रचालन में नहीं है इंगित करता है।

मोटर व्यवसाय का हिस्सा सामान्य बीमा कारोबार में सबसे अधिक है यद्यपि इसकी हिस्सेदारी 2007-08 के 45.59 प्रतिशत से घटकर 2007-08 में 43.94 प्रतिशत रह गई।

सारणी 20
गैर जीवन बीमाप्रदाताओं द्वारा जुटाया गया
प्रीमियम-वर्गवार(भारत के भीतर)
(करोड़ रुपए में)

वर्ग	2007-08	2008-09
अग्नि	3459 (12.43)	3383 (11.14)
मरीन	1799 (6.47)	1957 (6.45)
मोटर	12685 (45.59)	13336 (43.94)
स्वास्थ्य	4894 (17.59)	6088 (20.06)
शेष	4986 (17.92)	5588 (18.41)
कुल प्रीमियम	27824 (100)	30352 (100)

नोट: कोष्ठक में दिये गये आंकड़े बाजार हिस्सेदारी बताते हैं।

स्वास्थ्य संवर्ग में 2008-09 में 6088 करोड़ रुपए प्रीमियम राशि बटोरी गई जो 2007-08 के 4894 करोड़ रुपए की तुलना में 24.40 प्रतिशत अधिक थी। 2006-07 में इसकी बाजार हिस्सेदारी 13.33 प्रतिशत थी जो 2007-08 में बढ़कर 17.59 प्रतिशत हो गई और 2008-09 में यह हिस्सेदारी 20.06 प्रतिशत तक पहुंच गई। स्वास्थ्य बीमा संवर्ग में दिखाई गई वृद्धि सामान्य बीमा कारोबार में दिखाई गई औसत वृद्धि से अधिक है।

अग्नि बीमा क्षेत्र में प्रीमियम संग्रहण में तथा बाजार हिस्सेदारी दोनों में 2007-08 की तुलना में कमी आई है। अग्नि बीमा के मामले में कुल जुटाया गया प्रीमियम 3383 करोड़ रुपए था(2007-08 में यह रकम 3459 करोड़ रुपए थी), इसके चलते बाजार हिस्सेदारी 2007-08 के 12.43 प्रतिशत की तुलना में घटकर 11.41 प्रतिशत रह गई।

भारत के बाहर से जुटाई गई

प्रीमियम राशि सार्वजनिक क्षेत्र के सामान्य बीमाप्रदाताओं ने (यूनाइटेड इंडिया को छोड़कर) भारत के बाहर से भी प्रीमियम राशि जुटाई है। यूनाइटेड इंडिया ने भारत के बाहर अपने कार्यप्रचालन 2003-04 से बंद कर दिये हैं। भारत से बाहर तीनों बीमाप्रदाताओं द्वारा 2008-09 में 1076.54 करोड़ रुपए जुटाये हैं जो 2007-08 में जुटाये गये 981.36 करोड़ रुपए की प्रीमियम राशि से 9.70 प्रतिशत अधिक है। 2007-08 में जुटाई गई प्रीमियम राशि इससे पहले वर्ष की तुलना में (-4.22 प्रतिशत) रही थी। अगर कुल प्रीमियम में भारत से बाहर जुटाई गई प्रीमियम राशि का अनुपात देखें तो यह वर्ष 2008-09 में 5.63 प्रतिशत रहा जबकि यह वर्ष 2007-08 में 5.51 प्रतिशत था।

सारणी 21 भारत के बाहर से जुटाये गये प्रीमियम का कुल प्रीमियम में हिस्सा

(प्रतिशत में)

बीमाप्रदाता	2007-08	2008-09
नेशनल	0.37	0.37
न्यू इंडिया	14.22	14.67
ओरियन्टल	2.36	2.79

न्यू इंडिया भारत से बाहर प्रीमियम जुटाने वाली सबसे बड़ी सार्वजनिक क्षेत्र की गैर जीवन बीमाप्रदाता बनी रही। 2008-09 में भारत से बाहर जुटाये गये प्रीमियम का कुल प्रीमियम में हिस्सा 14.67 प्रतिशत था (2007-08 में यह हिस्सा 14.22 प्रतिशत था)। ओरियन्टल के मामले में यह हिस्सा 2008-09 में 2.79 प्रतिशत रहा जो 2007-08 के 2.36 फीसदी हिस्से से कुछ अधिक रहा। इस मामले में 2008-09 में नेशनल इश्योरेंस का हिस्सा .37 फीसदी रहा, 2007-08 का स्तर भी इतना ही रहा था।

सारणी 22

भारत के बाहर जुटाया गया सकल प्रत्यक्ष बीमा: गैरजीवन बीमाप्रदाता

(करोड़ रुपए में)

बीमाप्रदाता	2007-08	2008-09
नेशनल	14.74 (16.05)	15.95 (8.21)
न्यू इंडिया	874.55 (-4.90)	946.95 (8.28)
ओरियन्टल	92.07 (-0.20)	113.64 (23.43)
यूनाइटेड	-	-
कुल	981.36 (-4.22)	1076.54 (9.70)

नोट: कोष्ठक में दिखाये गये आंकड़े पिछले साल की तुलना में विकास दर दिखा रहे हैं।

2008-09 में भारत के बाहर से जुटाया गया कुल प्रीमियम 1076.54 करोड़ रुपए था जिसमें न्यू इंडिया ने 946.95 करोड़ रुपए प्रीमियम अर्जित किया (2007-08 में यह 874.55 करोड़ रुपए था), यद्यपि इसकी बाजार हिस्सेदारी 2007-08 के 89.12 प्रतिशत से घटकर 2008-09 में 87.96 प्रतिशत तक पहुंच गई। नेशनल ने 2008-09 में इस मद में 15.95 करोड़ रुपए जुटाये (2007-08 में कंपनी ने 14.74 करोड़ रुपए जुटाये थे)। भारत के बाहर से जुटाये गये प्रीमियम के संबंध में ओरियन्टल इश्योरेंस ने पिछले साल के 92.07 करोड़ रुपए के मुकाबले 23.43 प्रतिशत वृद्धि हासिल कर (सभी कंपनियों से ज्यादा वृद्धि दर) 113.64 करोड़ रुपए जुटाये।

बीमालेखन अनुभव

सामान्य बीमा कंपनियों का प्रीमियम से जुड़ा घाटा 2007-08 के 3899.49 करोड़ रुपए से बढ़कर 2008-09 में 5326.11 करोड़ रुपए हो गया। यद्यपि घाटे की गति में जरूर कमी आई है जहां 2007-08 में इसकी दर 52.47 प्रतिशत रही थी वहीं 2008-09 में यह दर 36.58 प्रतिशत रही। सभी सार्वजनिक बीमाप्रदाताओं के मामले में घाटे की गति में कमी देखी गई है। इसकी तुलना में निजी गैरजीवन बीमाप्रदाताओं के घाटे की गति लगातार बढ़ रही है जो 2007-08 के 62.77 प्रतिशत की तुलना में 2008-09 में 83.54 प्रतिशत पहुंच गई। (विवरण 30,31)

सारणी 23
प्रीमियम घाटे: गैरजीवन बीमा

(करोड़ रुपए में)

बीमाप्रदाता	2007-08	2008-09
सार्वजनिक क्षेत्र	3300.59 (34.66)	4226.90 (28.06)
निजी क्षेत्र	598.90 (62.77)	1099.21 (83.54)
कुल	3899.49 (52.47)	5326.11 (36.58)

नोट: कोष्ठक में दिखाये गये आंकड़े पिछले साल की तुलना में विकास दर दिखा रहे हैं।

गैर जीवन बीमाप्रदाताओं द्वारा किया गया व्यय

कमीशन व्यय और प्रचालन व्यय, कुल खर्चों का बड़ा हिस्सा इन्हीं से तैयार होता है। सामान्य बीमा कंपनियों का प्रचालन व्यय 2007-08 के 6173.04 करोड़ रुपए से 20.04 प्रतिशत बढ़कर 2008-09 में 7367.09 करोड़ रुपए पहुंच गया। सार्वजनिक बीमाप्रदाताओं के मामले में प्रचालन व्यय 19.01 प्रतिशत की दर से बढ़ा वहीं निजी बीमाप्रदाताओं के मामले में यह 21.57 प्रतिशत की दर से बढ़ा।

सारणी 24
प्रचालन व्यय: गैर जीवन बीमाप्रदाता

(करोड़ रुपए में)

बीमाप्रदाता	2007-08	2008-09
सार्वजनिक क्षेत्र	3652.96	4347.21
निजी क्षेत्र	2484.08	3019.88
कुल	6137.04	7367.09

नोट: सार्वजनिक क्षेत्र में ईसीजीसी, एआईसी एवं जीआईसी शामिल नहीं हैं।

सार्वजनिक और निजी सामान्य बीमाप्रदाताओं का कमीशन व्यय क्रमशः 1519.54 करोड़ रुपए तथा 682.79 करोड़ रुपए रहा, इस प्रकार कमीशन में किया गया कुल व्यय 2353.65 करोड़ रुपए रहा। कमीशन व्यय सबसे अधिक मोटर संवर्ग (788.10 करोड़ रुपए) में रहा जिसके अंतर्गत सार्वजनिक क्षेत्र द्वारा किया गया व्यय 528.41 करोड़ रुपए तथा निजी क्षेत्र द्वारा किया गया व्यय 259.69 करोड़ रुपए रहा। निजी बीमाप्रदाताओं के मामले में कमीशन व्यय घटा लेकिन सार्वजनिक क्षेत्र के बीमाप्रदाताओं के मामले में यह बढ़ गया।

सारणी 25
कमीशन व्यय

(करोड़ रुपए में)

कुल	निजी क्षेत्र		सार्वजनिक क्षेत्र	
वर्ग	2007-08	2008-09	2007-08	2008-09
अग्नि	80.97	59.79	199.54	204.81
मरीन	37.4	42.28	118.15	120.66
मोटर	234.99	259.69	503.33	528.41
स्वास्थ्य	133.79	170.79	359.18	418.7
अन्य	150.24	150.24	339.34	398.28
कुल	637.39	682.79	1519.54	1670.86

निवेश आय

गैर जीवन बीमाप्रदाताओं की निवेश आय 2007-08 के 6983.56 करोड़ रुपए से घटकर 2008-09 में 5890.98 करोड़ रुपए रह गई। 2008-09 के दौरान जहां निजी क्षेत्र की कंपनियों ने अपनी निवेश आय में बढ़ोत्तरी की, सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों के निवेश आय में गिरावट आई। सार्वजनिक क्षेत्र की निवेश आय 2007-08 के 6241.51 करोड़ रुपए से घटकर 2008-09 में 4799.78 करोड़ रुपए रह गई, यह गिरावट 23.10 प्रतिशत की थी।

सारणी 26
निवेश आय

(करोड़ रुपए में)

बीमाप्रदाता	2007-08	2008-09
सार्वजनिक क्षेत्र	6241.51 (7.91)	4799.78 (-23.10)
निजी क्षेत्र	742.05 (78.79)	1091.2 (47.05)
कुल	6983.56 (12.65)	5890.98 (-15.65)

नोट: कोष्ठक में दिखाये गये आंकड़े संबंधित क्षेत्रों में पिछड़े वर्ष की तुलना में विकास दर बताते हैं। (प्रतिशत में)

दूसरी ओर सभी निजी बीमाप्रदाताओं ने निवेश आय में वृद्धि दर्ज की है और 2007-08 के 742.5 करोड़ रुपए की तुलना में 2008-09 में 1091.2 करोड़ रुपए निवेश आय हुई जो 47.05 फीसदी बढ़त है। (विवरण 31 और 32)

खर्च दावा अनुपात

2008-09 में गैर-जीवन बीमाप्रदाताओं ने दावों पर 19702.57 करोड़ रुपए खर्च किये (2007-08 में यह आंकड़े 16371.12 करोड़ रुपए थे)। इसकी दर 2008-09 में 20.34 प्रतिशत रही जो 2007-08 की तुलना में थोड़ी धीमी रही। यद्यपि औद्योगिक आधार पर खर्च दावा अनुपात 2008-09 में धीमे ही बढ़ा, इस प्रकार शुद्ध खर्च दावा की दर शुद्ध प्रीमियम की दर की तुलना में तेजी से बढ़ी। 2008-09 में दावों पर किया गया खर्च सार्वजनिक और निजी बीमाप्रदाताओं के मामले में 12.48 प्रतिशत और 42.82 प्रतिशत की दर से बढ़ा (विवरण 33,34)

सारणी 27

गैर जीवन बीमाप्रदाताओं द्वारा दावों के निपटारे में किया गया शुद्ध खर्च

(करोड़ रुपए में)

बीमाप्रदाता	2007-08	2008-09
सार्वजनिक क्षेत्र	12124.81 (15.05)	13637.79 (12.48)
निजी क्षेत्र	4246.31 (69.66)	6064.78 (42.82)
कुल	16371.12 (25.41)	19702.57 (20.34)

नोट: कोष्ठक में दिखाये गये आंकड़े संबंधित क्षेत्रों में विकास दर बताते हैं। (प्रतिशत में)

2008-09 में सामान्य बीमा कंपनियों का खर्च दावा अनुपात (दावों में किये गये खर्च और जुटाये गये खर्च का अनुपात) 2007-08 के 84.88 प्रतिशत से मामूली बढ़कर 2008-09 में 86.30 प्रतिशत पहुंच गया। यह वृद्धि निजी एवं सार्वजनिक क्षेत्र दोनों प्रकार के बीमाप्रदाताओं में दिखी है। अगर संवर्गवार देखें तो यह वृद्धि अग्नि और सामुद्रिक माध्यमों में हुई है लेकिन मोटर और स्वास्थ्य के मामले में इसमें कमी आई है। स्वास्थ्य संवर्ग लगातार बेहतर हुआ है जिसमें इस अनुपात में लगातार कमी आई है जहां 2006-07 में यह 141.02 प्रतिशत और 2007-08 में 107 प्रतिशत था वहीं 2008-09 में यह 105.95 प्रतिशत तक पहुंच गया। यद्यपि सार्वजनिक क्षेत्र के बीमाप्रदाताओं के मामले में यह 2007-08 के 112.36 प्रतिशत से बढ़कर 116.60 प्रतिशत तक पहुंच गया।

दूसरी ओर निजी बीमाप्रदाताओं के मामले में यह अनुपात 2007-08 के 72.21 प्रतिशत से बढ़कर 2008-09 में 76.84 प्रतिशत तक पहुंच गया। इसकी वजह सभी संवर्गों (स्वास्थ्य को छोड़कर) में खर्च दावा अनुपात का बढ़ना था। स्वास्थ्य के मामले में यह अनुपात 2007-08 के 94.84 प्रतिशत से गिरकर 85.33 प्रतिशत तक पहुंच गया। निजी बीमाप्रदाताओं के मामले में अग्नि संवर्ग में यह वृद्धि 2007-08 के 50.69 प्रतिशत की तुलना में 2008-09 में 74.97 प्रतिशत दर्ज की गई।

सार्वजनिक क्षेत्र के सामान्य बीमाप्रदाताओं के मामले में खर्च-दावा-अनुपात में बढ़ोत्तरी हुई है केवल मोटर संवर्ग में सुधार देखने को मिला है और 2007-08 के 104.76 प्रतिशत की तुलना में गिरकर यह अनुपात 2008-09 में 98.90 प्रतिशत तक आया है।

सारणी 28 खर्च दावा अनुपात

(प्रतिशत में)

वर्ग	सार्वजनिक क्षेत्र		निजी क्षेत्र		कुल	
	2007-08	2008-09	2007-08	2008-09	2007-08	2008-09
अग्नि	72.28	75.86	50.69	74.97	68.69	75.72
मरीन	82.68	101.05	100.32	109.02	86.68	102.90
मोटर	104.76	98.90	71.95	75.64	92.31	88.84
स्वास्थ्य	112.36	116.60	94.84	85.33	107.00	105.95
अन्य	54.13	52.69	46.03	59.11	52.51	54.15
कुल	90.43	91.30	72.23	76.84	84.88	86.30

शुद्ध लाभ

2008-09 के दौरान सार्वजनिक क्षेत्र की चार कंपनियों ने 426.81 करोड़ रुपए का शुद्ध लाभ अर्जित किया। इन कंपनियों का शुद्ध लाभ पिछले वर्ष के 2205.48 करोड़ रुपए की तुलना में 80.65 प्रतिशत कम हो गया। दो कंपनियों को घाटा उठाना पड़ा। ओरियन्टल इश्योरेंस को पिछले साल 9.30 करोड़ रुपए लाभ की तुलना में 2008-09 में 52.66 करोड़ रुपए की शुद्ध हानि सहनी पड़ी। पिछले साल नेशनल इश्योरेंस ने 163.43 करोड़ रुपए का लाभ अर्जित किया था, इस बार कंपनी को 149.41 करोड़ रुपए का घाटा सहना पड़ा।

सार्वजनिक क्षेत्र की इन चार कंपनियों ने 2008-09 में 1190.61 करोड़ रुपए का घाटा (अंडरराइटिंग लास) सहा जबकि पिछले साल इसमें 655.07 करोड़ रुपए का लाभ हुआ था। यूनाइटेड इंडिया को छोड़कर सभी कंपनियों ने यह घाटा सहा। सार्वजनिक क्षेत्र की इन कंपनियों का घाटा निवेश आय में बढ़ोत्तरी होने की वजह से कम हो गया।

2008-09 में 12 निजी बीमाप्रदाताओं को 104.04 करोड़ रुपए का घाटा हुआ, पिछले साल इन कंपनियों ने 43.84 करोड़ रुपए का लाभ अर्जित किया था। निजी बीमाप्रदाताओं को होने वाला घाटा 2007-08 के 94 करोड़ रुपए से बढ़कर 2008-09 में 340.98 करोड़ रुपए हो गया। निवेश आय में होने वाली बढ़ोत्तरी से इन घाटों की भरपाई नहीं हो पाई। 2008-09 में रिलायंस, एचडीएफसी एर्गो, फ्यूचर जेनराली, यूनीवर्सल साम्पो तथा नये बीमाप्रदाता जैसे श्रीराम एवं भारती एक्सा ने घाटा दर्ज किया।

शेयरधारकों को दिया गया लाभ

सार्वजनिक क्षेत्र की चार बीमा कंपनियों ने 2008-09 में 141 करोड़ रुपए लाभांश दिये, यह पिछले साल के 449.49 करोड़ रुपए की तुलना में काफी कम हैं।

सारणी 29

देय लाभांश: गैर-जीवन बीमाप्रदाता
(करोड़ रुपए में)

बीमाप्रदाता	2007-08	2008-09
गैर - जीवन		
सार्वजनिक क्षेत्र	449.49	141.00
निजी क्षेत्र	59.12	0.00
विशेष संस्थान		
ईसीजीसी	178.57	196.83
एआईसी	20.00	20.00
पुनर्बीमा		
जीआईसी	197.80	279.50
कुल	904.97	637.33

निजी क्षेत्र के बीमाप्रदाताओं में किसी ने 2008-09 में लाभांश नहीं घोषित किये। एआईसी ने पिछले साल की तरह 2008-09 में भी 20 करोड़ रुपए लाभांश दिये। ईसीजीसी ने पिछले साल के 178.57 करोड़ रुपए की तुलना में 2008-09 में 196.83 करोड़ रुपए लाभांश दिये। इसी प्रकार जीआईसी ने 2007-08 के 197.80 करोड़ रुपए की तुलना में 279.50 करोड़ रुपए लाभांश दिये।

स्टार हेल्थ एंड एलाइड इश्योरेंस कंपनी लिमिटेड

स्टार हेल्थ, सामान्य बीमा कारोबार के स्वास्थ्य, व्यक्तिगत दुर्घटना तथा यात्रा बीमा के क्षेत्रों में विशिष्ट तौर पर पंजीकृत होने वाली कंपनी (2006-07) है जो लगातार तीसरे वर्ष अपने व्यवसाय को प्रभावी तरीके से विस्तारित कर रही है। पिछले साल के 88.23 करोड़ रुपए के मुकाबले बीमाप्रदाताओं ने 301.45 करोड़ रुपए अर्जित किये। यद्यपि कंपनी का लाभ अधिक व्यय की वजह से पिछले साल के 1.28 करोड़ रुपए के मुकाबले 2008-09 में 1.24 करोड़ रुपए रहा।

अपोलो डीकेवी हेल्थ इश्योरेंस कंपनी लिमिटेड

अपोलो डीकेवी जो सामान्य बीमा कारोबार के स्वास्थ्य, व्यक्तिगत दुर्घटना तथा यात्रा बीमा के क्षेत्र में विशिष्ट तौर पर पंजीकृत होने वाली दूसरी कंपनी है ने भी सफलतापूर्वक अपने व्यवसाय के दूसरे वर्ष में प्रवेश किया। कंपनी द्वारा जुटाया गया प्रीमियम 2007-08 में .28

करोड़ रुपए की तुलना में 21.64 करोड़ रुपए रहा। बीमाप्रदाता ने 2008-09 में 78.09 करोड़ रुपए घाटा(अंडरराइटिंग) सहा जो 2007-08 में 31.97 करोड़ रुपए था। इसके साथ ही खर्च आधारित शुद्ध हानि 2007-08 के 28.34 करोड़ रुपए की तुलना में 72.18 करोड़ रुपए रही।

सामान्य बीमा निगम सामान्य बीमा निगम(जीआईसी)

राष्ट्रीय पुनर्बीमाप्रदाता है, यह सामान्य बीमा कंपनियों को पुनर्बीमा उपलब्ध कराता है। निगम का पुनर्बीमा कार्यक्रम इस बात पर आधारित है कि देश की प्रतिधारण क्षमता अपने अधिकतम मूल्य तक पहुंच सके, कवर सुरक्षा पूर्ण हो सके तथा घरेलू बाजार की क्षमता का विकास हो पाये। यह तृतीय पक्ष मोटर कोष का प्रबंधक भी है। जीआईसी घरेलू बीमाप्रदाताओं द्वारा जारी की गई प्रत्येक पालिसी पर निश्चित सीमा तक सांविधिक अधिकार रखता है और इन घरेलू कंपनियों के संधि तथा ऐच्छिक कार्यक्रमों का नेतृत्व करता है।

जीआईसी द्वारा 2008-09 में जुटाया गया कुल प्रीमियम 7402.33 करोड़ रुपए था जो 2007-08 में 8311.14 करोड़ रुपए था, जबकि सकल अर्जित प्रीमियम(जोखिम के लिए रखे कोष को समायोजित करने के बाद) 2007-08 के 7228.96 करोड़ रुपए से 7.98 फीसदी बढ़कर 2008-09 में 7806.17 करोड़ रुपए हो गया। यद्यपि विकास दर पिछले साल के 37.33 प्रतिशत के मुकाबले कम रही, कर पूर्व लाभ 2007-08 के 1067.30 करोड़ रुपए की तुलना में 2008-09 में 1811.59 करोड़ हो गया। इसी प्रकार कर पश्चात लाभ 2007-08 के 992.78 करोड़ रुपए की तुलना में 2008-09 में 1407.20 करोड़ रुपए हो गया। कंपनी का शुद्ध दावा खर्च 2007-08 के 6011.50 करोड़ रुपए की तुलना में 2008-09 में 3.42 प्रतिशत बढ़कर 6217.14 करोड़ रुपए हो गया। यह पिछले साल के 65.94 प्रतिशत की तुलना में काफी कम है।(विवरण 19,20,21)

(सी) शोध एवं विकास संगठन

चूंकि नीति निर्णयन के संबंध में आंकड़ों की भूमिका सबसे अहम होती है अतएव शोध एवं विकास संगठन आंकड़ा संग्रहण के तरीकों में सुधार के साथ ही इनकी वैधता की जांच के लिए भी ध्यान दे रहा है। बीमाप्रदाताओं के विभिन्न कार्यप्रचालनों की दिशा को पकड़ने के लिए शोध एवं विकास संगठन ने भारतीय बीमा सांख्यिकी(इंडियन इंश्योरेंस स्टैटिस्टिक्स) 2007-08 नामक एक पुस्तिका जारी की है। एक तरफ

इसमें बीमाप्रदाताओं द्वारा विनियम का अनुपालन करते हुए पेश किये गये विभिन्न वित्तीय चरों पर समय श्रृंखलाबद्ध आंकड़े हैं। वित्तीय आंकड़ों के अलावा बीमा कंपनियों की सूची के संबंध में आंकड़े, जीवन बीमा कार्यालयों की संख्या(कंपनीवार), बीमा घनत्व एवं बीमा पैठ के संबंध में अंतरराष्ट्रीय आंकड़ों से तुलना भी पुस्तिका में शामिल की गई है। प्राधिकरण की वेबसाइट 222.द्वहस्त्रडुद्धस्त्रद्वडु.शहद. के अलावा यह पुस्तिका सभी भागीदारों और अकादमिक संस्थाओं को भी बांटी गई है। इसी क्रम में विभाग ने पुस्तिका में संबंधित शब्दों के बारे में भी बताया है जिससे पुस्तिका में छापे गये आंकड़ों का सही अर्थ जान सकें। शोध एवं विकास संगठन का प्रयास रहा है कि पुस्तिका में अद्यतन आंकड़ों का संग्रहण हो सके साथ ही बीमा व्यवसाय से जुड़े विभिन्न प्रासंगिक मसलों का जिक्र हो सके जिनकी चर्चा पहले के संस्करण में नहीं हो पाई हो। इस पुस्तिका को काफी अपने कवरेज के लिए काफी प्रशंसा मिली है क्योंकि यह बीमा के सांख्यिकीय आंकड़े जानने का एकमात्र स्रोत है।

डाटा सेंटर जो अब तक टीएसी मुंबई से संचालित होता आया था अब आईआरडीए हैदराबाद स्थानान्तरित हो गया है। डाटा सेंटर सामान्य रूप से कार्य कर रहा है और इसने हाल ही में 2007-08 में मोटर से जुड़े आंकड़ों का सारणीकरण किया है और 2008-09 के लिए स्वास्थ्य से जुड़े आंकड़ों को तैयार कर रहा है। शोध एवं विकास संगठन बीमाप्रदाताओं के लिए सुझाये गये डाटा फॉर्मेट(आंकड़ों का स्वरूप) सुनिश्चित करने में और इनमें बदलाव लाने में भूमिका निभाता है। मानक आंकड़ों के लिए बने कार्यसमूह ने सुझाया है कि डाटा फॉर्मेट(आंकड़ों का स्वरूप) जीवन बीमा परिषद के पास टिप्पणियों और सुझावों के लिए भेजा जाये। स्वास्थ्य सांख्यिकी के संबंध में पूर्ण और विश्वसनीय जानकारी प्राप्त करने बीमा कंपनियों को अपने आंकड़ों डाटा सेंटर(आंकड़ा संग्रहण केंद्र) को जमा करने होते हैं।

शोध गतिविधियों के रूप में शोध एवं विकास संगठन ने स्वास्थ्य सांख्यिकी बीमा के आंकड़े आईआरडीए टीएसी वेबसाइट पर लिये हैं जिसे हैदराबाद में हुए इंडियन इकोनोमीट्रिक सोसायटी कांफ्रेंस में दिखलाया गया। आईआरडीए सीआईआई द्वारा बनाये गये डाटा एंड टेक्नालाजिकल उपसमूह की अध्यक्षता शोध एवं विकास संगठन के डीजी कर रहे हैं। इसकी अनुशंसाएं हाल ही में सीआईआई कांफ्रेंस में दिखाई गई हैं। समूह ने टीपीए के लिए कुछ न्यूनतम सुझाव दिये हैं और एक हास्पिटल मास्टर बनाया है जो आंकड़ों आंकड़ा संग्रहण केंद्र से जुड़े अस्पतालों की श्रृंखला पर आधारित है।

(द) समीक्षा

1) पालिसीधारकों के हितों की सुरक्षा

2009 के प्रारंभिक हिस्से में आईआरडीए हैदराबाद द्वारा उपभोक्ता संरक्षण एवं शिक्षा पर एक सेमीनार का आयोजन किया गया जिसमें कुछ महत्वपूर्ण निर्णयों की घोषणा हुई। ऐसी ही एक घोषणा के अंतर्गत एक समन्वित शिकायत साफ्टवेयर की प्रस्तुति की घोषणा की गई जिससे आईआरडीए की पहुंच उद्योग से आने वाली हर शिकायत तक हो सके और उनके निपटारे पर भी नजर रखी जा सके। आईआरडीए ने बीमा जागरूकता अभियान तथा कंप्यूटर शिक्षा के अंतर्गत नये कदम उठाये हैं। सभी बीमाप्रदाताओं को सलाह दी गई है कि अपने शिकायत निवारण नीति की फाइल आईआरडीए के पास जमा करें। विभिन्न कंपनियों द्वारा अपनाई गई शिकायत निवारण नीति आईआरडीए ने एक पृथक खंड में प्रकाशित की है। यह गतिविधियां सतत रूप से बढ़ रही हैं और अनुमान लगाया जा रहा है कि नियत समय में आकार ले लेंगी। बीमाप्रदाताओं को विभिन्न शिकायत निवारण के माध्यमों की विस्तृत जानकारी भी देनी होगी और साथ ही बीमा लोकपाल के बारे में विस्तृत जानकारी देनी होगी, पालिसी के कागजातों में जो भी लागू हो। इन सभी का परीक्षण तब होगा जब उत्पाद आईआरडीए के समक्ष फाइल एंड यूज प्रोसिजर प्रक्रिया के तहत फाइल किये जायेंगे।

2) बीमाप्रदाताओं द्वारा साल्वेंसी मार्जिन का प्रबंधन

बीमा अधिनियम 1938 के अनुच्छेद 64 वीए के तहत सभी बीमाप्रदाताओं के लिए निश्चित साल्वेंसी मार्जिन को बनाये रखना आवश्यक होता है। सभी बीमाप्रदाताओं को आईआरडीए द्वारा बताये गये स्तर के अनुरूप परिसंपदा का मूल्य, दायित्वों से अधिक बनाये रखना होता है इस सीमा को आवश्यक साल्वेंसी मार्जिन कहते हैं। आईआरडीए अधिनियम 2000 (परिसंपदा, दायित्व और बीमाप्रदाताओं के लिए आवश्यक साल्वेंसी मार्जिन) में आवश्यक साल्वेंसी मार्जिन के निर्धारण की गणना की विधि बताई गई है।

जीवन बीमाप्रदाताओं के मामले में साल्वेंसी मार्जिन 50 करोड़ रुपए से अधिक (पुनर्बीमाप्रदाताओं के मामले में 100 करोड़ रुपए) अथवा अधिनियम में दिये गये सूत्र से निकले मान के बराबर होती है।

सामान्य बीमाप्रदाताओं के मामले में आवश्यक साल्वेंसी मार्जिन निर्मांकित स्थितियों से अधिक होनी चाहिए।

1. पचास करोड़ रुपए (पुनर्बीमाप्रदाताओं के मामले में 100 करोड़ रुपए) या

2. प्रीमियम आय के 20 प्रतिशत के बराबर या

3. शुद्ध दावों के तीस प्रतिशत के बराबर, पुनर्बीमा के शुद्ध प्रीमियम के संगणन तथा शुद्ध व्यय किये गये दावे वास्तविकता के आधार पर पर नियामक के अनुसार पचास प्रतिशत से अधिक नहीं।

आईआरडीए ने प्रत्येक बीमाप्रदाता के लिए कार्यकारी साल्वेंसी मार्जिन अनुपात (वास्तविक साल्वेंसी और अनिवार्य साल्वेंसी का अनुपात) 1.5 रखा गया है। 2007-08 के दौरान आईआरडीए ने सभी बीमाप्रदाताओं के लिए तिमाही रिपोर्ट देना प्रस्तावित किया। इसके अनुसार सभी बीमाप्रदाता अपनी साल्वेंसी स्थिति को 30 जून, 30 सितंबर, 31 दिसंबर तथा 31 मार्च को पेश करते हैं। कंपनीवार तिमाही साल्वेंसी अनुपात विवरण 51 एवं 52 में दिये गये हैं।

बीमा पैठ को बढ़ाने में साल्वेंसी मार्जिन के लिए अनिवार्य पूंजी ने अहम भूमिका अदा की है। शुद्ध टर्म उत्पाद (अवधि योजना) सरल जीवन सुरक्षा उपलब्ध कराता है और यह माना जाता है कि कंपनियां ऐसे उत्पादों का निर्माण करें जो आबादी के विभिन्न हिस्सों तक पहुंच सके और इनकी बीमा जरूरतों को पूरा कर सके और इस प्रकार बीमा पैठ बढ़ाई जा सके। इस लक्ष्य को नजर में रखकर, प्राधिकरण ने बीमाप्रदाताओं को अवधि योजनाओं हेतु आवश्यक पूंजी को कम करने का निर्णय लिया है, बगैर शेष उत्पादों में भार (लोड फैक्टर) कम किये। यह माना जा रहा है कि अवधि योजनाओं के लिए साल्वेंसी की नीची दरों से वैयक्तिक और समूह दोनों ही प्रकार के उत्पाद उपलब्ध कराने वाले बीमाप्रदाताओं को लाभ पहुंचेगा। इससे बीमाप्रदाता लंबी अवधि के लिए तथा आसान दरों में उपलब्ध अवधि योजनाएं और अधिक संख्या में पेश कर पायेंगे।

जिस तरह से लिंकड उत्पादों का हिस्सा बीमाप्रदाता कंपनियों द्वारा जुटाये गये प्रीमियम में बढ़ रहा है और निवेशक इनसे जुड़े हुए जोखिम उठा रहे हैं तब यह जरूरी हो जाता है कि पालिसीधारक इनके संबंध में अधिक सूचनाएं प्राप्त करे और पूरी तरह से स्थिति को जानकर ही निर्णय ले। इस संबंध में प्राधिकरण ने जीवन बीमाप्रदाताओं को यूलिप उत्पादों की पालिसी की शब्दावली चुनाव में अधिक पारदर्शिता रखने कहा है और बीमाप्रदाताओं को आदेश दिया है कि प्राधिकरण के पास प्रति वर्ष दिये जाने वाले गारंटीड एवं नान-गारंटीड लाभों के बारे में जानकारी दें। इस उद्देश्य के लिए एक प्रारूप प्रदर्शित किया गया है। प्राधिकरण ने निर्देश दिये हैं कि जब भी पालिसीधारक यूलिप खरीदे

तब वह दोनों प्रारूपों में हस्ताक्षर करे ताकि वह पालिसी से जुड़ी शर्तों और लाभों को पहचान ले, इससे अधिकर्ताओं द्वारा असामान्य निवेश से आय के दावों के आधार पर गलत बिक्री बंद हो।

जीवन बीमाप्रदाता

मार्च 2009 के अंत तक सभी 22 जीवन बीमाप्रदाताओं ने साल्वेंसी अनुपात 1.5 की अनिवार्यता पूरी कर ली थी। जीवन बीमा निगम ने 1.54 साल्वेंसी अनुपात दिखाया। जीवन बीमा निगम द्वारा दिखाये गये साल्वेंसी अनुपात में पिछले साल के मुकाबले इस साल थोड़ी सुधार देखी गई है। 2008-09 में तीन कंपनियों के अतिरिक्त (एसबीआई लाइफ, भारती एक्सा, सहारा इंडिया) सभी निजी जीवन बीमाप्रदाताओं के मामले में साल्वेंसी अनुपात में बढ़त देखी गई। (विवरण 51)

गैरजीवन बीमाप्रदाता

सभी गैर-जीवन बीमाप्रदाताओं ने 1.5 साल्वेंसी अनुपात का पालन किया है। 13 निजी बीमाप्रदाताओं ने निर्धारित से बेहतर साल्वेंसी अनुपात पेश किया है। यद्यपि इनमें से तीन बीमाप्रदाताओं ने पिछले साल के स्तर की तुलना में इस बार कम साल्वेंसी अनुपात प्रस्तुत किया।

एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी ने 31 मार्च 2009 को 4.10 साल्वेंसी अनुपात दर्ज किया जो पिछले साल 3.27 प्रतिशत था। स्टार हेल्थ ने 1.27 साल्वेंसी अनुपात दर्ज किया था और मार्च 2009 तक निर्धारित न्यूनतम साल्वेंसी अनुपात अर्जित नहीं कर पाया था। दूसरे विशेष स्वास्थ्य बीमाप्रदाता अपोलो डीकेवी ने 1.82 साल्वेंसी अनुपात दर्ज किया। (विवरण- 52)

पुनर्बीमाप्रदाता

राष्ट्रीय पुनर्बीमाप्रदाता सामान्य बीमा निगम (जनरल इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन) ने 31 मार्च 2008 के 3.67 प्रतिशत के मुकाबले 31 मार्च 2009 में 3.76 प्रतिशत साल्वेंसी बनाई रखी।

iii. पुनर्बीमा का निरीक्षण

पुनर्बीमा के संबंध में प्राधिकरण का आदेश आईआरडीए अधिनियम 1999 के अनुच्छेद 14(1) तथा 14(2) के उपविभाग (एफ) में तथा बीमा अधिनियम 1999 के अनुच्छेद 34 एफ, 101 ए, 101 बी तथा 101 सी में दिये गये हैं। इसके अतिरिक्त प्राधिकरण ने सामान्य बीमाप्रदाताओं द्वारा कराये जा रहे पुनर्बीमा के लिए अधिनियम तैयार किये हैं जो पुनर्बीमाप्रदाताओं के लिए पुनर्बीमा देने के लिए आधारभूत नियम तैयार किये हैं। बीमा अधिनियम 1938 के प्रावधानों के मुताबिक सामान्य बीमा निगम को भारत का राष्ट्रीय पुनर्बीमाप्रदाता नियुक्त किया गया है जिसके अंतर्गत वह सभी सामान्य बीमाप्रदाताओं से 10 प्रतिशत हिस्सा प्राप्त कर पाये। यह सीमा पुनर्बीमा सलाहकार समिति से विचार-विमर्श कर प्राप्त की गई थी।

प्रत्येक बीमाप्रदाता की कोशिश होती है कि वह व्यापक और सक्षम पुनर्बीमा कार्यक्रम चलाये ताकि वह कार्यप्रचालन कर सके। यह बीमाप्रदाता के लिए साल्वेंसी की दृष्टि से भी महत्वपूर्ण होता है। अतः प्राधिकरण चाहता है कि प्रत्येक बीमाप्रदाता अपने प्रबंधन मंडल से पुनर्बीमा कार्यक्रम की स्वीकृति लें। अधिनियम में यह भी शामिल है कि पुनर्बीमा कार्यक्रमों के संबंध में अगले साल के लिए बनाई जाने वाली योजना साल आरंभ होने के 45 दिनों के ही भीतर बना ली जाये। बीमाप्रदाताओं को वित्तीय वर्ष प्रारंभ होने के 30 दिनों के भीतर ही

सारणी 30

सकल प्रत्यक्ष प्रीमियम के प्रतिशत के रूप में
शुद्ध प्रतिधारण प्रीमियम (जीआईसी को छोड़कर)

(प्रतिशत में)

संवर्ग	2007 - 2008			2008 - 2009		
	सार्वजनिक क्षेत्र	निजी क्षेत्र	कुल	सार्वजनिक क्षेत्र	निजी क्षेत्र	कुल
अग्नि	64.55	31.84	52.36	71.8	32.64	57.48
मरीन माल	75.62	46.92	65.51	79.21	48.09	66.98
मरीन विविध	15.10	6.13	13.22	14.87	5.62	12.45
मोटर	76.05	83.79	79.09	86.49	89.27	87.73
इंजीनियरिंग	69.49	23.36	49.83	60.52	23.41	45.51
विमानन	7.68	6.60	7.47	7.04	16.68	9.44
विविध	88.22	63.17	78.21	90.07	74.44	82.61
कुल	74.68	64.33	70.70	80.84	72.32	77.13

ट्रीटी स्लिप अथवा कवर नोट्स से संबंधित कागजात रखने होंगे। यह साधन रखने कितने जरूरी हैं क्योंकि साल्वेंसी की गणना सकल उपाय बताते हैं कि बीमाप्रदाता के लिए उचित एवं प्रभावी पुनर्बीमा पुनर्बीमा आधार पर होती है।

सारणी 31

भारत एवं भारत के बाहर सकल प्रत्यक्ष प्रीमियम के प्रतिशत के रूप में पुनर्बीमा (भारतीय साधारण बीमा निगम को छोड़कर)

(प्रतिशत में)

वर्ग	2007 – 2008		2008 – 2009	
	भारत में	भारत के बाहर	भारत में	भारत के बाहर
अग्नि	34.89	18.58	27.99	20.47
मरीन माल	23.79	10.95	18.49	15.04
मरीन विविध	31.53	60.93	34.6	57.58
मोटर	32.93	0.36	28.07	0.27
विमानन	40.21	53.76	43.73	50.7
इंजीनियरिंग	40.22	15.1	44.38	18.77
विविध	21.15	5.4	13.42	5.07
कुल	29.58	7.75	23.44	7.59

अधिनियमों के अंतर्गत प्रत्येक बीमाप्रदाता को अपनी वित्तीय क्षमता एवं व्यवसाय के आकार के अनुरूप अधिकतम धारणक्षमता बनाई रखनी चाहिए। पुनर्बीमा कार्यक्रम के लिए मार्गदर्शन सिद्धांत इस प्रकार दिये गये हैं।

- (1) अधिकतम प्रतिधारण देश के भीतर ही रखें।
- (2) पर्याप्त क्षमता का निर्माण करें।
- (3) पुनर्बीमा लागत हेतु हुए खर्च की सबसे बेहतर सुरक्षा हो।
- (4) व्यवसाय के प्रशासनिक व्यवहारों को आसान करें।

अधिनियम के मुताबिक भारतीय पुनर्बीमाप्रदाताओं के लिए पुनर्बीमा अधिशेष रखने के लिए घरेलू कोष बनाने की बात कही गई है जिसमें सभी बीमाप्रदाताओं से विचार-विमर्श किया गया हो। सामान्य बीमाप्रदाताओं ने 11 सितंबर 2001 को न्यूयार्क में हुए आतंकी हमले के बाद अंतरराष्ट्रीय बाजार द्वारा कवर सुरक्षा हटा लेने के बाद आतंकवाद से जुड़े जोखिम के लिए कोष का निर्माण किया है। पिछले साल बीमाप्रदाताओं ने व्यावसायिक वाहनों से जुड़े तृतीय पार्टी बीमा के लिए कोष का गठन किया।

पुनर्बीमा सलाहकार समिति

बीमा अधिनियम 1938 के अनुच्छेद 101 ए के मुताबिक प्रत्येक बीमाप्रदाता को प्रत्येक सामान्य बीमा पालिसी पर प्राधिकरण द्वारा निर्देशित बीमा राशि का कुछ प्रतिशत किसी भारतीय पुनर्बीमाप्रदाता के पास पुनर्बीमित करना होगा इसे अनिवार्य अर्पण अथवा सांविधिक अर्पण कहा जाता है। इसे पुनर्बीमा सलाहकार समिति के विचार-विमर्श से केंद्र सरकार की स्वीकृति मिलती है।

इस उद्देश्य के लिए प्राधिकरण नोटिफिकेशन जारी कर सकता है। अ) इस बात को स्पष्ट करना कि किसी पालिसी की बीमा राशि का कितना प्रतिशत भारतीय पुनर्बीमाप्रदाता द्वारा पुनर्बीमित किया जाना है और विभिन्न श्रेणियों के बीमा के लिए विभिन्न प्रतिशत निर्धारित किये जा सकते हैं ध्यान रहे कि किसी भी स्थिति में ऐसा हिस्सा कुल बीमा के 30 फीसदी से अधिक नहीं होना चाहिए। ब) यह भी स्पष्ट करें कि प्रतिशत का कितना हिस्सा भारतीय पुनर्बीमाप्रदाताओं के बीच बांटा जाना है।

सारणी 32

भारतीय व्यवसाय के भारतीय पुनर्बीमा का भारत के बाहर अर्पण (भारतीय साधारण बीमा निगम को छोड़कर)

(करोड़ रुपए में)

वर्ग	2007 – 2008		2008 – 2009	
	अर्पित प्रीमियम	अर्पित लाभ	अर्पित प्रीमियम	अर्पित लाभ
अग्नि	651.81	78.94	691.81	-203.15
मरीन माल	107.57	3.34	168.94	-40.76
मरीन विविध	468.68	53.77	462.11	96.77
मोटर	42.18	-38.18	34.91	22.98
विमानन	166.84	39.86	171.27	103.53
इंजीनियरिंग	208.48	76.66	284.36	24.66
विविध	458.98	213.57	592.29	149.81
कुल	2104.57	428.06	2405.71	50.33

पुनर्बीमा सलाहकार समिति की फरवरी 2007 को हुई बैठक में प्राधिकरण को यह अनुशंसा की गई कि अनिवार्य अर्पण को 2007-08 में 20 प्रतिशत से घटाकर 15 प्रतिशत तथा 2008-09 में घटाकर 10 प्रतिशत कर दिया जाये। प्राधिकरण ने अनुशंसाओं को स्वीकार किया और अगले दो सालों में संशोधित अनिवार्य अर्पण के लिए राजपत्र (गजट) जारी किया।

वित्तीय वर्ष 2008-09 के अंत होने तक भारत के पुनर्बीमाप्रदाता के रूप में सामान्य बीमा निगम ने प्राधिकरण के समक्ष प्रस्ताव रखा कि सांविधिक अर्पण से संबंधित कमीशन और प्राफिट कमीशन से जुड़ी शर्तों पर पुनर्विचार की जरूरत है क्योंकि प्रशुल्कों के हटने से बाजार की परिस्थितियों में काफी बदलाव आ गये हैं। उसी समय बीमाप्रदाताओं ने कमीशन से जुड़ी शर्तें अपरिवर्तित रखने का आग्रह किया, उन्हें इस बात की आशंका थी कि अधिनियम के अनुच्छेद 101 ए(4) के अंतर्गत किसी भी तरह के भिन्न कमीशन शर्तों के निर्धारण से उनकी आंतकवाद कोष

आने वाले साल में पुनर्बीमा के लिए किये जाने वाले वार्तालाप पर प्रभाव पड़ सकता है।

दोनों पक्षों की राय जानने के बाद प्राधिकरण ने तय किया कि 2008-09 के लिए सांविधिक अर्पण बीमाप्रदाता तथा भारतीय पुनर्बीमाप्रदाता दोनों की आपसी बातचीत और सहमति से तय होगा, यदि वह वार्तालाप के बाद किसी करार पर नहीं पहुंच पाते हैं तब पूरा मामला प्राधिकरण को सौंपा जा सकता है।

जीआईसी द्वारा प्राप्त अनिवार्य अर्पण

वर्ष 2009-10 के लिए अनिवार्य अर्पण 10 प्रतिशत रहा जैसाकि 2008-09 में भी रहा था। इसी तरह से 2009-10 के लिए कमीशन और प्राफिट कमीशन हेतु भी बीमाप्रदाता और भारतीय पुनर्बीमाप्रदाता आपस में राजी हो गये।

सारणी 33

भारतीय आंतकवाद कोष में सदस्य कंपनियों की हिस्सेदारी

बीमाप्रदाता	2008-09		2009-10	
	प्रति जोखिम क्षमता (करोड़ रुपए में)	हिस्सेदारी (%)	प्रति जोखिम क्षमता (करोड़ रुपए में)	हिस्सेदारी (%)
जीआईसी	150.75	20.10	147.08	19.61
नेशनल	88.89	11.85	88.89	11.85
न्यू इंडिया	150.75	20.10	147.08	19.61
ओरियन्टल	87.00	11.60	87.00	11.60
यूनाइटेड इंडिया	96.45	12.86	96.45	12.86
बजाज एलियांज	33.69	4.49	35.63	4.75
चोलामंडलम	12.00	1.60	12.00	1.60
फ्यूचर जेनराली	5.00	0.67	5.00	0.67
गर्वमेंट इश्योरेंस फंड (गुजरात)	9.66	1.29	7.50	1.00
एचडीएफसी एगो	2.50	0.33	3.38	0.45
आईसीआईसीआई लोम्बार्ड	60.00	8.00	60.00	8.00
इफको-टोकियो	22.50	3.00	22.50	3.00
रिलायंस	12.08	1.61	13.50	1.80
रायल सुंदरम	6.00	0.80	6.00	0.80
टाटा-एआईजी	12.08	1.61	12.08	1.61
यूनीवर्सल सांपो	0.66	0.09	0.66	0.09
श्रीराम	—	—	3.00	0.40
भारती एक्सा	—	—	1.50	0.20
रहेजा क्यूबीई	—	—	0.75	0.10
कुल	750.00	100.00	750.00	100.00

आतंकवाद कोष दर तथा आतंकवाद के जोखिम से जुड़े अन्य अल्पावधि दर नीचे दिये गये हैं।

सारणी 34
आतंकवाद जोखिम बीमा के लिए प्रीमियम दरें
(1 अप्रैल 2009 से लागू)

कुल बीमित राशि प्रति स्थल(एमडी एलओपी) रुपए में	वर्गवार जोखिम	दर (प्रति मिले)
1. 750 करोड़ रुपए तक	औद्योगिक जोखिम	0.30
	गैर-औद्योगिक जोखिम	0.20
	आवासीय जोखिम	0.10
2. 750 करोड़ रुपए से अधिक और 2000 करोड़ रुपए तक	प्रथम 750 करोड़ रुपए तक (1) जैसा सके बाद बीमित राशि के संतुलन पर:	
	औद्योगिक जोखिम	0.25
	गैर-औद्योगिक जोखिम	0.15
3. 2000 करोड़ रुपए से अधिक	प्रथम 2000 करोड़ रुपए तक (2) जैसा, उसके बाद बीमित राशि के संतुलन पर	
	औद्योगिक जोखिम	0.20
	गैर-औद्योगिक जोखिम	0.12

2008-09 के दौरान कोष के लिए 222.55 करोड़ रुपए प्रीमियम अर्पित किये गये और 50.67 करोड़ रुपए की राशि दावों हेतु खर्च की गई। पिछले साल कोष में 153.81 करोड़ रुपए अर्पित किये गये थे जिनमें दावों पर 1.05 करोड़ रुपए खर्च की गई। इस साल कोष को सर्वाधिक क्षति (2002 में लांचिंग से अब तक) उठानी पड़ी, इसका कारण आतंकवादियों द्वारा मुंबई के विख्यात होटलों पर हमला करना

था। कोष को इस हमले से 500 करोड़ रुपए की क्षति उठानी पड़ी और 50 करोड़ रुपए का भुगतान खाते पर किया गया। कोष को अतिरिक्त हानि पुनर्बीमा कार्यक्रम द्वारा सुरक्षित किया गया। इस भारी क्षति के चलते आतंकवाद प्रीमियम दर 1 अप्रैल 2009 से बढ़ा दी गई है जबकि कोष की क्षमता पिछले साल के 750 करोड़ रुपए प्रति जोखिम/ लोकेशन के स्तर पर बनाई रखी गई है। कोष ने आतंकवाद जोखिम

सारणी 35

आतंकवाद जोखिम बीमा के लिए मध्यावधि कवर (1 अप्रैल 2009 से लागू)

	अधिकतम अवधि									
	15	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	दिन	महीना	महीना	महीना	महीना	महीना	महीना	महीना	महीना	महीना
वार्षिक दर (प्रतिशत में)	10	15	30	40	50	60	70	15	80	85
										पूर्ण वार्षिक दर

यह संशोधन 1 अप्रैल 2009 से प्रभावी है।

को देखते हुए 15 दिन की इंतजार अवधि के साथ मध्यावधि कवर देने की बात भी कही है।

iv. बीमाप्रदाताओं द्वारा निवेश की निगरानी

जीवन एवं गैरजीवन बीमा के क्षेत्र में सार्वजनिक और निजी क्षेत्र की कंपनियों द्वारा किये गये निवेश नीचे दिये गये हैं।

(अ) बीमा क्षेत्र में निवेश

31 मार्च 2009 तक बीमा क्षेत्र में कुल निवेश 975432 करोड़ रुपए था जो पिछले साल (31 मार्च 2008) के 822249 करोड़ रुपए की तुलना में 18.61 प्रतिशत अधिक था। जहां जीवन बीमाप्रदाताओं ने 19.66 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की, वहीं गैर-जीवन बीमाप्रदाताओं ने मात्र 4.64

प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की। जीवन और गैरजीवन दोनों प्रकार के बीमा कारोबार में निजी क्षेत्र के बीमाप्रदाताओं ने सार्वजनिक क्षेत्र के बीमाप्रदाताओं की तुलना में निवेश में बेहतर वृद्धि दर्ज की। यह निजी क्षेत्र की कंपनियों के पिछले साल कम निवेश आधार के चलते भी हो सकता है।

सारणी 36 बीमा क्षेत्र में कुल निवेश (31 मार्च तक)

(करोड़ रुपए में)

बीमाप्रदाता	जीवन		गैर जीवन		कुल	
	2008	2009	2008	2009	2008	2009
सार्वजनिक	678403 (21.32)	799593 (17.86)	47216 (6.89)	47782 (1.20)	725619 (20.26)	847375 (16.78)
निजी	87567 (94.68)	116772 (33.35)	9064 (45.91)	11111 (22.59)	96630 (88.76)	127883 (32.34)
कुल	765969 (26.78)	916365 (19.63)	56280 (11.70)	58893 (4.64)	822249 (25.62)	975258 (18.61)

नोट: कोष्ठक में दिये गये आंकड़े पिछले साल की तुलना में वृद्धि दर को व्यक्त कर रहे हैं।

(आ) जीवन बीमाप्रदाताओं द्वारा किया गया निवेश

प्रतिभूतियों में निवेश

केंद्र सरकार की प्रतिभूतियों में निवेश 31 मार्च 2008 के 46.88 प्रतिशत से घटकर 31 मार्च 2009 को 42560 प्रतिशत रह गया। इसी

प्रकार आवास (हाऊसिंग) और आधारिक ढांचे (इंफ्रास्ट्रक्चर) में निवेश 31 मार्च 2008 के 10 प्रतिशत से घटकर 31 मार्च 2009 को 8.97 प्रतिशत रह गया। दूसरी ओर स्वीकृति प्राप्त निवेश का प्रतिशत 31 मार्च 2008 के 22.99 प्रतिशत से बढ़कर 31 मार्च 2009 को 27.23 प्रतिशत हो गया।

सारणी 36 (I)

जीवन बीमाप्रदाताओं द्वारा किया गया कुल निवेश: उपकरण-वार

(करोड़ रुपए में)

निवेश किया गया	31 मार्च 2008		31 मार्च 2009	
	कुल	प्रतिशत	कुल	प्रतिशत
परंपरागत उत्पाद				
1 केंद्र सरकार की प्रतिभूति	296687.46	46.88	316009.75	42.50
2 राज्य सरकार एवं अन्य स्वीकृत प्रतिभूतियां	85198.11	13.46	107189.59	14.41
3 आवास एवं आधारिक संरचना	63262.13	10.00	66673.33	8.97
4 स्वीकृत निवेश	145553.71	22.99	202468.97	27.23
5 अन्य निवेश	42190.44	6.67	51260.39	6.89
ए.कुल (1+2+3+4+5)	632891.85	100.00	743602.02	100.00
यूलिप फंड				
6 स्वीकृत निवेश	111629.43	83.88	151489.89	87.69
7 अन्य निवेश	21448.05	16.12	21272.87	12.31
बी. कुल	133077.48	100.00	172762.76	100.00
समग्र योग (ए+बी)	765969.33		916364.78	

निवेश के कोष वार(फंड आधारित) तरीके

सारणी (II)
जीवन बीमाप्रदाताओं का निवेश: कोष(फंड) आधारित
(31 मार्च तक)

(करोड़ रुपए में)

बीमाप्रदाता	लाइफ फंड		पेंशन एवं सामान्य वार्षिकी एवं समूह कोष		यूनिट लिंक्ड फंड		सभी कोषों का योग	
	2008	2009	2008	2009	2008	2009	2008	2009
एलआईसी	522985	606487	87744	107135	67674	85972	678403	799593
निजी	18645	23163	3518	6817	65404	86792	87567	116772
कुल	541630	629650	91262	113952	133077	172763	765969	916365
	(70.71)	(68.71)	(11.91)	(12.44)	(17.37)	(18.85)	(100.00)	(100.00)

नोट: 1) 2008-09 के आंकड़े आईआरडीए में अनंतिम रूप से दायर किये गये हैं।

2) कोष्ठक में दी गई संख्याएं कुल कोष में संबंधित फंड(कोष) का हिस्सा हैं।

31 मार्च 2009 तक यूनिट लिंक्ड फंड का हिस्सा जीवन बीमा कंपनियों के कुल निवेश फंड का 18.84 प्रतिशत था। लाइफ फंड(जीवन कोष) का इसमें हिस्सा 69.46 फीसदी था तथा शेष 11.70 फीसदी हिस्सा पेंशन एवं सामान्य वार्षिकी एवं समूह कोष से संबंधित था। यह हिस्सेदारी पिछले साल जितनी ही बनी हुई है।

यूनिट लिंक्ड और परंपरागत व्यवसाय में निवेश की वृद्धि यद्यपि आंकड़ों के मुताबिक निवेश बढ़ा है लेकिन 2007-08 में जहां निवेश वृद्धि की दर 26.78 प्रतिशत थी वहीं 2008-09 में यह दर 19.63 प्रतिशत रही। दोनों प्रकार के फंड(परंपरागत और यूलिप) की वृद्धि दर 2008-09 में मंद पड़ गई। जहां परंपरागत फंड में वृद्धि दर थोड़ी कम रही वहीं यूलिप उत्पादों के मामले में यह दर 2007-08 के 98.48 प्रतिशत के आंकड़े से उतरकर 2008-09 को 29.82 फीसदी में पहुंच गई।

सारणी 37
कुल निवेश: कोष(फंड) वार
(31 मार्च 2009 तक)

(करोड़ रुपए में)

फंड	2007		2008		2009	
	कुल	वृद्धि %	कुल	वृद्धि %	कुल	वृद्धि %
जीवन	465555	17.21	541630	16.34	629650	16.25
पेंशन एवं सामान्य वार्षिकी एवं समूह कोष	71575	11.71	91262	27.51	113952	24.86
परंपरागत(ए)	537130	16.45	632892	17.83	743602	17.49
यूनिट लिंक्ड फंड	67050	159.00	133077	98.48	172763	29.82
कुल (ए+बी)	604180	24.02	765969	26.78	916365	19.63

(ई) गैर-जीवन बीमाप्रदाताओं का निवेश

गैर-जीवन बीमाप्रदाताओं द्वारा 31 मार्च 2009 तक किया गया निवेश 58893 करोड़ रुपया था, यह 31 मार्च 2008 के 56280 करोड़ रुपए

के आंकड़ों से 4.64 प्रतिशत अधिक है। 2008-09 में निवेश का ढांचा उसी तरह से बना रहा, अपवाद स्वरूप आधारीक संरचना में निवेश 2007-08 के 13.61 प्रतिशत से बढ़कर 15.25 प्रतिशत हो गया। (विवरण 38)

सारणी 38

गैर-जीवन बीमाप्रदाताओं द्वारा किया गया निवेश: कोष(फंड) वार
(31 मार्च तक)

(करोड़ रुपए में)

निवेश का तरीका	2008		2009	
	कुल	% फंड	कुल	% फंड
केंद्र सरकार की प्रतिभूतियां	14054	24.97	14591	24.78
राज्य सरकार एवं स्वीकृत प्रतिभूतियां	6133	10.90	6077	10.32
आवासीय एवं राज्य सरकारों को दिये गये ऋण और शुल्क	3891	6.91	4244	7.21
आधारीक ढांचे में निवेश	7660	13.61	8980	15.25
स्वीकृत निवेश	20201	35.89	21031	35.71
अन्य निवेश	4342	7.72	3971	6.74
कुल	56280	100.00	58893	100.00

नोट: सीएचएनएचबी एसोसिएशन, ईसीजीसी एवं एआईसी इंडिया का निवेश इनमें शामिल नहीं है।

V स्वास्थ्य बीमा

विकास की दिशा

स्वास्थ्य बीमा व्यवसाय ने सभी भागीदारों का ध्यान खींचा है न केवल बीमाप्रदाता और आईआरडीए का अपितु स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध कराने वालों का भी तथा इस व्यवस्था से जुड़े सभी लोगों का। इस बढ़ती जागरूकता का कारण स्वास्थ्य सेवा की बढ़ती लागत है। हाल ही में हुए सामान्य बीमा कारोबार के विप्रशुल्कीकरण के चलते बीमा कंपनियों को स्वास्थ्य बीमा तथा अन्य वैयक्तिक व्यवसायों की ओर जाने दबाव डाला है। वैयक्तिक मेडीक्लेम पालिसी के मामले में 2007 को किये गये प्रीमियम दरों के तार्किकीकरण (जिन्हें लंबे अरसे से संशोधित नहीं किया गया था) के चलते तथा सभी समूह स्वास्थ्य पालिसियों के दरों के मामले में ऊपर की दिशा में संशोधन किये जाने से प्रीमियम में वृद्धि हुई है। वरिष्ठ नागरिकों तथा बच्चों के लिए उपलब्ध उत्पाद के चलते स्वास्थ्य बीमा और भी लोकप्रिय हो रहा है।

स्वास्थ्य बीमा गैरजीवन बीमा उद्योग में सबसे तेजी से उभरने वाला वर्ग है। 2008-09 में यह 30 प्रतिशत की दर से बढ़ा। यह जीवन

बीमा कंपनियों के लिए भी महत्वपूर्ण व्यवसाय लेकर आया। बहुत सी जीवन बीमा कंपनियों के पास अब स्वास्थ्य बीमा के उत्पाद हैं। सात सालों के दौरान स्वास्थ्य बीमा का प्रीमियम वर्ष 2001-02 के 675 करोड़ रुपए से बढ़कर 2008-09 में 6625 करोड़ रुपए हो गया।

स्वास्थ्य बीमा का लाभ उठाने वाले पालिसीधारकों की संख्या इधर के वर्षों में तेजी से बढ़ी है यद्यपि बाजार की क्षमताओं को देखते हुए यह संख्या काफी कम है। अस्पताल के लंबे-चौड़े खर्चों को देखते हुए और किसी तरह की वित्तीय सुरक्षा न होने के चलते इसका बोझ उठा पाना काफी कठिन है और यह देश को गरीब बनाने के पीछे प्रमुख कारण है। कमजोर वर्गों के सुरक्षा दायरे को बढ़ाने केंद्र एवं राज्य सरकारों ने बीमा कंपनियों के साथ मिलकर कई अभिनव एवं बड़े स्तर पर विकास योजनाएं चलाई हैं। सरकार द्वारा प्रायोजित प्रमुख बीमा योजनाओं में आंध्रप्रदेश की आरोग्य श्री योजना, तमिलनाडु की कलाईगनार योजना और केंद्र सरकार द्वारा प्रायोजित राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना प्रमुख हैं।

स्वास्थ्य बीमा प्रीमियम 2004-2009

(करोड़ रुपए में)

बीमाप्रदाता	2004-05	2005-06	2006-07	2007-08	2008-09
गैर-जीवन सार्वजनिक	1366	1683	1974	3136	3824
गैर-जीवन निजी	304	539	1224	1832	2266
स्वसंपूर्ण स्वास्थ्य बीमाप्रदाता	-	-	11	156	535
कुल	1670	2222	3209	5125	6625

स्वास्थ्य बीमा पर आईआरडीए की दृष्टि

स्वास्थ्य बीमा आईआरडीए के विकास एजेंडा में प्रमुखता से है और इस दिशा में सक्रियता दिखाते हुए प्राधिकरण ने कई निर्णय लिये हैं। आईआरडीए ने इस हेतु राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा कार्यकारी समूह का गठन 2003 में किया है जो इस क्षेत्र में भागीदार रहे लोगों को एक मंच प्रदान करता है ताकि वह आपस में कार्य कर सके और इस क्षेत्र के सुधार के लिए सुझाव दे सकें। इस समूह ने अपने भीतर एक उपसमूह तैयार कर लिया है जो स्वास्थ्य बीमा के क्षेत्र में आंकड़ों को एकरूपता प्रदान करने की जरूरत पर ध्यान दे सके, जो मानक आंकड़े प्रस्तुत करने का प्रारूप बना पाये जिससे आंकड़े इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से संग्रहीत किये जा सकें। आंकड़ों को आगे भी अद्यतन किया गया तथा आईआरडीए ने सभी बीमाप्रदाताओं को ऐसा करने का निर्देश 2008-09 को तत्काल प्रभाव से दे दिया।

2004 में आईआरडीए ने उपसमितियों की नियुक्ति की जो विशेष रूप से स्वास्थ्य बीमा के क्षेत्र में काम कर रही कंपनियों के पंजीकरण के क्षेत्र में ध्यान दें तथा स्वास्थ्य बीमा के क्षेत्र में नये और प्रभावी उत्पाद सुझा पाये। इन उपसमितियों की अनुशंसा से दोनों ही क्षेत्रों में लाभ पहुंचा है। उद्योग ने विशेष रूप से स्वास्थ्य बीमा पर काम कर रही दो कंपनियों (स्टार हेल्थ एंड एलाइड इश्योरेंस कंपनी लिमिटेड तथा अपोलो डीकेवी इश्योरेंस कंपनी लिमिटेड) का प्रवेश तो देखा ही है तीसरी कंपनी मैक्स बुपा स्वास्थ्य बीमा कंपनी की रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया भी प्राधिकरण के पास प्रक्रियागत है। स्वास्थ्य बीमा के नये और अभिनव उत्पाद तैयार किये जा रहे हैं और इन्हें उपभोक्ताओं तक पहुंचाया जा रहा है। अस्पताल दैनिक नगद लाभ (हास्पिटल डेली कैश बेनेफिट) तथा हास्पिटलाइजेशन के अलावा गंभीर बीमारी पर कवर, वरिष्ठ नागरिकों के लिए निर्धारित उत्पाद, मधुमेह, एडस और कैंसर जैसी बीमारियों पर कवर के अलावा सामाजिक-आर्थिक रूप से पिछड़े समूहों के लिए कवर, आउटपैशेंट कवर तथा पहले से मौजूद बीमारियों पर कवर भी दिया जा रहा है। यह अभिनव प्रयोग सतत रूप से बढ़ रहे हैं। समीक्षाधीन अवधि में नई विशेषताओं वाले उत्पाद लाये गये हैं जिनमें अस्पताल क्षतिपूर्ति में होने वाली बड़ी कटौती, मातृत्व, डेंटल (दंत चिकित्सा) तथा आउट पैशेंट व्यय आदि बाजार में प्रस्तावित किये गये हैं।

समयावधि के भीतर आये नये निर्देश एवं सर्कुलर

वरिष्ठ नागरिकों के स्वास्थ्य बीमा के संबंध में अप्रैल 2007 में गठित की गई समिति की अनुशंसा के आधार पर आईआरडीए ने स्वास्थ्य बीमा के नवीनीकरण के संबंध में एक सर्कुलर जारी किया (31 मार्च 2009 को), इसके साथ ही एक सर्कुलर वरिष्ठ नागरिकों के स्वास्थ्य बीमा के संबंध में भी जारी किया गया। (25 मई 2009 को)

मई 2008 में आईआरडीए के सहयोग से भारतीय उद्योग परिसंघ (सीआईआई) ने स्वास्थ्य बीमा पर कार्य करने के लिए चार कार्यदलों का गठन किया। इन कार्यदलों की अनुशंसा अगस्त 2009 में सीआईआई के स्वास्थ्य बीमा शिखर सम्मेलन में प्रचारित की गई, साथ ही इन्हें सीआईआई के वेबसाइट पर भी रखा गया।

आईआरडीए ने फिक्की द्वारा गठित तीन कार्यदलों को भी सहयोग दिया और इनकी अंतिम रिपोर्ट जुलाई 2009 को फिक्की के स्वास्थ्य बीमा सम्मेलन में रखी गई और इसकी रिपोर्ट फिक्की के वेबसाइट में भी रखी गई।

अप्रैल 2008 एवं अगस्त 2009 के बीच दोनों ही औद्योगिक संगठनों ने खास तौर पर स्वास्थ्य बीमा के लिए राष्ट्रीय स्तर पर कार्यशालाएं आयोजित की। सीआईआई का दूसरा स्वास्थ्य बीमा शिखर सम्मेलन 9 दिसंबर 2008 को तथा तीसरा शिखर सम्मेलन नई दिल्ली में 31 अगस्त 2009 को संपन्न हुआ। स्वास्थ्य बीमा पर फिक्की की कार्यशाला 10 जुलाई 2009 को नई दिल्ली में संपन्न हुई। आईआरडीए ने एसोचैम द्वारा जनवरी 2009 में आयोजित स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन में भी हिस्सेदारी की। आईआरडीए इन बहुभागीदारी कार्यदलों की महत्वपूर्ण गतिविधियों के साथ निकटता से जुड़ा है विशेषकर इन समूहों द्वारा आरंभ की गई मानक गतिविधियों से स्वास्थ्य बीमा से संबंधित जागरूकता और इनसे फैल रहे बीमा पैठ से। सामान्य बीमा परिषद के सहयोग से पूर्व से विद्यमान बीमारी की परिभाषा को अंतिम रूप दिया गया और यह परिभाषा 1 जून 2008 से प्रभावी हो गई।

तृतीय पक्ष प्रशासक

2008-09 के दौरान प्राधिकरण ने मेसर्स आई केयर हेल्थ मैनेजमेंट एवं टीपीए सर्विस प्राइवेट लिमिटेड को अनुज्ञा पत्र (लाइसेंस) प्रदान किया। 2008-09 के दौरान निम्न लाइसेंस नवीनीकृत किये गये।

क्रमांक	टीपीए का नाम
1	ईस्ट वेस्ट एसिस्ट टीपीए प्राइवेट लिमिटेड
2	मेडसेव हेल्थकेयर टीपीए लिमिटेड
3	जेनिन्स इंडिया टीपीए लिमिटेड
4	हेल्थ इंडिया टीपीए सर्विस प्राइवेट लिमिटेड
5	एलनकिट हेल्थकेयर टीपीए लिमिटेड
6	गुड हेल्थ प्लान लिमिटेड
7	अनमोल मेडिकेयर टीपीए लिमिटेड
8	सेफवे टीपीए सर्विस प्राइवेट लिमिटेड
9	डेडीकेटेड हेल्थकेयर सर्विसेज टीपीए (आई) प्राइवेट लिमिटेड

देश में स्वास्थ्य बीमा के बढ़ते हुए पैठ और विस्तार के चलते टीपीए उद्योग ने स्वस्थ विकास देखा। मूल्यवान सेवायें प्रदान करने वाले के

रूप में टीपीए की पहचान स्वास्थ्य बीमा वितरण श्रृंखला में बनी है। बड़ी संख्या में अस्पताल और नर्सिंग होम इस श्रृंखला में टीपीए द्वारा इसी वर्ष जोड़े गये हैं।

सारणी 39

टीपीए(आधारिक ढांचा) 2008-09

क्रमांक टीपीए का नाम	श्रृंखला में जोड़े गये अस्पताल	खुले हुए कार्यालयों/ शाखाओं की संख्या	कार्यबल पेशेवरों और चिकित्सकों को मिलाकर
1 पारेख हेल्थ टीपीए प्राइवेट लिमिटेड	1187	2	110
2 मेडी एसिस्ट इंडिया टीपीए प्राइवेट लिमिटेड	411	9	493
3 एमडी इंडिया हेल्थकेयर (टीपीए) सर्विसेज(प्राइवेट) लिमिटेड	1181	9	489
4 पैरामाउंट हेल्थ सर्विसेज(टीपीए) प्राइवेट लिमिटेड	164	0	81
5 ई मेडिकेट(टीपीए) सर्विसेज लिमिटेड	321	5	87
6 हेरीटेज हेल्थ टीपीए प्राइवेट लिमिटेड	422	3	43
7 फोकस हेल्थकेयर प्राइवेट लिमिटेड	-	-	-
8 मेडिकेयर टीपीए सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड	478	0	38
9 फैमिली हेल्थ प्लान(टीपीए) लिमिटेड	199	0	44
10 रक्षा टीपीए प्राइवेट लिमिटेड	698	4	24
11 टीटीके हेल्थकेयर टीपीए प्राइवेट लिमिटेड	763	0	9
12 अन्युता मेडिनेट हेल्थकेयर टीपीए इन हेल्थकेयर प्राइवेट लिमिटेड	56	2	23
13 ईस्ट वेस्ट एसिस्ट टीपीए प्राइवेट लिमिटेड	70	3	14
14 मेड सेव हेल्थ केयर टीपीए लिमिटेड	463	6	184
15 जेनिन्स इंडिया टीपीए लिमिटेड	432	0	5
16 एलनकिट हेल्थकेयर टीपीए लिमिटेड	324	8	40
17 हेल्थ इंडिया टीपीए सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड	329	2	29
18 गुड हेल्थप्लान लिमिटेड	500	0	15
19 विपुल मेट कार्प टीपीए प्राइवेट लिमिटेड	545	8	75
20 पार्क मेडिकलेम टीपीए प्राइवेट लिमिटेड	216	2	18
21 सेफवे टीपीए सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड	382	2	15
22 अनमोल मेडिकेयर टीपीए लिमिटेड	571	0	0
23 डेडिकेटेड हेल्थकेयर सर्विसेज टीपीए(इंडिया) प्राइवेट लिमिटेड	98	2	67
24 ग्रांड हेल्थकेयर सर्विसेज टीपीए प्राइवेट लिमिटेड	594	3	12
25 राथशील्ड हेल्थकेयर(टीपीए) सर्विसेज लिमिटेड	832	4	5
26 श्री गोकुलम हेल्थ सर्विसेज टीपीए(पी) लिमिटेड.	2636	6	24
27 आईकेयर हेल्थ मैनेजमेंट एंड टीपीए सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड	700	1	15
कुल	14572	81	1691

मध्यस्थों के रूप में टीपीए संस्थाओं से आशा की जाती है कि बीमाप्रदाता की ओर से स्वास्थ्य दावे के निपटारे की प्रक्रिया तथा अन्य क्षेत्रों में

महत्वपूर्ण भूमिका निभायें ताकि स्वास्थ्य बीमा क्षेत्र में बढ़त दिख सके।

सारणी 40

तृतीय पक्ष प्रशासक-दावों के आंकड़े

वर्ष	प्राप्त दावे	एक महीने के भीतर	एक से तीन महीनों के भीतर	6 महीनों के भीतर	6 महीनों से अधिक	बकाया दावा
2007-08	1986859	1513375 (76.6)	302830 (15.24)	48908 (2.46)	12660 (0.64)	156861 (7.89)
2008-09	2446713	1847212 (75.5)	360173 (14.72)	61022 (2.50)	12934 (0.53)	185120 (7.57)

नोट: कोष्ठक में दिये गये आंकड़े निपटारे गये दावों से कुल दावों का अनुपात है (प्रतिशत में)

आईआरडीए ने नवंबर 2008 को टीपीए कंपनियों के प्रदर्शन का मूल्यांकन करने एक समिति गठित की। समिति ने 1 मई 2009 को अपनी रिपोर्ट सौंपी और इसे 15 जुलाई 2009 को आम जनता एवं भागीदारों के पास सलाह और टिप्पणियों के लिए वितरित किया गया। रिपोर्ट का समग्र रूप से परीक्षण करने के बाद आईआरडीए अनुशंसाओं पर अपना विचार रखेगा।

टीपीए कंपनियों के लिए बनी समिति ने देश के विविध स्थलों में बैठकें आयोजित कर सभी भागीदारों, चिकित्सकों, अस्पतालों, टीपीए कंपनियों, बीमाप्रदाताओं से संवाद स्थापित किया और उनकी राय प्राप्त की। समिति ने अपनी अनुशंसा मुख्यतः तीन शीर्षकों में दी जिसके अंतर्गत टीपीए गतिविधियों की संभावनायें एवं सेवायें, सर्वोत्तम आचरण एवं उपभोक्ता सेवा से जुड़े मुद्दे तथा आधारीक ढांचे एवं वित्तीय गतिविधियां। समिति ने एक सामान्य स्वास्थ्य बीमा उद्योग के ढांचे (संस्था) के गठन पर जोर दिया, शिकायत निपटारे की आदर्श व्यवस्था का सुझाव दिया तथा दावों के संबंध में एक मानक शब्दावली अपनाने प्रस्ताव किया। स्वास्थ्य बीमा उद्योग की यह संस्था उद्योग के मानकीकरण के सभी भागीदारों की ओर से हो चल रहे प्रयासों को बल देगी तथा व्यवस्था के दुरुपयोग तथा धोखाधड़ी को रोकने के लिए निरोधक की भूमिका निभायेगी। प्रस्तावित संस्था बीमाप्रदाताओं तथा टीपीए कंपनियों के बीच पैदा होने वाले मतभेदों को भी हल करने का प्रयत्न करेगी तथा इनके साथ ही अन्य भागीदारों (अस्पताल शामिल) को भी आपस में संवाद करने मंच प्रदान करेगी।

समिति ने अपनी रिपोर्ट प्राधिकरण को सौंप दी गई है और सभी भागीदारों को प्रतिक्रिया के लिए वितरित कर दी गई है जिससे अगल कदम उठाया जा सके।

vi ग्रामीण एवं सामाजिक क्षेत्रों में व्यवसाय

ग्रामीण एवं सामाजिक क्षेत्रों से संबंधित बीमाप्रदाताओं के वार्षिक आधार पर दायित्व प्राधिकरण ने तय कर दिये हैं। अधिनियम के अनुसार बीमाप्रदाता के लिए व्यवसाय का आरंभ कार्यप्रचालन आरंभ होने के पहले साल से माना जाता है। इन दायित्वों को पूरा करने के लिए बनाये गये अधिनियम में यह बताया गया है कि अगर कोई बीमा कंपनी अपना कार्यप्रचालन वित्तीय वर्ष की दूसरी छमाही से करती है अथवा इसकी कार्यप्रचालन अवधि प्रासंगिक वित्तीय वर्ष में 31 मार्च को छह महीने से कम रही हो तो (1) कोई भी ग्रामीण अथवा सामाजिक दायित्व इस अवधि के लिए प्रयुक्त नहीं होगा (2) अधिनियम में दिया हुआ वार्षिक दायित्व अगले वित्तीय वर्ष से आरंभ होगा और इसे दायित्वों के अनुपालन के लिए प्रथम वर्ष के रूप में स्वीकार किया जायेगा। इस परिस्थिति में यदि कंपनी अपने कार्यप्रचालन को वित्तीय वर्ष के प्रथम छमाही से आरंभ करती है तो उसे अधिनियम में निर्दिष्ट दायित्वों का 50 प्रतिशत हिस्सा पूरा करना होगा।

जीवन बीमाप्रदाताओं के दायित्व

(अ) ग्रामीण क्षेत्र के दायित्व: निजी क्षेत्र में काम कर रहे 21 जीवन बीमाप्रदाताओं में से एचडीएफसी स्टैंडर्ड लाइफ को छोड़कर शेष सभी ने ग्रामीण क्षेत्र से संबंधित अपने उत्तरदायित्वों को पूरा किया। उनके द्वारा 2008-09 में ग्रामीण क्षेत्रों में की गई पालिसी की संख्या उन्हें दिये गये उत्तरदायित्वों के मुताबिक रही।

जीवन बीमा निगम 2008-9 में ग्रामीण क्षेत्रों से संबंधित अपने उत्तरदायित्वों की पूर्ति नहीं कर सका और इसने प्रस्तावित 25 प्रतिशत की सीमा से कम पालिसी जारी की।

(ब) सामाजिक क्षेत्र के दायित्व: सभी 21 निजी जीवन बीमा कंपनियों ने 2008-09 में सामाजिक क्षेत्र से संबंधित दायित्वों को पूरा किया। सामाजिक क्षेत्र में सुरक्षा दायरे में शामिल लोगों की संख्या निर्धारित दायित्वों की सीमा से ऊपर चली गई।

जीवन बीमा निगम ने सामाजिक क्षेत्र से संबंधित दायित्वों को पूरा किया और 2008-09 में प्रस्तावित 20 लाख पालिसियों से ज्यादा लोगों को सुरक्षा दायरे में शामिल किया।

गैर-जीवन बीमाप्रदाताओं के दायित्व

(अ) ग्रामीण क्षेत्र से संबंधित दायित्व: 15 गैर-जीवन बीमाप्रदाता निजी कंपनियों में से भारती एक्सा और अपोलो डीकेवी के अतिरिक्त सभी ने 2008-09 में अपने निर्धारित ग्रामीण क्षेत्र के दायित्वों को पूरा किया। कुल प्रीमियम के प्रतिशत के रूप में 2008-09 में जुटाया गया सकल प्रत्यक्ष प्रीमियम निर्धारित दायित्वों से ऊपर रहा।

सार्वजनिक क्षेत्र के सभी(चारों) बीमाप्रदाताओं ने ग्रामीण क्षेत्र से संबंधित दायित्वों को 2008-09 में पूरा कर लिया, उनके द्वारा लेखा वर्ष 2008-09 में बीमा व्यवसाय का सात प्रतिशत जुटाया गया।

(ब) सामाजिक क्षेत्र से संबंधित दायित्व: भारती एक्सा तथा अपोलो डीकेवी को छोड़कर सभी निजी गैर-जीवन बीमाप्रदाताओं ने 2008-09 के लिए सामाजिक क्षेत्र के निर्धारित दायित्व पूरे किये। उनके द्वारा सुरक्षा के दायरे में लाये गये लोग दायित्व की निर्धारित सीमाओं से अधिक थे।

सार्वजनिक क्षेत्र की चारों कंपनियों ने 2008-09 में सामाजिक क्षेत्र से संबंधित दायित्वों को पूर्ण किया। 2008-09 के लिए सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों का दायित्व 2007-08 की तुलना में 10 प्रतिशत अधिक लक्ष्य प्राप्ति का था अथवा 5.50 लाख का लक्ष्य, जो भी ज्यादा हो जाये, दिया गया था।

vii विज्ञीय रिपोर्टिंग और बीमांकिक मानक

I. विज्ञीय रिपोर्टिंग

वित्तीय विवरणों की रिपोर्टिंग में पारदर्शिता और खुलापन लाने के लिए प्राधिकरण ने अतिरिक्त उपाय किये हैं।

1. वित्त वर्ष 2008-09 के प्रभाव से सभी बीमाप्रदाताओं को सलाह दी गई है कि विविध सरकारी प्राधिकरणों द्वारा लिये गये दंडात्मक कार्रवाई के फाइल विवरण रखें। इन सूचनाओं को बीमाप्रदाता के सांविधिक लेखापरीक्षक द्वारा सत्यापित करना आवश्यक है।

2. बीमाप्रदाताओं को यह सलाह दी गई है कि वार्षिक आधार पर रिटर्न फाइल करे जिसमें चार्टर एकाउंटेंट फर्म के बारे में विस्तृत जानकारी हों जो विभिन्न क्षमता वाले हों उदाहरण के लिए सांविधिक लेखापरीक्षक, आंतरिक लेखापरीक्षक, समवर्ती लेखापरीक्षक, कर लेखा परीक्षक एवं अन्य लेखा परीक्षक।

3. बीमा क्षेत्र में कार्पोरेट गवर्नेंस पर दिये गये मार्गदर्शन 1 अप्रैल 2010 से प्रभावी होंगे। मार्गदर्शन के अंतर्गत बोर्ड के संविधान तथा अन्य उपसमितियों की तथा गलत वित्तीय व्यवहारों के खिलाफ आवाज बुलंद करने के प्रावधान हैं। अनुपालन रिपोर्ट का प्रारूप अभी तैयार हो रहा है और इसे निश्चित समय में नोटिस में लाया जायेगा।

II (अ) एक्जुअरी की नियुक्ति

एक महत्वपूर्ण क्षेत्र जिससे एक्जुअरी संलग्न रहते हैं वह है बीमा कंपनियों द्वारा बेचे गये उत्पादों में निहित वित्तीय जोखिम का मूल्यांकन, ताकि बेचे गये उत्पादों में वित्तीय जोखिम न हो। इस संदर्भ में वह सुनिश्चित करते हैं कि कंपनी की सालवेंसी हमेशा नियत स्तर पर बनी रहे।

प्राधिकरण ने वर्ष 2000 में एक्जुअरी की नियुक्ति(एपाइंटमेंट आफ एक्जुअरी) की व्यवस्था आरंभ की। 2003-04 में प्राधिकरण ने एक्जुअरी की योग्यता संबंधी अधिनियम नोटिस जारी की जो बीमा एक्ट 1938 के मुताबिक एक्जुअरी को परिभाषित करे। इस अधिनियम में प्राधिकरण ने नियुक्त किये गये एक्जुअरी की शक्तियां और कर्तव्य तय किये।

गैर-जीवन बीमाप्रदाताओं के मामले में, नियुक्त एक्जुअरी(ए) को गैर-आवासीय गैर-प्रशुल्कीय उत्पादों के दरों के साथ ही वित्तीय विवरण के अंतर्गत बकाया दावों के अंतर्गत खर्च किये गये लेकिन रिपोर्ट नहीं हुए(इनकॉर्ड बट नाट रिपोर्टेड या आईबीएनआर) मदों को शामिल किया गया है। बीमा कंपनियों की सालवेंसी की उपलब्धता का विश्लेषण करने के वक्त, देनदारियों के मूल्यांकन में संगतता एवं स्वीकार्यता सुनिश्चित करने एक्जुअरी समकक्ष समीक्षा प्रणाली (पीयर रिव्यू सिस्टम) अपनाते हैं।

समीक्षा समिति

प्राधिकरण ने एक समीक्षा समिति के गठन का निर्णय लिया है जो अमूर्त बीमांकन रिपोर्ट की बीमा अधिनियम 1938 के अनुच्छेद 13 के आधार पर वैधानिक रिपोर्ट की समीक्षा कर सके। प्राधिकरण ने वर्ष 2008 में एक नयी बीमांकन समीक्षा समिति का गठन किया है।

II (बा) बीमांकन मानक

भारतीय बीमांकक संस्था (आईएआई) ने नियुक्त बीमांकक तथा जीवन बीमादाताओं पर पहला मार्ग दर्शन टिप्पणी (जीएन - 1) जारी किया है। आईएआई ने जीएन 21 नियुक्त बीमांकक तथा गैर जीवन बीमादाताओं के लिए जारी किया है।

viii फसल बीमा

दो नये राज्य मणिपुर एवं मिजोरम ने राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना(एनएआईएस) में हिस्सेदारी कर ली है जिसके चलते इस बीमा को लागू करने वाले राज्यों की संख्या 25 हो गई है। 2008 में खरीफ फसल के दौरान एनएआईएस में भाग लेने वाले किसानों की संख्या में आंशिक तौर पर कमी आई, इसकी वजह सरकार द्वारा दी गई किसान कर्ज माफी योजना थी, लेकिन 2008-09 में रबी फसल के दौरान व्यवसाय में अच्छी वृद्धि देखी गई। यह बढ़ता हुआ चलन अभी हाल की खरीफ(2009) फसल के दौरान भी चलता रहा।

सरकार के पास राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना को संशोधित करने के लिए प्रस्ताव रखा गया है। मौजूदा योजना में निम्न सुधारों की संशोधन शामिल किये गये हैं।

1. महत्वपूर्ण फसलों के लिए ग्राम पंचायत स्तर पर बीमा यूनिटों में कमी
2. लंबी अवधि के औसत आधार पर गारंटीड फसल
3. बोनो के पहले और फसल के बाद होने वाले जोखिम पर सुरक्षा

4. सीजन के दौरान खाते पर भुगतान, मौसम सूचकांक, फसल स्वास्थ्य सूचकांक, आदि
5. स्थानीय जोखिम जैसे भूस्खलन एवं मूसलाधार बारिश आदि के आधार पर वैयक्तिक दावे का मूल्यांकन
6. फसल बीमा शिक्षा एवं जागरूकता को बढ़ाने के लिए किये गये प्रयासों को बढ़ावा

सेटेलाइट के चित्रों का फसल बीमा के लिए उपयोग

दूर संवेदन तकनीक की महती क्षमताओं को देखते हुए एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी आफ इंडिया लिमिटेड(एआईसी) ने फसल बीमा के लिए उपयोगी सेटेलाइट चित्रों के संबंध में कुछ प्रायोगिक अध्ययन किये हैं। इसके लिए एआईसी ने भारत सरकार के विज्ञान एवं तकनीकी मंत्रालय से एमओयू(समझौता ज्ञापन) किया है जिसके चलते सेटेलाइट चित्र, जीआईसी तकनीक और मौसम मानदंड उपलब्ध कराये जायेंगे जिससे फसल बीमा के लिए उपयोगी सामग्री मिल पायेगी। इन सामग्रियों में फसल के स्वास्थ्य संबंधी ब्लॉक/तहसील स्तर की रिपोर्ट के साथ प्रति एकड़ एवं ग्रामीण क्षेत्रों में उत्पादित फसल संबंधित आंकड़े शामिल होंगे। 2009-10 के दौरान प्रोजेक्ट में चार राज्यों के 20 जिलों में प्रमुख फसलों को शामिल किया गया है। यह शुरुआत मुख्यतः शोध के उद्देश्य से की गई है।

मौसम बीमा

सरकार ने प्रयोग के आधार पर कुछ राज्यों में 2007 के खरीफ फसल से राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना के विकल्प के रूप में मौसम आधारित फसल बीमा की योजना चलाई है इसका कार्य इस माडल की मजबूती और कमजोरियों का अध्ययन करना है। मौसम(वर्षा) आधारित फसल बीमा प्रयोग के आधार पर 2007 में खरीफ फसल के दौरान कर्नाटक में आरंभ की गई, उसके बाद इसे क्रमिक रूप से बिहार, छत्तीसगढ़, मध्यप्रदेश और राजस्थान में 2007-08 में रबी फसल के दौरान इसका प्रयोग किया गया। 2008-09 के दौरान इस प्रयोग को 10 राज्यों में विस्तारित किया गया और चार लाख किसान सुरक्षा के दायरे में आये। 2009 में खरीफ फसल के दौरान इसे प्रयोग करने वाले किसानों की संख्या 13 तक पहुंच गई। एआईसी ने 2009-10 के प्रथम छमाही के दौरान प्रायोगिक योजना के अंतर्गत 10 लाख किसानों को सुरक्षा के दायरे में शामिल किया और इस प्रकार से यह विश्व का सबसे बड़ा मौसम आधारित कृषि बीमा कार्यक्रम बन गया।

मौसम बीमा कार्यक्रमों की सफलता के लिए मौसम विभाग से संबंधित स्टेशनों और सही समय में आंकड़ों का प्रवाह बेहद जरूरी होता है। फिलहाल भारतीय मौसम विभाग का संजाल केवल जिला कार्यालयों तक सीमित हैं और अधिकतर कार्यालय मनुष्यों(मैनुअली) द्वारा ही

संचालित किये जाते हैं इससे मौसम बीमा के विस्तार को धक्का पहुंचता है। यद्यपि भारतीय मौसम विभाग ने अब विस्तार का निर्णय लिया है और मौसम कार्यालयों को स्वाचालित करने का निर्णय लिया जा रहा है। इसके मुताबिक 550 स्वाचालित मौसम कार्यालय तथा 1350 स्वाचालित वर्षामापी निकट भविष्य में स्थापित किये जाने हैं। अनुमान के मुताबिक देश भर में मौसम आधारित फसल बीमा को संचालित करने 25000 स्वाचालित वर्षामापी तथा 6000 स्वाचालित मौसम कार्यालयों की जरूरत होगी।

बागानी फसल का बीमा:

बागानी तथा मसालों की फसल के अनिश्चित उत्पादन के जोखिम से बचने के लिए भारत सरकार एक व्यापक फसल बीमा योजना के प्रस्ताव पर विचार कर रही है जिसमें चाय, रबर, नारियल, तंबाकू, इलायची, काली मिर्च आदि फसल शामिल होंगी। इसी बीच एआईसी ने नारियल विकास मंडल के सहयोग से प्रायोगिक तौर पर नारियल के

लिए बीमा तैयार किया है जो सात राज्यों में बिखरे 20 जिलों में लांचिंग के लिए तैयार है। दूसरी फसलों के लिए बीमा के प्रस्तावों का अभी सरकार परीक्षण कर रही है। संयोग से एआईसी काफी के लिए वर्षा आधारित बीमा लागू कर रही है जिसके लिए प्रीमियम सब्सिडी काफी बोर्ड उपलब्ध करा रहा है।

ix सूक्ष्म बीमा

जीवन बीमा क्षेत्र

सूक्ष्म बीमा का पोर्टफोलियो समीक्षाधीन वर्ष में सतत रूप से बढ़ा है। बहुत से जीवन बीमाप्रदाताओं ने सूक्ष्मबीमा प्रचालन आरंभ किये हैं और इस साल बहुत से नये उत्पाद लांच किये हैं। वितरण तंत्र भी लगातार मजबूत हुआ है और नये व्यवसाय ने काफी तरक्की है यद्यपि मात्रा अभी भी कम है।

सारणी 41

सूक्ष्म बीमा के अंतर्गत नये व्यवसाय 2008-09 (जीवन)

(प्रीमियम लाख रुपए में)

बीमाप्रदाता	वैयक्तिक		समूह		
	पालिसी की संख्या	प्रीमियम	योजनाएं	सुरक्षा के दायरे	प्रीमियम
जीवन बीमा निगम	1541218	3118.74	6883	11052815	17268.54
निजी	610851	537.81	14	1498994	3326.80
कुल	2152069	3656.55	6897	12551809	20595.34

नोट: नये व्यवसाय में पहले साल का प्रीमियम और एकल प्रीमियम शामिल हैं।

सूक्ष्म बीमा व्यवसाय मुख्यतः समूह पोर्टफोलियो द्वारा लिया गया है। जबकि व्यक्तिगत रूप में नये व्यवसाय ने 21.52 लाख पालिसी के अंतर्गत 36.57 करोड़ रुपए जुटाये। समूह व्यवसाय के अंतर्गत 1.26 करोड़ लोगों को दायरे में लाया गया और 205.95 करोड़ रुपए जुटाये गये। जीवन बीमा निगम ने इस व्यवसाय में सबसे अधिक योगदान दिया और व्यक्तिगत प्रीमियम के अंतर्गत 15.41 लाख लोगों को सुरक्षा दायरे में लाकर 31.19 करोड़ रुपए तथा समूह प्रीमियम में 1.11 करोड़ लोगों को लाकर 172.69 करोड़ रुपए हासिल किये।

सारणी 42

सूक्ष्म बीमा अभिकर्ता (जीवन बीमाप्रदाता)

बीमाप्रदाता	1 अप्रैल 2008 को	जुड़े	हटाये गये	31 मार्च 2009 को
जीवन बीमा निगम	4166	2482	1	6647
निजी	418	281	96	603
कुल	4584	2763	97	7250

मार्च 2009 के अंत तक सूक्ष्म बीमा अभिकर्ताओं की संख्या 7250 थी जिनमें 6647 जीवन बीमा निगम से तथा अन्य निजी क्षेत्र की कंपनियों से संबंधित थे। 15 जीवन बीमाप्रदाताओं ने 30 सूक्ष्म बीमा उत्पाद लांच किये। इन तीस उत्पादों में से 16 व्यक्तिगत और 14 समूह से हैं।

सारणी 43
सूक्ष्म बीमा पोर्टफोलियो के अंतर्गत समूह
मृत्यु दावे 2008-09 (जीवन)

(लाभ राशि लाख रुपए में)

बीमाप्रदाता	भुगतान किये गये		दावों का		अस्वीकृत		31 मार्च 2009	
	कुल दावे		भुगतान		दावे		तक लंबित दावे	
	जीवन की संख्या	लाभ राशि	जीवन की संख्या	लाभ राशि	जीवन की संख्या	लाभ राशि	जीवन की संख्या	लाभ राशि
जीवन बीमा निगम	47582	15022.09	47466	14988.11	-	-	116	33.98
			(99.76)	(99.77)	(-)	(-)	(0.24)	(0.23)
निजी	2940	485.78	2872	474.80	49	8.88	19	2.10
			(97.69)	(97.74)	(1.67)	(1.83)	(0.65)	(0.43)
कुल	50522	15507.87	50338	15462.91	49	8.88	135	36.08
			(99.64)	(99.71)	(0.10)	(0.06)	(0.27)	(0.23)

नोट: कोष्ठक में दिये गये आंकड़े संबंधित दावे का प्रतिशत हैं।

सारणी 44
बीमा पोर्टफोलियो के अंतर्गत व्यक्तिगत
मृत्यु दावे 2008-09 के लिए (जीवन)

(लाभ राशि लाख रुपए में)

बीमाप्रदाता	भुगतान किये गये		दावों का		अस्वीकृत		31 मार्च 2009	
	कुल दावे		भुगतान		दावे		तक लंबित दावे	
	पॉलिसियों की संख्या	लाभ पॉलिसियों की राशि	पॉलिसियों की संख्या	लाभ पॉलिसियों की राशि	पॉलिसियों की संख्या	लाभ पॉलिसियों की राशि	पॉलिसियों की संख्या	लाभ राशि
जीवन बीमा निगम	1854	285.75	1825	280.70	11	1.78	18	3.27
			(98.44)	(98.23)	(0.59)	(0.62)	(0.97)	(1.14)
निजी	783	99.20	702	50.48	53	5.31	28	43.41
			(89.66)	(50.89)	(6.77)	(5.35)	(3.58)	(43.76)
कुल	2637	384.95	2527	331.18	64	7.09	46	46.68
			(95.83)	(86.03)	(2.43)	(1.84)	(1.74)	(12.13)

नोट: कोष्ठक में दिये गये आंकड़े संबंधित दावे का प्रतिशत हैं।

प्राधिकरण द्वारा आईआरडीए (सूक्ष्म बीमा) अधिनियम 2005 के अस्तित्व में लाने के बाद गरीबों की जरूरतों को ध्यान में रखकर तैयार किये गये उत्पादों की संख्या बढ़ी है। अधिनियम के लचीलेपन के चलते बीमाप्रदाता समन्वित कवर अथवा पैकेज उत्पाद भी ला रहे हैं। बीमा कंपनियां अब ऐसे उत्पाद सूक्ष्म बीमा उत्पाद के रूप में ला रही हैं जिन्हें सामान्य

उत्पादों के रूप में प्राधिकरण ने स्वीकृति पहले ही दे दी है यदि उत्पाद की बीमित राशि सूक्ष्म बीमा के लिए प्रस्तावित सीमा के भीतर हो।

व्यक्तिगत और समूह वर्ग में मृत्यु दावों का निपटारा कितने समय में किया गया है यह नीचे दी गई सारणी में बताया गया है।

सारणी 45
व्यक्तिगत श्रेणी में समयवार मृत्यु दावों का
निपटारा(2008-09)-वर्गवार

(पालिसी की संख्या)

जीवन बीमाप्रदाता	अवधि					कुल दावों का निपटारा
	सूचना के 30 दिन के भीतर	31 से 90 दिन तक	91 से 180 दिन तक	181 दिन से 1 साल तक	साल भर से अधिक	
निजी कुल	23308 (57.21)	11679 (28.67)	4107 (10.08)	1290 (3.17)	355 (0.87)	40739
जीवन बीमा निगम	338629 (60.00)	111874 (19.82)	69544 (12.32)	39502 (7.00)	4840 (0.86)	564389
कुल	361937 (59.81)	123553 (20.42)	73651 (12.17)	40792 (6.74)	5195 (0.86)	605128

नोट: कोष्ठक में दिये गये आंकड़े कुल निपटारे गये दावों का प्रतिशत हैं।

सूक्ष्म बीमा के अंतर्गत व्यक्तिगत मृत्यु दावों में जीवन बीमा निगम ने 60 प्रतिशत दावे 30 दिनों के भीतर ही सारे दावे निपटा दिये जबकि निजी बीमाप्रदाताओं ने इस अवधि में 94 प्रतिशत मामले निपटा दिये।

समूह वर्ग में जीवन बीमा निगम ने 98.84 प्रतिशत दावे 30 दिनों में निपटा दिये, निजी बीमाप्रदाताओं ने इस अवधि में 84.6 प्रतिशत दावे निपटा दिये।

सारणी 46
समूह वर्ग में समयवार मृत्यु दावे का
निपटारा(2008-09)

(जीवन की संख्या)

जीवन बीमाप्रदाता	अवधि					कुल दावों का निपटारा
	सूचना के 30 दिन के भीतर	31 से 90 दिन तक	91 से 180 दिन तक	181 दिन से 1 साल तक	साल भर से अधिक	
निजी कुल	32111 (84.06)	3892 (10.19)	1170 (3.06)	525 (1.37)	502 (1.31)	38200
जीवन बीमा निगम	219726 (98.84)	1769 (0.80)	801 (0.36)	5 (0.002)	6 (0.003)	222307
उद्योग कुल	251837 (96.67)	5661 (2.17)	1971 (0.76)	530 (0.20)	508 (0.20)	260507

नोट: कोष्ठक में दिये गये आंकड़े कुल निपटारे गये दावों का प्रतिशत हैं।

x प्राधिकरण द्वारा जारी किये गये निर्देश, आदेश एवं विनियमन

गैर जीवन बीमा व्यवसाय में जोखिम के मूल्यांकन से नियंत्रण हटाना तथा फाईल एंड यूज मार्गदर्शन के अंतर्गत मूल्य निर्धारण में गैर जीवन बीमा उत्पादों को रियायत देना।

उल्लेखनीय है कि प्राधिकरण ने सामान्य बीमा कारोबार में प्रतिबंधों को हटाने का फैसला 1 जनवरी 2008 को किया था। प्राधिकरण ने इस बात को दोहराया था कि इससे बीमाप्रदाता उस समय शुल्क दायरे में शामिल कवर के सुरक्षा दायरे, नियम एवं शर्त, शब्दावली, वारंटी, खंड, पुष्टि आदि को नहीं बदल सकते। बीमाप्रदाता ऐसे उत्पाद के कवर, शर्त एवं नियम, शब्दावली आदि में बदलाव के प्रस्ताव रख सकते हैं जिन्हें

नोटिस में तो ला दिया गया है लेकिन जो 31 मार्च 2008 के बाद से प्रभावी हैं। पूर्व के टैरिफ के नियम, शर्तों, व शब्दों को कंपनी के साथ उपलब्ध न्यूनतम कवर के रूप में देखा जाना चाहिए जो प्राधिकरण द्वारा एकल एंड ऑन कवर के रूप में स्वीकृत किया गया है।

प्राधिकरण ने पूर्व श्रेणियों के सामान्य बीमा व्यवसाय जैसे अग्नि, अभियांत्रिकी, औद्योगिक सभी प्रकार के जोखिम एवं मोटर आदि के कवरेज से संबंधित नियम और शर्तों संबंधी मुद्दे पर नवंबर 2008 को पुनः विचार किया एवं तय किया गया कि 1 जनवरी 2009 से बीमाप्रदाता को फाइल में कटौती वाले हिस्से में परिवर्तन करने की छूट दी जायेगी जो पूर्व प्रशुल्कों में दिये गये हैं इसका लिखित खुलासा करना होगा और बीमित लोगों की स्वीकृति बीमा नीति के अंतिम होने के वक्त ली जानी चाहिये।

बीमाप्रदाताओं को छूट दी गई है कि वह फाइल में अतिरिक्त कवर जोड़ सकें और पूर्व के प्रशुल्क कवर में उचित और अतिरिक्त प्रीमियम जोड़ सकें। मोटर ओडी बीमा के अंतर्गत उपयोग में हानि एवं मूल्यह्रास की छूट इसका उदाहरण है। बीमाप्रदाताओं को अभियांत्रिकी बीमा का विस्तार गतिशील/चल सकने योग्य, उपकरणों तक करने की स्वीकृति दे दी गई है। इसी प्रकार पूर्व की आईएआर नीति में 100 करोड़ रुपए

तक बीमित राशि रखने का नियम भी हटा दिया गया है। आईएआर प्रशुल्क का विस्तार सभी उद्योगों में किया गया है जिसमें पेट्रोकेमिकल फैक्ट्री भी शामिल हैं। बीमाकर्ता को यह स्वीकृति नहीं है कि वे मानक बीमा कवर जो पूर्व टैरिफ के अंतर्गत आता के दिये गये विकल्पों से ज्यादा हो।

व्यवसाय में बेहतर नियंत्रण लाने के लिए प्राधिकरण ने उत्पादों के प्रदर्शन की समीक्षा करने का फैसला लिया है। इसने नियुक्त किये गये एक्जुअरी से सकल प्रीमियम, शुद्ध प्रीमियम, जारी की गई पालिसियों की संख्या, सुरक्ष दायरे में शामिल लोग (स्वास्थ्य एवं पीए के क्षेत्र में), साल के शुरूआत एवं अंत में बकाया दावे, दावों का भुगतान, दावा अस्वीकृत, दावा खर्च, दावा खर्च अनुपात, उत्पाद की लाभप्रदाता आदि के संबंध में पिछले तीन साल की रिपोर्ट देने कहा गया है। नियुक्त किये गये एक्जुअरी को किसी उत्पाद की वित्तीय व्यवहार्यता प्रमाणित करने भी पूछा जाता है जब कोई नया उत्पाद पेश किया जाता है अथवा पहले से मौजूद उत्पाद का संशोधन किया जाता है।

(xi) सूचना का अधिकार अधिनियम 2005

2008-09 के दौरान प्राधिकरण ने सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के अंतर्गत निम्न अधिकारियों को सार्वजनिक सूचना अधिकारी नियुक्त किया है।

पीआईओ का नाम	विषय जिससे संबंधित हैं
1 श्री प्रबोध चंद्र	गैर-जीवन, हिंदी, स्वास्थ्य बीमा, विधि
2 श्री के. सुब्रमण्यम	एक्जुरियल, मध्यस्थ एवं निगरानी
3 श्री कुणाल प्रेम	जीवन बीमा
4 श्री ए. गिरिधर	अधिकर्ता प्रशिक्षण संस्थान, कार्पोरेट एजेंसी एवं अन्य अवशिष्ट विषय

श्री सी.आर. मुरलीधरण, सदस्य(एफ एंड आई) अधिनियम के अनुच्छेद 19 के अंतर्गत अपीलीय प्राधिकारी बने हुए हैं।

भाग II

कार्यपद्धति और कार्य प्रचालन की समीक्षा

(i) बीमा और पुनर्बीमा कंपनियों का विनियमन

अ. सामान्य बीमा कंपनियों के प्रीमियम, दावे और कार्यालयों से संबंधित सूचनाओं का संग्रहण

सामान्य बीमा कंपनियों की कार्यपद्धति के सार्थक विश्लेषण तथा निगरानी तंत्र को मजबूत बनाने बीमा विनियामक एवं विकास प्राधिकरण ने कंपनियों द्वारा निम्नांकित प्रारूप निर्धारित किये हैं। इसके अंतर्गत तिमाही आधार पर अ) राज्यवार सकल प्रत्यक्ष प्रीमियम ब) किये गये दावों की सूचना स) श्रृंखला आधारित सकल प्रत्यक्ष प्रीमियम द) क्षेत्रवार दावों पर किया गया खर्च ई) दावा प्रदर्शन फ) दावों को निपटाने में लगा समय ग) कार्यालय के बारे में विस्तार से जानकारी, आदि की जानकारी जमा करनी होती है।

ब. एक पेज में मोटर पालिसी

सामान्य बीमा कारोबार में दक्षता बढ़ाने और प्रशासनिक खर्च कम करने उठाये गये कदमों के अंतर्गत प्राधिकरण ने बीमाप्रदाताओं को बिना विस्तृत नियम और शर्तें रखे हुए एक पेज की मोटर पालिसी जारी करने के लिए स्वीकृति दी है। इसके लिए शर्तें इस प्रकार हैं।

- (1) मोटर वेहिकल एक्ट के अंतर्गत मोटर सर्टिफिकेट अपने भौतिक रूप में भी रखे जाते रहेंगे।
- (2) एक पेज की मोटर पालिसी अपने भौतिक रूप में पालिसीधारक को जारी की जा सकेगी जो स्पष्ट रूप से ऐसी पालिसी को ग्रहण करने तैयार होता है।

(3) प्रत्येक बीमाप्रदाता के पास बेहतर वेबसाइट होनी चाहिए ताकि पालिसीधारक जो कंपनी के नियम और शर्तों को जानना चाहते हैं इसका उपयोग कर पायें।

(4) जब कभी वेबसाइट में दिये गये नियम और शर्तों में बदलाव को स्वीकृत किया जाता है तब वेबसाइट का पुराना संस्करण भी जरूरत(पहुंच के लिए) हेतु उपलब्ध रखा जाना चाहिए।

(5) अगर बीमित व्यक्ति पालिसी के पूरे कागजात(पूरा सेट) भौतिक रूप में चाहता है तो उसे सभी नियमों और शर्तों युक्त पूरा सेट मुफ्त में दिया जाना चाहिए।

(6) जब वेबसाइट में दी गई कवर के नियम और शर्तों कवर के शर्तों से भिन्न हों तो पालिसी पूरी तौर पर भौतिक रूप में ही जारी की जानी चाहिए।

(7) वेबसाइट में रखी हुई मानक शर्तों के बावजूद बीमाप्रदाता भारतीय स्टाम्प अधिनियम के प्रावधानों से बंधा रहेगा।

स. 1 अक्टूबर 2008 से सामान्य बीमा कारोबार के ब्रोकरेज और कमीशन के भुगतान की सीमा पर संशोधन

विप्रशुल्कीकरण के बाद पैदा हुई बाजार की परिस्थितियों के मुताबिक प्राधिकरण ने अभिकर्ताओं और मध्यस्थों को दिये जा रहे कमीशन और ब्रोकरेज को संशोधित किया है। इसने सामान्य बीमा प्रदाताओं को निर्देश दिये हैं कि कमीशन और ब्रोकरेज के रूप में दिया जाने वाला प्रीमियम के प्रतिशत का भुगतान निम्न स्तर से अधिक नहीं होना चाहिए जिसे सारणी में दर्शाया गया है।

क्रमांक व्यवसाय संवर्ग

एजेंसी कमीशन अथवा ब्रोकरेज के रूप में दिया गये प्रीमियम का अधिकतम प्रतिशत (सेवा शुल्क को हटाकर अंतिम प्रीमियम का प्रतिशत)
एजेंसी का कमीशन ब्रोकरेज

1.	अग्नि, आईएआर और अभियांत्रिकी बीमा में		
	i. सामान्य	10%	12.5%
	ii. फाइल एंड यूज गाइडलाइन के अंतर्गत अनुच्छेद 19(5) में बड़े जोखिम के अंतर्गत व्यवृहृत जोखिम	5%	6.25%
2	मोटर बीमा व्यवसाय(ओडी हिस्सा), डब्ल्यूसी/ईएल एवं सांविधिक सार्वजनिक दायित्व	10%	10%
3	मोटर तृतीय पक्ष बीमा	शून्य	शून्य
4	सामुद्रिक पतवार बीमा	10%	12.5%
5	सामुद्रिक मालवाहक व्यवसाय	15%	17.5%
6	अन्य व्यवसाय	15%	17.5%

यह पुनः स्पष्ट किया गया है कि यदि एजेंसी का कमीशन दे दिया गया है तो किसी बीमा में किसी भी प्रकार के ब्रोकरेज का भुगतान नहीं करना होगा। इसी प्रकार अगर ब्रोकरेज दे दिया गया हो तो किसी भी प्रकार का एजेंसी कमीशन नहीं देना होगा। इसी प्रकार एजेंट अथवा ब्रोकर को यदि कमीशन अथवा ब्रोकरेज दे दिया गया हो तो उसे अन्य किसी तरह के भुगतान लेने का अधिकार नहीं होगा, इन भुगतानों में प्रशासनिक अथवा सेवा शुल्क भी शामिल हैं।

डी. पुर्नबीमा की रिपोर्ट प्रस्तुत करना

वर्ष 2008-09 के लिए प्राधिकरण ने सभी गैर जीवन बीमा कंपनियों को सलाह दी है कि वे पुर्नबीमा मही किये गये जोखिम को विदेश में देने से पूर्व भारतीय बीमाकर्ताओं तथा पुर्नबीमाकर्ता को प्रस्तावित करें। इसकी देख-रेख के लिए प्राधिकरण ने सभी कंपनियों को अर्ध वर्ष की समाप्ति पर पुर्नबीमा की रिपोर्ट मांगी है।

(ii) बीमा व्यवसाय से जुड़े मध्यस्थ

बीमा अभिकर्ता

वर्ष 2008-09 में व्यक्तिगत बीमा अभिकर्ताओं की संख्या 16.5 फीसदी बढ़ी। 31 मार्च 2008 को 29.37 लाख के आंकड़े से बढ़कर 31 मार्च 2009 को इनकी संख्या बढ़कर 29.37 लाख पहुंच गई। निजी जीवन बीमाप्रदाताओं ने जहां इसमें 20.04 प्रतिशत वृद्धि देखी, वहीं जीवन बीमा निगम ने इसमें 12.66 प्रतिशत की वृद्धि देखी। निजी जीवन बीमाप्रदाताओं के पास जीवन बीमा निगम से ज्यादा व्यक्तिगत अभिकर्ता जुड़े हुए हैं। वर्षांत तक जहां जीवन बीमा निगम के अभिकर्ताओं की संख्या 13.45 लाख थी वहीं निजी क्षेत्र के बीमाप्रदाताओं के अभिकर्ताओं की संख्या 15.93 लाख थी।

सारणी 47

जीवन बीमा से जुड़े व्यक्तिगत अभिकर्ताओं का विवरण - 2008-09

बीमाप्रदाता	1 अप्रैल 2008 तक	2008-09 में जुड़े लोग	2008-09 में हटाये गये लोग	31 मार्च 2009 तक
जी बी नि	1193744	345729	194617	1344856
निजी	1326748	943484	677653	1592579
कुल	2520492	1289213	872270	2937435

इन आंकड़ों से निकलने वाली एक बड़ी चिंता बड़ी संख्या में अभिकर्ताओं के हटाये जाने की रही। 2008-09 में नियुक्त किये गये अभिकर्ताओं की संख्या 12.89 लाख थी जबकि हटाये गये अभिकर्ताओं की संख्या 8.72 लाख थी। यह परिदृश्य जीवन बीमा निगम के मुकाबले निजी बीमाप्रदाताओं के लिए और भी बुरा था। जहां निजी बीमाप्रदाताओं ने 9.43 लाख अभिकर्ता नियुक्त किये, वहीं 6.77 लाख अभिकर्ताओं को हटा दिया। दूसरी ओर जीवन बीमा निगम ने 3.46 लाख अभिकर्ता नियुक्त किये और 1.95 लाख अभिकर्ताओं को हटाया। बड़ी संख्या में अभिकर्ताओं के हटाये जाने से नकारात्मक नतीजे दिख सकते हैं। पहला तो यह बीमाप्रदाता की वित्तीय स्थिति पर काफी बोझ डालता है क्योंकि बीमाप्रदाता इनकी तलाश, नियुक्ति एवं प्रशिक्षण देने आदि कार्यों में काफी समय और पूंजी खर्च करते हैं। दूसरी ओर इनकी सेवायें समाप्त होने के बाद इनके द्वारा आरंभ की गई पालिसी वस्तुतः अनाथ हो जाती है और प्रायः सेवाप्रदाता के अभाव में समाप्त हो जाती है। तीसरे एजेंसी की छवि भी धूमिल होती है क्योंकि लोगों में तथा भविष्य में इस पेशे में आने की इच्छा रखने वाले लोगों को इसमें स्थायित्व की कमी नजर आने लगती है जिससे अच्छे अभिकर्ता प्राप्त करना और भी कठिन हो जाता है। इस लिए यह सभी भागीदारों के हितों में है कि अभिकर्ताओं के बाहर जाने की संख्या में कमी लायें।

सारणी 48

जीवन बीमा से जुड़े निगमित अभिकर्ताओं का विवरण - 2008-09

बीमाप्रदाता	1 अप्रैल 2008 तक	2008-09 में जुड़े लोग	2008-09 में हटाये गये लोग	31 मार्च 2009 तक
जी बी नि	345	161	91	415
निजी	2070	840	819	2091
कुल	2415	1001	910	2506

31 मार्च 2009 को निगमित अभिकर्ताओं की संख्या 2506 थी जबकि 1001 नये अभिकर्ता 2008-09 के दौरान जोड़े गये जबकि 910 निगमित अभिकर्ताओं की सेवा को समाप्त कर दिया गया। इस प्रकार से पिछले साल के मुकाबले निगमित अभिकर्ताओं की संख्या में खास वृद्धि नहीं हुई। यहां पर फिर से निजी बीमाप्रदाताओं ने जीवन बीमा निगम से ज्यादा बुरे आंकड़े देखे। उन्होंने जीवन बीमा निगम के मुकाबले नौगुना ज्यादा अभिकर्ताओं को निकाला। इतना बड़ा आधार होने के बावजूद नये नैगमीय अभिकर्ताओं की संख्या मात्र 21 है। दूसरी ओर जीवन बीमा निगम के मामले में 70 नये निगमित अभिकर्ताओं की वृद्धि 2008-09 में हुई।

श्रृंखलावार नये व्यवसाय का प्रदर्शन

व्यक्तिगत व्यवसाय

इधर के वर्षों में, व्यक्तिगत एजेंसी श्रृंखला की ओर झुकाव घटा है। वर्ष 2007-08 के दौरान व्यक्तिगत अभिकर्ताओं द्वारा जुटाये गये 83.75 प्रतिशत की तुलना में 2008-09 में 79.57 प्रतिशत प्रीमियम जुटाया गया। व्यक्तिगत अभिकर्ताओं द्वारा खोया गया नया व्यवसाय निगमित अभिकर्ताओं और प्रत्यक्ष विक्रय के माध्यम से चला गया। निगमित अभिकर्ताओं का हिस्सा जो 2006-07 में 8.42 प्रतिशत और 2007-08 में 12.33 प्रतिशत था वह 2008-09 में बढ़कर 14.55 प्रतिशत हो गया। विभिन्न निगमित श्रृंखलाओं में से नये व्यवसाय में बैंकों की हिस्सेदारी 2007-08 के 7.97 प्रतिशत से बढ़कर 2008-09 में 9.69 प्रतिशत हो गई।

नये व्यवसाय में प्रत्यक्ष खरीददारी का हिस्सा 2007-08 के 3.33 प्रतिशत से बढ़कर 2008-09 में 4.76 प्रतिशत तक पहुंच गया। जहां निजी बीमाप्रदाताओं ने नये व्यवसाय का 11.37 प्रतिशत हिस्सा प्रत्यक्ष खरीददारी से प्राप्त किया, वहीं जीवन बीमा निगम ने इस श्रृंखला से कोई नया व्यवसाय अर्जित नहीं किया।

निजी जीवन बीमाप्रदाताओं द्वारा जुटाये गये नये व्यावसायिक प्रीमियम में निगमित अभिकर्ताओं की हिस्सेदारी 2007-08 के 29.92 प्रतिशत से 2008-09 में बढ़कर 31.70 प्रतिशत हो गई। दूसरी ओर जीवन बीमा निगम ने नये व्यावसायिक प्रीमियम का 97.34 प्रतिशत व्यक्तिगत अभिकर्ताओं से प्राप्त किया।

सारणी 49

जीवन बीमाप्रदाताओं द्वारा वैयक्तिक श्रेणी में नये व्यवसायों में किया गया प्रदर्शन(श्रृंखलाबद्ध)

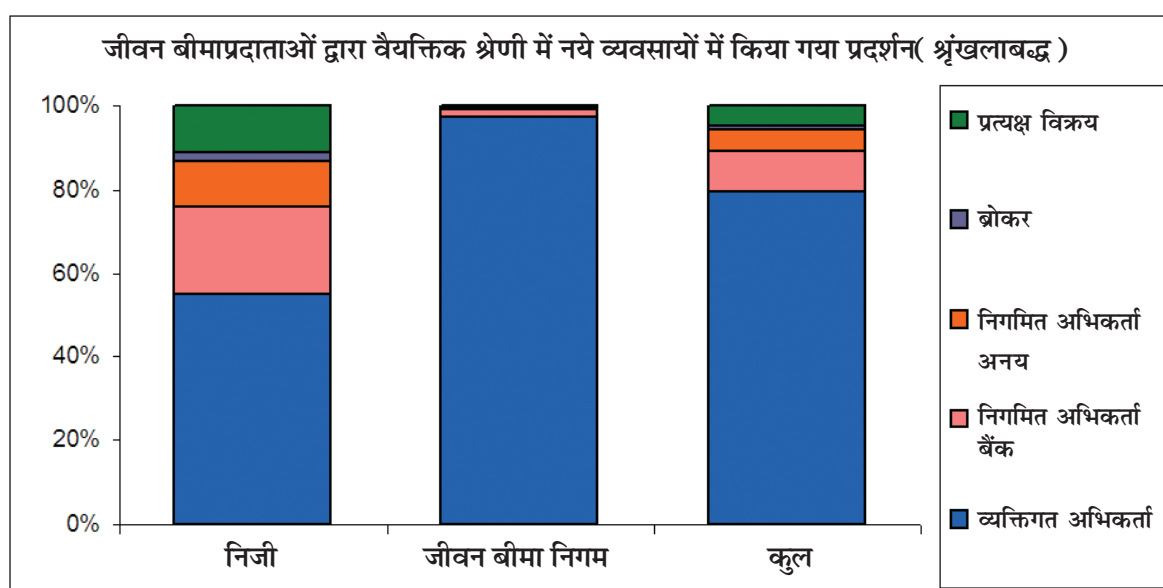
(प्रतिशत में)

जीवन बीमाप्रदाता	व्यक्तिगत अभिकर्ता	निगमित अभिकर्ता बैंक	निगमित अभिकर्ता दूसरे*	ब्रोकर	प्रत्यक्ष विक्रय	कुल व्यक्तिगत नया व्यवसाय	प्रेषित किये हुए
निजी	54.94	20.78	10.92	2.00	11.37	100.00	9.27
जीवन बीमा निगम	97.34	1.70	0.49	0.47	-	100.00	0.03
कुल	79.57	9.69	4.86	1.11	4.76	100.00	3.90

* ऐसी ईकाई जो बैंक न हो लेकिन निगमित अभिकर्ता के रूप में दर्ज हो

सागरपारीय नये व्यवसाय से जुटे प्रीमियम को नहीं जोड़ा गया है।

- नोट: 1) नये व्यवसायिक प्रीमियम में पहले साल का प्रीमियम और एकल प्रीमियम शामिल है।
2) रिफरल व्यवस्था के माध्यम से हुई जानकारी को संबंधित श्रृंखला में शामिल किया गया है।



समूह व्यवसाय

समूह व्यवसाय के लिए प्रत्यक्ष विक्रय वितरण का सबसे प्रमुख माध्यम बना हुआ है। 2007-08 में इसकी हिस्सेदारी 87.88 प्रतिशत थी जो 2008-09 में 86.53 प्रतिशत हो गई।

जहां जीवन बीमा निगम ने समूह बीमा कारोबार का 12.11 प्रतिशत परंपरागत व्यक्तिगत एजेंसी के माध्यम से किया, वहीं निजी बीमाप्रदाताओं ने इस माध्यम से केवल .32 प्रतिशत हासिल किया। निजी बीमाप्रदाताओं के लिए दूसरी महत्वपूर्ण श्रृंखला बैंक रहे। बैंक-इंश्योरेंस माडल(बैंकाश्योरेंस) के माध्यम से समूह बीमा व्यवसाय का 9.19 प्रतिशत निजी बीमाप्रदाताओं ने प्राप्त किया। यद्यपि यह अनुपात पिछले वर्ष के 12.36 प्रतिशत से कम हो गया।

सारणी 50

जीवन बीमाप्रदाताओं द्वारा समूह श्रेणी में नये व्यवसायों में किया गया प्रदर्शन(श्रृंखलाबद्ध)

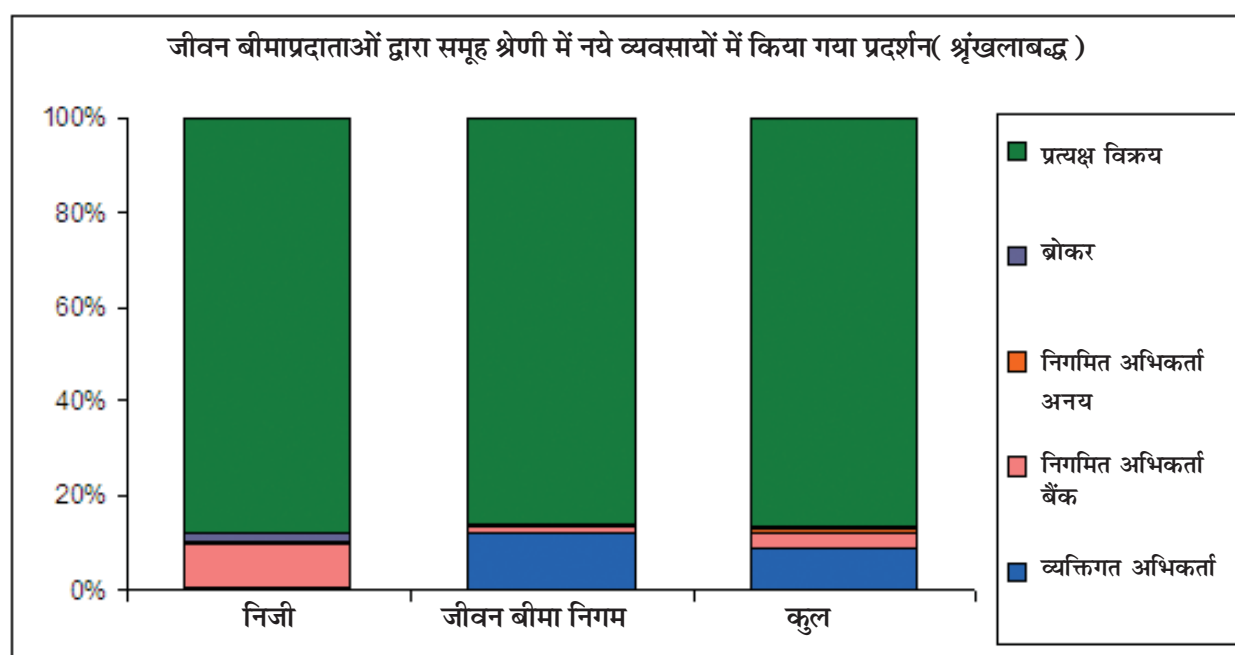
(प्रतिशत में)

जीवन बीमाप्रदाता	व्यक्तिगत अभिकर्ता	निगमित अभिकर्ता बैंक	दूसरे*	ब्रोकर	प्रत्यक्ष विक्रय	कुल व्यक्तिगत नया व्यवसाय	प्रेषित किये हुए
निजी	0.32	9.19	0.83	1.75	87.91	100.00	0.34
जीवन बीमा निगम#	12.11	1.13	0.72	0.02	86.02	100.00	-
कुल	8.96	3.28	0.75	0.48	86.53	100.00	0.09

* ऐसी ईकाई जो बैंक न हो लेकिन निगमित अभिकर्ता के रूप में दर्ज हो

सागरपारीय नये व्यवसाय से जुटे प्रीमियम को नहीं जोड़ा गया है।

- नोट: 1) नये व्यवसायिक प्रीमियम में पहले साल का प्रीमियम और एकल प्रीमियम शामिल है।
2) रिफरल व्यवस्था के माध्यम से हुई जानकारी को संबंधित श्रृंखला में शामिल किया गया है।



व्यक्तिगत एवं समूह कारोबार

नये बीमा व्यवसाय लाने में व्यक्तिगत अभिकर्ताओं की भूमिका महत्वपूर्ण रही। एकीकृत स्तर पर (व्यक्तिगत एवं समूह व्यवसाय दोनों) नये व्यवसाय का 65.45 फीसदी हिस्सा योगदान किया गया। यद्यपि

2007-08 के 72.17 प्रतिशत की तुलना में उनकी हिस्सेदारी में कमी आई। वह माध्यम जिसने पिछले वर्ष की तुलना में बड़ी वृद्धि देखी, प्रत्यक्ष विक्रय रहा। 2007-08 के 16.20 प्रतिशत की तुलना में इस माध्यम ने 2008-09 में 21.11 प्रतिशत की हिस्सेदारी की।

सारणी 51

जीवन बीमाप्रदाताओं द्वारा व्यक्तिगत एवं समूह श्रेणी में नये व्यवसायों में किया गया प्रदर्शन(श्रृंखलाबद्ध) 2008-09

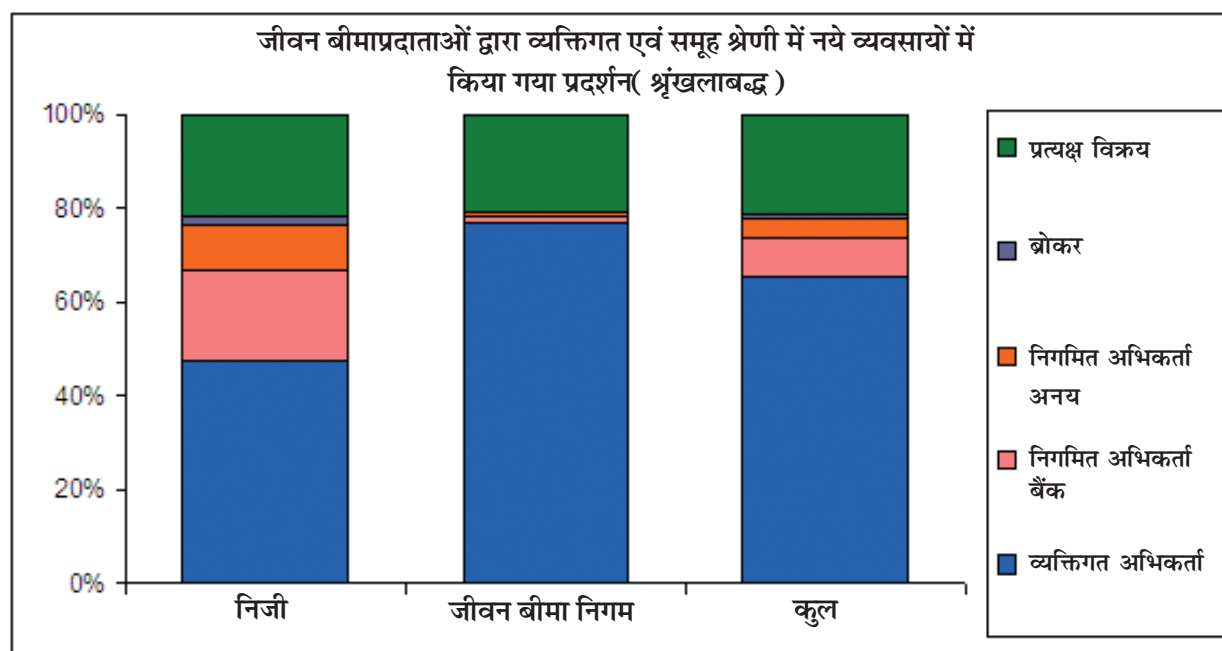
(प्रतिशत में)

जीवन बीमाप्रदाता व्यक्तिगत अभिकर्ता		निगमित अभिकर्ता बैंक दूसरे*		ब्रोकर	प्रत्यक्ष विक्रय	कुल व्यक्तिगत नया व्यवसाय	प्रेषित किये हुए
निजी	47.44	19.19	9.54	1.96	21.87	100.00	8.05
जीवन बीमा निगम#	76.90	1.56	0.55	0.37	20.63	100.00	0.03
कुल	65.45	8.41	4.04	0.99	21.11	100.00	3.14

* ऐसी ईकाई जो बैंक न हो लेकिन निगमित अभिकर्ता के रूप में दर्ज हो

सागरपारीय नये व्यवसाय से जुटे प्रीमियम को नहीं जोड़ा गया है।

- नोट: 1) नये व्यवसायिक प्रीमियम में पहले साल का प्रीमियम और एकल प्रीमियम शामिल है।
2) रिफरल व्यवस्था के माध्यम से हुई जानकारी को संबंधित श्रृंखला में शामिल किया गया है।



(iii) मुकदमे, अपील और अदालत की घोषणा

सर्वोच्च न्यायालय, विभिन्न उच्च न्यायालय, उपभोक्ता अदालत, नागरिक अदालत, एमएसीटी और एमआरटीपी में अप्रैल 2008 से मार्च 2009 की अवधि के दौरान दायर किये गये, निपटाये अथवा खारिज किये गये मुकदमे नीचे उपलब्ध कराये गये हैं।

सर्वोच्च न्यायालय में दायर मामले	शून्य
विभिन्न उच्च न्यायालयों में दायर रिट याचिका	29
विभिन्न उच्च न्यायालयों में दायर रिट अपील/एलपीए	3
विभिन्न उच्च न्यायालयों में दायर समीक्षा /बहाली/स्पष्टीकरण/याचिका	2
दर्ज अवमानना याचिका	शून्य
दर्ज उपभोक्ता मामले	25
दर्ज दीवानी मामले	2
दर्ज एमएसीटी एमआरटीपी मामले	शून्य
कुल	61

नीचे दी गई सारणी में वर्ष के दौरान निपटा दिये गये अथवा खारिज कर दिये गये मामले दिये गये हैं।

निपटाये गये अथवा खारिज किये गये मामलों की संख्या	आईआरडीए के मार्गदर्शन के बगैर	आईआरडीए के मार्गदर्शन से
निपटार्इ/खारिज की रिट याचिका	24	—
निपटार्इ/खारिज की गई रिट अपील /एलपीए	3	1
निपटाये /खारिज किये गये उपभोक्ता मामले	3	—
निपटाये /खारिज किये गये दीवानी मामले	1	—
निपटाये खारिज किये गये एमएसीटी /एमआरटीपी मामले	—	—
कुल	31	1

आईआरडीए अधिनियम/बीमा अधिनियम एवं इसके अंतर्गत बने विनियमनों, आईआरडीए द्वारा जारी किये गये ज्ञापन/परिपत्र, प्रवर्तन एवं गैरप्रवर्तन कार्रवाई आदि इस प्रकृति के मुकदमों में आयेंगे। विधिक

विभाग, प्रचालन विभाग की निम्न मुद्दों पर भी मदद करेगा।

- नियामक द्वारा प्रवर्तन एवं गैर-प्रवर्तन कार्रवाई संबंधी नीति का आरंभ एवं बीमा कानूनों की व्याख्या
- प्रचालन विभाग द्वारा जारी किये गये कारण बताओ नोटिस
- संसदीय संदर्भ

सूचना के अधिकार अधिनियम के अंतर्गत दर्ज मामलों पर विधिक सलाह

(iv) बीमा के क्षेत्र में अंतरराष्ट्रीय सहयोग - अंतरराष्ट्रीय बीमा पर्यवेक्षक परिषद (आईएआईएस)

अंतरराष्ट्रीय बीमा पर्यवेक्षक परिषद का गठन 1994 में बीमा पर्यवेक्षकों एवं अन्य वित्तीय क्षेत्र के पर्यवेक्षकों के बीच सहयोग बढ़ाने के लिए किया गया। बाद के वर्षों में सदस्यता तेजी से बढ़ी है और 180 से अधिक न्यायालयों के पर्यवेक्षक इसके सदस्य बने हैं। इसके अतिरिक्त 100 संगठन एवं पेशेवर परिषद, बीमा एवं पुनर्बीमा कंपनी, अंतरराष्ट्रीय वित्तीय संस्थान, सलाहकार एवं अन्य पेशेवर इसके आबजर्वर बने हैं। यह भागीदारी बताती है कि बीमा बाजार वैश्विक प्रकृति की ओर बढ़ रहा है तथा इसके लिए संगत रूप से मानक व्यवहार एवं पर्यवेक्षण की जरूरत है। इसके अतिरिक्त यह वित्तीय स्थायित्व के लिए आवश्यक मजबूत पर्यवेक्षण तंत्र की जरूरत भी महसूस कराता है। नीति निर्माताओं तथा पेशेवरों दोनों को एक मंच में लाकर आईएआईएस अनुभवों, विशेषज्ञता तथा समझ के आदान-प्रदान द्वारा मानक निर्माण एवं नीतियों के क्रियान्वयन में प्रमुख भूमिका निभा रहा है।

आईएआईएस की गतिविधियां 15 सदस्यीय कार्यकारी समिति के मार्गदर्शन में चलाई जाती हैं जो विश्व के विभिन्न हिस्सों से चुने जाते हैं साथ ही बजट समिति का एक अध्यक्ष भी होता है जो सदस्य तो होता है लेकिन जिसे मतदान का अधिकार नहीं होता। इसे तकनीकी समिति, कार्यान्वयन समिति तथा बजट समिति आदि की मदद मिलती है। आईएआईएस के दैनिक व्यवसायों और गतिविधियों का संचालन सचिवालय द्वारा किया जाता है जो बैंक फार इंटरनेशनल सेटलमेंट, बैसेल, स्विटजरलैंड में स्थित है।

आईएआईएस ने प्रभावी बीमा पर्यवेक्षण क्षेत्र के लिए सिद्धांत, मानक एवं मार्गदर्शन तैयार किये हैं। ऐसा करते हुए इसने पारदर्शी एवं सक्षम बीमा बाजार तैयार किया है जो पालिसीधारकों की सुरक्षा एवं लाभ के लिए उपयोगी है। आईएआईएस ने ईशू पेपर भी तैयार किये हैं जो बीमा पर्यवेक्षकों की रूचि के विषयों में जानकारी प्रदान करेंगे।

आईएआईएस दूसरी अंतरराष्ट्रीय वित्तीय संस्थाओं एवं अंतरराष्ट्रीय पर्यवेक्षकों अथवा नियामकों के संगठन से निकटता से जुड़ा है और वैश्विक वित्तीय व्यवस्था को रूप देने में अहम भूमिका निभा रहा है। खास तौर पर आईएआईएस संयुक्त दल का घटक हिस्सा है और इसके सभी कार्यसमूहों के बैठक में हिस्सेदारी करता है। यह वित्तीय स्थायित्व मंच में भी प्रतिनिधित्व करता है। आईएआईएस, इंटरनेशनल एकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड (आईएसबी) को इसके अंतरराष्ट्रीय वित्तीय मानकों की रिपोर्टिंग के लिए भी सहायता प्रदान करता है यह रिपोर्ट बीमाप्रदाताओं के लिए काफी उपयोगी होती है। यह आईएसबी की मानक सलाहकार परिषद का सदस्य भी है और साथ ही इंड्योरेंस वर्किंग ग्रुप तथा फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट वर्किंग ग्रुप का आधिकारिक पर्यवेक्षक भी है। इसे फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स (जो आतंकवादियों को वित्त उपलब्ध कराने तथा मनी लाँड्रिंग जैसे मुद्दे देखती है) में भी पर्यवेक्षक का दर्जा मिला है।

प्राधिकरण का प्रतिनिधित्व अध्यक्ष द्वारा कार्यकारी समिति में तथा अन्य सदस्यों का प्रतिनिधित्व आईएआईएस की विभिन्न समितियों में होता है जो बीमा करार, लेखा से जुड़े पक्ष, बीमा कानून, पुनर्बीमा, वित्तीय कंपनियों के संगठन, साल्वेंसी, धोखाधड़ी आदि मामले देखते हैं।

(v) लोक शिकायत

बीमा विनियमन एवं विकास प्राधिकरण का शिकायत प्रकोष्ठ पालिसीधारक, बीमा मध्यस्थ एवं अन्य स्रोतों से विभिन्न जीवन बीमा कंपनियों के विरुद्ध शिकायतें दर्ज करता है। शिकायतों के दर्ज होने पर प्रकोष्ठ दो प्रकार से कार्रवाई करता है।

अ) सुविधा- पालिसीधारक और बीमाप्रदाता कंपनी के बीच सीधा संवाद स्थापित कर तथा एवं

ब) शिकायतों का विश्लेषण इस आधार पर होता है

(1) अवधि का निपटारा

(2) कार्य क्षेत्र

बीमाप्रदाता वार विश्लेषण का प्रयोग शिकायतों की अवधि का मूल्यांकन कर किया जाता है ताकि मालूम हो सके कि बीमाप्रदाता द्वारा शिकायतों के निपटारे के लिए बनाया गया तंत्र कितना सरल और प्रभावी है। यह इस बात का मूल्यांकन भी करता है कि बीमाप्रदाता द्वारा आईआरडीए अधिनियम 2002 के विनियमन 5 का किस प्रकार से पाल किया जा रहा है इस विनियमन के अंतर्गत बीमाप्रदाताओं द्वारा शिकायतों को तेजी से और सक्षम तरीके से निपटारे के लिए कहा गया है।

शिकायतों का कार्यक्षेत्र आधारित विश्लेषण इंगित करता है:

(अ) पेशेवर तरीके से बाजार के संचालन में कमजोरी

(आ) बीमा कंपनियों की अपर्याप्तता- जिनसे विनियमन हस्तक्षेप की जरूरत हो सकती है ताकि इसे सुधारने के लिए पर्याप्त कदम उठाये जा सकें।

शिकायत प्रकोष्ठ शिकायत के पंजीकरण से लेकर बीमाप्रदाता के साथ इसे निपटाने की कोशिश करता है। बीमाप्रदाता और शिकायतकर्ता के मध्य विवाद की स्थिति में प्रकोष्ठ शिकायतकर्ता को पूरे मामले को अर्धन्यायिक (बीमा लोकपाल/ उपभोक्ता फोरम) अथवा न्यायिक मंच में ले जाने की सूचना देता है क्योंकि आईआरडीए को अधिनिर्णय अधिकार नहीं है।

जीवन बीमाप्रदाता

प्राधिकरण का शिकायत प्रकोष्ठ पालिसीधारकों से बीमा कंपनियों के विरुद्ध की गई शिकायतें दर्ज करता है। यह ऐसी शिकायतों को कंपनी के पास हल करने के लिए भेज देता है। जब कंपनी द्वारा शिकायतें हल कर ली जाती हैं तो कंपनियों से यह आशा की जाती है कि वह

सारणी 52

शिकायतों की स्थिति-जीवन बीमाप्रदाता

जीवन बीमाप्रदाता	31 मार्च 2008 तक लंबित शिकायतें	2008-09 में सूचित की गई शिकायतें	31 मार्च 2009 को कुल शिकायतें	2008-09 *के दौरान हल की गई शिकायतें	31 मार्च 2009 को लंबित शिकायतें
जीवन बीमा निगम	685	481	1166	980	186
निजी	332	1313	1645	1373	272
कुल	1017	1794	2811	2353	458

नोट: * वह शिकायतें शामिल हैं जो 31-3-2008 को लंबित थीं।

प्राधिकरण को इनके हल होने या अन्य जो भी हो, इसके बारे में सूचित करेंगे। 31 मार्च 2008 तक प्राधिकरण के पास जीवन बीमा कंपनियों द्वारा हल की जाने वाली 1017 शिकायतें लंबित पड़ी थी। 2008-09 के दौरान प्राधिकरण ने 1794 शिकायतें दर्ज की जिनमें 481 जीवन बीमा निगम एवं 1313 निजी बीमाप्रदाताओं के संबंध में थी।

2008-09 के दौरान बीमा कंपनियों ने 83.71 प्रतिशत शिकायतें हल किये। निजी बीमा प्रदाताओं ने 83.47 प्रतिशत शिकायतें दर्ज की, जीवन बीमा निगम ने 84.05 प्रतिशत शिकायतें हल की। 31 मार्च 2009 को, बीमा कंपनियों के विरुद्ध 458 मामले लंबित थी, जिनमें 272 निजी क्षेत्र से और 186 जीवन बीमा निगम से संबंधित थे।

सारणी 53

शिकायत प्रकोष्ठ में दर्ज शिकायतों का विभाजन (जीवन बीमा) 2008-09

क्रमांक	शिकायतों की प्रकृति	शिकायतों की संख्या	कुल शिकायतों का प्रतिशत
1	गलत योजना एवं शर्तों का आवंटन	313	17.45%
2	पालिसी का निरस्तीकरण	251	13.99%
3	पालिसी बांड की रसीद उपलब्ध न होना	207	11.54%
4	प्रीमियम का समायोजन	199	11.09%
5	दावे का भुगतान नहीं	122	6.80%
6	पालिसी में परिवर्तन	74	4.12%
7	अभ्यर्पण मूल्य का भुगतान नहीं	73	4.07%
8	प्रपोजल डिपॉजिट की वापसी नहीं	69	3.85%
9	निरस्त पालिसी का पुनरुद्धार	54	3.01%
10	अधिकर्ताओं से संबंधित	53	2.95%
11	परिपक्वता भुगतान का निपटारा नहीं	51	2.84%
12	शुद्ध अभ्यर्पण मूल्य का भुगतान नहीं	41	2.29%
13	दावों का अस्वीकरण	39	2.17%
14	एन्यूटी का भुगतान नहीं	32	1.78%
15	पालिसी का नामांकन/ एसाइनमेंट	9	0.50%
16	पालिसी का एक शाखा से दूसरे शाखा में हस्तांतरण	9	0.50%
17	Issue of duplicate policy	3	0.17%
18	अन्य	195	10.87%
	कुल	1794	100.00%

आईआरडीए के जीवन बीमा शिकायत प्रकोष्ठ में दर्ज शिकायतों का विश्लेषण करने पर इनके महत्वपूर्ण कारणों का खुलासा हुआ है जिनके अंतर्गत गलत योजना एवं शर्तें (17.45 प्रतिशत), पालिसी का

निरस्तीकरण (13.99 प्रतिशत), पालिसी बांड की रसीद न मिलना (11.54 प्रतिशत) और प्रीमियम का समायोजन (11.09 प्रतिशत)।

गैरजीवन बीमाप्रदाता

सारणी 54

शिकायतों की स्थिति-गैरजीवन बीमाप्रदाता

बीमाप्रदाता	31.3.08 तक लंबित	2008-09 में दर्ज कराई गई शिकायतें	31.3.09 को कुल शिकायतें	2008-09 में निपटाये गये मामले	31.3.09 तक लंबित	प्रकृति के अनुसार लंबित शिकायतों का विभाजन			
						अ	आ	इ	ई
सार्वजनिक	682	921	1603	1160 (72.36)	443	148	171	102	22
निजी	194	1281	1475	1265 (85.76)	210	109	62	33	6
कुल	876	2202	3078	2425 (78.78)	653	257 (39.36)	233 (35.68)	135 (20.67)	28 (4.29)

नोट: कोष्ठक में दिये गये आंकड़े निपटाये गये शिकायतों का प्रतिशत हैं।

अ: पालिसी संबंधी मुद्दे,

आ: निपटारा न हो पाने अथवा दावों में विलंब के मामले

इ: दावों का आंशिक निपटारा अथवा अस्वीकरण एवं

ई: अन्य कारण

सारणी 55

शिकायतों की स्थिति गैर जीवन बीमाप्रदाता (अप्रैल-सितंबर, 2009)

बीमाप्रदाता	31.3.2009 तक लंबित	अप्रैल 2009 से सितंबर 2009 तक दर्ज की गई शिकायतें	30.9.09 की तिथि में दर्ज कुल शिकायतें	अप्रैल 2009 से सितंबर 2009 में निपटाये गये मामले	30.09.09 तक लंबित मामले
सार्वजनिक	443	542	985	379 (38.48)	606
निजी	210	590	800	610 (76.25)	190
कुल	653	1132	1785	989 (55.41)	796

नोट: कोष्ठक में दिये गये आंकड़े निपटाये गये शिकायतों का प्रतिशत हैं।

31 मार्च 2009 तक 653 शिकायत लंबित थी। लंबित शिकायतों के अंतर्गत 39.36 प्रतिशत पालिसी आधारित शिकायत, 35.68 प्रतिशत शिकायतों के नहीं निपटाये जाने अथवा देरी किये जाने से, 20.67 प्रतिशत अस्वीकरण/आंशिक निपटारा किये जाने से तथा अन्य दूसरे कारणों से संबंधित थी।

और 610 मामले निजी बीमाप्रदाताओं ने हल किये। 30 सितंबर 2009 तक 796 शिकायतें बीमाप्रदाताओं के पास लंबित थी।

(vi) इश्योरेंस एसोसिएशन एंड इश्योरेंस काउंसिल

सामान्य बीमा परिषद

आईआरडीए ने 2009-10 की प्रथम छमाही के दौरान 1132 शिकायतें दर्ज की गईं। इनमें से 542 सार्वजनिक क्षेत्र की गैर-जीवन बीमाप्रदाता कंपनियों के विरुद्ध और 590 निजी क्षेत्र की कंपनियों के विरुद्ध दर्ज किये गये। सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों ने 379 शिकायतें हल की

परिषद की कार्यकारी समिति में बीमा विनियमन एवं विकास प्राधिकरण के द्वारा नामित सदस्यों के अतिरिक्त सदस्य(गैर-जीवन) परिषद के अध्यक्ष के रूप में, कार्यकारी निदेशक(गैर-जीवन), महासचिव एवं

सभी आईआरडीए से लायसेंस प्राप्त सभी गैर-जीवन बीमा कंपनियों के मुख्य कार्यकारी अधिकारी इसके सदस्य होते हैं।

2008-09 के दौरान परिषद की कार्यकारी समिति की आठ बार बैठकें हुईं। इसके अतिरिक्त परिषद ने अंडरराइटिंग कार्यकारियों, स्वास्थ्य बीमा विभाग के प्रमुख, सीएफओ एवं कंपनियों के वरिष्ठ कार्यकारी सदस्यों की बैठक ली है। इन बैठकों के माध्यम से गैर-जीवन बीमाप्रदाताओं के कार्यकारियों के बीच आपसी तालमेल और संपर्क बढ़ा है और इसका व्यापक उद्देश्य है कि उपभोक्ता सेवा मानकों में वृद्धि की जाये, बाजार के अनुशासन को बनाये रखा जाये और गैर-जीवन बीमा बाजार का विस्तार स्वस्थ तरीके से संभव हो सके। इसके लिए परिषद ने विस्तृत एजेंडा तैयार किया है।

इसके लिए परिषद ने विस्तृत एजेंडा तैयार किया है:

- I. सभी भागीदारों के मध्य संवाद एवं बहस का विस्तार किया जाये ताकि गैर-जीवन बीमा बाजार का विस्तार किया जा सके।
- II. उद्योग के समक्ष समस्याएं, उद्योग का नजरिया एवं विचार सरकार, आईआरडीए एवं अन्य नीति-निर्माताओं के समक्ष रखे। इसके साथ ही आपसी सहयोग का वातावरण भी पैदा कर सके।
- III. उपभोक्ता शिक्षा, जागरूकता एवं सेवा को बढ़ावा दें।
- IV. वैश्विक मानकों को बढ़ावा दें विशेष कर स्वास्थ्य पोर्टफोलियो के प्रबंधन में
- V. समन्वित डाटा बेस(आंकड़ा समुच्चय) तैयार करें ताकि सूचनाओं का प्रसार हो सके।
- VI. जहां आवश्यक हों वहां विधायी एवं नियामक व्यवस्था करें।
- VII. जहां आवश्यक हों वहां विधायी एवं नियामक व्यवस्था करें।

इन उद्देश्यों को प्राप्त करने निम्नलिखित गतिविधियां एवं प्रयास किये जा रहे हैं।:

(ए) तकनीकी

(अ) स्वास्थ्य

- पूर्व विद्यमान बीमारियों की परिस्थितियों की परिभाषा तथा शब्दों को हटाया जाना एवं कंपनियों द्वारा इसे 1 जून 2008 को

लागू किया जाना,

- जहां प्रीमियम 50 लाख रुपए से अधिक हो तथा हानि अनुपात 125 प्रतिशत से ज्यादा हो वहां स्वास्थ्य बीमा से संबंधित आंकड़ों का आदान-प्रदान,
- स्वास्थ्य संविभाग में काम कर रहे जीवन एवं गैर-जीवन बीमाप्रदाताओं के लिए समान परिस्थितियां तैयार करना,
- उद्योग के सुझाव / विचार आईआरडीए को देना:
- स्वास्थ्य बीमा पालिसी के नवीनीकरण और सुबाह्यता ,
- वरिष्ठ नागरिकों के लिए स्वास्थ्य बीमा,
- स्वास्थ्य बीमा के मामले में टीपीए का मूल्यांकन,

ब) मोटर

- माननीय सर्वोच्च न्यायालय एवं उच्च न्यायालय द्वारा मोटर टीपी दावों के मामलों के शीघ्र निपटारे के लिए आयोजित लोक अदालतों में भागीदारी
- मोटर-वेहिकल सड़क दुर्घटनाओं के संदर्भ में पुलिस द्वारा एमएसीटी एवं अन्य बीमा कंपनियों को समय पर दी जाने वाली जानकारी के बारे में मोटर वेहिकल एक्ट के अनुच्छेद 158(6) के संदर्भ में परिषद द्वारा दर्ज जनहित याचिका के अनुवर्ती कार्य पर;
- मोटर बीमा संविभाग के संदर्भ में कुल जुटाया गया प्रीमियम एवं दावों पर खर्च जिसमें दोपहिया, निजी कार, एवं व्यवसायिक वाहनों के अलग आंकड़े हों जो टीपी पालिसी तथा व्यापक पालिसी दोनों के संदर्भ में हों।
- जब्त किये गये वाहनों के संदर्भ में पुनः स्वामित्व पर सर्वोच्च न्यायालय में दर्ज किये गये सुपुर्दगी मामले
- एसआईएएम एवं एनसीआरबी के मध्य समन्वय स्थापित करना ताकि वाहनों की चोरी को रोक जा सके तथा चुराये गये वाहनों को जल्दी खोज लिया जाये।,
- संश्रावित बैठकें-(1) मोटर टी.पी प्रीमियम में बढ़ोतरी के लिए ट्रांसपोर्टर एसोसिएशन के साथ बातचीत के लिए उपसमिति

- माननीय उच्च न्यायालय मुंबई में श्री प्रकाश सी. सेठ द्वारा दर्ज जनहित याचिका क्रमांक 38 (2007) में बीमाप्रदाताओं के पक्ष में बचाव

सी) आईएमटीपीआईपी

- आईआरडीए एवं जीआईसी के मध्य व्यावसायिक वाहनों के लिए भारतीय बाजार मोटर कोष की स्थापना के लिए समन्वय;
- आईएमटीपीआईपी के प्रशासन को सामान्य करने के संबंध में आईआरडीए को रिपोर्ट प्रस्तुत करना;
- कोष की कार्यप्रणाली को सुचारू रूप से चालित करने के लिए सभी समितियों को सक्रिय करना

डी) अन्य

- चीफ अंडरराइटर्स सम्मेलन आयोजित करना ताकि अंडरराइटर्स को जोखिम के नजरिये से वैज्ञानिक तकनीक का उपयोग करने के लिए प्रेरित करना;
- कंपनियों के मध्य अग्नि, इंजीनियरिंग एवं सामुद्रिक संविभाग के 50 लाख रुपए से अधिक की हानि पर आंकड़ों की साझेदारी के लिए प्रोजेक्ट चलाना;
- हानि सीमा पर उद्योग के विचारों में समन्वय प्रदान करना तथा सर्वेयर्स को श्रेणीबद्ध करना

बी. विधायी

उद्योग की टिप्पणियां / पर्यवेक्षण को आईआरडीए / मंत्रालय तक पहुंचाना;

- (1) मोटर वेहिकल अधिनियम में संशोधन
- (2) सड़क से मालभाड़े के संबंध में नियम
- (3) बीमा कानूनों के बारे में संशोधन

सी) प्रशासनिक

- बीमा सुरक्षा के संदर्भ में टेंडर के लिए बीमाप्रदाताओं द्वारा

अपनाया गया सामान्य तरीका

- साझा बीमा करार के संदर्भ में संशोधित सुविधाएं;
- सामान्य बीमा कंपनियों द्वारा बीमा एक्ट के अनुच्छेद 40 सी (नियम 17 ई के साथ पढ़ने पर) के तहत खर्च की सीमा के संबंध में छूट के निवेदन पर;
- सामान्य बीमाप्रदाताओं के साल्वेंसी मार्जिन की गणना पर आईआरडीए का प्रतिनिधित्व
- मोटर पालिसी के संदर्भ में एक पेज के प्रारूप के लिए स्वीकृति प्राप्त की ताकि उपभोक्ताओं को डिलीवरी आसान हो सके एवं उद्योग के प्रचालन लागत में कमी आवे;

डी) लेखा एवं कर

- पुनर्बीमा प्रीमियम पर टीडीएस के मुद्दे को उठाना
- यूनियन बजट 2009-10 के संदर्भ में उद्योग के प्रस्ताव रखना
- बड़े परिमाण में होने वाले लेनदेन में आरबीआई / आईआरडीए द्वारा इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से भुगतान

ई) निवेश

सहमति तैयार करना और निवेश संवर्ग के वर्गीकरण एवं लेखा मानक के बारे में उद्योग का नजरिया रखना

एफ) अंतरराष्ट्रीय

एसोसिएशन आफ तंजानिया इंश्योरर के साथ समझौता ज्ञापन में हस्ताक्षर एवं दूसरे देशों के बीमा संगठनों के साथ लगातार सूचनाओं के आदान-प्रदान और आपसी सहयोग के बारे में समझौता,

सामान्य बीमा एसोसिएशन जापान(जीआईएजे) तथा जर्मन इंश्योरेंस एसोसिएशन(जीडीवी) बर्लिन के प्रतिनिधिमंडल का स्वागत जिन्होंने परिषद के साथ बाजार की सूचनाओं का आदान-प्रदान किया।

जी) अन्य::

आईआरडीए के समक्ष निम्न बिंदुओं पर उद्योग के नजरिये को रखा:

- प्रचार अभियान एवं उपभोक्ता जागरूकता गतिविधिया;
- एजेंसी लाइसेंसिंग वेबपोर्टल तथा अभिकर्ताओं के लिए परीक्षण व्यवस्था के बारे में समीक्षा के लिए;
- प्रभावी बीमा बाजार के बारे में सिद्धांत, मंत्रालय को उद्योग के विचार रखना एवं विस्तृत विवरण देना;
- आपदा जोखिम बीमा, पुनर्बीमा एवं सूक्ष्म बीमा;
- फेडरेशन आफ इंडियन एक्सपोर्ट आर्गेनाइजेशन का प्रतिनिधित्व;
- 26 से 28 नवंबर 2008 को मुंबई में हुए आतंकवादी हमलों के संबंध में आये पीए/ स्वास्थ्य बीमा दावों के तेज निपटारे के संबंध में ;
- कर्मचारियों की संख्या, कार्यालय, अभिकर्ता, प्रीमियम, पालिसी एवं अन्य मानकों के संदर्भ में ;
- टीपी पोर्टफोलियो के संदर्भ में पालिसी एवं प्रीमियम का विवरण.

जीवन बीमा परिषद

जीवन बीमा परिषद का गठन बीमा अधिनियम 1938 के अनुच्छेद 64 सी के अंतर्गत हुआ है। सभी जीवन बीमाप्रदाताओं को इसका सदस्य बनाया गया है तथा यह सीईओ(मुख्य कार्यकारी अधिकारी) द्वारा प्रतिनिधित्व करते हैं। आईआरडीए की ओर से दो सदस्य नामित होते हैं जिनमें से एक परिषद का अध्यक्ष होता है। महासचिव परिषद के मुख्य कार्यकारी की तरह कार्य करते हैं। वित्तीय वर्ष 2008-09 के दौरान परिषद की बैठक 6 बार हुई। परिषद ने बहुत सी उपस्थायी समितियां बनाई हैं। इसके अतिरिक्त, जब भी किसी विशेष क्षेत्र में कार्य करने की जरूरत होती है तब इसे कार्यदल के माध्यम से किया जाता है जिनका निर्माण समय-समय पर उभरने वाले मुद्दों पर चर्चा करने के लिए किया जाता है।

2008-09 में हुए कार्य की संक्षिप्त रूपरेखा

- सीएफओ की उपसमिति वर्ष के दौरान पांच बार मिली। इनकी बैठक में बहुत से मुद्दों पर चर्चा हुई जिनमें करारोपण, सेवा शुल्क, फार्म-1, आईएफआरएस आदि से संबंधित मुद्दे हैं। इस मंच के माध्यम से निगम प्रशासन(कार्पोरेट गवर्नेंस) से संबंधित विधिक एवं अनुपालन संबंधी मुद्दों पर चर्चा भी हुई।
- सांख्यिकीय आंकड़ा उपसमिति की बैठक औपचारिक रूप से वर्ष में दो बार हुई और पिछले आंकड़ों के संकलन और प्रकाशन में कुछ संशोधन किये। 2008-09 के लिए अनंतिम आंकड़ों के द्वितीय समूह को संकलित किया गया है। उपसमिति ने विभिन्न आंकड़ों के परीक्षण और उद्योग, नियामक एवं जनता के लिए आंकड़े उपलब्ध कराने पर कार्य भी आरंभ किया।

- विधिक एवं अनुपालन उपसमिति का 2008-09 में पुनर्गठन किया गया जो 2008-09 में एक बार मिली। इस समिति ने निगम प्रशासन(कार्पोरेट प्रशासन) , जीवन बीमा पालिसियों के डिमैट, व्यक्तिगत अभिकर्ताओं को अनापत्ति प्रमाणपत्र दिये जाने में लगने वाली अवधि में कमी आदि विषयों पर महत्वपूर्ण अनुशंसा दी।
- जीवन परिषद के तत्वाधान में एक्जुअरी का एक कार्यदल गठित किया गया जिसने शुल्कों के नामकरण एवं मानकीकरण एवं यूलिप शुल्कों के तरीकों पर अनुशंसा दी। अनुशंसाओं को आईआरडीए को प्रेषित कर दिया गया है।
- जीवन बीमा के संबंध में जागरूकता जगाने के लिए उपसमिति ने आईआरडीए के समक्ष एक मीडिया योजना रखी है। उपसमिति ने अपने जीवन परिषद की वेबसाइट के पुनर्विकास के काम से भी अपने को जोड़ रखा है। इस वर्ष समिति तीन बार मिल चुकी है। जीवन बीमा से संबंधित जागरूकता बढ़ाने के लिए उपसमिति ने जनसंपर्क एजेंसी की नियुक्ति की है ताकि जागरूकता संबंधी कार्यक्रमों को बढ़ावा दिया जा सके। जनसंपर्क एजेंसी की मदद से उपसमिति ने योजना तैयार की और इस हेतु परिषद की मदद भी ली जिससे मुख्य कार्यकारी अधिकारियों की मीडिया के साथ गोलमेज काफ़ेंस सितंबर 2008 में रखी जा सकी। यह आयोजन सफल साबित हुआ और इससे प्रिंट एवं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से जीवन बीमा की उपयोगिता का प्रचार हुआ।
- परिषद की वेबसाइट में लगातार सांख्यिकीय आंकड़े, ताजा समाचार एवं सूचनाएं आ रही हैं। तिमाही सांख्यिकीय आंकड़ों में बहुत से नये मानदंड भी जोड़े गये हैं जिनकी मीडिया और उद्योग जगत में काफी सराहना हुई है। वेबसाइट की लिंक आईआरडीए की वेबसाइट तथा सभी जीवन बीमाप्रदाताओं के वेबसाइट से जुड़ी हुई है।
- ऐसे अभिकर्ताओं के आंकड़ों का संग्रह जिनकी सेवायें निरस्त कर दी गई हैं (प्रदर्शन को छोड़कर दूसरे कारणों से) संख्या और उपयोग दोनों की दृष्टि से लगातार बढ़ रही है।
- परिषद सीआईआई, फिक्की, बाम्बे चैंबर, आईएमसी, एनआईए आदि संगठनों द्वारा बुलाई जा रही बैठकों और सम्मेलनों में सक्रिय रूप से हिस्सेदारी की है।

(vii) लोकपाल की कार्यप्रणाली

2008-09 के दौरान देश भर में फैले 12 लोकपाल केंद्रों ने 11393 शिकायतें स्वीकार की। जिनके अंतर्गत 5753 शिकायतें(50.5 प्रतिशत) जीवन बीमा से संबंधित और 5640 शिकायतें गैर-जीवन बीमा से

संबंधित थी। इसके अतिरिक्त मार्च 2008 में, 1419 शिकायतें लोकपाल के पास लंबित थी। इनमें से लगभग गैरजीवन बीमा के 72.52 प्रतिशत मामले तथा 27.48 प्रतिशत मामले जीवन बीमा से संबंधित थे। इस प्रकार से, 2008-09 में लोकपाल के पास 12812 मामले थे। कुल शिकायतों (12812) में से लोकपाल ने 2008-09 के दौरान 11417 शिकायतें दर्ज की। इन निपटारे गये मामलों में से 5586 जीवन बीमाप्रदाताओं और 5831 गैरजीवन बीमाप्रदाताओं के विरुद्ध थे। इसी प्रकार लोकपाल के पास 31 मार्च 2009 को 1395 मामले लंबित थे

जिनमें 557 जीवन बीमाप्रदाताओं और 838 गैर-जीवन बीमाप्रदाताओं के विरुद्ध थे।

जीवन बीमा के मामले में 59 प्रतिशत शिकायतें तथा गैर-जीवन बीमा के मामले में 43 प्रतिशत शिकायतों को लोकपाल द्वारा नान-इंटरटेनेबल के रूप में व्यवहृत किया गया। कुल शिकायतों में लोकपाल ने 2645 मामलों में अवार्ड दिये एवं 1296 मामलों को खारिज कर दिया। लोकपाल ने 432 मामले में निपटारे के लिए कंपनियों को अनुशंसा दी।

सारणी 56

2008-09 में लोकपाल द्वारा निपटाई गई शिकायतें

बीमाप्रदाता	31.03.2008 तक कुल शिकायतें	2008-09 के दौरान स्वीकार की गई शिकायतें	कुल 2008-09 में निपटाई गई शिकायतें	जिस तरीके से शिकायतें हल की गई						31.03.2009 तक लंबित शिकायतें	
				(I)	(II)	(III)	(IV)	(V)	(VI)		
जीवन	390	5753	6143	5586	199 (3.56)	832 (14.89)	499 (8.93)	211 (3.78)	546 (9.77)	3299 (59.06)	557
गैर-जीवन	1029	5640	6669	5831	233 (4.00)	1813 (31.09)	343 (5.88)	207 (3.55)	750 (12.86)	2485 (42.62)	838
योग	1419	11393	12812	11417	432 (3.78)	2645 (23.17)	842 (7.37)	418 (3.66)	1296 (11.35)	5784 (50.66)	1395

नोट: (I) अनुशंसा (II) अवार्ड (III) वापसी/निपटान (IV) गैर-स्वीकार्यता (V) बर्खास्तगी (VI) अस्वीकार्य

कोष्ठक में दिये गये आंकड़े हल किये गये मामलों का प्रतिशत हैं।

भाग III प्राधिकरण के वैधानिक कार्य

(अ) आवेदक को रजिस्ट्रेशन, नवीनीकरण, बदलाव, वापसी, निलंबन, निरस्तीकरण आदि आवेदन जारी करने से संबंधित

2008-09 में प्राधिकरण ने श्रीराम जनरल इश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, भारती एक्सा जनरल इश्योरेंस कंपनी लिमिटेड और रहेजा क्यूबीई जनरल इश्योरेंस कंपनी लिमिटेड को सामान्य बीमा कारोबार की अनुमति प्रदान की। प्राधिकरण ने कैनरा एचएसबीसी ओरियेन्टल बैंक आफ कामर्स लाइफ इश्योरेंस कंपनी लिमिटेड्स, एगान रेलिगेयर लाइफ

इश्योरेंस लिमिटेड, डीएलएफ प्रैमेरिका लाइफ इश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, स्टार यूनियन दाईची लाइफ इश्योरेंस कंपनी लिमिटेड को जीवन बीमा कारोबार में इजाजत दी। इनके रजिस्ट्रेशन के साथ ही प्राधिकरण में दर्ज कंपनियों की संख्या जीवन बीमा कारोबार में 22 तथा सामान्य बीमा कारोबार में 21 हो गई है। बीमा एक्ट 1938 के भाग-3 ए के अंतर्गत जीवन बीमा तथा गैरजीवन बीमा क्षेत्र में कार्यरत सभी कंपनियों के रजिस्ट्रेशन का नवीनीकरण किया गया है।

01-04-2008 से लेकर 30-09-2009 तक विभिन्न बीमाप्रदाताओं पर लगाये गये अर्थदंड इस प्रकार हैं।

क्र. स.	बीमा कंपनी	अर्थदंड	संक्षिप्त कारण
1.	मैक्स न्यूयार्क लाइफ इश्योरेंस कंपनी लिमिटेड	रु. 5,00,000/-	धारा 102(बी) के अंतर्गत कंपनी द्वारा प्राधिकरण द्वारा बनाये गये यूलिप नियमों के उल्लंघन की वजह से अर्थदंड
2.	आईसीआईसीआई लोम्बार्ड जनरल इश्योरेंस कंपनी लिमिटेड	रु. 5,00,000/-	धारा 105 बी के अंतर्गत प्राधिकरण द्वारा बनाये गये प्रवासी भारतीय बीमा योजना के फाइल एंड यूज मार्गदर्शन नियमों के उल्लंघन के तहत अर्थदंड
3.	नेशनल इश्योरेंस कंपनी लिमिटेड	रु. 2,00,000/-	धारा 105 बी के अंतर्गत इंडियन आईल कार्पोरेशन के पुनर्बीमा से जुड़े हुए जोखिम के संबंध में प्राधिकरण के मार्गदर्शन और नियमों के उल्लंघन के संबंध में अर्थदंड
4.	यूनाईटेड इंडिया इश्योरेंस कंपनी लिमिटेड	रु. 2,00,000/-	धारा 105 बी के अंतर्गत इंडियन आईल कार्पोरेशन के पुनर्बीमा से जुड़े हुए जोखिम के संबंध में प्राधिकरण के मार्गदर्शन और नियमों के उल्लंघन के संबंध में अर्थदंड
5.	न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी लिमिटेड	रु. 2,00,000/-	धारा 105 बी के अंतर्गत इंडियन आईल कार्पोरेशन के पुनर्बीमा से जुड़े हुए जोखिम के संबंध में प्राधिकरण के मार्गदर्शन और नियमों के उल्लंघन के संबंध में अर्थदंड
6.	नेशनल इश्योरेंस कंपनी लिमिटेड	रु. 5,00,000/-	अनुच्छेद 105 बी के अंतर्गत प्राधिकरण के मार्गदर्शन और विनियमन के उल्लंघन के संबंध में अर्थदंड
7.	न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी लिमिटेड	रु. 5,00,000/-	अनुच्छेद 105 बी के अंतर्गत प्राधिकरण के मार्गदर्शन और विनियमन के उल्लंघन के संबंध में अर्थदंड
8.	इफको- टोकियो जनरल इश्योरेंस कंपनी लिमिटेड	रु. 5,00,000/-	अनुच्छेद 105 बी के अंतर्गत प्राधिकरण के मार्गदर्शन और विनियमन के उल्लंघन के संबंध में अर्थदंड
9.	रिलायंस जनरल इश्योरेंस कंपनी लिमिटेड	रु. 20,00,000/-	अनुच्छेद 105 बी के अंतर्गत प्राधिकरण के मार्गदर्शन और विनियमन के उल्लंघन के संबंध में अर्थदंड
10.	एचडीएफसी एगो जनरल इश्योरेंस कंपनी लिमिटेड	रु. 5,00,000/-	अनुच्छेद 105 बी के अंतर्गत प्राधिकरण के मार्गदर्शन और विनियमन के उल्लंघन के संबंध में अर्थदंड

(ब) निर्दिष्ट पालिसी, पालिसीधारक द्वारा नामांकन, बीमित ज़्याज, क्लेम का निपटारा, सरेंडर करते वक्त पालिसी का मूल्य तथा बीमा अनुबंध से जुड़ी हुई शर्तें

प्राधिकरण ने बीमाप्रदाताओं और मध्यस्थों को खरीदने तथा क्लेम करने के वक्त बहुत से विनियमन दिये हैं। पालिसीधारक को सेवायें देने की समयावधि कितनी है यह भी विनियमन का हिस्सा है। इसके साथ ही इन विनियमनों से पालिसीधारक की शिकायतों के लिए प्रभावी तरीका खोज लिया गया है। प्राधिकरण ने जीवन और गैरजीवन बीमा क्षेत्र में पालिसीधारकों के लिए शिकायत सेल का गठन किया है। इसके साथ ही वरिष्ठ नागरिकों के लिए स्वास्थ्य बीमा संबंधी शिकायतों के लिए भी पृथक श्रृंखला तैयार की है। प्राधिकरण इस बात की कोशिश तो कर ही रहा है कि पालिसीधारक की शिकायतें बीमाप्रदाता सुने। वह यह भी अध्ययन कर रहा है कि कौन से ऐसे मुद्दे हैं जिनसे शिकायतें उभर रही हैं और व्यवस्था को परिशुद्ध करने अध्ययन चल रहा है।

(स) बीमा मध्यस्थों और अभिकर्ताओं के लिए अपेक्षित शैक्षणिक योग्यता, आचार संहिता तथा प्रायोगिक प्रशिक्षण के लिए शर्तें:

बीमा व्यवसाय से जुड़े मध्यस्थों के लिए लाइसेंस तथा आचार संहिता आईआरडीए एक्ट 1999 के तहत बनाये गये विनियमन में स्पष्ट किये गये हैं। (बीमा सर्वेक्षण और हानि मूल्यांकन(लाइसेंस के लिए जरूरी पेशेवर योग्यता और आचार संहिता) विनियमन 2000, बीमा नियामक एवं विकास प्राधिकरण(कार्पोरेट अभिकर्ताओं को लाइसेंस जारी करना) विनियमन 2002, बीमा नियामक एवं विकास प्राधिकरण(बीमा मध्यस्थ) विनियमन 2002

(द) हानि निर्धारकों और सर्वेक्षकों के लिए निर्धारित आचार संहिता

सर्वेक्षकों और हानि निर्धारकों के लिए बनी आचार संहिता(पेशेवर कार्य हेतु) प्राधिकरण के विनियमन के अध्याय छह में दर्ज हैं। विनियमन 15 संहिता के बारे में विस्तृत जानकारी प्रदान करता है जिसके मुताबिक हानि निर्धारकों और सर्वेक्षकों को नैतिक व्यवहार करना चाहिए और उनका रूख पेशेवर होना चाहिए। वह पेशेवर और व्यावसायिक न्याय के लिए कार्य करें और किसी बीमाप्रदाता द्वारा जारी किये गये पालिसी से संबंधित क्लेम पालिसीधारक द्वारा किये जाने पर निष्पक्ष व्यवहार

सुनिश्चित करे। वह विनम्रता का आचरण करे और अपने कार्य के दौरान संबंधित सभी पक्षों की बातों पर ध्यान दे। संहिता ने सर्वेक्षकों को यह भी निर्देश दिये हैं कि वह पहला तो ऐसे कार्य को अपने हाथ में न ले जो वह नहीं कर सकता हो जब तक कि इसे किसी तरह का सहयोग या सलाह न मिले जिससे कि वह कार्य को भलीभाँति कर सके। दूसरा यह कि वह अपने पेशेवर कार्य को पूरे परिश्रम, सावधानी और दक्षता के साथ करे, कार्य करते हुए वह तकनीकी तथा पेशेवर मानदंडों को ध्यान में रखे तथा साथ ही अपने पेशे में आ रहे सभी बदलावों से परिचित रहे। तीसरा यह कि वह अपने कार्यों को लेखाजोखा पूरी तरह से बनाये रखे जो पूरी तरह से विधि के अनुसार हों। चौथा अपने सहयोगियों को पेशेवर योग्यता प्राप्त करने के लिए प्रेरित करे उन्हें मुफ्त में आर्टिकलशिप प्रदान करे और 12 महीने का प्रायोगिक प्रशिक्षण प्रदान करे। पांचवां सर्वे के लिए रजिस्टर रखें छठवां अपनी मुलाकातों को सभी पक्षों को बताये जो पूर्वाग्रह से ग्रसित लग सकती है या किसी पक्ष को भौतिक रूप से नुकसान पहुंचा सकती है। सातवां पालिसीधारक, अभिकर्ता या नियोक्ता के संबंध में प्राप्त किसी भी सूचना को उनकी सहमति के बगैर किसी तीसरे पक्ष को नहीं बताना। आठवां किसी गोपनीय सूचना को अपने या किसी तीसरे पक्ष के लाभ के लिए उपयोग नहीं करना।

(इ) बीमा व्यवसाय करते हुए दक्षता को बढ़ाना

प्राधिकरण ने बीमा कंपनियों को निर्देश दिया है कि वह एक उचित व्यवस्था का निर्माण करें और अपने कर्मचारियों को उचित प्रशिक्षण प्रदान करे ताकि बीमा व्यवसाय में दक्षता वृद्धि हो।

(फ) बीमा और पुनर्बीमा व्यवसाय से जुड़े हुए संगठनों को विनियमित करना और बढ़ावा देना

जीवन बीमा परिषद और सामान्य जीवन बीमा परिषद इस क्षेत्र से जुड़े हुए पक्षों को बीमा व्यवसाय के स्वस्थ विकास के लिए आपस में बातचीत करने और नये मानदंड उपलब्ध कराने मंच प्रदान करते हैं। इस तरह के स्वतःनियामक संगठनों का उभरना पूरे उद्योग की बेहतरी के लिए शुभसंकेत है। इसी संदर्भ में प्राधिकरण ने लाइसेंस प्राप्त मध्यस्थों के लिए इंडियन ब्रोकर एसोसिएशन आफ इंडिया(आईबीए) का सदस्य होना अनिवार्य कर दिया है।

(ग) एंजिट के लिए लेवी फीस और अन्य तरह के शुल्क

बीमा एक्ट के भाग तीन के तहत प्राप्त अधिकारों से प्राधिकरण बीमाप्रदाताओं और अन्य मध्यस्थों से पंजीयन और नवीनीकरण शुल्क लेता है। यद्यपि पंजीकरण के लिए आवेदन की स्वीकृति दिये जाने के समय 50000 रुपये शुल्क लिया जाता है और बाद में इस संबंध में शुल्क नहीं लिया जाता। पंजीकरण के नवीनीकरण के लिए लिया जाने वाला शुल्क भारत में किये सकल प्रत्यक्ष व्यवसाय (ग्रास डायरेक्ट बिजनेस रिटर्न इन इंडिया (जीडीपी)) के 1 प्रतिशत का 10 वां हिस्सा होगा। अथवा यह पांच करोड़ रुपये (अधिकतम) तक व्यवसाय किये जाने की शर्त में पचास हजार रुपये होगा। पुनर्बीमा के मामले में लिया गया शुल्क भारत में पुनर्बीमा प्रदाता द्वारा किये गये आकस्मिक व्यवसाय पर आधारित होगा। यह प्राधिकरण के विनियमन 20 (भारतीय बीमा कंपनियों का पंजीकरण) वर्ष 2000 में किये गये संशोधन पर जिसे फरवरी 2003 में सलाहकार परिषद की अनुमति के बाद जारी किया गया, पर आधारित है।

(ह) बीमा व्यवसाय से जुड़े बीमाप्रदाता, मध्यस्थ, बीमा मध्यस्थ तथा अन्य संगठनों से जुड़ी सूचनाएं, निरीक्षण, पूछताछ और जांच (आडिट के साथ)

वित्तीय वर्ष 2008-09 इस व्यवसाय को बीमा कंपनियों के प्रचालन के लिए खोले जाने का नवां साल था। प्राधिकरण ने प्रारंभ से ही इन पर व्यापक निरीक्षण प्रारंभ कर दिया था लेकिन यह बात भी ध्यान में रखी गई कि पूरी तौर पर निरीक्षण करने से पहले पंजीबद्ध कंपनियों को कार्य प्रचालन में स्थिरता आने तक के लिए थोड़ा समय दिया जाये।

(ई) सामान्य बीमा कारोबार के अंतर्गत बीमाप्रदाता द्वारा उपलब्ध कराई गई दर, लाभ, नियम और शर्तें बीमा एंजिट 1938 के अनुच्छेद 64 यू के अंतर्गत प्रशुल्क सलाहकार समिति द्वारा नियंत्रित व विनियमित नहीं

विप्रशुल्कीकरण की प्रक्रिया 1994 में आरंभ हुई जब मल्होत्रा समिति ने गैरजीवन बीमा शाखा में प्रशुल्कों को धीरे-धीरे हटाने पर जोर दिया। इसके बाद मैरीन कार्गो (समुद्री मालवाहकों), वैयक्तिक दुर्घटना तथा बैंकर क्षतिपूर्ति पर प्रशुल्क 90 के दशक में हटा दिये गये।

विप्रशुल्कीकरण की प्रक्रिया 1994 में आरंभ हुई जब मल्होत्रा समिति ने गैरजीवन बीमा शाखा में प्रशुल्कों को धीरे-धीरे हटाने पर जोर दिया। इसके बाद मैरीन कार्गो (समुद्री मालवाहकों), वैयक्तिक दुर्घटना तथा बैंकर क्षतिपूर्ति पर प्रशुल्क 90 के दशक में हटा दिये गये। गैरजीवन बीमा क्षेत्र में निजी कंपनियों के प्रवेश से मध्यस्थों और बीमा कंपनियों द्वारा मुक्त मूल्य निर्धारण की मांग तेजी से की गई।

वाहन तृतीय पक्ष जोखिम के अलावा 1 जनवरी 2008 अथवा उसके बाद प्रभाव में आने वाले सभी नये बीमा और नवीनीकरण के मामले में बीमाप्रदाता प्रीमियम की दरें रखने के मामले में स्वतंत्र होंगे जो कि प्राधिकरण में दर्ज दरों के संबंध में तय किये गये मार्गदर्शन और अनुसूची के मुताबिक होंगे। वाहन तृतीय पक्ष जोखिम के लिये प्रीमियम दरें प्राधिकरण द्वारा विनियमित होंगी। सामान्य बीमा व्यवसाय में जोखिम मूल्यांकन से जुड़े हुए नियंत्रण से मुक्त के मुद्दे पर भी चर्चा की गई। इस बैठक में यह स्पष्ट किया गया कि सामान्य बीमा व्यवसाय के अंतर्गत फाइल एंड यूज प्रक्रिया के दिशानिर्देश प्राधिकरण के 28 सितंबर 2006 को जारी किये गये सर्कुलर क्रमांक 021/IRDA/F& के अनुसार क्रियाशील होंगे और बीमाप्रदाता उसी तरह से दरें और शर्तें दायर कर सकते हैं जैसे वह पूर्व में प्रशुल्क उत्पादों के साथ करते थे। इसके साथ ही प्राधिकरण ने निम्न फैसले लिये।

कवर से जुड़े हुए नियम और शर्तें तथा पालिसी से जुड़े हुए शब्द, खंड, आश्वासन, वारंटी और नियम, प्रशुल्क तब तक लागू रहेंगे जब तक प्राधिकरण द्वारा विभिन्न भागीदारों द्वारा सुझाये गये नये बाजार शब्द परीक्षित और स्वीकृत न कर लिये जायें।

प्राधिकरण ने सामान्य बीमा कारोबार के अंतर्गत आने वाले अग्नि, इंजीनियरिंग तथा औद्योगिक जोखिम, मोटर (ओडी) से जुड़े हुए नियम और शर्तों में ढील दिये जाने के मुद्दे पर नवंबर 2008 में विचार किया और इसे एक जनवरी 2009 से प्रभावी कर दिया गया। बीमाप्रदाताओं को इस बात की छूट दी गई है कि वह फाइल में परिवर्तन कर सकें ताकि पुराने प्रशुल्कों में कटौती की जा सके और बीमाप्रदाता इस बात की स्वीकृति बीमा पालिसी के अंतिम चरण तक पहुंचने से पहले पालिसीधारक से ले।

प्राधिकरण बीमा प्रदाता द्वारा रखी गई दर अनुसूची और इस संबंध में दिये गये मार्गदर्शन को इस शर्त पर स्वीकार करेगी कि

दरें बीमा नीति के अनुकूल और निदेशक मंडल द्वारा स्वीकृत हों तथा यह इस तरह बनाई गई हों कि इसका प्रचालन अनुपात (आपरेटिंग रेश्यो, क्लेम, कमीशन और प्रबंधन व्यय को जोड़कर) सकल बीमा आधार(ग्रास अंडरराइटिंग बेसिस) पर 100 प्रतिशत से अधिक न हो। यद्यपि प्राधिकरण अपने पास यह अधिकार रखती है कि वह इस तरह की दर अनुसूची और इस संबंध में दिये गये मार्गदर्शन पर प्रश्न उठा सके अथवा इसे स्वाधिकार से बदल सके।

(ज) लेखा रखरखाव से संबंधित प्रारूप और तरीके तथा बीमाप्रदाता और बीमा मध्यस्थों को जारी किये गये विवरण

(1) वित्तीय वर्ष 2008-09 से सभी बीमाप्रदाताओं को सरकार के विविध प्राधिकारियों द्वारा जारी विधिक कार्रवाईयों के विस्तृत विवरण रखने हैं। इस सूचना को बीमा प्रदाता द्वारा सांविधिक लेखा परीक्षक से सत्यापित करना आवश्यक है।

(2) बीमाप्रदाताओं को सलाह दी गई है कि वार्षिक आधार पर चार्टर एकाउंटेंट फर्म के विवरण उपलब्ध कराये जो विविध क्षमताओं से युक्त हों जैसे सांविधिक लेखा परीक्षक, आंतरिक लेखा परीक्षक, समवर्ती लेखा परीक्षक, कर लेखा परीक्षक और अन्य लेखा परीक्षक।

(3) नवीनीकरण के आवेदनों पर विचार करते समय प्राप्त स्पष्टीकरण और किये गये विश्लेषण के आधार पर प्राधिकरण का ध्यान इस बात की ओर गया कि शिकायतों का नहीं निपटाया जाना सामान्य कमी है इस कमी को दूर करने के लिए और इनकी पुनरावृत्ति रोकने हेतु प्राधिकरण ने मध्यस्थों को मार्गदर्शन प्रदान करने एक जांचसूची(चेकलिस्ट) जारी की है।

(क) बीमा कंपनियों द्वारा निवेशित फंड का विनियमन

बीमा कंपनियों द्वारा निवेशित फंड के संबंध में प्राधिकरण ने 2000 में विनियम जारी किये। इसके बाद लगातार वित्तीय मार्केट में हो रही नवीनताओं के चलते नये उत्पाद बाजार में आ रहे हैं। इसके चलते बीमा कंपनियों ने प्राधिकरण से मांग की है कि उन्हें इन नये माध्यमों में निवेश की इजाजत भी प्रदान की जाये। इसके प्रकाश में प्राधिकरण ने एक

कार्यसमूह गठित किया है जो बीमा कंपनियों को उपलब्ध निवेश साधनों के संबंध में आ रही परेशानियों के संबंध में सुझाव दे सके। कार्यसमूह द्वारा अधिनियम में संशोधनों के संबंध में सुझाव दिये गये ताकि प्राधिकरण बीमा कंपनियों द्वारा किये जा रहे फंड के निवेश के संबंध में अधिक लचीला रुख अपना सके। कार्यसमूह ने अपने सुझाव देते समय वर्तमान में दिये जा रहे रिटर्न और निवेश संबंधी सूचनाओं के निरीक्षण और इनके तरीकों में बदलाव के सुझाव भी दिये ताकि प्राधिकरण को निरीक्षण में अधिक आसानी हो सके। प्राधिकरण ने इन अनुशंसाओं की जांच की है। कुछ अनुशंसाओं के लिये अधिनियम में परिवर्तनों की जरूरत है। इनमें बदलावों के लिए कार्यरूप प्रस्तावित किया गया है। इसके अनुसार प्राधिकरण ने बीमा कंपनियों द्वारा फंड के निवेश के लिए नये विनियमन जारी किये हैं(चौथा संशोधन 2008)। चौथे संशोधन द्वारा आईआरडीए(निवेश) अधिनियम में किये गये कुछ महत्वपूर्ण परिवर्तन इस प्रकार हैं।

- (1) एक्सपोजर मानदंड(अधिक खुलापन) यूलिप फंड के लिए भी लागू
- (2) निवेश के तरीके पालिसीधारकों को उपलब्ध कराना, फंड और शेयरधारकों के फंड को साल्वेंसी मार्जिन तक बनाये रखना।
- (3) कस्टोडियन एकाउंट(संरक्षण में रखी गई) को साल्वेंसी मार्जिन से पृथक् रखना।
- (4) सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों और निजी क्षेत्र के उपक्रमों के लिए अलग-अलग प्रावधानों का तार्किकीकरण
- (5) उत्पाद जैसे गिरवी रखी प्रतिभूतियां(मार्गेज बैकड सिक्कुरिटी), कुछ विशेष प्रकार के म्यूचुअल फंड, बैंकों द्वारा इश्यू किये गये टीयर-2 बांड, आईपीओ को कुछ परिस्थितियों में स्वीकृत निवेश की श्रेणी में रखा गया है।
- (6) विभिन्न फंडों के बीच मूल्यांकन में होने वाली असंगतताओं का तार्किकीकरण
- (7) आधारिक संरचना की रिजर्व बैंक के अनुसार दी गई परिभाषा के मुताबिक करना जिससे बीमाप्रदाताओं को आधारिक संरचना में निवेश के लिए अधिक मौके मिले।
- (8) रीयल एस्टेट में निवेश की छूट और साल्वेंसी मार्जिन को लाइफ एंड पेंशन फंड के अंतर्गत पांच प्रतिशत करना।

इसके साथ ही अधिनियम को कार्यान्वित करने आईआरडीए के साथ इंस्टीट्यूट आफ चार्टर्ड एकाउंटेंट आफ इंडिया ने पूरी प्रक्रिया और व्यवस्था के लिए तकनीकी मार्गदर्शन जारी किये हैं जिससे प्रक्रिया अधिक सरल और सुसंगत हो साथ ही चार्टर्ड एकाउंटेंट फर्मों द्वारा उपयोग में लाये जाने वाले थर्ड पार्टी सर्टिफिकेशन माडल(तृतीय पक्ष

प्रमाणीकरण का माडल) के माध्यम से बड़े पैमाने पर किये गये निवेश को संभालने में सक्षम हो।

इसके साथ ही प्राधिकरण ने चार्टर्ड एकाउंटेंट आफ इंडिया के साथ बीमा कंपनियों द्वारा किये जा रहे निवेश कार्यों के आंतरिक एवं समवर्ती लेखापरीक्षा पर मार्गदर्शन भी जारी किया है जिससे परंपरागत और यूनिट लिंकड दोनों प्रकार के पोर्टफोलियो पर नजर रखी जा सके ताकि व्यवस्था से जुड़े हुए जोखिमों को कम किया जा सके।

(आई) साल्वेंसी मार्जिन बनाये रखने नियामकीय देखरेख

बीमा एक्ट 1938 के अनुच्छेद 64 वीए के अंतर्गत प्रत्येक बीमाप्रदाता के लिए साल्वेंसी मार्जिन बनाये रखना आवश्यक है। प्राधिकरण ने टर्म उत्पादों के लिए साल्वेंसी मार्जिन रखने की आवश्यकता के विचार पर ध्यान दे रही है ताकि बीमाप्रदाता अधिक अवधि के लिए और आसान दरों पर ऐसे अन्य उत्पाद ला सकें। प्राधिकरण ने लिंकड व्यवसाय के क्षेत्र में साल्वेंसी मार्जिन की आवश्यकता पर विचार किया है और इस संबंध में कुछ कारक सुझाये हैं जो 31 दिसंबर 2008 से प्रभावी हो गये हैं। इसके साथ ही, जीवन बीमा प्रदाताओं को निवेश संबंधी स्क्रिपवाइज जानकारी देने के साथ ही 31 मार्च 2009 तक की बीमांकिक मूल्यांकन संबंधी विवरण देने होंगे।

(म) बीमाप्रदाता और मध्यस्थों अथवा बीमा मध्यस्थों के बीच विवादों में न्याय निर्णयन

बीमाप्रदाता अथवा मध्यस्थों या बीमा मध्यस्थों के बीच होने वाले विवादों के मामले में आईआरडीए किसी भी तरह का न्यायनिर्णयन नहीं करता। बीमाप्रदाताओं को यह सलाह दी जाती है कि वह किसी अर्धन्यायिक अथवा न्यायिक माध्यम जैसे बीमा लोकपाल का सहारा ले। बीमाप्रदाता और मध्यस्थों के बीच विवाद की स्थिति में प्राधिकरण संबंधित पक्षों से स्पष्टीकरण मांग सकता है।

(न) प्रशुल्क सलाहकार समिति के कार्यों का पर्यवेक्षण

प्रशुल्कों के हटाये जाने से प्रशुल्क सलाहकार समिति को प्राधिकरण ने आंकड़ा भंडारण के लिए नियुक्त किया है जो विभिन्न श्रेणियों के बीमा के लिए आंकड़ों का रखरखाव करेगा। टीएसी(प्रशुल्क सलाहकार समिति) जीवन बीमाप्रदाताओं के लिए विशेष वेब आधारित आंकड़ों का संग्रह(डाटाबेस) रखेगा। इस संग्रह में जीवन परिषद(लाइफ

काउंसिल) के सुझावों को माना है और अपने उपयोग के दायरे को विस्तृत किया है। टीएसी की भूमिका धीरे-धीरे सीमित होती गई है। प्रशुल्कों के हटने से प्रशुल्क सलाहकार समिति किसी भी प्रकार के गैरजीवन बीमा व्यवसाय के दरों को विनियमित नहीं कर सकती।

(ओ) पेशेवर संगठनों को बढ़ावा देने और नियमित करने जारी विज्ञीय योजनाओं के संबंध में नियम एफ में दर्शाये गये

बीमा प्रदाता की प्रीमियम आय का प्रतिशत संबंधी स्पष्टीकरण प्राधिकरण ने नियम एफ में बीमाप्रदाता द्वारा पेशेवर संगठनों को प्रोत्साहित करने अथवा विनियमित करने हेतु वित्तीय योजनाओं के लिए किसी भी तरह की प्रीमियम आय पर प्रतिशत की बात नहीं कही है।

(प) बीमाप्रदाता द्वारा ग्रामीण एवं सामाजिक क्षेत्रों में किये गये जीवन बीमा और सामान्य बीमा व्यवसाय का प्रतिशतगत विवरण

बीमा एवं विकास प्राधिकरण 2002 द्वारा निर्धारित दायित्व(सामाजिक एवं ग्रामीण सेक्टर के संबंध में) जो बीमाप्रदाता को पहले पांच साल में करने हैं। सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों के मामले में वर्ष 2001-02 के प्रदर्शन से जोड़ा गया है। वर्ष 2007-08 में दर्ज किये गये संशोधनों के मुताबिक निजी क्षेत्र के बीमाप्रदाताओं को दसवें साल तक को आधार बनाना है। इसके साथ ही सार्वजनिक क्षेत्र के बीमाप्रदाताओं के दायित्वों पर पुनः विचार होगा। निजी क्षेत्र के बीमाप्रदाताओं का दायित्व इस प्रकार होगा।

ग्रामीण क्षेत्र :

- (i) जीवन बीमा प्रदाता के मामले में- प्रथम वर्ष में कुल पालिसियों की संख्या के सात प्रतिशत और दसवें वर्ष में इनकी संख्या का बीस प्रतिशत
- (ii) गैरजीवन बीमा प्रदाता के मामले में सकल प्रीमियम आय के मामले में पहले साल से प्रारंभ कर दो प्रतिशत से नवें साल में सात प्रतिशत तक

सामाजिक क्षेत्र में, सभी बीमाप्रदाताओं के संदर्भ में

पहले साल में पांच हजार लोगों से आरंभ कर दसवें साल में दस हजार लोगों तक।

वर्तमान बीमाप्रदाताओं के मामले में आईआरडीए एक्ट 1999(चार गैरजीवन बीमाप्रदाता और एलआईसी) के प्रारंभ होने की तिथि से ग्रामीण और सामाजिक क्षेत्रों में किया जाने वाला बीमा व्यवसाय 31 मार्च 2002 के लेखा वर्ष में किये गये व्यवसाय से कम नहीं होना चाहिए। प्राधिकरण द्वारा संशोधित विनियमन के मुताबिक ग्रामीण और सामाजिक क्षेत्रों में वर्ष 2007-08 से लेकर 2009-10 तक निर्धारित दायित्व इस प्रकार हैं।

(I) जीवन बीमा निगम

(ए) ग्रामीण क्षेत्रों से जुड़े दायित्व:

- (i) वित्तीय वर्ष 2007-08- 24 प्रतिशत और
- (ii) वित्तीय वर्ष 2008-09 एवं 2009-10 के लिए कुल पालिसियों का 25 प्रतिशत
- (बी) सामाजिक क्षेत्र से जुड़े दायित्व- 2007-08 एवं 2009-10 में 20 लाख लोगों का कवर लक्ष्य

(III) गैरजीवन प्रदाता:

(ए) ग्रामीण क्षेत्रों से जुड़े हुए दायित्व

- (i) वित्तीय वर्ष 2007-08- छह प्रतिशत और
- (ii) वित्तीय वर्ष 2008-09 एवं 2009-10 के लिए उस वर्ष कुल सकल प्रीमियम आय का सात प्रतिशत

(बी) सामाजिक दायित्व:

वित्तीय वर्ष 2007-08 के लिए:

- (i) वित्तीय वर्ष 2002-03 एवं 2004-05 में बीमाप्रदाताओं द्वारा कवर किये गये लोगों का औसत या
- (ii) साढ़े पांच लाख लोग, जो भी ज्यादा हो।

इस बात की संभावना है कि बीमाप्रदाताओं के दायित्वों में वित्तीय वर्ष 2008-09 तथा 2009-10 में दस प्रतिशत वृद्धि होगी यह वृद्ध वर्ष 2007-08 में कवर किये गये व्यक्तियों पर होगी।

माइक्रो इश्योरेंस (सूक्ष्म बीमा) को बढ़ावा देने के लिए तथा इसे ग्रामीण और सामाजिक दायित्वों से मिलाकर चलने के लिए माइक्रो इश्योरेंस अधिनियम में अनुपालन के तरीकों को जोड़ दिया गया है। इसके साथ ही बीमा कंपनियों को अपनी कार्य गतिविधियों को आरंभ करने के लिए पर्याप्त समय देने ताकि वह ग्रामीण और सामाजिक सेक्टर से जुड़ी हुई अपने दायित्व पूरे कर पायें, अधिनियम में संशोधन किया गया है। अगर बीमा कंपनी ने अपने कार्य का प्रारंभ वित्त वर्ष के आधे हिस्से से आरंभ किया है और प्रासंगिक वित्त वर्ष के 31 मार्च तक उसके कार्य को छह महीने नहीं हुए हैं तो इस अवधि के लिए उसके कोई ग्रामीण अथवा सामाजिक उत्तरदायित्व नहीं होंगे तथा अधिनियम में बताये गये वार्षिक दायित्व अगले साल से प्रभावी होंगे जो अनुपालन के प्रथम वर्ष के रूप में गिना जायेगा। यदि बीमा कंपनी साल की पहली छमाही में अपना काम आरंभ कर देती है तो अधिनियम के मुताबिक पहले साल से जुड़े हुए दायित्व पचास प्रतिशत होंगे।

(ंयू) शक्तियों का उपयोग

जिस तरह से विहित केंद्र सरकार ने प्राधिकरण के लिए किसी प्रकार की शक्ति विहित नहीं की है जिसके चलते प्राधिकरण किसी तरह की शक्ति का उपयोग नहीं करता।

भाग IV

संगठन से जुड़े तथ्य

I. संगठन

श्री सी. एस. राव के 14 मई 2008 को कार्यकाल पूरा कर लेने के बाद सेवानिवृत्त आईएएस अधिकारी श्री जे हरिनारायण ने 12 जून 2008 को बीमा नियामक एवं विकास प्राधिकरण के अध्यक्ष का पद संभाला है। श्री सी.आर. मुरलीधरन, श्री के.के. श्रीनिवासन, श्री जी प्रभाकर एवं डा. आर. कन्नन प्राधिकरण के पूर्णकालिक सदस्य बने हुए हैं।

इंस्टीट्यूट आफ चार्टर एकाउंटेंट आफ इंडिया के अध्यक्ष श्री उत्तम प्रकाश अग्रवाल की अल्पकालिक सदस्यता (पार्ट टाइम मेंबर) 6 फरवरी 2009 से प्रभावी हो गई है। बेसिक ग्रुप के चेयरमैन श्री विजय महाजन और सेवा (सेल्फ इंप्लायड वूमन्स आर्गेनाइजेशन) की संस्थापक श्रीमति इला भट्ट अल्पकालिक सदस्य के रूप में लगातार भागीदारी कर रहे हैं।

श्री वेद जैन 6 फरवरी 2008 से 5 फरवरी 2009 तक अल्पकालिक सदस्य बने रहे। भारत सरकार के वित्त मंत्रालय में व्यय सचिव श्रीमति सुषमा नाथ 19 फरवरी 2009 तक प्राधिकरण की अल्पकालिक सदस्य बनी रही। भारत सरकार के वित्त मंत्रालय में सचिव डा संजीव मिश्रा 18 फरवरी 2009 से प्राधिकरण के अल्पकालिक सदस्य बने हुए हैं। मंत्रालय में विनिवेश सचिव श्री राहुल खुल्लर 20 फरवरी 2009 को प्राधिकरण के अल्पकालिक सदस्य बने।

II. प्राधिकरण की बैठके

अप्रैल 2008 से लेकर मार्च 2009 तक प्राधिकरण की चार बैठकें संपन्न हुईं।

III. मानव संसाधन

प्राधिकरण के अंतर्गत आने वाले विभिन्न विभागों को और मजबूत बनाने असिस्टेंट डायरेक्टर (अतिरिक्त संचालक) और असिस्टेंट कैडर के अंतर्गत नियुक्ति प्रक्रिया अपनाई गई। वर्ष 2008-09 में जीवन, गैरजीवन, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, एफ एंड आई तथा लेखा और प्रशासनिक विभागों के अंतर्गत 15 अतिरिक्त संचालक और 23 असिस्टेंट की नियुक्ति की गई।

आंध्रप्रदेश सरकार के सहयोग से प्राधिकरण में हैदराबाद में इंस्टीट्यूट आफ इश्योरेंस एंड रिस्क मैनेजमेंट नामक संस्थान हैदराबाद में वर्ष 2002 में खोला। आईआईआरएम का निरीक्षण एक संचालक मंडल के द्वारा होता है जिसके अध्यक्ष आईआरडीए के चेयरमैन होते हैं।

IV. राजभाषा को प्रोत्साहन

प्राधिकरण में राजभाषा के संवैधानिक प्रावधानों को लागू करने अलग से हिंदी विभाग बनाया गया है यह विभाग भारत सरकार की राजभाषा की नीति को लागू करने के तहत मुख्यालयों तथा मातहत कार्यालयों में हिंदी के प्रयोग को प्रोत्साहन देता है। कार्यालयों में हिंदी के प्रयोग को बढ़ावा देने के लिए विशेष प्रयास किये गये हैं। वर्ष 2008-09 के लिए राजभाषा विभाग द्वारा जारी किये गये निर्देशों के मुताबिक कार्यालयों में हिंदी के उपयोग में हो रही वृद्धि की दशा पर निश्चित समयांतराल में विचार किया जाता है और लक्ष्य प्राप्त करने के लिए आवश्यक उपाय अपनाये जाते हैं। प्राधिकरण हर महीने एक जर्नल प्रकाशित करता है जिसमें हिंदी की सामग्रियां भी शामिल होती हैं। प्राधिकरण द्वारा जारी किये गये सभी प्रकार के नोटिस द्विभाषिक रूप में होते हैं।

V. प्राधिकरण में सूचना प्रौद्योगिकी की स्थिति

प्रभावी निरीक्षण प्रणाली सुनिश्चित करने प्राधिकरण ने वर्ष 2008-09 में बहुत से सूचना प्रौद्योगिकी उपायों का कार्यान्वयन आरंभ किया। प्राधिकरण ने प्रभावी नियामक एवं व्यावसायिक विश्लेषण करने प्रोजेक्ट आरंभ किये हैं। बीमाधारकों का संरक्षण तय करने हेतु नियमन बीमाप्रदाताओं के स्तर तक प्रभावी रूप से लागू किये गये हैं। प्राधिकरण ने एक केंद्रीय पालिसीधारक शिकायत (सेन्ट्रलाइज्ड पालिसीहोल्डर ग्रीविएन्ज) के आंकड़े तैयार करने का कार्य आरंभ कर दिया है इसके माध्यम से बीमा प्रदाताओं द्वारा किये जा रहे शिकायतों के निपटारे की कार्यवाही पर नजर रखी जा सकेगी। इस व्यवस्था के द्वारा पालिसीधारक बीमाप्रदाता की शिकायत भी कर पायेगा। वर्तमान में काम कर रहे पोर्टल भागीदारों की जरूरतों के मुताबिक अपने को बदल पायें तथा तकनीकी क्षेत्र में हो रही बढ़त को आत्मसात कर सकें इसके लिए पोर्टल के नवीनीकरण का कार्य भी आरंभ किया गया है।

व्यावसायिक विश्लेषण प्रोजेक्ट:

वर्तमान में उपलब्ध नियामक उपायों की सीमित उपयोगिता को तथा नई नियामक जरूरतों के उभरने के चलते प्राधिकरण ने नियामक उपायों के नवीनीकरण का कार्यक्रम बनाया है। प्रस्तावित व्यवस्था (सिस्टम) न केवल इन जरूरतों को पूरा करेगी अपितु कार्यप्रचालन (आपरेशनल) और विश्लेषण (एनालिटिक्स) जरूरतों को भी पूरा करेगी। यह प्रोजेक्ट दो चरणों में पूरा होगा। प्रथम चरण के अंतर्गत एनालिसिस फेस होगा जो आरंभ हो चुका है तथा दिसंबर 2009 तक इसका कार्य पूर्ण हो जाने की संभावना है।

हैदराबाद में इंश्योरेंस इनफार्मेशन ज्युरो का गठन:

हैदराबाद में इंश्योरेंस इनफार्मेशन ब्यूरो में डाटा सेंटर स्थापित करने का कार्य इस साल खत्म कर लिया गया और टीएसी द्वारा किया जा रहा सभी प्रकार का डाटा कलेक्शन(आंकड़ों संग्रहण) और इन्हे व्यवस्थित करने का काम भी आईआरडीए हैदराबाद को स्थानांतरित कर दिया गया है। डाटा सेंटर का प्रबंध करने पृथक दल तैयार किया गया है। नये डाटा सेंटर ने बहुत से सूचना प्रौद्योगिकी उपाय आरंभ किये हैं जिससे बीमा उद्योग को खासा लाभ पहुंचेगा।

एकीकृत शिकायत प्रबंधन व्यवस्था का विकास

वर्तमान में बीमा उद्योग में कार्य कर रहे शिकायत निवारण व्यवस्था में सुधार लाने बीमा नियामक एवं विकास प्राधिकरण ने एकीकृत शिकायत प्रबंधन व्यवस्था (आईजीएमएस) के विकास की दिशा में काम करना आरंभ कर दिया है।

प्रस्तावित आनलाइन आईजीएमएस बीमाप्रदाताओं के विरुद्ध आई सभी शिकायतों को प्राप्त करने में सक्षम होगा। इसके माध्यम से पालिसीधारक सभी बीमाप्रदाताओं के विरुद्ध की गई शिकायतें देख पायेंगे। इसका गुण केवल इस बात को लेकर नहीं है कि पालिसीधारकों को इस बात के आंकड़े मिल गये इसका महत्व इस बात को लेकर भी है कि इसके माध्यम से प्राधिकरण लगातार शिकायत उपचार प्रक्रिया के क्रियान्वयन पर नजर रख पायेगा। इस प्रकार प्रस्तावित आनलाइन आईजीएमएस प्राधिकरण के उद्देश्यों को इस प्रकार से पूरा कर पायेगा।

- पालिसीधारकों के साथ सही व्यवहार और उनके हितों की सुरक्षा
- वास्तविक शिकायतों का अतिशीघ्र निपटारा और प्रभावी शिकायत निवारण तंत्र की मौजूदगी सुनिश्चित करना।

प्राधिकरण ने आईजीएमएस के कार्यकलापों के लिए आवश्यक व्यवस्था के गठन की प्रक्रिया आरंभ कर दी है।

एजेंसी लाइसेंसिंग पोर्टल का नवीनीकरण :

प्राधिकरण ने बीमा एजेंट को जारी किये जाने वाले लाइसेंस के लिए एक पोर्टल तैयार किया था (222.द्वहस्तदुश्रुद्यद्वदुद.शहद । पोर्टल वर्ष 2000 से काम कर रहा है। 42 बीमा कंपनियां और 500 से अधिकृत व्यक्ति इन सुविधा का उपयोग इस समय कर रहे हैं। इस पोर्टल के

माध्यम से 40 लाख लाइसेंस जारी किये जा चुके हैं और हर दिन 3000 लाइसेंस जारी किये जाते हैं। प्राधिकरण ने इस पोर्टल के नवीनीकरण की जरूरत समझी ताकि एजेंट एप्लिकेशन के अलावा विभिन्न भागीदारों जैसे बीमाप्रदाताओं, एजेंट ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट और एक्जामिनेशन बाडी(परीक्षा लेने वाली संस्थाएं) तक इसकी पहुंच बनाई जा सके। इस पोर्टल को वैविध्य भरी वेब तकनीक के माध्यम से बनाया गया है और यह वेब तथा इंटरनेट की तकनीकी संभावनाओं का उपयोग करने में पूर्णरूपेण सक्षम है। अबाधित व्यवसाय को सुनिश्चित करने प्राधिकरण ने नई एजेंसी पोर्टल के लिए एक डिस्टास्टर रिकवरी साइट(आपदा नियंत्रण साइट) के निर्माण की योजना भी बनाई है जिससे प्राथमिक साइट के फेल होने की दशा में इसकी मदद से कार्य जारी रखा जा सके।

सूचना प्रौद्योगिकी आधारिक ढांचा:

संगठन की बढ़ती विकास आवश्यकताओं को देखते हुए सूचना प्रौद्योगिकी आधारिक ढांचे से जुड़ी सुविधाओं का लगातार प्रसार किया गया है।

VI. लेखा प्राधिकरण

लेखा प्राधिकरण के लिए वर्ष 2008-09 के लिए लेखा भारत सरकार के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक ने तैयार किया है। आईआरडीए एक्ट 1999 की धारा 17 के मुताबिक आडिट रिपोर्ट और लेखा की प्रति भारत सरकार को सौंप दी गई है जिसे संसद के दोनों सदनों में रखा जा चुका है। वर्ष 2008-09 के एकाउंट की प्रति अनुच्छेद(एनेक्जर) 10 में रखी गई है।

VII. आईएसओ 2000 रजिस्ट्रेशन

पहले की तरह ही वर्ष 2008-09 में गुणवत्ता की जांच के लिए आडिट कराया गया जिससे प्राधिकरण आईएसओ 9001-2000 सर्टिफिकेट के अनपालन के संबंध में जानकारी प्राप्त हो।

VIII. આઈઆરડીए जर्नल

नवंबर 2009 में आईआरडीए के मासिक प्रकाशित होने वाले जर्नल ने 7 साल पूरे कर लिये। जर्नल को इस उद्योग से जुड़े गुणवत्ता युक्त लेखों के लिए जाना जाता है। जर्नल की स्वीकार्यता सूचनाओं के स्रोत के रूप में, रोचक लेखों के लिए, रिसर्च पेपर के लिए, सर्कुलर की जानकारी, नोटिस तथा इस उद्योग से जुड़े व्यावसायिक आंकड़े प्राप्त करने बढ़ी है।

जर्नल की वेब कापी के पाठकों की संख्या लगातार बढ़ रही है और इसकी हार्ड कापी (मूल प्रति) की मांग भी सतत रूप से बढ़ रही है।

इस अवधि में जीवन बीमा के उत्पाद, बीमाधारकों के लिए संपत्ति-त्राणा प्रबंधन, स्वास्थ्य बीमा, जीवन बीमा की वैधता समाप्त होना, बीमा से जुड़े क्लेम, बीमा में मध्यस्थों की भूमिका, इंश्योरेंस राइडर, समूह बीमा, बीमा में खतरे, विभिन्न उत्पाद, उपभोक्ता से सही व्यवहार आदि विषयों पर लेख छपे हैं। जून और जुलाई का अंक एक साथ निकला और इस प्रकार से हमने साल भर में 11 अंक निकाले।

IX. धन्यवाद ज्ञापन

प्राधिकरण बीमा सलाहकार समिति, पुर्नबीमा सलाहकार समिति, बीमा प्रभाग(वित्त मंत्रालय), बीमा प्रदाताओं तथा सभी मध्यस्थों को अमूल्य सलाह तथा सहयोग देने और प्राधिकरण के अधिकारियों और कर्मचारियों को जिन्होंने दक्षता से अपने कार्य का निर्वाह किया, धन्यवाद ज्ञापित करती है। प्राधिकरण अपना विशेष धन्यवाद जनता को, प्रेस को, पेशेवर संस्थाओं तथा अंतरराष्ट्रीय एजेंसियों को भी देना चाहती हैं जिन्होंने समय- समय पर मूल्यवान योगदान प्रदान किये।

विवरण एवं संगल्लक

विवरण 1

घरेलू क्षेत्र का वित्त बचत (सकल)

प्रतिशत	2004-05 अं	2005-06P	2006-07	2007-08 अं	2008-09#
मद					
वित्तीय बचत सकल	100.0 (13.9)	100.0 (16.7)	100.0 (15.8)	100.0 (15.2)	100.0 (14.0)
क) मुद्रा	8.5 (1.2)	8.9 (1.5)	10.2 (1.6)	11.40 (1.7)	12.50 (1.8)
ख) जमा	37.2 (5.2)	47.0 (7.8)	49.1 (7.7)	52.2 (7.9)	58.5 (8.2)
i) बैंकों में	36.5	46.0	47.8	50.4	54.9
ii) गैर बैंकिंग कंपनियों में	0.8	1.0	0.2	0.5	1.8
iii) सहकारी बैंकों एवं संघों में	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
iv) व्यापार ऋण (शुद्ध)	0.0	0.0	1.0	1.3	1.8
ग) शेयर एवं डिबेंचर	1.1 (0.2)	5.1 (0.9)	9.0 (1.4)	12.4 (1.9)	2.6 (0.4)
i) निजी निगम कारोबार	1.4	1.3	3.7	4.4	4.2
ii) बैंकिंग	0.1	0.1	0.0	0.1	0.1
iii) यूनिट ट्रस्ट आफ इंडिया के यूनिट	-0.7	-0.1	0.0	0.0	-0.4
iv) सार्वजनिक उपक्रमों के बंध पत्र	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1
v) म्यूचुअल फंड (यूटीआई से भिन्न)	0.4	3.8	5.3	7.9	-1.4
घ) सरकार पर दावे	24.5 (3.4)	14.6 (2.4)	3.0 (0.5)	-4.0 (-0.6)	-3.1 (-0.4)
i) सरकारी सुरक्षाओं में निवेश	4.9	2.4	0.3	-2.1	-4.5
ii) लघु बचत अदि में निवेश	19.6	12.2	2.7	-1.9	1.4
ङ) बीमा निधियाँ	15.7 (2.2)	14.0 (2.3)	17.7 (2.8)	18.0 (2.7)	20.1 (2.8)
i) जीवन बीमा निधियाँ	15.1	13.4	17.1	17.4	19.5
ii) डाक बीमा	0.3	0.3	0.3	0.4	0.3
iii) राज्य बीमा	0.2	0.3	0.3	0.2	0.3
च) भविष्य एवं सेवानिवृत्ति निधियाँ	13.0 (1.8)	10.5 (1.7)	11.1 (1.7)	9.9 (1.5)	9.5 (1.3)

अं: अंतरिम # : प्राथमिक अनुमान

टिप्पणी: 1. कोष्ठकों में दिये गये अंक वर्तमान भाव पर जीडीपी है।

2. राउंड करने से संघटक कुल के साथ नहीं जुड़ेंगे। स्रोत: भारतीय रिजर्व बैंक

बीमा के विस्तार की अंतर्राष्ट्रीय तुलना

प्रतिशत में

महादेश / देश	2008**			2007**		
	कुल	जीवन	गैर-जीवन	कुल	जीवन	गैर-जीवन
अस्ट्रिया	7.30	4.40	2.90	6.80	3.80	3.00
ब्राजील	3.00	1.40	1.60	3.00	1.40	1.60
कनाडा	7.00	3.20	3.80	7.00	3.20	3.80
फ्रांस	9.20	6.20	3.00	10.30	7.30	3.00
जर्मनी	6.60	3.00	3.50	6.60	3.10	3.60
नीदरलैंड्स	12.90	4.50	8.50	13.40	4.70	8.70
रूस	2.30	0.00	2.30	2.40	0.10	2.40
दक्षिण अफ्रीका	15.30	12.50	2.90	15.30	12.50	2.80
स्विट्जरलैंड	9.90	5.50	4.40	10.30	5.70	4.60
ग्रेट ब्रटेन	15.70	12.80	2.90	15.70	12.60	3.00
संयुक्त राष्ट्र	8.70	4.10	4.60	8.90	4.20	4.70
एशिया						
हांगकांग	11.20	9.90	1.30	11.80	10.60	1.20
जापान	9.80	7.60	2.20	9.60	7.50	2.10
मलेशिया	4.30	2.80	1.50	4.60	3.10	1.50
सिंगापुर	7.80	6.30	1.60	7.60	6.20	1.50
दक्षिण कोरिया	11.80	8.00	3.70	11.80	8.20	3.60
ताईवान	16.20	13.30	2.90	15.70	12.90	2.80
थाईलैंड	3.30	1.80	1.50	3.40	1.80	1.50
भारत ##	4.60	4.00	0.60	4.70	4.00	0.60
बांग्लादेश	0.90	0.70	0.20	0.70	0.50	0.20
इंडोनेशिया	1.30	0.90	0.40	1.60	1.10	0.50
ईरान	1.10	0.10	1.10	1.30	0.10	1.20
पाकिस्तान	0.80	0.30	0.40	0.70	0.30	0.40
फिलीपिन्स	1.40	0.90	0.50	1.50	0.90	0.50
चीन	3.30	2.20	1.00	2.90	1.80	1.10
श्रीलंका	1.40	0.60	0.90	1.50	0.60	0.90
विश्व	7.10	4.10	2.90	7.50	4.40	3.10

स्रोत: स्विस् रे, सिग्मा, अंक 3/2008 एवं 3/2009

* बीमा घनता को किशत पर अनुपात के जीडीपी के रूप में अनुपात को मापा जायेगा

** डाटा कैलेंडर वर्षों से संबंधित है।

विवरण 3

बीमा पहुँच की अंतर्राष्ट्रीय तुलना*

प्रतिशत में

महादेश / देश	2008**			2007**		
	कुल	जीवन	गैर-जीवन	कुल	जीवन	गैर-जीवन
अस्ट्रिया	3386.5	2038.0	1348.6	3000.2	1674.1	1326.1
ब्राजील	244.5	115.4	129.1	202.2	95.3	106.9
कनाडा	3170.8	1442.7	1728.0	3053.8	1386.8	1667.0
फ्रांस	4131.0	2791.9	1339.2	4147.6	2928.3	1219.3
जर्मनी	2919.2	1346.5	1572.7	2662.1	1234.1	1427.9
नीदरलैंड्स	6849.5	2366.0	4483.5	6262.9	2192.4	4070.5
रूस	273.5	5.4	268.1	209.4	6.1	203.3
दक्षिण अफ्रीका	870.6	707.0	163.6	878.5	719.0	159.5
स्विट्जरलैंड	6379.4	3551.5	2827.9	5740.7	3159.1	2581.7
ग्रेट ब्रटेन	6857.8	5582.1	1275.7	7113.7	5730.5	1383.2
संयुक्त राष्ट्र	4078.0	1900.6	2177.4	4086.5	1922.0	2164.4
एशिया						
हांगकांग	3310.3	2929.6	380.8	3373.2	3031.9	341.3
जापान	3698.6	2869.5	829.2	3319.9	2583.9	736.0
मलेशिया	345.4	225.9	119.5	332.1	221.5	110.6
सिंगापुर	3179.0	2549.0	630.0	2776.0	2244.7	531.2
दक्षिण कोरिया	1968.7	1347.7	621.0	2384.0	1656.6	727.3
ताइवान	2787.6	2281.1	499.6	2628.0	2165.7	462.3
थाईलैंड	142.1	77.2	64.9	129.7	70.8	58.9
भारत ##	47.4	41.2	6.2	46.6	40.4	6.2
बांग्लादेश	4.4	3.3	1.1	2.9	1.9	0.9
इंडोनेशिया	29.5	20.1	9.4	30.0	20.4	9.5
ईरान	58.8	4.0	54.8	49.2	3.0	46.2
पाकिस्तान	6.8	2.8	4.0	6.5	2.6	3.9
फिलीपिन्स	25.6	16.2	9.5	23.9	15.1	8.8
चीन	105.4	71.7	33.7	69.9	44.2	25.5
श्रीलंका	32.1	12.8	19.3	24.9	10.2	14.7
विश्व	633.9	369.7	264.2	607.7	358.1	249.6

स्रोत: स्विस् रे, सिग्मा, अंक 3/2008 एवं 3/2009

* बीमा घनता को किशत पर अनुपात के जीडीपी के रूप में अनुपात को मापा जायेगा

** डाटा कैलेंडर वर्षों से संबंधित है।

राजस्व खाता: सभी जीवन बीमाकर्ता

[illegible]

कोष्ठक में अंक नकारात्मक मूल्य बताते हैं।

विवरण 5

(रु. लाखों में)

अंशधारक खाता: सभी जीवन बीमाकर्ता

[illegible]

विवरण 5

(रू. लाखों में)

अंशधारक खाता: सभी जीवन बीमाकर्ता

[illegible]

तुलन पत्र: सभी जीवन बीमाकर्ता (31 मार्च तक)

[illegible]

निधि का उपयोग

[illegible]

तुलन पत्र: सभी जीवन बीमाकर्ता (31 मार्च तक)

निर्दिष्टों के कोड																							
स्टॉक एक्जॉइटी	रेट लाइफ	अविवा	सहाय	क्षीरम	भारती ए एक्स ए	एनएच वराली	आईडीबीआई	एनोन	केनरा	स्टार													
2009	2008	2009	2008	2009	2008	2009	2008	2009	2008	2009	2008	2009	2008	2009	2008	2009	2008	2009	2008	2009	2008	2009	2008
शेयरधारकों की निधि																							
शेयर यूनि	151950	87000	158000	76108	149380	100450	22320	23187	12500	12500	68843	36811	46850	18500	44891	18881	30000	40000	13705	15000	1825369	1228484	
शेयर यूनि ऑनम			15342	34449																	15342	34449	
शेयर आउटन शुल्क											10000	3000	3404								18886	12831	
कर्मचारियों टाक विलन कटपा								354	354	2536	1726	8957	7089								85	182	
बचतन एवं शेय								41	1	0	(170)	81	3	(28)	(7)	0	12500	5	17	19909	1196		
कुल शेय	151950	87000	173266	118970	149380	100450	23354	23883	15057	14226	85630	47381	50527	18500	44883	18884	30000	52600	13710	15017	2538466	1709594	
उत्तर			3947	5956																	3348	3605	
पॉलिसीधारकों की निधि																							
क्रय / (वपु) सहि मूल्य खाता बदलिये	(2043)	1041									0	0	1				1653				2774512	8613352	
पुनर्गुप्तन आश्रित - निवेश सर्वति																					3183	3183	
पातिसी टाकल	200042	146388	54541	33917	6937	4343	10148	5841	4420	2999	1023	578	3217	80	2526	27	402	3119	4	462	74328003	63985362	
बीमा रिजर्व																					364672	361343	
उड़े हुये दाविल के तिये प्रकशन	246132	154935	208889	122122	335028	246493	20487	13693	54500	36987	19000	5986	8471		27786	1137		21388	255	348	17382713	14048321	
कुल शेय	453111	542564	263430	156039	541865	258837	39830	19504	59880	39986	21823	6964	11890	80	30282	1164	2055	24507	259	3811	94874062	85921401	
अस्थीत कर दाविल																							
मदिय के लिये निधि	13658	17087	3773	505	11080	4637	48	29	192	23							5				186318	133803	
कुल	618708	446451	444506	271899	592225	396124	54232	43135	74208	54234	107463	53845	61847	18560	73195	21048	32060	77007	13969	18028	87613794	87767904	
निधि का उपयोग																							
निवेश																							
शेयरधारक	23810	27889	25782	26078	35362	25848	17967	22585	15410	14707	9589	13721	13579	12269	20120	15005	5315	27727	7824	12500	727211	697131	
पातिसीधारक	273225	162743	56386	16297	9621	5038	5934	4152	2280	1024	1024	581	3079	201	2516	3	450	3277	16	11	60526186	62186883	
उड़े हुये दाविल के तिये संपत्ति	246819	194022	210883	122883	316825	247963	20487	13603	54500	36987	19000	5986	8471		27786	1137	1658	21388	255	348	17776566	14581161	
क्रय	2897	1207	414	170			2														7966076	7258803	
स्वयं संपत्ति	15579	9985	11464	5409	5277	5441	815	722	589	423	4413	3540	7934	1315	1387	599	5768	5254	1405	2155	485223	337786	
बदली हुई कर संपत्ति (गुड)																							
अस्थीत कर संपत्ति																							
चालू संपत्ति																					31888	21788	
नाम टाक बैंक शेय	19550	7493	11408	13463	9948	17567	15665	407	6408	5137	2028	1467	2224	1139	6180	2243	959	2206	464	4048	2042337	2092488	
ऑनम एवं अन्य संपत्ति	28563	17426	13881	8085	11467	14673	2112	1301	1651	2087	9584	3889	4098	1003	5311	1672	3401	2800	790	630	3458277	2749062	
कुल शेय (ए)	40114	24819	25089	22328	21415	32140	3876	1688	8869	7225	13821	4866	6332	2142	11462	4015	4361	5106	1254	4978	5468814	4832650	
चालू संपत्ति	59071	38890	32550	35172	27978	29762	1741	1484	8503	7277	14837	10284	7885	1381	11443	2226	2541	8723	1158	6187	1182154	1345966	
प्राधान	949	865	1854	928	1128	1176	56	30	89	89	348	348	178	37	170	38	762	120	76	24	318797	311184	
कुल शेय (बी)	51520	39755	34795	36106	29106	31138	1797	1514	8893	7366	14885	10832	8613	1386	11212	2284	3303	8843	1222	6131	278881	2957890	
शुद्ध चालू संपत्ति = ((बी) = (ए - बी))	(11867)	(44830)	(8669)	(13878)	(7684)	1802	1879	174	(833)	(444)	(2383)	(8776)	(1751)	744	280	1790	1058	(1737)	22	(1153)	2699953	3174800	
विविध खर्च (समाविज्ञत या माफ नहीं किया गया)																							
																					254	274	

भारतीय जीवन बीमा निगम
पूँजी विनिवेश एवं एन्युटी निश्चित व्यापार
(गैर-भागीदारी)
राजस्व खाता

(रू. लाखों में)

	2008-09	2007-08
अर्जित प्रीमियम (शुद्ध)	921	1053
निवेशों को बेचने / विनिवेश में लाभ - हानि	(27)	(26)
पालिसी दायित्वों में परिवर्तन	(1291)	(1166)
अन्य		
निवेशों पर ब्याज, लाभांश, किराया (सकल)	1076	941
कुल (ए)	680	802
उपगत दावे (शुद्ध)	700	970
कमीशन	19	21
बीमा व्यापार से संबंधित प्रचलन खर्च	91	82
अन्य परिशोधन, माफी एवं प्रावधान	16	(11)
विदेशी कर		
कुल (बी)	826	1063
प्रचलन लाभ / (हानि) सी = (ए - बी)	(146)	(261)
विनियोग		
शेयरधारकों के खाते में अंतरण		
आपाताकालीन रिजर्व में अंतरण		
अन्य रिजर्व में अंतरण		
कुल (सी)	(146)	(261)

टिप्पणा: कोष्ठक में दिये गये आंकड़ें नकारात्मकता को दर्शाते हैं।

भारतीय जीवन बीमा निगम
पूंजी विनिवेश एवं एन्युटी निश्चित व्यापार
(गैर-भागीदारी)

लाभ एवं हानि खाता

(रु. लाखों में)

	2008-09	2007-08
प्रचलन लाभ / (हानि)		
(क) अग्नि बीमा		
(ख) समुद्री बीमा		
(ग) विविध बीमा	(146)	(261)
निवेशों से आय		
(क) व्याज, लाभांश एवं किराया (सकल)		
(ख) निवेशों की बिक्री पर लाभ		
घटायें: निवेशों की बिक्री से हानि		
अन्य आय		
कुल (ए)	(146)	(261)
प्राक्धान (कर के अतिरिक्त)		
(क) निवेशों के मूल्य को कम करने के लिये		
(ख) सदेहास्य ऋणों के लिये		
(ग) अन्य		
अन्य खर्च		
(क) बीमा व्यापार के अलावा अन्य खर्च		
(ख) गलत ऋण की माफी		
(ग) अन्य		
कुल (बी)		
कर से पूर्व लाभ	(146)	(261)
कर के लिये प्राक्धान		
कर के पश्चात लाभ	(146)	(261)
विनियोग		
(अ) वर्ष के दौरान किये गये अंतरिम लाभांश		
(आ) प्रस्तावित अंतरिम लाभांश		
(इ) लाभांश वितरण कर		
(ई) किसी रिजर्व या अन्य खाते में अंतरित		
(उ) सामान्य रिजर्व में स्थानांतरित		
(ऊ) पूर्व वर्ष के लाभ-हानि शेष को लिया गया		
(ए) शेष को तुलन पत्र में भेजा गया	(146)	(261)

टिप्पणी: कोष्ठक में दिये गये आंकड़े नकारत्मकता को दर्शाते हैं।

विवरण 9

भारतीय जीवन बीमा निगम
पूँजी विनिवेश एवं एन्युटी निश्चित व्यापार
(गैर-भागीदारी)

तुलन - पत्र (मार्च 31 तक)

(रु. लाखों में)

	2009	2008
निधियों का स्रोत		
शेयर पूँजी		
पालिसी दायित्व	16048	14903
रिजर्व एवं ज्यादा	36	36
सही मूल्य परिवर्तन खाता	7	7
ऋण		
कुल	16090	14945
निधियों का उपयोग		
निवेश	17140	13182
ऋण		
स्थाई संपत्तियाँ		
चालू संपत्तियाँ		
नगद एवं बैंक शेष	398	1827
अग्रिम एवं अन्य संपत्ति	169	16
कुल चालू संपत्तियाँ (ए)	567	1842
वर्तमान दायित्व	1616	79
प्रावधान		
कुल वर्तमान दायित्व (बी)	1616	79
शुद्ध वर्तमान संपत्ति सी =(ए - बी)	(1049)	1763
विविध खर्च (माफ नही किये गये)		
शेष को लाभ-हानि खाते में डालें		
कुल	16090	14945

टिप्पणा: कोष्ठक में दिये गये आंकड़े नकारात्मकता को दर्शाते हैं।

राजस्व खाता: सार्वजनिक क्षेत्र के गैर जीवन बीमाकर्ता

विवरण	(रु. लाखों में)									
	न्यू इंडिया					ओरिएंटल				
	2008-09		2007-08			2005-06		2008-09		2007-08
	अग्नि समुद्री विविध	कुल	अग्नि समुद्री विविध	कुल	अग्नि समुद्री विविध	समुद्री विविध	कुल	अग्नि समुद्री विविध	कुल	अग्नि समुद्री विविध कुल
प्रारम्भिक अर्जित (शुद्ध)	96292 23177	405460 524930	97031 18857	365254 481143	83088	16860 312151	412099 31483	18500 256687	306580 32442	16939 238242 287623
निवेशों को बेचने / खुदने में लाभ - हानि	3616 1287	20429 25333	10490 3016	53827 67332	9564	3626 56750	69940 2729	1292 23765	27786 3469	1851 34715 40035
अन्य	-	-	-	-	-	-	-	(79) (83)	(216) (21)	30 37
व्याज, लाभांश और ऋण सकल	9681 3446	54685 67812	10619 3053	54493 68165	7935	3008 47083	58027 4284	2029 37313	43626 3470	1852 34730 40052
कुल (ए)	109590 27910	480574 618074	118140 24926	473574 616640	100588	23494 415985	540066 38427	21737 317711	377875 39410	20621 307717 367747
उपगत दावे (शुद्ध)	60668 27711	378807 467187	60160 15824	341764 417748	60151	11525 291525	363201 36245	17226 252248	305719 31038	11007 218177 260222
कमीशन	13705 1455	40923 56083	10023 2669	33231 45924	7178	822 29628	37628 301	1167 18634	20102 (651)	1020 12766 13135
बीमा व्यापार से संबंधित प्रचलन खर्च	29340 7780	108381 145501	19611 5663	76636 101910	30556	5899 94234	130689 10582	5613 75249	91444 10688	5560 66112 82361
अन्य परियोजना, माफी एवं प्रवधान	-79 -28	-446 -553	8 2	40 50	606	230 3596	4432 26	12 223	260 12	6 118 136
विदेशी ऋ	2 1	141 144	3 1	66 70	139	2 373	514	-	-	-
कुल (बी)	103636 36919	527806 668362	89804 24160	451738 565702	98630	18478 419356	536464 47154	24018 346354	417526 41087	17594 297174 355855
अग्नि, समुद्री, अन्य बीमा व्यापार से प्रचलन लाभ / (हानि) सी =(ए - बी)	5954 (9009)	(47232) -50288	28336 766	21835 50938	1957	5016 (3371)	3602 (8727)	(2281) (28643)	(39651) (1677)	3027 10543 11893
विविनियोग										
शेयरधारकों के खाते में अंतरण	5954 (9009)	(47232) -50288	28336 766	21835 50938	1957	5016 (3371)	3602 (8727)	(2281) (28643)	(39651) (1677)	3027 10543 11893
आपाताकालीन रिजर्व में अंतरण										
अन्य रिजर्व में अंतरण										
कुल (सी)	5954 (9009)	(47232) -50288	28336 766	21835 50938	1957	5016 (3371)	3602 (8727)	(2281) (28643)	(39651) (1677)	3027 10543 11893

राजस्व खाता: सार्वजनिक क्षेत्र के गैर जीवन बीमाकर्ता

नेशनल															युनाइटेड					(रु. लाखों में)							
2008-09		2007-08		2005-06		2008-09		2007-08		2005-06		2008-09		2007-08		2005-06		2008-09		2007-08		2005-06					
विवरण	अनि समुद्री	विविध	कुल	अनि समुद्री	विविध	कुल	अनि समुद्री	विविध	कुल	अनि समुद्री	विविध	कुल	अनि समुद्री	विविध	कुल	अनि समुद्री	विविध	कुल	अनि समुद्री	विविध	कुल	अनि समुद्री	विविध	कुल			
श्रीनगम अतिरिक्त (शुद्ध)	29442	12403	300391	342236	29117	10817	261919	301853	35727	11876	228715	276317	40861	18623	260426	319910	43456	12937	213817	270209	40808	10656	167969	219433	1483756	1340828	
निचरगों को बेचने / छुड़ाने में लाभ - हानि	3359	1429	33510	38298	3982	1542	43640	49165	3252	1613	36639	41505	2580	1040	20463	24083	5812	2163	50218	58193	4933	2268	47458	54659	115499	214725	
अन्य	5	13	995	-	-	-	-	-	-	-	75	75	2	-10	71	63	316	148	1775	2239	(10)	365	56	412	-153	2276	
ब्याज, लाभशर्ष और ऋण सकल	3665	1559	36566	41790	3383	1310	37068	41761	2896	1437	32632	36965	4724	1905	37472	44101	4223	1571	36491	42285	3932	1808	37827	43567	197329	192264	
कुल (ए)	36470	15405	371462	422324	36482	13669	342627	392779	41875	14826	298061	354862	48168	21558	318431	388157	53807	16819	302301	372927	49663	15097	253310	318070	1806431	1750093	
उत्पन्न दावे (शुद्ध)	23761	13460	302146	339367	24447	10006	249431	283884	24658	8560	249815	283033	29593	15071	206841	251505	30400	12397	207830	250628	18079	7268	178930	204277	1363779	1212481	
कमीशन	1085	1112	19620	21818	936	1003	18450	20389	1323	501	12231	14055	54	1371	18519	19944	253	1269	12140	13661	(1401)	220	7579	6398	117947	93109	
बीमा व्यापार से संबंधित प्रचलन खर्च	9660	3538	81439	94636	8881	2982	77907	89770	13145	3369	71747	88261	13858	5613	83668	103140	13012	5399	72843	91255	20988	4913	71765	97666	434721	365296	
अन्य परीक्षण, माफ़ी एवं प्रावधान	81	76	7757	7914	90	65	8993	9148	27	3	-	29	246	99	1948	2292	429	160	3706	4294	422	194	4059	4675	9914	13629	
निर्देशी ऋ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	144	70
कुल (बी)	34586	18187	410962	463735	34354	14056	354780	403190	39153	12433	333793	385379	43751	22154	310976	376882	44095	19225	296519	359839	38089	12594	262333	313015	1926505	1684585	
अनि, समुद्री, अन्य बीमा व्यापार से प्रचलन लाभ / (हानि) सी = (ए-बी)	1884	(2782)	(39500)	(41411)	2128	(387)	(12153)	(10411)	2722	2493	(35732)	(30517)	4417	(596)	7455	11276	9713	(2406)	5781	13088	11574	2503	(9022)	5055	-120074	65507	
विविनियोग																											
शेयरधारकों के खाते में अंतरण	1884	(2782)	(39500)	(41411)	2128	(387)	(12153)	(10411)	2722	2493	(35732)	(30517)	4417	(596)	7455	11276	9713	(2406)	5781	13088	11574	2503	(9022)	5055	-120074	65507	
आपातकालीन रिजर्व में अंतरण																											
अन्य रिजर्व में अंतरण																											
कुल (सी)	1884	(2782)	(39500)	(41411)	2128	(387)	(12153)	(10411)	2722	2493	(35732)	(30517)	4417	(596)	7455	11276	9713	(2406)	5781	13088	11574	2503	(9022)	5055	-120074	65507	

विवरण 11
(रु. लाखों में)

अंशधारक खाता : सार्वजनिक क्षेत्र के गैर जीवन बीमाकर्ता

विवरण	न्यू इंडिया			ओरिएंटल			नेशनल			युनाइटेड			कुल	
	2008-09	2007-08	2008-09	2008-09	2007-08	2008-09	2008-09	2007-08	2008-09	2008-09	2007-08	2008-09	2007-08	2007-08
प्रचालन लाभ / (हानि)														
(क) ऑन बीमा	5954	28336	(8727)	(1677)	1884	2128	4417	9713	3528	38501				
(ख) स्मूथी बीमा	(9009)	766	(2281)	3027	(2782)	(387)	(596)	(2406)	(14668)	1000				
(ग) विविध बीमा	(47232)	21835	(28643)	10543	(39500)	(12153)	7455	5781	(107920)	26007				
	(50288)	50938	(39651)	11893	(40398)	(10411)	11276	13088	(119061)	65507				
निवेशों से आय														
(क) ब्याज, लाभांश एवं किराया (सकल)	54269	49866	17197	17118	12458	12477	26202	23192	110125	102652				
(ख) निवेशों की बिक्री पर लाभ	20273	49256	10953	17110	11717	14797	14308	31918	57252	113082				
घटाये: निवेशों की बिक्री से हानि					(301)	(109)		(1)	(301)	(109)				
अन्य आय														
कुल (ए)	4978	2102	2929	(203)	1363	1612	(133)	(28)	9138	3483				
प्राप्त्यान (कर के अतिरिक्त)	29233	152162	(8571)	45918	(15160)	18366	51653	68169	57154	284615				
(क) निवेशों के मूल्य को कम करने के लिये	476	493	66	5	(3907)	(212)	(114)	244	(3479)	528				
(ख) स्टेटसमेट ऋणों के लिये	(744)	(426)	168	961	907	512	(307)	587	24	1635				
(ग) अन्य	(175)	(30)	309	1027			-	-	134	997				
अन्य खर्च														
(क) बीमा व्यापार के अलावा अन्य खर्च	-	-	-	-	208	257	59	78	268	335				
(ख) गलत ऋण की माफ़ी	-	-	1	1	-	-			1	1				
(ग) अन्य	(47)	(21)	(272)	(310)	985	604	1723	1446	2389	1719				
कुल (बी)	(490)	16	271	1683	(1807)	1161	1362	2355	(664)	5215				
कर से पूर्व लाभ	29723	152146	(8842)	44235	(13354)	17206	50291	65814	57818	279400				
कर के लिये प्राक्त्यान	7308	12033	3576	43305	1567	863	2686	2651	15137	58851				
कर के पश्चात लाभ	22415	140113	(5266)	930	(14921)	16343	47605	63162	42681	220548				
विनियोग														
(अ) वर्ष के दौरान किये गये अंतिम लाभांश														
(आ) प्रस्तावित अंतिम लाभांश	4500	28300		750	3266		9600	12633	14100	44949				
(इ) लाभांश वितरण कर	765	4810		127	555		1630	2147	2395	7639				
(ई) किसी रिजर्व या अन्य खाते में अंतर्गत	4495													
सामान्य रिजर्व में स्थानांतरित														
पूर्व वर्ष के लाभ-हानि शेष को लिया गया														
शेष को मुलतः पत्र में भेजा गया														
	12655	107003	(5266)	53	(14921)	12522	36375	48383	26186	167961				

तुलन - पर: सार्वजनिक क्षेत्र के गैर जीवन बीमाकर्ता (मार्च 31 तक)

निधियों का खोत	न्यू इंडिया		ओरिएंटल		नेशनल		युनाइटेड		कुल	
	2009	2008	2009	2008	2009	2008	2009	2008	2009	2008
शेयर पूंजी	20000	20000	10000	10000	10000	10000	15000	15000	55000	55000
रिजर्व एवं ज्यादा	712215	677280	187365	192632	130949	145870	346359	309059	1376889	1324841
सही मूल्य परिवर्तन खाता	741729	1395927	397556	761484	360649	730930	186082	503743	1686016	3392085
ऋण										
दिया हुआ कर दायित्व										
कुल	1473945	2093208	594921	964116	501598	886800	547441	827802	3117905	4771925
निधियों का उपयोग										
निवेश	1776757	2463287	944434	1316751	915093	1271798	967921	1240363	4604205	6292200
ऋण	59386	65776	33636	37417	37840	39180	50414	56079	181277	198452
स्थाई संपत्तियाँ	15817	11524	8547	9423	5611	6371	12396	8236	42372	35554
दिया हुआ कर संपत्तियाँ	2331	1016							2331	1016
चालू संपत्तियाँ	332084	285793	115013	120613	39369	61926	61825	70565	548291	538897
नाद एवं बैंक शेप	506702	367018	244632	137664	256409	195899	204352	152638	1212095	853219
ऑफिस एवं अन्य संगति	838785	652811	359645	258277	295778	257825	266177	223203	1760386	1392116
कुल योग - (ए)	897611	776208	538149	465305	555671	507886	513382	498879	2504813	2248278
वर्तमान दायित्व	321521	324998	213192	192446	197708	181402	236086	201201	968507	900047
प्रावधान	1219132	1101206	751341	657752	753380	689288	749467	700080	3473321	3148325
कुल योग - (बी)	(380346)	(483396)	(391697)	(399475)	(457602)	(431463)	(483290)	(476876)	(1712935)	(1756209)
शुद्ध वर्तमान संपत्ति सी 2(ए - बी)										
विविध खर्च (पाफ नहीं किये गये)					655	913			655	913
शेप को लाभ-हानि खाते में डालें										
कुल	1473945	2093208	594921	964116	501598	886800	547441	827802	3117905	4771925

राजस्व खाता: निजी क्षेत्र के गैर जीवन बीमाकर्ता

(रु. लाखों में)

विवरण	रायल सुन्दरम					बजाज अलायंज				
	अग्नि	समुद्री	विविध	2008-09	2007-08	अग्नि	समुद्री	विविध	2008-09	2007-08
प्रीमियम अर्जित (शुद्ध)	1495	754	57557	59806	44583	11588	5476	172063	189127	141544
निवेशों को बेचने / छुड़ाने में लाभ - हानि	30	9	459	499	124	119	41	1070	1231	3771
अन्य			6	6	11	78	33	3035	3146	1163
व्याज, लाभांश तथा किराया - सकल	397	80	4672	5149	3373	1441	502	12972	14915	10291
कुल (ए)	1922	844	62695	65460	48092	13226	6052	189141	208419	156770
उपगत दावे (शुद्ध)	763	638	39834	41235	29815	7263	5098	123630	135992	94570
कमीशन	(346)	32	3521	3206	1624	(1820)	395	4329	2904	(1876)
बीमा व्यापार से संबंधित प्रचलन खर्च	971	355	20629	21955	17435	4803	1637	53443	59883	51911
प्रीमियम में कमी										(231)
कुल (बी)	1388	1025	63983	66397	48875	10246	7131	181402	198779	144375
प्रचलन लाभ / (हानि) सी =(ए - बी)	533	(181)	(1288)	(937)	(783)	2980	(1079)	7739	9640	12395
विनियोग										
शेयरधारकों के खाते में अंतरण	533	(181)	(1288)	(937)	(783)	2980	(1079)	7739	9640	12395
आपाताकालीन रिजर्व में अंतरण										
अन्य रिजर्व में अंतरण										
कुल (सी)	533	(181)	(1288)	(937)	(783)	2980	(1079)	7739	9640	12395

जारी..

(रु. लाखों में)

विवरण	टाटा एआईजी					रिलायंस				
	अग्नि	समुद्री	विविध	2008-09	2007-08	अग्नि	समुद्री	विविध	2008-09	2007-08
प्रीमियम अर्जित (शुद्ध)	2064	5563	51121	58748	45385	4151	1511	133224	138886	96003
निवेशों को बेचने / छुड़ाने में लाभ - हानि	7	16	134	157	21	127	34	1614	1775	2230
अन्य	22	29	186	236	57			3	3	(1)
ब्याज, लाभांश तथा किराया - सकल	381	387	3941	4709	3245	575	155	7311	8041	4537
कुल (ए)	2474	5995	55381	63850	48708	4853	1700	142152	148705	102770
उपगत दावे (शुद्ध)	1166	5320	29081	35567	24695	2889	1849	102627	107366	75068
कमीशन	(2542)	(70)	4594	1982	147	(1481)	10	(1684)	(3155)	(7976)
बीमा व्यापार से संबंधित प्रचलन खर्च	1570	2623	22934	27127	23119	1634	722	51748	54104	56286
प्रीमियम में कमी							254		254	
कुल (बी)	194	7873	56610	64677	47962	3043	2835	152691	158569	123378
प्रचलन लाभ / (हानि) सी =(ए - बी)	2280	(1878)	(1228)	(826)	747	1810	(1135)	(10539)	(9864)	(20608)
विनियोग										
शेयरधारकों के खाते में अंतरण	2280	(1878)	(1228)	(826)	747	1810	(1135)	(10539)	(9864)	(20608)
आपातकालीन रिजर्व में अंतरण										
अन्य रिजर्व में अंतरण										
कुल (सी)	2280	(1878)	(1228)	(826)	747	1810	(1135)	(10539)	(9864)	(20608)

जारी..

(रु. लाखों में)

विवरण	इपको टोकियो					आईसीआईसीआई लंबाई				
	अग्नि	समुद्री	विविध	2008-09	2007-08	अग्नि	समुद्री	विविध	2008-09	2007-08
प्रीमियम अर्जित (शुद्ध)	6049	4460	72784	83293	63967	10104	2728	184533	197365	156718
निवेशों को बेचने / खुदने में लाभ - हानि	23	23	269	315	184	469	316	10478	11263	3500
अन्य	(5)	(12)	13	(4)	7	(91)	(62)	(2029)	(2182)	(240)
ब्याज, लाभांश तथा किराया - सकल	609	605	7041	8254	4972	591	399	13221	14211	10351
कुल (ए)	6676	5075	80107	91858	69129	11073	3381	206203	220657	170329
उपगत दावे (शुद्ध)	4414	4448	60640	69502	50474	9698	5502	153253	168454	122832
कमीशन	(1654)	(469)	1801	(323)	(395)	(2734)	(1329)	(3496)	(7558)	(13656)
बीमा व्यापार से संबंधित प्रचलन खर्च	3402	1980	18581	23962	20131	6410	4268	57181	67858	56116
प्रीमियम में कमी					(100)		680		680	305
कुल (बी)	6161	5959	81021	93142	70110	13374	9121	206938	229433	165597
प्रचलन लाभ / (हानि) सी =(ए - बी)	514	(884)	(914)	(1284)	(981)	(2301)	(5740)	(735)	(8776)	4733
विनियोग										
शेयरधारकों के खाते में अंतरण	514	(884)	(914)	(1284)	(981)	(2301)	(5740)	(735)	(8776)	4733
आपाताकालीन रिजर्व में अंतरण										
अन्य रिजर्व में अंतरण										
कुल (सी)	514	(884)	(914)	(1284)	(981)	(2301)	(5740)	(735)	(8776)	4733

जारी..

(रु. लाखों में)

विवरण	चोलामंडलम				एचडीएफसी चब्स			
	अग्नि	समुद्री	विविध	2008-09 2007-08	अग्नि	समुद्री	विविध	2008-09 2007-08
प्रीमियम अर्जित (शुद्ध)	2032	1145	35360	38536 24886	88	192	17668	17947 15005
निवेशों को बेचने / छुड़ाने में लाभ - हानि	17	5	106	128 188	4	2	161	167 16
अन्य	5	2	6	12 13	46	(0)	317	363 361
व्याज, लाभांश तथा किराया - सकल	358	110	2234	2702 1651	29	16	1207	1252 790
कुल (ए)	2411	1262	37705	41378 26738	167	209	19353	19730 16172
उपगत दावे (शुद्ध)	1609	788	25181	27578 15565	19	108	14363	14489 11477
कमीशन	(851)	(384)	(1565)	(2801) (2266)	(743)	(85)	(1206)	(2034) (451)
बीमा व्यापार से संबंधित प्रचलन खर्च	991	680	14724	16395 13212	201	371	10179	10751 7409
प्रीमियम में कमी				(24)				
कुल (बी)	1749	1084	38340	41173 26488	(524)	394	23336	23206 18436
प्रचलन लाभ / (हानि) सी =(ए - बी)	663	178	(635)	206 250	691	(185)	(3982)	(3476) (2264)
विनियोग								
शेयरधारकों के खाते में अंतरण	663	178	(635)	206 250	691	(185)	(3982)	(3476) (2264)
आपाताकालीन रिजर्व में अंतरण								
अन्य रिजर्व में अंतरण								
कुल (सी)	663	178	(635)	206 250	691	(185)	(3982)	(3476) (2264)

जारी..

(रु. लाखों में)

विवरण	पर्यटन जनरली					यूनिवर्सल सोम्पो				
	अग्नि	समुद्री	विविध	2008-09	2007-08	अग्नि	समुद्री	विविध	2008-09	2007-08
प्रोमियम अर्जित (शुद्ध)	89	107	5485	5682	(129)	(267)	(22)	201	(87)	(43)
निवेशों को बेचने / ख़ुदने में लाभ - हानि	1	0	13	15			0		0	
अन्य	0	0	1	2		0		9	9	1
ब्याज, लाभांश तथा किराया - सकल	22	9	232	262		43	1	102	146	0
कुल (ए)	112	116	5732	5960	(129)	(223)	(20)	312	68	360
उपगत दावे (शुद्ध)	172	132	5750	6054	58	39	5	197	241	0
कमीशन	(321)	(46)	(360)	(727)	(125)	(46)	(6)	132	80	(3)
बीमा व्यापार से संबंधित प्रचलन खर्च	744	317	8817	9878	2059	981	50	1736	2767	729
प्रोमियम में कमी										
कुल (बी)	595	403	14207	15205	1992	974	49	2064	3087	726
प्रचलन लाभ / (हानि) सी =(ए - बी)	(483)	(287)	(8475)	(9245)	(2121)	(1198)	(69)	(1752)	(3019)	(768)
विनियोग										
शेयरधारकों के खाते में अंतरण	(483)	(287)	(8475)	(9245)	(2121)	(1198)	(69)	(1752)	(3019)	(768)
आपाताकालीन रिजर्व में अंतरण										
अन्य रिजर्व में अंतरण										
कुल (सी)	(483)	(287)	(8475)	(9245)	(2121)	(1198)	(69)	(1752)	(3019)	(768)

जारी..

(रु. लाखों में)

विवरण	श्रीराम			भारती एक्सा			कुल	
	अनि	समुद्री	विविध	2008-09	अनि	समुद्री	विविध	2008-09
प्रीमियम आर्जेंट (शुद्ध)	(40)	(5)	1760	1715	(37)	(28)	(212)	2008-09 2007-08
निवेशों को बेचने / ख़ुदने में लाभ - हानि					11	2	65	78
अन्य	0		57	57	20	3	113	135
व्याज, लाभांश तथा किराया - सकल	1		320	320	21	3	122	146
कुल (ए)	(39)	(5)	2137	2093	15	(21)	88	82
उपगत दावे (शुद्ध)	4		1197	1200	10	3	276	289
कमीशन	0		8	9	(34)	(2)	(78)	(114)
बीमा व्यापार से संबंधित प्रचलन खर्च	4		1857	1861	536	117	4794	5447
प्रीमियम में कमी								934
कुल (बी)	8		3062	3069	511	118	4992	5622
प्रचलन लाभ / (हानि) सी = (ए - बी)	(47)	(5)	(925)	(977)	(497)	(139)	(4904)	(5540)
विनियोग								
शेयर/बाण्डों के ख़ाते में अंतरण	(47)	(5)	(925)	(977)	(497)	(139)	(4904)	(5540)
आपातकालीन रिजर्व में अंतरण								(34098)
अन्य रिजर्व में अंतरण								(9400)
कुल (सी)	(47)	(5)	(925)	(977)	(497)	(139)	(4904)	(5540)
								(34098)
								(9400)

विवरण 14

अंशधारक खाता: निजी क्षेत्र के गैर जीवन बीमाकर्ता

(रु. लाखों में)

विवरण		प्रचलन लाभ / (हानि)												श्रीराम एलसा		कुल								
		राष्ट्रिय मुद्रास्व	बचत अलॉयज	टया एआईजी	रिलायंस	इक्विटी टोकियो	अर्डीआईसीजी	संबाई	चोलापडहनम	एचडीएफसी चबल	फ्यूचर जमाली	पूविर्तल सोमो												
2008-0-9	2007-08	2008-09	2007-08	2008-09	2007-08	2008-09	2007-08	2008-09	2007-08	2008-09	2007-08	2008-09	2007-08	2008-09	2007-08	2008-09	2007-08	2008-09	2007-08	2008-09	2007-08	2008-09	2007-08	2008-09
प्रचलन लाभ / (हानि)																								
(क) अंन लोमा																								
(ख) स्मूदी लोमा																								
(ग) विविध लोमा																								
निवेशों से आय																								
(क) ब्याज, लामाए एव विपय (सकल)																								
(ख) निवेशों की प्रती पर लाम																								
चटवर्त: निवेशों की विक्री से हानि																								
अन्य आय																								
कुल (ए)																								
प्रावधान (खर के अतिरिक्त)																								
(क) निवेशों के मूल को कम करने के लिये																								
(ख) सेवैलमद कर्णों के लिये																								
(ग) अन्य																								
अन्य खर्च																								
(क) बीमा व्यापार के अलावा अन्य खर्च																								
(ख) गतल कर्ण की मानी																								
(ग) अन्य																								
कुल (बी)																								
खर से पूर्व लाम																								
खर के लिये प्रावधान																								
खर के ख्यात लाम																								
वित्तियोग																								
(अ) बर्त के दौरान किये गये अतिरिक्त लामांग																								
(आ) प्रस्तावित अतिरिक्त लामांग																								
(इ) लामांग विवरण खर																								
(ई) किसी विश्व या अन्य खाने में अतिरिक्त																								
(ई) किसी विश्व या अन्य खाने में अतिरिक्त																								
पूर्व वर्ष के लाम-हानि शेष को लिया गया																								
शेष को गुलन खर में भेजा गया																								

तुलन - पत्र: निजी क्षेत्र के गैर जीवन बीमाकर्ता (मार्च 31 तक)

लाखों में)

निधियों का खेत	राष्ट्रीय सुदरम			बजाज अलियास			टाटा एआईजी			रिलायंस			इन्फो टेक्नो			आईसीआईसीजी लिमिटेड			कोलामंडलम			एचडीएफसी ग्रुप			फ्यूचर जनरली			यूनिवर्सल सोयोज			श्रीराम			भारती एडसा			कुल		
	2008	2009	2010	2008	2009	2010	2008	2009	2010	2008	2009	2010	2008	2009	2010	2008	2009	2010	2008	2009	2010	2008	2009	2010	2008	2009	2010	2008	2009	2010	2008	2009	2010	2008	2009	2010			
रोयल ग्रुपी	21,000	17,000	11,023	11,023	30,000	23,200	11,338	10,715	24,700	22,800	4,034	3,773	14,138	20,000	18,000	18,000	18,000	18,000	18,000	18,000	18,000	18,000	18,000	18,000	18,000	18,000	18,000	18,000	18,000	18,000	18,000	18,000	18,000	18,000	18,000	18,000			
रिवर्स एव् ज़ाटा	1,282	715	56224	46709	3821	3487	68338	49365	21051	8390	11561	68650	401																										
सती ग्रुप परिवर्तित खाता	(288)	(96)	0	(251)	(448)	265	(6956)	(894)			(7432)	(1787)	(817)	(817)	1	29	23	3																					
ग्रुप																																							
अन्य																																							
दिग्गह ग्रुप कर दाखल																																							
कुल	21996	17619	17619	57478	34473	24263	72746	59718	45761	30890	15264	103659	14824	14824	20121	18231	18807	15803	23360	23360	10800	10800	10800	10800	10800	10800	10800	10800	10800	10800	10800	10800	10800	10800	10800				
निधियों का उपयोग																																							
निर्देश	77,754	55,303	213075	198323	71443	68132	138337	131073	70305	54297	303074	237376	36476	36476	27291	22130	13514	11082	18264	11142	12077	11000	11000	11000	11000	11000	11000	11000	11000	11000	11000	11000	11000	11000	11000				
ग्रुप																																							
स्पष्टीकरण	1,751	1,914	12854	10075	2755	2682	6437	5322	1235	1458	15877	12531	2811	2288	1897	1142	2187	841	2157	792	1344	2825	2825	2825	2825	2825	2825	2825	2825	2825	2825	2825	2825	2825	2825				
दिग्गह ग्रुप कर संपत्ति	1,043	830	1521	1632	748	247	85	87	87	87	597	2862	0	188					8	13	353	0	1012	6774															
चालू संपत्ति																																							
नामा एव् बैंक शेयर	3,824	9,229	28490	22646	4657	3088	11424	7289	38544	37676	7205	13833	727	1481	5141	1399	2148	1480	3388	11138	1221	566	107424	109021															
आयम एव् अन्य संपत्ति	16,083	10,288	54483	30337	20116	12588	56628	29778	48764	23384	210388	112897	13860	7724	8049	3377	7215	1098	1859	1144	2824	1594	45841	232483															
कुल शेयर - (ए)	19907	15518	82653	52884	33773	13656	67550	37045	87308	61040	227703	126550	14377	9205	13190	4776	9383	2578	5227	12283	4855	2180	58306	341514															
वर्तमान संपत्ति	40,855	30,537	14653	10147	43100	23210	87775	57639	68676	47746	275845	173822	17238	13160	19228	8864	7881	946	1641	662	3872	3385	718507	463632															
प्रतिमान	37,600	29,890	104513	92408	32146	31315	68000	67944	47839	39815	115741	99888	21323	18880	30114	8563	7882	485	1504	18	4649	1616	431447	387074															
कुल शेयर - (बी)	78458	68546	284556	103465	75246	60525	158775	125832	117055	87281	381596	273810	38740	30040	29341	17527	15723	1431	3546	679	8618	4701	116895	860786															
शुद्ध वर्तमान संपत्ति सी = (ए - बी)	(58552)	(41028)	(166603)	(146572)	(41473)	(44888)	(81725)	(88588)	(26457)	(28221)	(71383)	(147088)	(24838)	(31551)	(22781)	(8350)	(1147)	(1882)	(11684)	(4953)	(2541)	(69889)	(50532)																
निधि खर्च (लाभ नहीं मिले गये)																																							
लाभ एव् क्षति खाता (निरास बाकी)																																							
कुल	21996	17619	67447	57478	34473	24263	72746	59718	45761	30890	15264	103659	14824	14824	20121	18231	18807	15803	23360	23360	10800	10800	10800	10800	10800	10800	10800	10800	10800	10800	10800	10800	10800	10800	10800				

विवरण 16

स्वास्थ्य बीमाकर्ता
पालिसीधारक खाता

(रू. लाखों में)

विवरण	स्टार हेल्थ		अपोलो डीकेवी	
	2008-09	2007-08	2008-09	2007-08
प्रीमियम अर्जित (शुद्ध)	30145	8823	2163.92	28.14
निवेशों को बेचने / विनिवेश में लाभ - हानि	142			
अन्य				
व्याज, लाभांश तथा किराया - सकल	442	172	96.17	1
कुल (ए)	30730	8996	2260	29
उपगत दावे (शुद्ध)	25847	6724	2472.89	24.74
कमीशन	(1228)	(814)	359.03	33.29
प्रचलन खर्च बीमा व्यापार के विदेशी खर्च से संबंधित	6270	3477	7237.81	3168
अन्य				
विदेशी कर				
कुल (बी)	30889	9388	10070	3226
प्रचलन लाभ / (हानि) सी =(ए - बी)	(159)	(392)	(7810)	(3197)
विनियोग				
शेयरधारकों के खाते में अंतरण	(159)	(392)	(7810)	(3197)
आपाताकालीन रिजर्व में अंतरण				
अन्य रिजर्व में अंतरण				
कुल (सी)	(159)	(392)	(7810)	(3197)

नोट: कोष्ठक में अंक नकारात्मक राशि के संकेत हैं।

विवरण 17

स्वास्थ्य बीमाकर्ता
अंशधारक खाता

(रु. लाखों में)

विवरण	स्टार हेल्थ		अपोलो डीकेवी	
	2008-09	2007-08	2008-09	2007-08
प्रचलन लाभ / (हानि)				
(क) अग्नि बीमा				
(ख) समुद्री बीमा				
(ग) विविध बीमा	(159)	(392)	(7810)	(3197)
	(159)	(392)	(7810)	(3197)
निवेशों से आय				
(क) ब्याज, लाभांश एवं किराया (सकल)	541	746	469	414
(ख) निवेशों की बिक्री पर लाभ	174	1	94	
घटाये: निवेशों की बिक्री से हानि			80	
अन्य आय			1	1
कुल (ए)	556	355	(7166)	(2782)
प्रावधान (कर के अलावा)				
(क) निवेशों के मूल्य को कम करने के लिये				
(ख) संदेहस्पद ऋणों के लिये				
(ग) अन्य	2			
अन्य खर्च				
(क) बीमा व्यापार के अलावा अन्य खर्च			16	32
(ख) गलत ऋण की माफी				
(ग) अन्य	26	39		
कुल (बी)	28	39	16	32
कर से पूर्व लाभ	527	316	(7182)	(2815)
कर के लिये प्रावधान	404	188	36	20
कर के पश्चात लाभ	124	128	(7218)	(2834)
विनियोग				
(अ) वर्ष के दौरान किये गये अंतरिम लाभांश				
(आ) प्रस्तावित अंतरिम लाभांश				
(इ) लाभांश वितरण कर				
(ई) किसी रिजर्व या अन्य खाते में अंतरित	124			
(उ) सामान्य रिजर्व में स्थानांतरित				
(ऊ) पूर्व वर्ष के लाभ-हानि शेष को लिया गया	(258)	(385)	(2859)	(25)
(ए) शेष को तुलन पत्र में भेजा गया	(258)	(258)	(10077)	(2859)

नोट: कोष्ठक में अंक नकारात्मक राशि के संकेत हैं।

विवरण 18

स्वास्थ्य बीमाकर्ता
तुलन - पत्र: (मार्च 31 तक)

निधियों का स्रोत	स्टार हेल्थ		अपोलो डीकेवी	
	2009	2008	2009	2008
शेयर पूंजी	10930	10860	10737	10055
शेयर विनियोग पूंजी			3491	
रिजर्व एवं ज्यादा	124		5472	
सही मूल्य परिवर्तन खाता			(18)	
दिया हुआ कर दायित्व	232			
ऋण				
कुल	11285	10860	19682	10055
निधियों का उपयोग				
निवेश	8106	8652	8111	3064
ऋण	500	500		
स्थायी संपत्तियाँ	2122	641	1966	1205
दिया हुआ कर संपत्तियाँ		76		
चालू संपत्तियाँ				
नगद एवं बैंक शेष	2755	3556	2474	3288
अग्रिम एवं अन्य संपत्ति	11473	2029	1989	1066
कुल योग - (ए)	14228	5585	4463	4354
वर्तमान दायित्व	4470	1212	2348	1179
प्रावधान	9458	3639	2587	247
कुल योग - (बी)	13928	4851	4935	1427
शुद्ध वर्तमान संपत्ति सी =(ए - बी)	300	733	(472)	2927
विविध खर्च (माफ नहीं किये गये)				
लाभ एवं हानि खाता (नामे बाकी)	258	258	10077	2859
कुल	11285	10860	19682	10055

नोट: कोष्ठक में अंक नकारात्मक राशि के संकेत हैं।

भारतीय साधारण बीमा निगम

पालिसीधारक खाता

(रु. लाखों में)

विवरण	2008-09					2007-08				
	अग्नि	समुद्री	विविध	जीवन	कुल	अग्नि	समुद्री	विविध	जीवन	कुल
प्रीमियम अर्जित (शुद्ध)	191250	66583	521330	1454	780617	175369	40162	506414	950	722896
निवेशों को बेचने / विनिवेश में लाभ - हानि	7442	3551	20763	29	31786	12306	5155	41251	9	58721
अन्य	990	(266)	160	(89)	794	2169	(686)	(1539)	(15)	(72)
ब्याज, लाभांश तथा किराया - सकल	19222	9173	53626	76	82096	14724	6168	49353	10	70255
कुल (ए)	218904	79041	595880	1469	895294	204568	50798	595479	954	851800
उपगत दावे (शुद्ध)	166853	68871	385596	393	621714	164411	53872	382689	177	601150
कमीशन	54091	16737	103955	135	174918	61723	15748	131180	313	208965
प्रचलन खर्च बीमा व्यापार के विदेशी खर्च से संबंधित	1832	510	3961	9	6312	1464	375	3847	10	5697
कुल (बी)	222776	86118	493512	537	802943	227599	69995	517717	500	815811
प्रचलन लाभ / (हानि) सी =(ए - बी)	(3872)	(7078)	102368	932	92351	(23031)	(19197)	77762	453	35989
विनियोग										
शेयरधारकों के खाते में अंतरण	(3872)	(7078)	102368	932	92351	(23031)	(19197)	77762	453	35989
आपाताकालीन रिजर्व में अंतरण										
अन्य रिजर्व में अंतरण										
कुल (सी)	(3872)	(7078)	102368	932	92351	(23031)	(19197)	77762	453	35989

नोट: कोष्ठक में अंक नकारात्मक राशि के संकेत हैं।

विवरण 20

भारतीय साधारण बीमा निगम
अंशधारक खाता

(रु. लाखों में)

विवरण	2008-09	2007-08
प्रचलन लाभ / (हानि)		
(क) अग्नि बीमा	(3872)	(23031)
(ख) समुद्री बीमा	(7078)	(19197)
(ग) विविध बीमा	102368	77762
(घ) जीवन बीमा	932	453
	92351	35989
निवेशों से आय		
(क) ब्याज, लाभांश एवं किराया (सकल)	46865	40614
(ख) निवेशों की बिक्री पर लाभ	18145	33946
घटायें: निवेशों की बिक्री से हानि		
अन्य आय	27703	7113
कुल (ए)	185065	117662
प्रावधान (कर के अलावा)		
(क) निवेशों के मूल्य को कम करने के लिये	977	657
(ख) संदेहास्पद ऋणों के लिये	(131)	(945)
(ग) अन्य	2969	3389
अन्य खर्च		
(क) बीमा व्यापार के अलावा अन्य खर्च	112	143
(ख) गलत ऋण की माफी		24
(ग) अन्य	(22)	7664
कुल (बी)	3906	10933
कर से पूर्व लाभ	181159	106730
कर के लिये प्रावधान	40439	7451
कर के पश्चात लाभ	140720	99278
विनियोग		
(अ) वर्ष के दौरान किये गये अंतरिम लाभांश		
(आ) प्रस्तावित अंतरिम लाभांश	27950	19780
(इ) लाभांश वितरण कर	4750	3362
(ई) किसी रिजर्व या अन्य खाते में अंतरित		
(उ) सामान्य रिजर्व में स्थानांतरित	108020	76140
(ऊ) पूर्व वर्ष के लाभ-हानि शेष को लिया गया	1	5
(ए) शेष को तुलन पत्र में भेजा गया	1	1

नोट: कोष्ठक में अंक नकारात्मक राशि के संकेत हैं।

विवरण 21

भारतीय साधारण बीमा निगम

तुलन - पत्र: (मार्च 31 तक)

(रु. लाखों में)

निधियों का स्रोत	2009	2008
शेयर पूंजी	43000	43000
रिजर्व एवं ज्यादा	735334	625377
सही मूल्य परिवर्तन खाता	607474	1428743
ऋण		
दिया हुआ कर दायित्व	191	
कुल	1385999	2097120
निधियों का उपयोग		
निवेश	2099471	2851378
ऋण	71932	68017
स्थाई संपत्तियाँ	4361	4102
दिया हुआ कर संपत्तियाँ		13944
चालू संपत्तियाँ		
नगद एवं बैंक शेष	313270	252759
अग्रिम एवं अन्य संपत्ति	512929	411083
कुल योग - (ए)	826199	663842
वर्तमान दायित्व	1144044	1004706
प्रावधान	471921	499458
कुल योग - (बी)	1615964	1504164
शुद्ध वर्तमान संपत्ति सी =(ए - बी)	(789765)	(840321)
विविध खर्च (माफ नहीं किये गये)		
लाभ एवं हानि खाता (नामे बाकी)		
कुल	1385999	2097120

नोट: कोष्ठक में अंक नकारात्मक राशि के संकेत हैं।

विवरण 22

भारतीय निर्यात ऋण गारंटी निगम लिमिटेड
पालिसीधारक खाता

(रु. लाखों में)

विवरण	2008-09	2007-08
प्रीमियम अर्जित (शुद्ध)	52527	54576
निवेशों को बेचने / विनिवेश में लाभ - हानि		1
अन्य	59	37
ब्याज, लाभांश तथा किराया - सकल	15684	13035
कुल (ए)	68270	67649
उपगत दावे (शुद्ध)	35523	(1598)
कमीशन	(2476)	(3408)
प्रचलन खर्च बीमा व्यापार से संबंधित	9437	10448
अन्य- परिशोधन, माफी या प्रावधान		
विदेशी कर		
कुल (बी)	42484	5442
अग्नि / समुद्री / विविध बीमा व्यापार प्रचलन लाभ / (हानि)		
सी =(ए - बी)	25786	62207
विनियोग		
शेयरधारकों के खाते में अंतरण	25786	62207
आपाताकालीन रिजर्व में अंतरण		
अन्य रिजर्व में अंतरण		
कुल (सी)	25786	62207

नोट: कोष्ठक में अंक नकारात्मक राशि के संकेत हैं।

भारतीय निर्यात ऋण गारंटी निगम लिमिटेड
लाभ एवं हानि खाता

(रु. लाखों में)

विवरण	2008-09	2007-08
प्रचलन लाभ / (हानि)		
(क) अग्नि बीमा		
(ख) समुद्री बीमा		
(ग) विविध बीमा	25786	62207
	25786	62207
निवेशों से आय		
(क) ब्याज, लाभांश एवं किराया (सकल)	18166	14744
(ख) निवेशों की बिक्री पर लाभ		1
घटाये: निवेशों की बिक्री से हानि		
अन्य आय	381	319
कुल (ए)	44333	77271
प्रावधान (कर के अलावा)		
(क) निवेशों के मूल्य को कम करने के लिये		
(ख) संदेहास्पद ऋणों के लिये	301	4
(ग) अन्य		
अन्य खर्च		
(क) बीमा व्यापार के अलावा अन्य खर्च		
(ख) गलत ऋण की माफ़ी		
(ग) अन्य	203	93
कुल (बी)	504	96
कर से पूर्व लाभ	43829	77175
कर के लिये प्रावधान	15213	28861
समय से पहले समायोजन	277	371
कर के पश्चात लाभ	28339	47943
विनियोग		
(अ) वर्ष के दौरान किये गये अंतरिम लाभांश	11583	9657
(आ) प्रस्तावित अंतरिम लाभांश	8100	8200
(इ) लाभांश वितरण कर	1377	1394
(ई) किसी रिजर्व या अन्य खाते में अंतरित		
सामान्य रिजर्व में स्थानांतरित	7279	28694
पूर्व वर्ष के लाभ-हानि शेष को लिया गया	1	2
शेष को तुलन पत्र में भेजा गया	2	1

नोट: कोष्ठक में अंक नकारात्मक राशि के संकेत हैं।

विवरण 24

भारतीय निर्यात ऋण गारंटी निगम लिमिटेड
तुलन - पत्र: (मार्च 31 तक)

(रु. लाखों में)

निधियों का स्रोत	2009	2008
शेयर पूंजी	90000	90000
रिजर्व एवं ज्यादा	98622	91342
सही मूल्य परिवर्तन खाता		
ऋण	3133	848
दिया हुआ कर दायित्व		
दिया हुआ कर दायित्व	191755	182190
निधियों का उपयोग		
निवेश	106198	58621
ऋण		
स्थाई संपत्तियाँ	13629	12470
चालू संपत्तियाँ		
नगद एवं बैंक शेष	200179	227726
अग्रिम एवं अन्य संपत्ति	29997	12805
कुल योग - (ए)	230176	240531
वर्तमान दायित्व	121584	93290
प्रावधान	39907	37706
कुल योग - (बी)	161491	130995
शुद्ध वर्तमान संपत्ति सी =(ए - बी)	68685	109535
दिया हुआ कर संपत्तियाँ	219	46
विविध खर्च (माफ नहीं किये गये)	3024	1518
लाभ एवं हानि खाता (नामे बाकी)		
कुल	191755	182190

विवरण 25

भारतीय कृषि बीमा कंपनी
पालिसीधारक खाता

(रू. लाखों में)

विवरण	2008-09	2007-08
प्रीमियम अर्जित (शुद्ध)	74261	63614
निवेशों को बेचने / छुड़ाने में लाभ - हानि		56
अन्य		
ब्याज, लाभांश तथा किराया - सकल	10555	9810
कुल (ए)	84816	73480
उपगत दावे (शुद्ध)	52962	52954
कमीशन	(894)	(2194)
प्रचलन खर्च बीमा व्यापार से संबंधित	1588	1412
अन्य- परिशोधन, माफी या प्रावधान	269	259
विदेशी कर		
कुल (बी)	53926	52431
अग्नि / समुद्री / विविध बीमा व्यापार प्रचलन लाभ / (हानि) सी = (ए - बी)	30891	21049
विनियोग		
शेयरधारकों के खाते में अंतरण	30891	21049
आपाताकालीन रिजर्व में अंतरण		
अन्य रिजर्व में अंतरण		
कुल (सी)	30891	21049

नोट: कोष्ठक में अंक नकारात्मक राशि के संकेत हैं।

विवरण 26

भारतीय कृषि बीमा कंपनी
पालिसीधारक खाता

(रू. लाखों में)

विवरण	2008-09	2007-08
प्रचलन लाभ / (हानि)		
(क) अग्नि बीमा		
(ख) समुद्री बीमा		
(ग) विविध बीमा	30891	21049
	30891	21049
निवेशों से आय		
(क) ब्याज, लाभांश एवं किराया (सकल)	4935	3996
(ख) निवेशों की बिक्री पर लाभ		23
घटायें: निवेशों की बिक्री से हानि		
अन्य आय	33	13
कुल (ए)	35859	25081
प्रावधान (कर के अलावा)		
(क) निवेशों के मूल्य को कम करने के लिये		
(ख) संदेहास्पद ऋणों के लिये		
(ग) अन्य	138	39
अन्य खर्च		
(क) बीमा व्यापार के अलावा अन्य खर्च		
(ख) गलत ऋण की माफी		
(ग) अन्य	126	105
कुल (बी)	264	144
कर से पूर्व लाभ	35594	24936
कर के लिये प्रावधान	12333	8805
कर के पश्चात लाभ	23261	16131
विनियोग		
(अ) वर्ष के दौरान किये गये अंतरिम लाभांश		
(आ) प्रस्तावित अंतरिम लाभांश	2000	2000
(इ) लाभांश वितरण कर	340	340
(ई) किसी रिजर्व या अन्य खाते में अंतरित		
सामान्य रिजर्व में स्थानांतरित	20921	13791
पूर्व वर्ष के लाभ-हानि शेष को लिया गया		
शेष को तुलन पत्र में भेजा गया		

नोट: कोष्ठक में अंक नकारात्मक राशि के संकेत हैं।

विवरण 27

भारतीय कृषि बीमा कंपनी
तुलन - पत्र: (मार्च 31 तक)

	(रु. लाखों में)	
निधियों का स्रोत	2009	2008
शेयर पूंजी	20000	20000
रिजर्व एवं ज्यादा	53237	32317
सही मूल्य परिवर्तन खाता	18	337
ऋण		
कुल	73255	52654
निधियों का उपयोग		
निवेश	92334	87678
ऋण	139	144
स्थाई संपत्तियाँ	462	493
दिया हुआ कर संपत्तियाँ	392	343
चालू संपत्तियाँ		
नगद एवं बैंक शेष	104786	72716
अग्रिम एवं अन्य संपत्ति	18268	19882
कुल योग - (ए)	123055	92597
वर्तमान दायित्व	100339	89388
प्रावधान	42788	39213
कुल योग - (बी)	143127	128601
शुद्ध वर्तमान संपत्ति सी = (ए - बी)	(20072)	(36004)
विविध खर्च (माफ नहीं किये गये)		
लाभ एवं हानि खाता (नामे बाकी)		
कुल	73255	52654

नोट: कोष्ठक में अंक नकारात्मक राशि के संकेत हैं।

गैर-जीवन बीमाकर्ताओं के शुद्ध अवरोध

(प्रतिशत में)

विभाग	शुद्ध अवरोध (प्रतिशत)
अग्नि	77.35
समुद्री माल	88.59
समुद्री पेटा	31.26
वाहन	99.99
अभियंत्रिकी	71.26
हवाई	23.71
विविध	96.95
कुल	94.45

भारत में सकल प्रत्यक्ष प्रीमियम आय

(रु. लाखों में)

	अग्नि		समुद्री		मोटर		स्वास्थ्य		विविध		कुल
बीमाकर्ता	2008-09	2007-08	2008-09	2007-08	2008-09	2007-08	2008-09	2007-08	2008-09	2007-08	2008-09
नेशनल	39359	38072	20078	17498	214629	214630	89722	69036	64202	61487	427990
न्यू इंडिया	77333	74343	44610	43728	200029	203430	135567	120942	93344	85249	550883
ओरिएंटल	44065	47820	33259	33906	149130	160838	70986	53263	98985	84986	396425
युनाइटेड	57080	52430	33802	30083	156349	143490	90072	69496	90474	78456	427777
कुल योग	217837	212665	131748	125216	720138	722388	386347	312736	347006	310178	1683184
रायल सुन्दरम	4884	6887	1997	1955	52991	40956	11431	10878	9034	8765	80336
रिलायंस	13684	14327	3700	3424	116482	126737	31082	27562	26541	22591	191488
इम्फो टेकियो	19528	21517	11370	6643	68324	49919	14099	11402	24086	23334	137406
टाटा एआईजी	14476	12977	11182	9786	22479	25325	7389	6830	26866	23346	82392
आईसीआईसीआई लंबार्ड	28302	41735	21647	21672	132129	127907	97380	81589	60744	57809	340204
बजाज अलायज	25306	27349	8817	7518	150339	138637	33343	24340	44123	40149	261929
चोलामंडलम	5384	6830	3656	3266	31953	22441	16589	10938	10962	8758	68544
एचडीएफसी इरगो	5879	1283	829	329	15878	14038	5601	2823	5735	3588	33921
फ्यूचर जनरली	1607	303	663	72	9488	177	5081	343	1810	86	18649
यूनिवर्सल सोम्पो	1076	48	54		392		308	0	1,184		3014
श्रीराम	22				11,272				82		11376
भारती एक्सा	280		61		1,739		151		618		2850
कुल योग	120430	133255	63976	54666	613465	546136	222453	176705	211784	188426	1232108
सकल योग	338267	345921	195724	179881	1333603	1268525	608800	489442	558790	498604	3035184

व्यवसाय वर्ष 2008-09 में शुरू किया

शुद्ध प्रीमियम आय (प्राप्त किया)

बीमाकर्ता	अग्नि		समुद्री		मोटर		स्वास्थ्य		विविध		(रु. लाखों में)	
	2008-09	2007-08	2008-09	2007-08	2008-09	2007-08	2008-09	2007-08	2008-09	2007-08	2008-09	2007-08
नेशनल	29442	29117	12403	10817	185183	167841	67999	46806	47206	47272	342232	301853
न्यू इंडिया	96292	97031	23177	18857	202240	194078	116900	82012	86,320	89,164	524930	481143
ओरिएण्टल	31493	32442	18500	16939	132452	137012	54577	40605	69659	60626	306680	287623
युनाइटेड	40861	43456	18623	12937	124757	106080	70011	48146	65658	59590	319910	270209
कुल योग	198088	202046	72703	59550	644631	605011	309487	217568	268843	256652	1493752	1340828
रायल सुन्दरम	1495	2144	754	453	42723	29749	9799	8305	5035	3933	59806	44583
रिलायंस	4151	3845	1511	1094	99023	71660	27692	13617	6509	5788	138886	96003
इपको टोकियो	6049	6364	4460	4207	52382	37945	11055	7223	9347	8228	83293	63967
टाटा एआईजी	2064	1662	5563	4426	28172	24809	8792	3708	14156	10779	58748	45385
आईसीआईसीआई लंबार्ड	10104	10865	2728	1830	97462	87333	68475	40662	18597	16028	197365	156718
बजाज अलायंज	11588	12256	5476	3897	129582	92566	23121	17808	19360	15017	189127	141544
चोलामंडलम	2032	3266	1145	981	25128	14073	5518	2967	4714	3599	38536	24886
एचडीएफसी इरगो	88	161	192	142	12819	12017	3635	1692	1213	993	17947	15005
फ्यूचर जनरली	89	(148)	107	(15)	3613	2	1735	25	137	8	5682	(129)
यूनिवर्सल सोल्मो	(267)	(43)	(22)	(22)	33	44	0	124	(79)	(87)	1715	(43)
श्रीराम *	(40)		(5)		1839				(60)		1715	
भारती एक्स *	(37)		(28)		(170)		18				(278)	
कुल योग	37393	40371	21914	17015	490937	370154	159866	96008	79194	64371	789304	587920
सकल योग	235481	242418	94617	76565	1135568	975166	469353	313577	348037	321023	2283056	1928748

व्यवसाय वर्ष 2008-09 में शुरू किया

विवरण 31

बीमा लेखन अनुभव एवं सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों का लाभ

(रु. लाखों में)

	यू. ई. डिया			ओरिएंटल			नेशनल			युनाइटेड			कुल	
	2008-09	2007-08	2008-09	2008-09	2007-08	2008-09	2008-09	2007-08	2008-09	2008-09	2007-08	2008-09	2007-08	2008-09
शुद्ध प्रीमियम	550031	491428	323510	287868	318798	351041	288066	1386159						
भुगतान करने के शुद्ध दावे	467187	417748	305719	260222	283884	251505	250628	1212481						
	84.94%	85.01%	94.50%	90.40%	89.05%	71.65%	87.00%	87.47%						
कमिशन, प्रबंधन के खर्च एवं अन्य	201583	147834	111546	95496	110159	123084	104916	458406						
	36.65%	30.08%	34.48%	33.17%	34.55%	35.06%	36.42%	33.07%						
समय सीमा समाप्त नहीं हुये	25101	10285	16830	244	16945	31131	17857	45331						
जोखिमों के लिये रिजर्व में वृद्धि	4.56%	2.09%	5.20%	0.08%	5.32%	8.87%	6.20%	3.27%						
बीमा लाभ / हानि	(143840)	(84439)	(110586)	(68095)	(92190)	(54679)	(85335)	(330059)						
	-27.40%	-17.55%	-36.06%	-23.67%	-30.54%	-17.09%	-31.58%	-24.62%						
सकल निवेश आय	167686	234619	99562	114315	118092	108767	157725	624751						
अन्य आय	5876	1966	2182	(1986)	(8696)	(3797)	(6576)	(15292)						
घटायें: अन्य दूसरे खर्च														
कर से पूर्व लाभ	29723	152146	(8842)	44235	17206	50291	65814	279400						
आयतकर कटा हुआ	7308	12033	(3576)	43305	863	2686	2651	58851						
कर के लिये शोध एवं श्रावधान														
कर के बाद शुद्ध लाभ	22415	140113	(5266)	930	16343	47605	63162	220548						

कोष्ठक में दर्शाये गये आंकड़े नकारात्मकता को दर्शाते हैं।

बीमा लेखन अनुभव एवं निजी क्षेत्र की कंपनियों का लाभ

(रु. लाखों में)																							
राजस्व सुदराय		बायबल अनायस		छटा एअरलैबी		रिवायंस		इसको टैकिलो		आर्डीसीआई													

विवरण 33

उपगत दावों का अनुपात - सार्वजनिक क्षेत्र

विवरण	शुद्ध प्रीमियम				उपगत दावे (शुद्ध)				उपगत दावों का अनुपात												
	अग्नि	समुद्री	मोटर	स्वास्थ्य	विविध	अग्नि	समुद्री	मोटर	स्वास्थ्य	विविध	अग्नि	समुद्री	मोटर	स्वास्थ्य	विविध						
				2008-09					2007-08					2008-09		2007-08	2008-09	2007-08			
				(रू. लाखों में)					(रू. लाखों में)						(प्रतिशत)						
न्यू इंडिया	96292	23177	202240	116900	86320	524930	481143	60668	27711	205064	125559	48184	467187	417748	63.00	119.56	101.40	107.41	55.82	89.00	86.82
ओरिएंटल	31493	18500	132452	54577	69659	306680	287623	36245	17226	141045	74746	36457	305719	260222	115.09	93.11	106.49	136.96	52.34	99.69	90.47
नेशनल	29442	12403	185183	67999	47206	342232	301853	23761	13460	198563	75664	27919	339367	283884	80.71	108.52	107.23	111.27	59.14	99.16	94.05
युनाईटेड	40861	18623	124757	70011	65658	319910	270209	29593	15071	92854	84901	29086	251505	250628	72.42	80.93	74.43	121.27	44.30	78.62	92.75
कुल	198088	72703	644631	309487	268843	1493752	1340828	150268	73468	637527	360870	141646	1363779	1212481	75.86	101.05	98.90	116.60	52.69	91.30	90.43

उपगत दावों का अनुपात - निजी क्षेत्र

बीमाकर्ता		शुद्ध प्रीमियम				उपगत दावे (शुद्ध)				उपगत दावों का अनुपात											
अग्नि समुद्री	मोटर	स्वास्थ्य	विविध	अग्नि समुद्री	मोटर	स्वास्थ्य	विविध	अग्नि समुद्री	मोटर	स्वास्थ्य	विविध	अग्नि समुद्री	मोटर	स्वास्थ्य	विविध						
		(रु. लाखों में)				(रु. लाखों में)				(प्रतिशत)											
रायल सुन्दरम	1495	754	42723	9799	5035	59806	44583	763	638	33260	4269	2305	41235	29815	51.05	84.69	77.85	43.57	45.77	68.95	66.88
बजाज अलायंज	11588	5476	129582	23121	19360	189127	141544	7263	5098	93515	18039	12076	135992	94570	62.68	93.10	72.17	78.02	62.38	71.90	66.81
टाटा एआईजी	2064	5563	28172	8792	14156	58748	45385	1166	5320	19659	4107	5314	35567	24771	56.49	95.63	69.78	46.71	37.54	60.54	54.58
रिलायंस	4151	1511	99023	27692	6509	138886	96003	2889	1849	71889	25406	5332	107366	75068	69.60	122.40	72.60	91.74	81.92	77.30	78.19
इम्को टोकियो	6049	4460	52382	11055	9347	83293	63967	4414	4448	40296	13512	6832	69502	50474	72.97	99.75	76.93	122.23	73.09	83.44	78.91
आईसीआईसीआई लंबार्ड	10104	2728	97462	68475	18597	197365	156718	9698	5502	81946	58939	12368	168454	122832	95.98	201.69	84.08	86.07	66.51	85.35	78.38
चोलामंडलम	2032	1145	25128	5518	4714	38536	24886	1609	788	17045	6014	2123	27578	15565	79.17	68.83	67.83	108.99	45.03	71.56	62.55
एचडीएफसी इरगो	88	192	12819	3635	1213	17947	15005	19	108	10429	3654	280	14489	11477	21.29	56.47	81.35	100.50	23.08	80.73	76.49
पयूचर जनरली	89	107	3613	1735	137	5682	(129)	172	132	3158	2448	144	6054	58	193	123	87.39	141.12	105.26	107	(44.84)
यूनिवर्सल सोमो	(267)	(22)	33	44	124	(87)	(43)	39	5	138	24	35	241	(15)	(24)	415.14	53.56	27.98	(277)	(0.25)	
श्रीराम *	(40)	(5)	1839	(79)	1715	4	1191	5	1200	(9)	0.00	64.76	(7)	70							
भारती एक्स *	(37)	(28)	(170)	18	(60)	(278)	10	3	223	17	36	289	(26)	(10)	(131)	94	(60)	(104)			
कुल	37316	21880	492606	159884	79055	790741	587971	28033	23890	371336	136411	46809	606478	424631	74.97	109.02	75.64	85.33	59.11	76.84	72.23

* व्यवसाय वर्ष 2008-09 में शुरू किया

बीमा कंपनियों की इक्विटी शेयर पूंजी

बीमाकर्ता का नाम	2007-08	वर्ष के दौरान जोड़ा गया	2008-09	विदेशी प्रवर्तक	भारतीय प्रवर्तक	(रू. करोड़ में)
						एफडीआई (प्रतिशत में)
जीवन बीमाकर्ता						
एनडीएफसी स्टैंडर्ड लाइफ इंश्योरेंस कं. लि.	1271.00	525.00	1796.00	466.96	1329.04	26.00
आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल लाइफ इंश्योरेंस कं. लि.	1401.11	26.13	1427.26	370.73	1056.52	25.98
मैक्स न्यूयार्क लाइफ इंश्योरेंस कं. लि.	1032.43	750.00	1782.43	463.43	1319.00	26.00
ओएम कोटक महिन्द्रा लाइफ इंश्योरेंस कं. लि.	480.27	30.02	510.29	132.68	377.61	26.00
विरला सनलाइफ	1274.50	605.00	1879.50	488.67	1390.83	26.00
टाटा एआइजी लाइफ इंश्योरेंस कं. लि.	870.00	649.50	1519.50	395.07	1124.43	26.00
एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस कं. लि.	1000.00	0.00	1000.00	260.00	740.00	26.00
आईएनजी वेश्या लाइफ इंश्योरेंस कं. लि.	790.00	229.15	1019.15	264.98	754.17	26.00
मैटलाइफ इंडिया इंश्योरेंस कं. प्रा. लि.	761.08	818.92	1580.00	410.80	1169.20	26.00
अलायंज बजाज लाइफ इंश्योरेंस कं. लि.	150.71	-0.01	150.70	39.18	111.52	26.00
रिलायंस लाइफ (पूर्व में एएमपी सनमार)	1147.70	12.73	1160.43	0.00	1,160.43	
अविवा लाइफ इंश्योरेंस कं. लि.	1004.50	487.30	1491.80	387.87	1103.93	26.00
सहारा इंडिया लाइफ इंश्योरेंस कं. लि.	232.00	0.00	232.00	0.00	232.00	
श्रीराम लाइफ इंश्योरेंस कं. लि.	125.00	0.00	125.00	32.50	92.50	26.00
भारती एएक्सए इंश्योरेंस कंपनी	366.11	302.32	668.43	148.54	519.89	22.22
फ्यूचर जनरली इंश्योरेंस कं. लि.	185.00	283.50	468.50	119.47	349.03	25.50
आईडीबीआई फोरेटिस इंश्योरेंस कं. लि.	200.00	250.00	450.00	117.00	333.00	26.00
केनरा एचएसबीसी लाइफ इंश्योरेंस कं. लि. *		400.00	400.00	104.00	296.00	26.00
डीएलएफ प्रीमेरिका लाइफ इंश्योरेंस कं. लि. *		137.05	137.05	35.63	101.42	26.00
एगोन रेलीगेयर लाइफ इंश्योरेंस कं. लि. *		300.00	300.00	78.00	222.00	26.00
स्टार युनियन डालीची लाइफ इंश्योरेंस कं. लि. *		150.00	150.00	39.00	111.00	26.00
कुल योग - निजी क्षेत्र	12291.42	5956.62	18248.04	4354.50	13893.54	23.86
भारतीय जीवन बीमा निगम	5.00	0.00	5.00	0.00	5.00	
कुल (जीवन)	12296.42	5956.62	18253.04	4354.50	13898.54	23.86
गैर जीवन बीमाकर्ता						
रायल सुन्दरम अलायंस जनरल इंश्योरेंस कं. लि.	170.00	40.00	210.00	54.60	155.40	26.00
रिलायंस जनरल इंश्योरेंस कं. लि.	107.15	5.93	113.08	0.00	113.08	0.00
बजाज अलायंस जनरल इंश्योरेंस कं. लि.	110.23	0.00	110.23	28.66	81.57	26.00
इफको टोकिया जनरल इंश्योरेंस कं. लि.	220.00	27.00	247.00	64.22	182.78	26.00
टाटा एआइजी जनरल इंश्योरेंस कं. लि.	225.00	75.00	300.00	78.00	222.00	26.00
आईसीआईसीआई लंबार्ड जनरल इंश्योरेंस कं. लि.	377.36	25.78	403.14	104.39	298.74	25.90
एचडीएफसी चव्ब जनरल इंश्योरेंस कं. लि.	150.00	50.00	200.00	52.00	148.00	26.00
चोलामंडलम एमएस जनरल इंश्योरेंस कं. लि.	141.96	0.00	141.96	36.91	105.05	26.00
फ्यूचर जनरली इंश्योरेंस कं. लि.	150.00	40.25	190.25	48.51	141.74	25.50
यूनिवर्सल सैपो इंश्योरेंस कं. लि.	150.00	0.00	150.00	39.00	111.00	26.00
भारती एक्स जनरल इंश्योरेंस कं. लि. *			162.58	36.13	126.45	22.22
श्रीराम जनरल इंश्योरेंस कं. लि. *			105.00	27.30	77.70	26.00
रहेजा क्यूडबी जनरल इंश्योरेंस कं. लि. *			200.00	52.00	148.00	26.00
कुल योग	1801.70	263.96	2533.23	621.72	1911.51	24.54
यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कं. लि.	150.00	0.00	150.00	0.00	150.00	0.00
न्यू इंडिया जनरल एश्योरेंस कं. लि.	200.00	0.00	200.00	0.00	200.00	0.00
ओरिएंटल इंश्योरेंस कं. लि.	100.00	0.00	100.00	0.00	100.00	0.00
नेशनल इंश्योरेंस कं. लि.	100.00	0.00	100.00	0.00	100.00	0.00
कुल योग - सार्वजनिक क्षेत्र	550.00	0.00	550.00	0.00	550.00	0.00

* बीमाकर्ता ने अपना कार्य 2008-09 में शुरू किया

विवरण 36

बीमाकर्ता एवं विभिन्न मध्यवर्तियों की शुल्क संरचना

क्र. सं.	बीमाकर्ता / मध्यस्थ	प्रक्रियात्मक शुल्क	पंजीकरण शुल्क	नवीनीकरण शुल्क	नवीनीकरण की समय सीमा
1	बीमाकर्ता (जीवन / गैर जीवन / पुर्नबीमा)		रु. 50,000	भारत में किये गये में से 1 प्रतिशत में सीधे सकल किशत में से 1/10 के अधीन न्यूनतम रु. 50,000 और अधिकतम रु. 5 करोड़	प्रति वर्ष (31 दिसम्बर तक)
2	तीसरा पक्ष प्रशासक	रु. 20,000	रु. 30,000	रु. 30,000	3 वर्ष
3	दलाल प्रत्यक्ष दलाल		रु. 25,000	पिछले वित्त वर्ष में कमाये गये ब्रोकर दर एवं शुल्क का 0.5 प्रतिशत न्यूनतम रु. 25,000 और अधिकतम रु. 1,00,000	3 वर्ष
	दलाल प्रत्यक्ष दलाल		रु. 75,000	पिछले वित्त वर्ष में कमाये गये ब्रोकर दर एवं शुल्क का 0.5 प्रतिशत न्यूनतम रु. 75,000 और अधिकतम रु. 3,00,000	3 वर्ष
	संयुक्त दलाल		रु. 1,25,000	पिछले वित्त वर्ष में कमाये गये ब्रोकर दर एवं शुल्क का 0.5 प्रतिशत न्यूनतम रु. 1,25,000 और अधिकतम रु. 5,00,000	3 वर्ष
4	सर्वेक्षक एवं हानि निर्धारक				
	व्यक्तिगत वर्ग	ए	रु. 10,000	हर वर्ग के लिये रु. 200	5 वर्ष
		बी	रु. 7,500		
		सी	रु. 5,000		
	निगमित वर्ग			हर वर्ग के लिये रु. 200	5 वर्ष
		ए	रु. 25,000		
		बी	रु. 20,000		
		सी	रु. 15,000		
5	निगमित एजेंट		निगम बीमा प्रशासक के लिये रु. 250 एवं रु. 250 निर्दिष्ट व्यक्ति के लिये रु. 500		3 वर्ष

जीवन बीमाकर्ता की संपत्तियों का प्रबंधन 31 मार्च 2009 तथा 31 मार्च 2008 तक

(₹. करोड़ों में)

जीवन फंड												
	सी जी सेक्युरिटीज	एसजी एवं ओएस (सी जी सेक्युरिटीज के साथ)	घर एवं एफएफई के लिये ऋण	अनुमोदित निवेश	अन्य निवेश	कुल (जीवन फंड)						
31 मार्च 2008	31 मार्च 2009	31 मार्च 2008	31 मार्च 2009	31 मार्च 2008	31 मार्च 2009	31 मार्च 2008	31 मार्च 2009	31 मार्च 2008	31 मार्च 2009	31 मार्च 2008	31 मार्च 2009	
भारतीय जीवन बीमा निगम	242259.49	258996.79	65237.68	85995.62	59715.45	62065.43	114645.90	148693.48	41126.24	50735.69	522984.76	606487.01
एलआईसी (ए)	242259.49	258996.79	65237.68	85995.62	59715.45	62065.43	114645.90	148693.48	41126.24	50735.69	522984.76	606487.01
एचडीएफसी स्टैंडर्ड लाइफ	1095.10	1248.42	84.22	75.54	364.77	496.61	625.79	681.34	50.28	34.70	2220.16	2536.60
एमएनआईएल	897.17	1451.75	116.62	121.44	429.41	504.84	186.46	368.68	159.83	34.16	1789.48	2480.87
आईसीआईसीआई ग्रू	1352.92	1187.06	69.10	491.20	452.08	526.27	509.40	761.85	352.00	143.35	2735.49	3109.73
बीएसएलआई	233.82	443.02	64.35	9.83	137.54	211.37	97.23	188.39	56.80	16.00	589.75	868.61
टाटा एआईजी	1091.51	1058.64	0.00	325.62	309.82	473.20	202.12	241.60	24.39	24.88	1627.84	2123.94
कोटक लाईफ	329.60	471.54	25.03	69.99	122.29	230.57	144.78	109.44	19.55	1.41	641.25	882.95
एसबीआई लाइफ	1503.42	1484.59	363.77	439.48	652.02	663.98	658.92	963.57	196.12	92.80	3374.25	3644.43
बजाज अलायंस	646.95	928.58	697.11	725.74	404.53	510.40	712.62	775.97	81.31	5.00	2542.53	2945.69
मेन्सलाइफ	275.26	314.46	77.21	121.25	176.61	207.90	48.88	103.38	29.76	47.73	607.72	794.72
रिलायंस लाइफ	235.75	197.22	28.81	95.26	78.59	138.43	120.44	311.12	15.59	12.05	479.18	754.08
आईएनजी वेरवा	254.68	322.94	124.78	128.87	153.97	171.97	130.80	128.72	47.32	61.08	711.55	813.57
अविवा	228.72	298.72	0.00	0.00	95.14	116.99	94.07	135.50	0.00	0.00	417.93	551.21
सहारा लाइफ	83.50	95.14	63.67	63.64	56.09	71.04	53.00	45.72	14.00	5.44	270.26	280.99
श्रीराम लाइफ	77.71	84.61	10.14	16.68	26.49	40.02	46.51	44.57	8.82	10.05	169.66	195.92
भारती एक्सए	78.79	45.46	19.68	14.86	29.81	24.04	41.98	23.19	7.37	7.59	177.63	115.14
आईडीबीआई कोर्टेस	44.95	51.16	63.25	35.17	32.43	47.38	9.36	170.91	0.00	12.00	149.99	316.61
फ्यूचर जमली	103.96	111.33	0.00	0.00	25.10	40.81	10.44	17.94	1.06	5.02	140.56	175.10
केनरा एचएसबीसी ओबीसी	0.00	159.36	0.00	15.50	0.00	72.71	0.00	62.57	0.00	0.00	0.00	310.14
स्टार यूनिक्स	0.00	66.48	0.00	0.00	0.00	27.59	0.00	27.21	0.00	3.80	0.00	125.07
डीएलएफ प्रीमियर	0.00	53.43	0.00	0.00	0.00	17.36	0.00	5.29	0.00	3.04	0.00	79.12
एगोन रेलीगेयर	0.00	20.49	0.00	9.37	0.00	14.41	0.00	10.03	0.00	4.59	0.00	58.90
कुल (सी)	8533.82	10094.38	1807.73	2759.42	3546.68	4607.90	3692.80	5176.99	1064.20	524.70	18645.23	23163.39
कुल (ए + सी)	250793.31	269091.17	67045.41	88755.04	63262.13	66673.33	118338.70	153870.47	42190.44	51260.39	541629.99	629650.40

जारी ..

जीवन बीमाकर्ता की संपत्तियों का प्रबंधन 31 मार्च 2009 तथा 31 मार्च 2008 तक

	सेवानिवृत्ति एवं साधारण भत्ता तथा ग्रुप फंड						(रु. करोड़ों में)	
	सी जी सेक्युरिटीज	एसजी एवं ओएस (सी जी सेक्युरिटीज के साथ)	अनुमोदित निवेश	कुल (सेवानिवृत्ति एवं साधारण भत्ता तथा ग्रुप फंड)				
31 मार्च 2008	31 मार्च 2009	31 मार्च 2008	31 मार्च 2009	31 मार्च 2008	31 मार्च 2009	31 मार्च 2008	31 मार्च 2009	
भारतीय जीवन बीमा निगम	44509.07	44944.06	17717.35	17246.71	25517.80	44943.78	87744.22	107134.55
एलआईसी (ए)	44509.07	44944.06	17717.35	17246.71	25517.80	44943.78	87744.22	107134.55
एनडीएफसी स्टैंडर्ड लाइफ	215.06	250.30	12.57	12.73	264.28	312.31	491.91	575.35
एमएनबीएल	52.39	33.53	3.80	3.81	14.48	11.35	70.68	48.69
आईसीआईसीआई ग्रू	350.28	349.13	41.21	221.48	358.63	396.51	750.12	967.12
बीएसएलआई	2.98	38.49	0.00	7.61	3.75	56.69	6.73	102.79
टाटा एआईजी	190.75	151.65	0.00	46.36	108.28	166.45	299.03	364.46
कोटक लाइफ	40.06	23.08	2.09	2.32	21.63	14.72	63.79	40.12
एसबीआई लाइफ	429.53	979.30	333.32	839.73	824.59	2532.51	1587.43	4351.53
बजाज अलायंस	35.78	54.11	15.94	22.46	22.70	75.98	74.43	152.55
मेटलाइफ	13.43	24.50	0.40	4.08	0.03	0.03	13.86	28.61
रिलायंस लाइफ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
आईएनबी केरला	48.26	60.69	25.40	27.20	72.40	83.62	146.06	171.51
अक्विता	4.87	0.00	0.00	0.00	4.15	0.00	9.02	0.00
सहारा लाइफ	0.54	0.51	0.61	0.06	0.12	0.19	1.27	0.76
श्रीराम लाइफ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
भारती एक्सए	1.13	0.00	0.00	0.00	0.16	0.00	1.29	0.00
आईडीबीआई फोर्टिस	0.00	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03
फ्यूचर जमरली	0.00	9.17	0.00	0.00	2.00	4.35	2.00	13.52
केनरा एनाल्सिबी ओबीसी	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
स्टार ग्रुपियन	0.00	0.03	0.00	0.00	0.00	0.01	0.00	0.04
डीएलएफ प्रीमियर	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
एगोन रेलीगियर	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
कुल (बी)	1385.08	1974.51	435.35	1187.84	1697.21	3654.72	3517.64	6817.07
कुल (ए + बी)	45894.15	46918.58	18152.70	18434.55	27215.01	48598.49	91261.86	113951.62

जीवन बीमाकर्ता की संपत्तियों का प्रबंधन 31 मार्च 2009 तथा 31 मार्च 2008 तक

(रू. करोड़ों में)

यूनिट लिस्ट फंड								
भारतीय जीवन बीमा निगम	अनुमोदित निवेश		अनुमोदित निवेश के अलावा		कुल यूनिट आधारित निधि		कुल सभी निधियाँ	
	31 मार्च 2008	31 मार्च 2009	31 मार्च 2008	31 मार्च 2009	31 मार्च 2008	31 मार्च 2009	31 मार्च 2008	31 मार्च 2009
एलआईसी (ए)	55741.94	73501.31	11931.70	12470.38	67673.64	85971.69	678402.62	799593.24
	55741.94	73501.31	11931.70	12470.38	67673.64	85971.69	678402.62	799593.24
एचडीएफसी स्टैंडर्ड लाइफ	5655.96	6658.35	561.32	525.79	6217.28	7184.14	8929.36	10296.09
एएएलवाईएल	1353.23	2702.57	373.62	332.31	1726.85	3034.88	3587.01	5564.44
आईसीआईआईआई पू	19424.53	25956.16	3488.18	2657.78	22912.71	28613.94	26398.33	32690.79
बीएसएलआई	5393.13	7213.30	807.95	628.33	6201.08	7841.64	6797.55	8813.04
टाटा एआईजी	1598.86	2255.16	292.14	164.53	1891.00	2419.69	3817.87	4908.09
कोटक लाइफ	2078.81	2974.99	230.23	55.81	2309.05	3030.80	3014.09	3953.87
एसबीआई लाइफ	4008.00	5325.57	1057.05	1118.46	5065.04	6,444.03	10026.72	14439.99
बजाज अलायज	8911.00	12481.29	1355.59	1584.02	10266.59	14065.31	12883.55	17163.55
मेटलाइफ	899.68	1660.26	241.13	445.57	1140.81	2105.83	1762.39	2929.16
रिलायंस लाइफ	3018.96	4984.98	570.69	567.40	3589.65	5552.38	4068.83	6306.46
आईएनबी केरला	1115.61	1336.89	189.07	238.48	1304.68	1575.37	2162.29	2560.44
अविवा	1959.71	3059.84	295.21	309.41	2254.92	3369.25	2681.87	3920.45
सहाय लाइफ	95.00	171.57	31.00	33.31	126.00	204.87	397.53	486.62
श्रीराम लाइफ	320.01	482.70	17.50	62.90	337.51	545.60	507.17	741.52
भारती एएस्ए	46.91	157.67	5.61	41.33	52.52	199.00	231.44	314.14
आईडीबीआई फोर्टिस	8.09	263.75	0.07	13.91	8.16	277.66	158.15	594.30
यूचर जेमाली	0.00	84.71	0.00	0.00	0.00	84.71	142.56	273.33
केनरा एचएसबीसी ओबीसी	0.00	194.43	0.00	19.45	0.00	213.88	0.00	524.02
स्टार यूनियन	0.00	8.17	0.00	0.79	0.00	8.96	0.00	134.08
डीएलएफ प्रीमियर	0.00	2.30	0.00	0.25	0.00	2.55	0.00	81.67
एगोन रेलीगेयर	0.00	13.91	0.00	2.68	0.00	16.58	0.00	75.48
कुल (बी)	55887.49	77988.58	9516.35	8802.49	65403.85	86791.07	87586.72	116771.54
कुल (ए + बी)	111629.43	151489.89	21448.05	21272.87	133077.49	172762.76	765969.34	916364.78

गैर जीवन बीमाकर्ता की संपत्तियों का प्रबंधन 31 मार्च 2009 तथा 31 मार्च 2008 तक

(रु. करोड़ों में)

बीमाकर्ता	सी सी सेच्युरिटीज		उच्च सरकार तथा अन्य निवेश		घर एवं एफएफई के लिये ऋण		संरचना / सामाजिक क्षेत्र		प्रकटीकरण निधियों के अनुरूप निवेश (ऑटोएआई सहित)		अनुमोदित निवेशों के अलावा (ऑटोएआई)		कुल निवेश	
	31/03/2008	31/03/2009	31/03/2008	31/03/2009	31/03/2008	31/03/2009	31/03/2008	31/03/2009	31/03/2008	31/03/2009	31/03/2008	31/03/2009	31/03/2008	31/03/2009
जीआईसी	3230.74	3228.88	1617.32	1817.55	1015.19	1140.53	1556.00	1607.65	6846.00	7410.20	1630.00	1524.96	15895.25	16729.76
न्यू इंडिया	3201.52	3042.10	1342.83	1265.81	977.09	828.61	1783.04	1781.67	3496.76	3411.45	434.86	442.07	11236.10	10771.71
नेशनल	1446.99	1405.12	556.01	540.59	488.54	415.43	876.61	1083.46	1747.99	1776.08	583.48	538.06	5699.62	5758.74
यूनाइटेड	1707.81	1720.38	1084.93	1024.26	405.90	418.74	810.68	1441.96	3163.17	2991.46	869.95	771.71	8042.44	8368.51
ओरिएंटल	2033.00	1980.17	682.00	686.49	248.00	456.35	817.00	574.72	2158.00	2129.84	405.00	325.95	6343.00	6153.53
कुल (ए)	11620.06	11376.65	5283.09	5334.70	3134.72	3259.65	5843.33	6489.46	17411.92	17719.02	3923.29	3602.75	47216.41	47782.25
रिलायंस	434.00	389.24	10.10	55.41	115.00	100.19	256.28	334.71	359.06	469.30	136.29	15.12	1310.73	1363.97
गुगल युद्धम	153.15	172.87	69.64	75.34	74.63	104.66	169.83	217.90	148.75	217.54	5.00	0.00	621.00	788.31
इन्फो टेकियो	329.07	376.62	0.00	0.00	82.48	126.01	130.91	169.92	343.17	385.47	0.00	0.00	885.63	1058.02
टाटा एआईजी	216.20	179.95	162.98	140.09	48.63	69.36	134.37	225.19	115.66	94.93	4.08	4.92	681.92	714.43
बजाज अलायज	419.07	519.16	221.44	259.38	175.33	242.57	337.32	556.71	835.44	776.31	25.72	0.00	2014.30	2354.13
आईसीआईसीआई लंबार्ड	512.86	956.72	357.40	191.48	153.14	190.43	645.26	706.07	625.68	845.53	182.15	286.62	2476.49	3176.85
स्टर हेल्थ	46.58	31.01	0.00	0.00	19.87	24.93	14.89	19.93	29.18	11.21	5.00	5.00	115.52	92.09
चोलामंडलम	129.22	126.06	0.00	0.00	25.47	31.48	40.00	45.08	118.00	167.52	17.00	1.38	329.69	371.52
एचडीएफसी इरागो	72.16	93.08	0.00	0.00	19.90	24.38	34.99	45.87	60.31	95.98	33.94	14.28	221.30	273.59
यूनिर्सल सोम्यो	45.46	128.93	24.11	11.98	16.71	16.60	25.15	25.14	111.04	25.00	0.00	0.00	222.47	207.64
फ्यूचर जनरली	61.77	59.40	0.00	1.57	19.67	14.81	19.97	44.56	14.00	18.50	9.91	22.12	125.32	160.97
अपोलो डीकेवी	14.13	27.78	4.03	6.97	4.98	9.58	7.50	12.39	28.68	41.96	0.00	3.77	59.32	102.45
श्रीराम जनरल	0.00	49.53	0.00	0.00	0.00	14.51	0.00	50.65	0.00	21.86	0.00	4.00	0.00	140.55
भारती एक्सा जनरल	0.00	24.65	0.00	0.00	0.00	4.96	0.00	16.13	0.00	62.61	0.00	10.68	0.00	119.03
रेहजा क्यूबीई	0.00	79.57	0.00	0.00	0.00	10.02	0.00	20.13	0.00	77.76	0.00	0.00	0.00	187.49
कुल (बी)	2433.68	3214.57	849.69	742.21	755.81	984.50	1816.47	2490.36	2788.97	3311.48	419.08	367.90	9063.69	11111.02
कुल (ए + बी)	14053.74	14591.22	6132.78	6076.92	3890.53	4244.15	7659.80	8979.82	20200.89	21030.50	4342.37	3970.65	56280.10	58893.27

विवरण 39

शिकायतों की स्थिति - जीवन बीमाकर्ता (2008 - 09)

क्र. सं.	बीमाकर्ता	वर्ष के दौरान दाखिल किये गये	वर्ष के दौरान सुलझाये गये	31 मार्च 2009 तक विलंबित
1	एगोन रेलीगेयर	0	0	0
2	अविवा	193	197	13
3	बजाज अलायंज	211	251	38
4	भारती एक्सा	5	5	0
5	बिरला सन	109	113	9
6	केनरा एचएसबीसी	0	0	0
7	डीएलएफ परमेरिका	0	0	0
8	फ्यूचर जनरली	5	3	2
9	एचडीएफसी स्टैंडर्ड	94	95	56
10	आईसीआईसीआई प्रू	196	202	14
11	आईडीबीआई फोर्टिस	1	0	1
12	आईएनजी वेश्या	35	20	21
13	कोटक लाइफ	95	102	10
14	एलआईसी	481	980	186
15	एमएनवाईएल	112	105	40
16	मेट लाइफ	46	66	9
17	रिलायंस लाइफ	79	75	23
18	सहारा लाइफ	1	1	1
19	एसबीआई लाइफ	62	59	19
20	श्रीराम लाइफ	4	6	0
21	स्टार यूनियन	0	0	0
22	टाटा एआईजी	65	73	16
	कुल	1794	2353	458

विवरण 40

शिकायतें - गैर जीवन बीमाकर्ता

(I) क्र. सं.	(II) बीमाकर्ता	(III)	(IV)	(VI)	(VII)	शिकायतों के आधार पर वर्गीकरण			
		31 मार्च 2008 तक विलंबित	वर्ष के दौरान दाखिल	वर्ष के दौरान सुलझाये गये	31 मार्च 2008 तक	(i)	(ii)	(iii)	(iv)
1	ओरिएंटल	72	153	181	44	18	13	9	4
2	न्यू इंडिया	272	280	332	220	86	72	53	9
3	युनाइटेड	118	240	316	42	16	9	14	3
4	नेशनल	218	245	327	136	28	77	25	6
5	ईसीजीसी	2	2	3	1	0	0	1	0
6	एआईसी	0	1	1	0	0	0	0	0
		682	921	1160	443	148	171	102	22
1	बजाज अलायंस	24	143	129	38	19	11	7	1
2	टाटा एआईजी	42	187	203	26	21	1	2	2
3	रायल सुन्दरम	12	85	77	20	12	3	5	0
4	इफको टोकियो	26	55	65	16	7	6	2	1
5	रिलायंस	24	332	282	74	32	27	14	1
6	चोलामंडलम	25	51	71	5	1	3	1	0
7	आईसीआईसीआई लंबार्ड	37	384	396	25	13	9	2	1
8	एचडीएफसी चब्स	4	5	8	1	0	1	0	0
9	स्टार हेल्थ	0	27	25	2	1	1	0	0
10	अपोलो डीकेवी	0	2	2	0	0	0	0	0
11	फ्यूचर जनरली	0	9	6	3	3	0	0	0
12	यूनिवर्सल सोम्पो	0	0	0	0	0	0	0	0
13	श्रीराम	0	1	1	0	0	0	0	0
14	भारती एक्सा	0	0	0	0	0	0	0	0
15	रहेजा क्यूईबी	0	0	0	0	0	0	0	0
		194	1281	1265	210	109	62	33	6
	कुल	876	2202	2425	653	257	233	135	28

(i) पालिसी मामले

(ii) निपटारा नहीं / दावे के निपटारे में देरी

(iii) दावे का पाक्षिक अस्वीकरण / निपटारा

(iv) अन्य कारण

शिकायतें (अर्ध वर्ष समाप्ति - सितम्बर 2009)

(I)	(II)	(III)	(IV)	(VI)	(V)	शिकायतों के आधार पर वर्गीकरण			
क्र. सं.	बीमाकर्ता	31 मार्च 2009 तक विलंबित	अवधि के दौरान दाखिल	अवधि के दौरान सुलझाये गये	31 मार्च 2009	(i)	(ii)	(iii)	(iv)
1	ओरिएंटल	44	88	67	65	27	22	14	2
2	न्यू इंडिया	220	164	115	269	110	92	60	7
3	युनाइटेड	42	140	87	95	36	33	25	1
4	नेशनल	136	145	106	175	37	104	31	3
5	ईसीजीसी	1	2	1	2	1	1	0	0
6	एआईसी	0	3	3	0	0	0	0	0
		443	542	379	606	211	252	130	13
1	बजाज अलायंस	38	58	64	32	12	14	5	1
2	टाटा एआईजी	26	50	61	15	11	3	1	0
3	रायल सुन्दरम	20	28	31	17	8	4	5	0
4	इफको टोकियो	16	45	30	31	8	16	6	1
5	रिलायंस	74	156	184	46	24	16	6	0
6	चोलामंडलम	5	15	13	7	4	2	1	0
7	आईसीआईसीआई लंबार्ड	25	203	190	38	19	17	2	0
8	एचडीएफसी चब्स	1	7	7	1	0	0	1	0
9	स्टार हेल्थ	2	15	15	2	1	1	0	0
10	अपोलो डीकेवी	0	4	4	0	0	0	0	0
11	फ्यूचर जनरली	3	6	8	1	0	1	0	0
12	यूनिवर्सल सोम्पो	0	1	1	0	0	0	0	0
13	श्रीराम	0	1	1	0	0	0	0	0
14	भारती एक्सा	0	1	1	0	0	0	0	0
15	रहेजा क्यूईबी	0	0	0	0	0	0	0	0
		210	590	610	190	87	74	27	2
	कुल	653	1132	989	796	298	326	157	15
	(i) पालिसी मामले								
	(ii) निपटारा नहीं / दावे के निपटारे में देरी								
	(iii) दावे का पाक्षिक अस्वीकरण / निपटारा								
	(iv) अन्य कारण								

तीसरा पक्ष प्रशासक - दावों का डाटा : 2008-09

क्र. सं.	नाम	प्राप्त दावों की संख्या	निपटायें गये दावे			
			1 महीने के अंदर	1 से 3 महीनों के अंदर	3 से 6 महीनों के अंदर	6 महीने से ज्यादा
1	पारेख हेल्थ मैनेजमेंट (प्राइवेट) लिमिटेड	35229	19769 (56.12)	11103 (31.52)	847 (2.40)	41 (0.12)
2	मैडि असिस्ट प्राइवेट लिमिटेड	327640	202631 (61.85)	72555 (22.14)	8952 (2.73)	2245 (0.69)
3	एमडी इंडिया हेल्थ केयर सर्विसेस प्राइवेट लिमिटेड	208331	185144 (88.87)	6942 (3.33)	773 (0.37)	कुछ नहीं
4	पैरामाउंट हेल्थ सर्विसेस प्राइवेट लिमिटेड	185743	167612 (90.24)	364 (0.20)	58 (0.03)	125 (0.07)
5	ई-मैडिकेक सोल्यूशन्स लिमिटेड	259635	227036 (87.44)	18578 (7.16)	4543 (1.75)	कुछ नहीं
6	हैरिटेज हेल्थ सर्विसेस प्राइवेट लिमिटेड	65674	27990 (42.62)	26030 (39.64)	6227 (9.48)	1191 (1.81)
7	मैडिकेयर टीपीए सर्विसेस (इंडिया) प्राइवेट लिमिटेड	75250	52004 (69.11)	7755 (10.31)	240 (0.32)	66 (0.09)
8	फैमिली हेल्थ प्लान लिमिटेड	94013	75907 (80.74)	17851 (18.99)	कुछ नहीं	कुछ नहीं
9	रक्षा टीपीए प्राइवेट लिमिटेड	250211	242082 (96.75)	8129 (3.25)	कुछ नहीं	कुछ नहीं
10	टीटीके हेल्थकेयर सर्विसेस प्राइवेट लिमिटेड	313948	262397 (83.58)	29359 (9.35)	8020 (2.55)	3101 (0.99)
11	मेड सेव हेल्थ केयर लिमिटेड	135851	80068 (58.94)	36950 (27.20)	2833 (2.09)	350 (0.26)
12	जेनिन्स इंडिया लिमिटेड	81651	63827 (78.17)	12583 (15.41)	4387 (5.37)	2064 (2.53)
13	अलॉकित हेल्थ केयर लिमिटेड	55308	24282 (43.90)	22247 (40.22)	4744 (8.58)	1446 (2.61)
14	हेल्थ इंडिया टीपीए सर्विसेस लि.	190859	129603 (67.91)	39384 (20.64)	5305 (2.78)	कुछ नहीं
15	गुड हेल्थप्लान लिमिटेड	24886	20598 (82.77)	2477 (9.95)	93 (0.37)	कुछ नहीं
16	विपुल मेड कोर्प प्राइवेट लिमिटेड	109119	51379 (47.09)	37960 (34.69)	8338 (7.64)	1965 (1.8)
17	पार्क मेडिकलेम कंसल्टेंट्स प्राइवेट लिमिटेड	20671	8671 (41.95)	7042 (34.07)	3939 (19.06)	125 (0.6)
18	सेफवे मेडिकलेम सर्विसेस	8101	3782 (46.69)	2280 (28.14)	1474 (18.20)	215 (2.65)
19	अनमोल मेडिकेयर लिमिटेड	4186	2218 (52.99)	581 (13.88)	249 (5.95)	कुछ नहीं
20	फोकस हेल्थकेयर प्राइवेट लिमिटेड	338	151 (44.67)	कुछ नहीं	कुछ नहीं	कुछ नहीं
21	एनयुता मेडिनेट हेल्थ केयर प्राइवेट लिमिटेड	49	49 (100.00)	कुछ नहीं	कुछ नहीं	कुछ नहीं
22	रोटशील्ड हेल्थकेयर टीपीए सर्विसेस लि.	20	12 (60.00)	3 (15.00)	कुछ नहीं	कुछ नहीं
23	आईकेयर टीपीए सर्विसेस लि.	कुछ नहीं	कुछ नहीं	कुछ नहीं	कुछ नहीं	कुछ नहीं
24	ग्रांड हेल्थ केयर इंडिया प्रा. लि.	कुछ नहीं	कुछ नहीं	कुछ नहीं	कुछ नहीं	कुछ नहीं
25	श्री गोकुलम टीपीए सर्विसेस लि.	कुछ नहीं	कुछ नहीं	कुछ नहीं	कुछ नहीं	कुछ नहीं
कुल		2446713	1847163 (75.50)	360173 (14.72)	61022 (2.49)	12934 (0.53)

टिप्पणी: कोष्ठक में दिखाये गये आंकड़े प्राप्त किये गये दावों में से निपटायें गये दावों को प्रतिशत में दर्शाते हैं।
आईकेयर टीपीए सर्विसेस लि. वर्ष के दौरान पंजीकृत किया गया नया टीपीए है।
इस्ट वेस्ट एंजिस्ट्स प्रा. लि. तथा डेडीकेटड हेल्थकेयर सर्विसेस (इंडिया) प्रा. लि. से डाटा प्राप्त नहीं हुआ है।
यूनियर्सल मेडीएड सर्विसेस लि. का पंजीकरण रद्द कर दिया गया है।
कुछ नहीं: कोई भी दावा प्राप्त अथवा नहीं निपटारा गया।

विवरण 43

विभिन्न केंद्रों पर बीमा लोकपाल का कार्य स्तर
31 मार्च 2009 की समाप्ति तक शिकायत का निपटारा
(जीवन बीमा)

बीमा लोकपाल केंद्र ओ/एस 31.3.200 8 तक	शिकायतों की संख्या		इस तरह निपटायी गयी शिकायतों की संख्या						समय सीमा आधारित निपटारा						समय सीमा आधारित बाकी		
	वर्ष के दौरान प्राप्त किये	कुल	(I)	(II)	(III)	(IV)	(V)	(VI)	कुल	(ए)	(बी)	(सी)	कुल	(ए)	(बी)	(सी)	कुल
अहमदाबाद	11	155	166	0	17	3	0	51	87	158	138	20	0	158	8	0	8
भोपाल	13	376	389	0	30	10	0	47	236	323	282	41	0	323	61	5	66
भुवनेश्वर	137	166	303	75	63	16	2	19	29	204	28	76	100	204	32	67	99
चंडीगढ़	61	620	681	0	200	196	0	147	18	561	550	10	1	561	119	0	120
चेन्नई	5	777	782	1	27	23	0	31	684	766	759	7	0	766	13	3	16
दिल्ली	23	163	186	4	81	0	1	1	0	87	66	21	0	87	92	7	99
गुवाहटी	16	197	213	67	27	0	0	0	102	196	147	49	0	196	12	5	17
हैदराबाद	7	614	621	0	31	14	0	35	521	601	596	5	0	601	20	0	20
कोच्ची	16	284	300	0	27	9	0	52	177	265	237	28	0	265	35	0	35
कोलकाता	64	798	862	52	69	51	208	136	291	807	551	256	0	807	55	0	55
लखनऊ	16	852	868	0	166	176	0	27	499	868	835	33	0	868	0	0	0
मंबई	21	751	772	0	94	1	0	0	655	750	697	53	0	750	9	13	22
कुल	390	5753	6143	199	832	499	211	546	3299	5586	4886	599	101	5586	456	100	1 557

1. सिफारिश
 2. पुरस्कार
 3. वापस लेना / निपटारा
 4. अस्वीकृत
6. कोई प्रभाव नहीं
(ए) 3 महीनों के अंदर
(बी) 3 महीने से 1 साल तक
(सी) 1 साल से ज्यादा

विवरण 44

विभिन्न केन्द्रों पर बीमा लोकपाल का कार्य स्तर
31 मार्च 2009 की समाप्ति तक शिकायत का निपटारा
(गैर जीवन बीमा)

बीमा लोकपाल केन्द्र ओ/एस 31.3.20 08 तक	शिकायतों की संख्या		इस तरह निपटायी गयी शिकायतों की संख्या						समय सीमा आधारित निपटारा			समय सीमा आधारित बाकी						
	कुल	कुल	(I)	(II)	(III)	(IV)	(V)	(VI)	कुल	(ए)	(बी)	(सी)	कुल	(ए)	(बी)	(सी)	कुल	
अहमदाबाद	57	384	441	5	171	45	0	125	66	412	340	72	0	412	29	0	0	29
भोपाल	14	119	133	0	37	29	0	13	32	111	80	30	1	111	22	0	0	22
भुवनेश्वर	207	105	312	48	123	4	2	52	20	249	21	34	194	249	19	44	0	63
चंडीगढ़	85	777	862	0	339	96	0	197	54	686	684	2	0	686	173	3	0	176
चेन्नई	37	663	700	0	73	27	0	59	524	683	576	107	0	683	16	1	0	17
दिल्ली	195	338	533	8	159	2	92	120	14	395	94	294	7	395	85	53	0	138
गुवाहटी	106	198	304	131	98	0	1	0	36	266	89	177	0	266	37	1	0	38
हैदराबाद	27	466	493	0	134	41	0	47	256	478	471	7	0	478	15	0	0	15
कोच्ची	42	335	377	0	62	14	0	92	166	334	277	57	0	334	42	1	0	43
कोलकता	116	824	940	41	143	49	0	45	532	810	534	247	29	810	57	57	16	130
लखनऊ	0	265	265	0	61	36	112	0	56	265	261	4	0	265	0	0	0	0
मंबई	143	1166	1309	0	413	0	0	0	729	1142	702	440	0	1142	83	84	0	167
कुल	1029	5640	6669	233	1813	343	207	750	2485	5831	4129	1471	231	5831	578	244	16	838

6. कोई प्रभाव नहीं

(ए) 3 महीनों के अंदर

(बी) 3 महीने से 1 साल तक

(सी) 1 साल से ज्यादा

1. सफाई

2. पुरस्कार

3. वापस लेना / निपटारा

4. अस्वीकृत

विवरण 45

विभिन्न केन्द्रों पर बीमा लोकपाल का कार्य स्तर
31 मार्च 2009 की समाप्ति तक शिकायत का निपटारा
(जीवन बीमा एवं गैर जीवन बीमा संयुक्त)

बीमा लोकपाल केन्द्र ओ/एस	शिकायतों की संख्या		इस तरह निपटायी गयी शिकायतों की संख्या						समय सीमा आधारित निपटारा				समय सीमा आधारित बाकी				
	वर्ष के दौरान	कुल	(I)	(II)	(III)	(IV)	(V)	(VI)	कुल	(ए)	(बी)	(सी)	कुल	(ए)	(बी)	(सी)	कुल
31.3.200 तक																	
8 तक																	
अहमदाबाद	68	539	607	5	188	48	0	176	153	570	478	92	0	570	37	0	37
	27	495	522	0	67	39	0	60	268	434	362	71	1	434	83	5	88
	344	271	615	123	186	20	4	71	49	453	49	110	294	453	51	111	0 162
	146	1397	1543	0	539	292	0	344	72	1247	1234	12	1	1247	292	3	1 296
	42	1440	1482	1	100	50	0	90	1208	1449	1335	114	0	1449	29	4	0 33
	218	501	719	12	240	2	93	121	14	482	160	315	7	482	177	60	0 237
	122	395	517	198	125	0	1	0	138	462	236	226	0	462	49	6	0 55
	34	1080	1114	0	165	55	0	82	777	1079	1067	12	0	1079	35	0	0 35
	58	619	677	0	89	23	0	144	343	599	514	85	0	599	77	1	0 78
	180	1622	1802	93	212	100	208	181	823	1617	1085	503	29	1617	112	57	16 185
लखनऊ	16	1117	1133	0	227	212	112	27	555	1133	1096	37	0	1133	0	0	0 0
	164	1917	2081	0	507	1	0	0	1384	1892	1399	493	0	1892	92	97	0 189
	1419	11393	12812	432	2645	842	418	1296	5784	11417	9015	2070	332	11417	1034	344	17 1395
कुल																	

6. कोई प्रभाव नहीं

- (ए) 3 महीनों के अंदर
(बी) 3 महीने से 1 साल तक
(सी) 1 साल से ज्यादा

1. सिफारिश

2. पुरस्कार

3. वापस लेना / निपटारा

4. अस्वीकृत

प्रथम वर्ष (एकल प्रीमियम को मिलाकर) जीवन बीमा प्रीमियम

	(रु. करोड़ में)								
बीमाकर्ता	2000-01	2001-02	2002-03	2003-04	2004-05	2005-06	2006-07	2007-08	2008-09
एलआईसी	9700.98	19588.77	15976.76	17347.62	20653.06	28515.87	56223.56	59996.57	53179.08
		(101.93)	(-18.44)	(8.58)	(19.05)	(38.07)	(97.17)	(6.71)	(-11.36)
आईएनजी वेश्या	--	4.19	17.66	72.10	282.42	283.98	467.66	704.44	688.95
एचडीएफसी स्टैंडर्ड लाइफ	0.002	32.78	129.31	209.33	486.15	1042.65	1648.85	2685.37	2651.11
बीएसएलआई	0.32	28.11	129.57	449.86	621.31	678.12	882.72	1965.01	2823.91
आईसीआईसीआई प्रू	5.97	113.33	364.11	750.84	1584.34	2602.50	5162.13	8034.75	6483.92
कोटक लाइफ	--	7.58	35.21	125.51	373.99	396.06	614.94	1106.62	1343.03
टाटा एआईजी	--	21.14	59.77	181.59	297.55	464.53	644.82	964.51	1142.67
एसबीआई लाइफ	--	14.69	71.88	207.05	484.85	827.82	2563.84	4792.82	5386.64
बजाज अलायंज	--	7.14	63.39	179.55	857.45	2716.77	4302.74	6674.48	4491.43
एमएनवाईएल	0.16	38.80	67.31	137.28	233.63	471.36	912.11	1597.83	1842.91
मेट लाइफ	--	0.48	7.70	23.41	57.52	148.53	340.44	825.35	1144.7004
रिलायंस लाइफ	--	0.28	6.32	27.21	91.33	193.56	932.11	2751.05	3513.98
अविवा	--	--	13.47	76.96	192.29	407.12	721.35	1053.98	724.56
सहारा	--	--	--	--	1.74	26.34	43.00	122.12	134.01
श्रीराम लाइफ	--	--	--	--	--	10.33	181.17	309.99	314.47
भारती एक्सए	--	--	--	--	--	--	7.78	113.24	292.93
फ्यूचर जनरली	--	--	--	--	--	--	--	2.49	149.97
आईडीबीआई फोर्टिस	--	--	--	--	--	--	--	11.90	316.78
केनरा एचएसबीसी									296.41
डीएलएफ परामेरिका									3.37
एड्गोन रेलिगियर									31.21
स्टार यूनिन डालिची									50.19
निजी क्षेत्र	6.45	268.51	965.69	2440.71	5564.57	10269.67	19425.65	33715.95	33827.15
		(4061.70)	(259.65)	(152.74)	(127.99)	(84.55)	(88.84)	(73.56)	(-0.33)
कुल	9707.40	19857.28	16942.45	19788.32	26217.64	38785.54	75649.21	93712.52	87006.23
		(104.56)	(-14.68)	(16.80)	(32.49)	(47.94)	(94.96)	(23.88)	(-7.16)

टिप्पणी:

कोष्ठक में आंकड़े पिछले वर्ष की तुलना में वृद्धि को प्रतिशत में दर्शाते हैं

- व्यवसाय शुरू नहीं किया गया को दर्शाता है

कुल जीवन बीमा प्रीमियम

(रु. करोड़ में)

बीमाकर्ता	2000-01	2001-02	2002-03	2003-04	2004-05	2005-06	2006-07	2007-08	2008-09
एलआईसी	34892.02	49821.91	54628.49	63533.43	75127.29	90792.22	127822.84	149789.99	157288.04
		(42.79)	(9.65)	(16.30)	(18.25)	(20.85)	(40.79)	(17.19)	(5.01)
आईएनजी वेश्या	--	4.19	21.16	88.51	338.86	425.38	707.20	1158.87	1442.28
एचडीएफसी स्टैंडर्ड लाइफ	0.002	33.46	148.83	297.76	686.63	1569.91	2855.87	4858.56	5564.69
बीएसएलआई	0.32	28.26	143.92	537.54	915.47	1259.68	1776.71	3272.19	4577.59
आईसीआईसीआई प्रू	5.97	116.38	417.62	989.28	2363.82	4261.05	7912.99	13561.06	15356.22
कोटक लाइफ	--	7.58	40.32	150.72	466.16	621.85	971.51	1691.14	2343.19
टाटा एआईजी	--	21.14	81.21	253.53	497.04	880.19	1367.18	2046.35	2747.50
एसबीआई लाइफ	--	14.69	72.39	225.67	601.18	1075.32	2928.49	5622.14	7212.10
बजाज अलायंज	--	7.14	69.17	220.80	1001.68	3133.58	4302.74	9725.31	10624.52
एमएनवाईएल	0.16	38.95	96.59	215.25	413.43	788.13	1500.28	2714.60	3857.26
मेट लाइफ	--	0.48	7.91	28.73	81.53	205.99	492.71	1159.54	1996.64
रिलायंस लाइफ	--	0.28	6.47	31.06	106.55	224.21	1004.66	3225.44	4932.54
अविवा	--	--	13.47	81.50	253.42	600.27	1147.23	1891.88	1992.87
सहारा	--	--	--	--	1.74	27.66	51.00	143.49	206.47
श्रीराम लाइफ	--	--	--	--	--	10.33	181.17	358.05	436.17
भारती एएक्सए	--	--	--	--	--	--	7.78	118.41	360.41
फ्यूचर जनरली	--	--	--	--	--	--	--	2.49	152.60
आईडीबीआई फोर्टिस	--	--	--	--	--	--	--	11.9049	318.97
केनरा एचएसबीसी									296.41
डीएलएफ परामेरिका									3.37
एड्गोन रेलिगियर									31.21
स्टार यूनिशन डालिची									50.19
निजी क्षेत्र	6.45	272.55	1119.06	3120.33	7727.51	15083.54	28253.00	51561.42	64503.22
		(4124.31)	(310.59)	(178.83)	(147.65)	(95.19)	(87.08)	(82.50)	(25.10)
कुल	34898.47	50094.46	55747.55	66653.75	82854.80	105875.76	156075.84	201351.41	221791.26
		(43.54)	(11.28)	(19.56)	(24.31)	(27.78)	(47.38)	(29.01)	(10.15)

टिप्पणी:

कोष्ठक में आंकड़े पिछले वर्ष की तुलना में वृद्धि को प्रतीक में दर्शाते हैं

- व्यवसाय शुरू नहीं किया गया को दर्शाता है

गैर जीवन बीमा का सकल प्रत्यक्ष प्रीमियम आय (भारत तथा भारत से बाहर)

(रु. करोड़ में)

बीमाकर्ता	2004-05	2005-06	2006-07	2007-08	2008-09
नेशनल	3810.65	3536.34	3827.12	4021.97	4295.85
न्यू इंडिया	5103.16	5675.54	5936.78	6151.97	6455.79
ओरिएंटल	3090.55	3609.77	4020.78	3900.22	4077.90
युनाइटेड	2944.46	3154.78	3498.77	3739.56	4277.77
सार्वजनिक क्षेत्र	14948.82	15976.44	17283.45	17813.71	19107.31
	(4.65)	(6.87)	(8.18)	(3.07)	(7.26)
रायल सुन्दरम	330.70	458.64	598.20	694.41	803.36
रिलायंस	161.68	162.33	912.23	1946.42	1914.88
इफको टोकियो	496.64	892.72	1144.47	1128.15	1374.06
टाटा एआईजी	448.24	572.70	710.55	782.64	823.92
आईसीआईसीआई लंबार्ड	873.86	1582.86	2989.07	3307.12	3402.04
बजाज अलायंस	851.62	1272.29	1786.34	2379.92	2619.29
चोलामंडलम	169.25	220.18	311.73	522.34	685.44
एचडीएफसी इरगो	175.63	200.94	194.00	220.60	339.21
फ्यूचर जनरली	--	--	--	9.81	186.49
यूनिवर्सल सोम्पो	--	--	--	0.48	30.14
श्रीराम	--	--	--	--	113.76
भारती एक्सा	--	--	--	--	28.50
निजी क्षेत्र	3507.62	5362.66	8646.57	10991.89	12321.09
	(55.35)	(52.89)	(61.24)	(27.12)	(12.09)
TOTAL	18456.45	21339.10	25930.02	28805.60	31428.40
	(11.57)	(15.62)	(21.51)	(11.09)	(9.11)
ईसीजीसी	515.55	577.33	617.66	668.37	744.68
स्टार हेल्थ	--	--	22.51	168.19	509.86
अपोलो डीकेवी	--	--	--	2.97	48.14
एआईसी	549.72	555.83	564.67	835.11	833.44

टिप्पणी:

कोष्ठक में दिये गये आंकड़ें गत वर्ष की तुलना में वृद्धि को प्रतिशत में दर्शाते हैं

- व्यवसाय शुरू नहीं किया गया को दर्शाता है

व्यक्तिगत व्यापार (भारत में)

लागू व्यापार (पालिसियों की संख्या)

नोन लिंकड - व्यापार										लिंकड	कुल व्यापार	
								लिंकड व्यापार	स्वास्थ्य			
जीवन				सामान्य एन्युटी तथा सेवानिवृत्ति				स्वास्थ्य				
बीमाकर्ता	01-04-2008 को	हटायी गयी 31-03-2009 को	अतिरिक्त *	लागू व्यापार	01-04-2008 को	हटायी गयी 31-03-2009 को	अतिरिक्त *	31-03-2009 को	31-03-2009 को	31-03-2009 को	31-03-2009 को	
	लागू व्यापार				लागू व्यापार			लागू व्यापार	लागू व्यापार	लागू व्यापार	लागू व्यापार	
बजाज अलायंज	540	259	78	721	7	0	0	7	93	6721	0	7542
रिलायंस	220	106	92	234	0	0	0	0	0	3015	63	3313
अविवा	48	46	33	62	0	0	0	0	0	824	0	886
बीएसएलआई	325	458	107	676	0	0	0	0	10	1737	0	2423
एचडीएफसी लाइफ	996	368	120	1244	75	20	15	79	17	1404	0	2744
आईसीआईसीआई प्रू	1037	913	637	1313	55	4	2	57	217	4826	37	6449
आईएनजी वेश्या	289	139	65	363	44	30	3	71	0	581	0	1014
एलआईसी	192428	32017	14291	210154	2829	201	241	2789	0	44682	198	257823
एमएनवाईएल	896	441	202	1135	7	0	1	7	73	1359	0	2575
मेट लाइफ	115	90	29	176	1	0	0	1	0	469	0	645
कोटक लाइफ	149	42	35	157	6	0	0	6	0	788	0	951
एसबीआई लाइफ	420	122	53	489	92	42	11	123	0	2030	0	2642
टाटा एआईजी	579	264	132	710	21	1	2	20	106	781	10	1627
सहारा	76	44	20	101	0	0	0	0	0	136	0	238
श्रीराम लाइफ	40	15	16	39	0	0	0	0	0	227	0	266
भारती एएक्सए लाइफ	10	42	14	39	0	0	0	0	0	188	0	226
फ्यूचर जनरली	1	62	7	56	0	2	0	2	0	40	0	98
आईडीबीआई फोर्टिस	0	10	0	10	0	0	0	0	0	71	0	81
केनरा एचएसबीसी	0	0	0	0	0	0	0	0	0	36	0	36
एगोन रेलीगेयर	0	6	0	6	0	0	0	0	0	17	0	23
डीएलएफ प्रीमेरिका	0	1	0	1	0	0	0	0	0	2	0	3
स्टार यूनियन	0	1	0	1	0	0	0	0	0	13	0	13
कुल	198169	35448	15930	217687	3135	302	276	3161	516	69946	308	291618

* नयी पॉलिसियों को मिलाकर, पुरानी पॉलिसिया

** मृत्यु के कारण, परिपक्वतास लेप्स, समर्पित तथा रद्द की गई पॉलिसियों को मिलाकर

स्वास्थ्य व्यवसाय (यदि है) को मिलाकर

डाटा का स्रोत: जीवन बीमाकर्ता की बीमांकक रिपोर्ट 31-03-2009

व्यक्तिगत व्यापार (भारत में)
लागू व्यापार (बीमित राशि करोड़ में)
(लिंकड तथा गैर लिंकड व्यापार)

बीमाकर्ता	नोन लिंकड - व्यापार								लिंकड व्यापार		कुल व्यापार	
	जीवन				सामान्य एन्सुटी तथा सेवानिवृत्ति				स्वास्थ्य		लिंकड स्वास्थ्य व्यापार	कुल स्वास्थ्य व्यापार
	01-04-2008 को लागू व्यापार	अतिरिक्त *	हटायी गयी **	31-03-2009 को लागू व्यापार	01-04-2008 को लागू व्यापार	अतिरिक्त *	हटायी गयी **	31-03-2009 को लागू व्यापार	31-03-2009 को लागू व्यापार	31-03-2009 को लागू व्यापार	31-03-2009 को लागू व्यापार	31-03-2009 को लागू व्यापार
बजाज अलायंज	12998	4604	2407	15195	226	17	17	226	2329	180727	0	198477
रिलायंस	4102	2782	814	6069	0	0	0	0	0	32163	1,199	39431
अविवा	294	703	168	828	0	3	1	3	0	24058	0	24889
बीएसएलआई	4654	1055	879	4830	0	0	0	0	766	78955	0	84551
एचडीएफसी लाइफ	16973	7510	2233	22251	1434	258	191	1502	408	45479	0	69640
आईसीआईसीआई ग्रू	21644	13433	6163	28914	1538	102	71	1569	35085	95995	32	161595
आईएनजी वेश्या	5600	2818	1164	7253	0	0	0	0	0	11127	0	18380
एलआईसी	1485380	411205	111705	1784880	47269	232873	233178	46964	0	198470	7217	2037531
एमएनवाईएल	29887	17517	6490	40914	145	7	13	139	1268	40593	0	82914
मेट लाइफ	5522	2654	978	7198	15	3	2	15	0	29555	0	36768
कोटक लाइफ	7561	2340	1423	8479	248	7	20	236	0	25160	0	33874
एसबीआई लाइफ	10997	5035	1576	14455	526	467	17	976	0	40010	0	55441
टाटा एआईजी	12550	2678	1710	13518	460	14	30	444	4281	25751	215	44209
सहारा	1085	644	275	1454	8	0	0	8	0	2551	0	4013
श्रीराम लाइफ	1004	283	372	916	0	0	0	0	0	5794	0	6710
भारती एएक्सए लाइफ	582	1419	687	1314	0	0	0	0	0	4148	0	5462
फ्यूचर जनरली	33	2297	288	2041	0	1	0	1	0	891	0	2933
आईडीबीआई फोर्टिस	11	1017	1	1026	0	0	0	0	0	1655	0	2682
केनरा एचएसबीसी	0	59	0	59	0	0	0	0	0	2462	0	2521
एगोन रेलीगेयर	0	999	96	903	0	0	0	0	0	358	0	1261
डीएलएफ प्रीमेरिका	0	55	6	49	0	0	0	0	0	29	0	78
स्टार यूनियन	0	15	0	15	0	0	0	0	0	328	0	343
कुल	1620876	481122	139436	1962562	51867	233753	233539	52081	44136	846261	8664	2913703

* नयी पॉलिसियों को मिलाकर, पुरानी पॉलिसिया

** मृत्यु के कारण, परिपक्वतास लेप्स, समर्पित तथा रद्द की गई पॉलिसियों को मिलाकर

स्वास्थ्य व्यवसाय (यदि है) को मिलाकर

डाटा का स्रोत: जीवन बीमाकर्ता की बीमांकक रिपोर्ट 31-03-2009

विवरण 51

जीवन बीमाकर्ताओं का शोधन अनुपात

(31 मार्च को)

बीमाकर्ता	2008	2009
निजी बीमाकर्ता		
एगोन रेलीगेयर	**	1.93
अविवा	4.29	5.91
बजाज अलायंस	2.34	2.62
भारती एक्सा	2.73	2.07
बिरला सनलाइफ	2.37	2.44
केनरा एचएसबीसी ओबीसी	**	5.74
डीएलएफ प्रीमेरिका	**	1.71
फ्यूचर जनरली	2.94	3.17
एचडीएफसी स्टैंडर्ड	2.38	2.58
आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल	1.74	2.31
आईडीबीआई फोर्टिस	3.45	6.11
आईएनजी वेश्या	2.36	2.26
कोटक महिन्द्रा	2.25	3.04
मैक्स न्यू यार्क	1.70	2.27
मेटलाइफ	2.41	2.69
रिलायंस	1.65	2.50
सहारा	4.32	3.6
एसबीआई	3.3	2.92
श्रीराम	2.85	3.05
स्टार यूनियन	**	2.53
टाटा एआईजी	2.50	2.51
सार्वजनिक बीमाकर्ता		
भारतीय जीवन बीमा निगम	1.52	1.54

** वर्ष 2008-09 में व्यापार आरंभ किया गया

स्रोत: बीमांकक रिपोर्ट 31.03.2009

विवरण 51 (i)

भारत में जीवन बीमाकर्ताओं का शोधन अनुपात

(की समाप्ति पर)

बीमाकर्ता	जून - 08	सितम्बर- 08	दिसम्बर- 08	मार्च- 09
निजी बीमाकर्ता				
एगोन रेलीगेयर	**	2.65	1.94	1.93
अविवा	2.67	5.45	3.78	5.91
बजाज अलायंस	2.16	1.99	2.58	2.62
भारती एक्सा	2.5	2.42	2.54	2.07
बिरला सनलाइफ	2	2.1	2.58	2.44
केनरा एचएसबीसी ओबीसी	5.48	4.44	7.37	5.74
डीएलएफ प्रीमेरिका	**	1.77	1.56	1.71
फ्यूचर जनरली	2.47	2.62	2.47	3.17
एचडीएफसी स्टैंडर्ड	2.85	3.09	3.18	2.58
आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल	2.04	1.99	2.77	2.31
आईडीबीआई फोर्टिस	3.13	2.63	2.10	6.11
आईएनजी वेश्या	1.74	1.66	2.18	2.26
कोटक महिन्द्रा	2.66	2.02	3.58	3.04
मैक्स न्यू यार्क	2.06	1.73	2.55	2.27
मेटलाइफ	1.85	2.31	2.61	2.69
रिलायंस	2.57	2.83	3.96	2.5
सहारा	4.23	4.21	4.04	3.6
एसबीआई	1.99	2.71	2.91	2.92
श्रीराम	2.74	2.98	3.25	3.05
स्टार यूनियन	**	**	**	2.53
टाटा एआईजी	2.93	2.64	3.23	2.51
सार्वजनिक बीमाकर्ता				
भारतीय जीवन बीमा निगम	2.02	1.79	2.27	1.54

** वर्ष 2008-09 में व्यापार आरंभ किया गया

स्रोत: बीमांकक रिपोर्ट 31.03.2008 तथा 31.03.2009 तथा त्रिमाही बीमा शोधन के विवरण

विवरण 52

भारत में गैर जीवन बीमाकर्ताओं का शोधन अनुपात

(31 मार्च को)

बीमाकर्ता	2008	2009
निजी बीमाकर्ता		
बजाज अलायंज	1.55	1.62
भारती एक्सा	**	2.11
चोलामंडलम	2	1.02
फ्यूचर जनरली	2.61	1.83
एचडीएफसी इरगो	2.02	2.48
आईसीआईसीआई लंबार्ड	2.03	2.03
इफको टोकियो	1.51	1.77
रहेजा क्यूबीई	**	NA
रिलायंस	1.64	1.59
रायल सुन्दरम	1.59	1.64
श्रीराम	**	1.94
टाटा एआईजी	1.91	1.97
यूनिवर्सल सोमो	4.68	4.23
सार्वजनिक बीमाकर्ता		
नेशनल	2.22	1.56
न्यू इंडिया	4.00	3.41*
ओरिएंटल	1.91	1.66
युनाइटेड	3.24	3.32
विशेषज्ञ बीमाकर्ता		
एआईसी	3.27	4.58
अपोलो डीकेवी	1.39	1.82
ईसीजीसी	18.90	16.42
स्टार हेल्थ	1.97	1.38
पुर्न बीमाकर्ता		
जीआईसी	3.36	3.67

* प्रोविजनल

** वर्ष 2008-09 में व्यापार आरंभ किया गया

भारत में गैर जीवन बीमाकर्ताओं का शोधन अनुपात

(की समाप्ति पर)

बीमाकर्ता	मार्च- 08	जून - 08	सितम्बर- 08	दिसम्बर- 08	मार्च- 09
निजी बीमाकर्ता					
1 बजाज अलायंज	1.55	2.48	2.30	1.85	1.62
2 भारती एक्सा	NA	2.23	2.01	2.91	2.11
3 चोलामंडलम	2.00	1.87	1.72	1.60	1.02
4 फ्यूचर जनरली	2.61	2.44	2.13	1.76	1.83
5 एचडीएफसी इरगो	2.02	1.62	2.32	2.19	2.48
6 आईसीआईसीआई लंबार्ड	2.03	1.54	2.49	2.24	2.03
7 इफको टोकियो	1.51	1.98	1.91	2.30	1.77
8 रहेजा क्यूबीई	--	--	--	--	--
9 रिलायंस	1.64	3.77	2.96	1.88	1.59
10 रायल सुन्दरम	1.59	1.89	1.59	1.51	1.64
11 श्रीराम	NA	1.97	1.97	1.98	1.94
12 टाटा एआईजी	1.91	1.76	1.65	1.88	1.97
13 यूनिवर्सल सोम्पो	4.68	4.63	4.60	4.49	4.23
सार्वजनिक बीमाकर्ता					
14 नेशनल	3.24	3.50	3.53	3.61	3.32
15 न्यू इंडिया	4.00	लागू नहीं	3.79	3.15	3.41
16 ओरिएंटल	1.91	2.01	2.11	1.75	1.66
17 युनाईटेड	2.22	लागू नहीं	2.00	1.67	1.56
विशेषज्ञ बीमाकर्ता					
18 एआईसी	18.90	45.95	39.87	25.95	16.42
19 अपोलो डीकेवी	3.27	41.55	9.22	11.52	4.58
20 ईसीजीसी	1.97	1.96	1.78	1.56	1.38
21 स्टार हेल्थ	1.39	1.15	2.13	1.74	1.82
पुर्न बीमाकर्ता					
22 जीआईसी	3.36	NA	6.96	3.76	3.67

व्यक्तिगत व्यापार (भारत में)
गैर लिंकड व्यापार से संबंधित समग्रण / कालित पालिसियों का विवरण

विवरण	बजाज अलायंस	रिलायंस अविवा	बिरला सम लाइफ	एचडीएफसी लाइफ	आईसीआई सीआई प्रू	आईएनजी वेष्टा	एलआईसी लाइफ	मैक्स लाइफ	मेट लाइफ	कोटक लाइफ	एसबीआई लाइफ	टाटा एआईजी लाइफ	सहारा श्रीराम लाइफ	भारती एक्सा लाइफ	प्रसूचर अनरली लाइफ	आईडीबीआई फोर्टिस लाइफ	केनरा लाइफ	एगोन रेलीगेवर लाइफ	डीएलएफ प्रीमिका लाइफ	स्टार यूनिवन लाइफ
पालिसियों की संख्या ('000 में)	77	47	24	8	29	180	45	7773	163	37	21	85	151	7	9	0	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
	2364	692	3	597	787	2461	788	63206	2666	1157	546	773	3042	78	139	0	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
2007-08																				
पालिसियों की संख्या ('000 में)	106	43	40	16	36	439	54	11009	142	28	25	79	238	14	25	3	0	0	0	0
बीमित राशि (रू. करोड़ में)	2392	663	125	1017	909	6854	762	73686	3394	880	1104	1108	5044	174	569	109	0	0	0	0
पालिसियों की संख्या ('000 में)	96	91	32	45	76	777	61	7373	198	27	31	48	199	19	16	11	5	0	0.003	1
बीमित राशि (रू. करोड़ में)	1723	679	166	808	1524	25269	998	52926	5915	739	1180	1356	4729	257	366	596	216	0	96	0
कालित अनुपात (पालिसियों की संख्या के आधार पर)																				
2007-08 में	19%	21%	80%	6%	4%	40%	17%	6%	17%	24%	17%	16%	35%	24%	55%	45%	0%	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
2008-09 में	14%	40%	59%	9%	6%	53%	16%	4%	19%	18%	19%	9%	26%	22%	41%	46%	18%	0%	23%	1%

* नोन लिंकड स्वास्थ्य व्यवसाय को मिलाकर

पॉलिसी को लेप्स माना जायेगा यदि प्रीमियम का भुगतान 15 से 60 दिनों के भीतर नहीं किया गया हो।
वर्ष में लेप्स हुई पालिसियों का अनुपात वर्ष में लेप्स पालिसियों की संख्या को साल के शुरू तथा साल के अंत के बीच हुए व्यापार से भाग करें

डेटा का स्रोत:

जीवन बीमाकर्ताओं की बीमाकर्त रिपोर्ट 31-3-2008 तथा 31-3-2009

जीवन बीमाकर्ताओं का वर्ष 2006- 2007 नये व्यक्तिगत व्यापार में कार्य निष्पादन - चैनल अनुसार

												(प्रीमियम करोड़ रु. में)		(पॉलिसियों की संख्या)	
व्यक्तिगत मध्यस्थ				नैगम मध्यस्थ				दलाल		संग्रहण परामर्शक		प्रत्यक्ष विक्रय		व्यक्तिगत नये व्यापार का योग	
जीवन बीमाकर्ता			बैंक		अन्य										
	पॉलिसियां	प्रीमियम	पॉलिसियां	प्रीमियम	पॉलिसियां	प्रीमियम	पॉलिसियां	प्रीमियम	पॉलिसियां	प्रीमियम	पॉलिसियां	प्रीमियम	पॉलिसियां	प्रीमियम	
एगोन रेलीगेयर	7493	7.66	-	-	780	1.32	2754	3.64	12558	18.59	23585	31.21	-	-	
	(31.77)	(24.53)	-	-	(3.31)	(4.22)	(11.68)	(11.67)	(53.25)	(59.58)	-	-	-	-	
अविवा **	231477	314.30	19973	51.76	3042	7.31	20488	30.63	99208	294.42	374188	698.42	98383	291.60	
	(61.86)	(45.00)	(5.34)	(7.41)	(0.81)	(1.05)	(5.48)	(4.39)	(26.51)	(42.16)	-	-	(26.29)	(41.75)	
बजाज अलायंज	1352630	2582.01	54792	126.61	1041648	1052.77	6680	8.36	134193	430.67	2589943	4200.43	-	-	
	(52.23)	(61.47)	(2.12)	(3.01)	(40.22)	(25.06)	(0.26)	(0.20)	(5.18)	(10.25)	-	-	-	-	
भारती एक्सा	120001	145.81	13966	22.88	3777	8.30	8527	20.48	65304	83.79	211575	281.25	-	-	
	(56.72)	(51.84)	(6.60)	(8.14)	(1.79)	(2.95)	(4.03)	(7.28)	(30.87)	(29.79)	-	-	-	-	
बिरला सन लाइफ	1169315	1593.20	41313	512.09	98383	169.93	74386	141.22	72	0.03	1383469	2416.46	24969	52.63	
	(84.52)	(65.93)	(2.99)	(21.19)	(7.11)	(7.03)	(5.38)	(5.84)	(0.01)	(0.001)	-	-	(1.80)	(2.18)	
केनरा एचएसबीसी	-	-	35729	296.39	-	-	-	-	-	-	35729	296.39	-	-	
	-	-	(100.00)	(100.00)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
डीएलएफ प्रीमेरिका **	320	1.09	-	-	26	0.02	-	-	2431	2.25	2777	3.36	-	-	
	(11.52)	(32.54)	-	-	(0.94)	(0.49)	-	-	(87.54)	(66.97)	-	-	-	-	
फ्यूचर जनरली **	81124	104.02	-	-	-	-	140	2.98	22396	28.48	103660	135.48	3	0.01	
	(78.26)	(76.78)	-	-	-	-	(0.14)	(2.20)	(21.61)	(21.02)	-	-	(0.003)	(0.01)	
एचडीएफसी स्टैंडर्ड	645110	1173.46	256660	1181.22	3943	18.21	875	3.00	167427	80.75	1074015	2456.63	23830	34.96	
	(60.07)	(47.77)	(23.90)	(48.08)	(0.37)	(0.74)	(0.08)	(0.12)	(15.59)	(3.29)	-	-	(2.22)	(1.42)	
आईसीआईसीआई ग्रू	1331194	3042.40	222138	1189.61	136986	442.20	53525	126.63	893832	564.70	2637675	5365.54	792321	330.92	
	(50.47)	(56.70)	(8.42)	(22.17)	(5.19)	(8.24)	(2.03)	(2.36)	(33.89)	(10.52)	-	-	(30.04)	(6.17)	
आईडीबीआई फोर्टिस	32676	57.70	43634	238.88	683	0.63	654	2.05	6354.00	17.49	84001	316.75	-	-	
	(38.90)	(18.22)	(51.94)	(75.42)	(0.81)	(0.20)	(0.78)	(0.65)	(7.56)	(5.52)	-	-	-	-	
आईएनजी वेश्या	282363	469.93	32516	94.48	5263	6.36	691	1.69	37375	85.64	358208	658.10	37375	85.64	
	(78.83)	(71.41)	(9.08)	(14.36)	(1.47)	(0.97)	(0.19)	(0.26)	(10.43)	(13.01)	-	-	(10.43)	(13.01)	
कोटक महिन्द्रा	168975	472.48	39295	276.39	215889	309.77	44612	93.83	26105	42.26	494876	1194.73	3448	9.54	
	(34.14)	(39.55)	(7.94)	(23.13)	(43.62)	(25.93)	(9.01)	(7.85)	(5.28)	(3.54)	-	-	(0.70)	(0.80)	
मैक्स न्यूयार्क	785007	1210.25	31393	68.65	336891	443.17	5664	8.15	47761	81.77	1206716	1811.99	9761	15.41	
	(65.05)	(66.79)	(2.60)	(3.79)	(27.92)	(24.46)	(0.47)	(0.45)	(3.96)	(4.51)	-	-	(0.81)	(0.85)	
मेट लाइफ	154451	393.70	157778	659.37	12864	13.38	3020	7.76	21	0.22	328134	1074.43	108654	445.31	
	(47.07)	(36.64)	(48.08)	(61.37)	(3.92)	(1.25)	(0.92)	(0.72)	(0.01)	(0.02)	-	-	(33.11)	(41.45)	
रिलायंस लाइफ	720918	1233.65	-	-	614427	582.53	22290	50.03	861638	1475.71	2219273	3341.93	809924	1345.90	
	(32.48)	(36.91)	-	-	(27.69)	(17.43)	(1.00)	(1.50)	(38.83)	(44.16)	-	-	(36.50)	(40.27)	
सहारा	109843	130.05	-	-	704	0.52	-	-	-	-	110547	130.57	-	-	
	(99.36)	(99.60)	-	-	(0.64)	(0.40)	-	-	-	-	-	-	-	-	
एसबीआई लाइफ	599129	2155.43	314004	1153.79	17039	30.34	6422	17.89	899	1.69	937493	3359.14	96	0.32	
	(63.91)	(64.17)	(33.49)	(34.35)	(1.82)	(0.90)	(0.69)	(0.53)	(0.10)	(0.05)	-	-	(0.01)	(0.01)	
श्रारम **	77240	204.91	-	-	9255	17.93	969	1.99	39148	88.63	126612	313.46	39148	88.63	
	(61.01)	(65.37)	-	-	(7.31)	(5.72)	(0.77)	(0.64)	(30.92)	(28.27)	-	-	(30.92)	(28.27)	
स्टार ग्रुपियन	-	-	13245	45.85	-	-	-	-	-	-	13245	45.85	-	-	
	-	-	(100.00)	(100.00)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
टाटा एआईजी	562324	708.98	39765	133.59	45362	76.87	24317	61.52	26050	13.23	697818	994.18	-	-	
	(80.58)	(71.31)	(5.70)	(13.44)	(6.50)	(7.73)	(3.48)	(6.19)	(3.73)	(1.33)	-	-	-	-	
निजी योग	8431590	16001.02	1316201	6051.55	2546962	3181.57	276014	581.83	2442772	3310.33	15013539	29126.30	1947912	2700.88	
	(56.16)	(54.94)	(8.77)	(20.78)	(16.96)	(10.92)	(1.84)	(2.00)	(16.27)	(11.37)	-	-	(12.97)	(9.27)	
एलआईसी #	35028999	39326.52	580256	685.83	251814	198.97	30263	191.79	-	-	35891332	40403.11	4190	13.93	
	(97.60)	(97.34)	(1.62)	(1.70)	(0.70)	(0.49)	(0.08)	(0.47)	-	-	-	-	(0.01)	(0.03)	
उद्योग योग	43460589	55327.54	1896457	6737.38	2798776	3380.54	306277	773.62	2442772	3310.33	50904871	69529.41	1952102	2714.81	
	(85.38)	(79.57)	(3.73)	(9.69)	(5.50)	(4.86)	(0.60)	(1.11)	(4.80)	(4.76)	-	-	(3.83)	(3.90)	

- टिप्पणी: 1. कोष्टक में दिये गये आंकड़े उपर्युक्त चैनल द्वारा अर्जित किये गये नये व्यक्तिगत व्यापार के कुल को दर्शाते हैं।
2. नया व्यवसाय प्रीमियम प्रथम वर्ष के प्रीमियम तथा एकल प्रीमियम को मिलाकर * बैंक के अलावा, नैगमीय अभिकर्ता के रूप में पंजीकृत
3. बताये गये संपर्क के द्वारा उपर्युक्त चैनल में जोड़ा गया है।
- ** विदेशी व्यापार को नहीं मिलाया गया है। # बीमाकर्ता ने जानकारी दी है की चालू वित्त वर्ष में कुल पॉलिसियों की संख्या में से रद्द की गयी पॉलिसियों को निकाल दिया गया है।

जीवन बीमाकर्ताओं का वर्ष 2008- 2009 नये ग्रुप व्यापार में कार्य निष्पादन - चैनल अनुसार

बीमाकर्ता	(प्रीमियम रु. करोड़ में)																		योजना तथा जीवन संख्या में		
	व्यक्तिगत मध्यस्थ			नैगम मध्यस्थ						दलाल			संप्रेषण परामर्शक			प्रत्यक्ष विक्रय			ग्रुप नये व्यापार का कुल		
	योजना	जीवन	प्रीमियम	योजना	जीवन	प्रीमियम	योजना	जीवन	प्रीमियम	योजना	जीवन	प्रीमियम	योजना	जीवन	प्रीमियम	योजना	जीवन	प्रीमियम	योजना	जीवन	प्रीमियम
	सुरक्षित			सुरक्षित			सुरक्षित			सुरक्षित			सुरक्षित			सुरक्षित			सुरक्षित		
एगोन रेलीगेयर	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2745	0.0003	2	2745	0.0003	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(100.00)	(100.00)	(100.00)				-	-	-
अविवा	8	4219	2.22	-	22033	0.14	-	3125	0.04	11	20860	1.27	61	1029181	22.47	80	1079418	26.14	-	2	0.01
	(10.00)	(0.39)	(8.49)	-	(2.04)	(0.54)	-	(0.29)	(0.15)	(13.75)	(1.93)	(4.86)	(76.25)	(95.35)	(85.96)				-	(0.0002)	(0.04)
बजाज अलार्ज **	-	-	-	9	60557	25.67	5	319574	7.81	-	-	-	808	6840611	257.52	822	7220742	291.00	-	-	-
	-	-	-	(1.09)	(0.84)	(8.82)	(0.61)	(4.43)	(2.68)	-	-	-	(98.30)	(94.74)	(88.50)				-	-	-
भारती एक्सा	-	-	-	1	30607	6.92	3	13943	4.75	-	-	-	-	-	-	4	44550	11.68	-	-	-
	-	-	-	(25.00)	(68.70)	(59.29)	(75.00)	(31.30)	(40.71)	-	-	-	-	-	-				-	-	-
बिरला सन लाइफ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	208	303090	340.41	208	303090	340.41	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(100.00)	(100.00)	(100.00)				-	-	-
केनरा एनएसबीसी	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2586	0.02	1	2586	0.02	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(100.00)	(100.00)	(100.00)				-	-	-
डीएलएफ प्रीमेरिका	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2602	0.01	1	2602	0.01	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(100.00)	(100.00)	(100.00)				-	-	-
एचएनएल **	-	-	-	-	-	-	1	276	0.02	31	40530	5.41	51	225729	9.06	83	266535	14.49	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	(1.20)	(0.10)	(0.14)	(37.35)	(15.21)	(37.31)	(61.45)	(84.69)	(62.56)				-	-	-
एनडीएफसी स्टैंडर्ड	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	190	402665	194.48	190	402665	194.48	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(100.00)	(100.00)	(100.00)				-	-	-
आईसीआईसीआई ग्रु	17	8041	0.94	-	-	-	3	37844	2.59	8	14722	8.83	267	751241	1106.02	295	811848	1118.38	-	-	-
	(5.76)	(0.99)	(0.08)	-	-	-	(1.02)	(4.66)	(0.23)	(2.71)	(1.81)	(0.79)	(90.51)	(92.53)	(98.89)				-	-	-
आईडीबीआई फोर्टिस	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	22602	0.03	2	22602	0.03	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(100.00)	(100.00)	(100.00)				-	-	-
आईएनजी वेश्या	-	-	-	-	-	-	-	-	-	31	11081	0.68	70	100177	30.17	101	111258	30.85	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(30.69)	(9.96)	(2.19)	(69.31)	(90.04)	(97.81)				-	-	-
कोटक महिंद्रा	-	-	-	-	-	-	-	-	-	227	348957	37.23	213	373906	111.06	440	722863	148.29	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(51.59)	(48.27)	(25.11)	(48.41)	(51.73)	(74.89)				-	-	-
मैक्स न्यूयार्क	324	209586	7.85	-	-	-	-	-	-	-	-	-	22	256286	23.07	346	465872	30.92	-	-	-
	(93.64)	(44.99)	(25.37)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(6.36)	(55.01)	(74.63)				-	-	-
मेट लाइफ	3	2972	0.23	3	10312	20.17	2	304	0.17	65	67423	15.01	93	230577	34.68	166	311588	70.27	-	4769	15.82
	(1.81)	(0.95)	(0.33)	(1.81)	(3.31)	(28.71)	(1.20)	(0.10)	(0.24)	(39.16)	(21.64)	(21.37)	(56.02)	(74.00)	(49.35)				-	(1.53)	(22.52)
रिलायंस लाइफ	16	1734	2.21	-	-	-	-	-	-	74	126096	6.41	315	733542	163.43	405	861372	172.05	-	-	-
	(3.95)	(0.20)	(1.28)	-	-	-	-	-	-	(18.27)	(14.64)	(3.73)	(77.78)	(85.16)	(94.99)				-	-	-
सहारा	3	195	0.003	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13	324872	3.43	16	325067	3.44	-	-	-
	(18.75)	(0.06)	(0.08)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(81.25)	(99.94)	(99.92)				-	-	-
एसबीआई लाइफ	-	-	-	90	2005756	368.57	4	17539	23.18	-	-	-	75	5683244	1635.75	169	7706539	2027.50	-	-	-
	-	-	-	(53.25)	(26.03)	(18.18)	(2.37)	(0.23)	(1.14)	-	-	-	(44.38)	(73.75)	(80.68)				-	-	-
श्रायम **	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	6370	0.55	3	38414	0.46	4	44784	1.01	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(25.00)	(14.22)	(54.28)	(75.00)	(85.78)	(45.72)				-	-	-
स्टार यूनियन	-	-	-	4	9688	4.35	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	9688	4.35	-	-	-
	-	-	-	(100.00)	(100.00)	(100.00)	-	-	-	-	-	-	-	-	-				-	-	-
टाटा एआईजी	11	1744	1.28	-	-	-	-	-	-	10	2112	5.82	69	387619	141.39	90	391475	148.49	-	-	-
	(12.22)	(0.45)	(0.86)	-	-	-	-	-	-	(11.11)	(0.54)	(3.92)	(76.67)	(99.02)	(95.22)				-	-	-
निजी योग	382	228491	14.73	107	2138953	425.81	18	392605	38.57	458	638151	81.20	2464	17711689	4073.49	3429	21109889	4633.81	-	4771	15.83
	(11.14)	(1.08)	(0.32)	(3.12)	(10.13)	(9.19)	(0.52)	(1.86)	(0.83)	(13.36)	(3.02)	(1.75)	(71.86)	(83.90)	(87.91)				-	(0.02)	(0.34)
एलआईसी **	3500	2576609	1542.03	1251	107482	143.38	114	143583	92.17	83	5348	2.52	16387	28937639	10956.42	21335	31770661	12736.52	-	-	-
	(16.40)	(8.11)	(12.11)	(5.86)	(0.34)	(1.13)	(0.53)	(0.45)	(0.72)	(0.39)	(0.02)	(0.02)	(76.81)	(91.08)	(86.02)				-	-	-
उद्योग योग	3882	2805100	1556.76	1358	2246435	569.19	132	536188	130.74	541	643499	83.72	18851	46649328	15029.91	24764	52880550	17370.32	-	4771	15.83
	(15.68)	(5.30)	(8.96)	(5.48)	(4.25)	(3.28)	(0.53)	(1.01)	(0.75)	(2.18)	(1.22)	(0.48)	(76.12)	(88.22)	(86.53)				-	(0.01)	(0.09)

टिप्पणी: 1. कोष्टक में दिये गये आंकड़े उपर्युक्त चैनल द्वारा अर्जित किये गये नये व्यक्तिगत व्यापार के कुल को दर्शाते हैं।
2. नया व्यवसाय प्रीमियम प्रथम वर्ष के प्रीमियम तथा एकल प्रीमियम को मिलाकर * बैंक के अलावा, नैगमीय अभिकर्ता के रूप में पंजीकृत
3. बताये गये संपर्क के द्वारा उपर्युक्त चैनल में जोड़ा गया है।
** विदेशी व्यापार को नहीं मिलाया गया है। # बीमाकर्ता ने जानकारी दी है की चालू वित्त वर्ष में कुल पॉलिसियों की संख्या में से रद्द की गयी पॉलिसियों को निकाल दिया गया है।

व्यक्तिगत अभिकर्ताओं का विस्तार राज्यनुसार - बीमाकर्ता अनुसार 31 मार्च 2009 तक

[illegible]

जीवन बीमाकर्ताओं के व्यक्तिगत मध्यस्थों का विवरण - 2008- 09

बीमाकर्ता	1 अप्रैल 2008 को	परिवर्धन	घटाये गये	1 मार्च 2009 को
एमोन रेलीगेयर	-	2392	83	2309
अविवा	35307	20705	25174	30838
बजाज अलायंज	250239	84085	129383	204941
भारती एक्सा	11749	31062	14316	28495
बिरला सनलाइफ	109034	88486	33157	164363
केनरा एचएसबीसी ओबीसी	-	-	-	-
डीएलएफ प्रीमेरिका	-	114	1	113
फ्यूचर जनरली	11	33868	9442	24437
एचडीएफसी स्टैंडर्ड	144714	87786	24874	207626
आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल	306354	188395	194870	299879
आईडीबीआई फोर्टिस	279	6239	9	6509
आईएनजी वेश्या	52760	37584	14286	76058
कोटक महिन्द्रा	34723	29776	22416	42083
मैक्स न्यू यार्क	36901	69699	21949	84651
मेटलाइफ	36798	33689	9760	60727
रिलायंस	184194	93051	127632	149613
सहारा	12839	2652	1976	13515
एसबीआई	40643	43413	15063	68993
श्रीराम	17659	2100	-	19759
स्टार यूनियन	-	-	-	-
टाटा एआईजी	52544	88388	33262	107670
निजी कुल	1326748	943484	677653	1592579
भारतीय जीवन बीमा निगम	1193744	345729	194617	1344856
उद्योग कुल	2520492	1289213	872270	2937435

व्यक्तिगत प्रत्यु दावे - 2008 - 09

बीमाकर्ता	वर्ष के शुरू में		सूचित / खर्च किये गये दावे		प्रदान दावे		उपहार किये गये दावे		लौटये गये दावे		वर्ष के अंत में विद्यमान		विवरण के अनुसार	
	पॉलिसियों की संख्या	हिल राशि	पॉलिसियों की संख्या	हिल राशि	पॉलिसियों की संख्या	हिल राशि	पॉलिसियों की संख्या	हिल राशि	पॉलिसियों की संख्या	हिल राशि	पॉलिसियों की संख्या	हिल राशि	3 < 6 महीने	6 < 1 वर्ष
एनोन लीमिटेड	-	-	7	0.48	-	-	5	0.38	-	-	2	0.10	-	-
अविवा	172	5.07	1266	25.86	1438	30.93	1032	22.38	278	6.19	-	128	2.36	5
बनाज अलबन	775	15.27	11236	197.23	12011	212.50	10484	174.42	1003	23.87	-	524	14.21	37
भारती एसा	7	0.36	196	5.64	203	6.00	108	3.11	91	2.72	-	4	0.17	1
बिला स लाइफ	17	2.79	2740	71.71	2757	74.50	2457	59.11	286	14.62	-	14	0.77	5
केनय एसासिली	-	-	16	0.71	16	0.71	5	0.20	3	0.05	-	8	0.46	8
ऊर्लाएफ प्रीमियम	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
प्रसू बरली	-	-	30	1.05	30	1.05	17	0.62	9	0.37	-	4	0.06	4
एनडीएसी स्टैंडर्ड	310	7.83	2588	41.41	2888	49.24	2549	37.83	139	3.24	-	210	8.16	33
आईसीआई सीआई	365	6.91	10378	121.07	10743	127.98	9298	101.69	559	9.39	-	886	16.90	98
आईसीआई फोर्टिस	-	-	39	0.76	39	0.76	12	0.19	2	0.03	-	25	0.55	1
आईसीबी नेरया	281	3.92	1242	23.85	1523	27.77	1180	17.18	119	5.59	8	0.25	216	11
केटर मॉन्ट्रो	111	1.62	1189	24.04	1300	25.66	1002	16.21	120	4.20	-	178	5.25	24
मैस यू बर्क	5	0.43	3933	77.68	3938	78.11	3545	66.74	306	9.55	-	87	1.82	87
मेड लाइफ	106	5.50	623	26.92	729	32.42	422	17.13	166	7.88	2	0.02	139	7.40
लिवरस लाइफ	4	0.14	3697	46.15	3701	46.29	3204	35.06	210	4.09	-	287	7.14	56
सहारा	95	1.06	344	2.55	439	3.61	198	1.78	54	0.01	-	187	1.82	95
एलबीआई लाइफ	263	5.36	3997	56.21	4260	61.57	3262	46.99	643	6.50	-	355	8.08	26
श्रीम	165	2.67	626	8.45	791	11.12	312	4.12	192	3.39	-	287	3.61	166
स्टार शुनिम	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
टाटा एआईसी	322	6.35	2378	37.80	2700	44.15	1652	28.36	750	5.08	-	298	10.71	251
निजी योग	2988	65.29	46525	760.56	49523	834.85	40739	633.12	4935	107.14	10	0.27	3839	94.31
एलआईसी	11550	141.37	579547	4302.80	591097	4444.17	564389	4165.10	7846	72.45	5796	58.09	13076	148.53
उद्योग योग	14548	206.66	626072	5072.36	640620	5279.02	605128	4798.22	12781	175.59	5796	58.36	16915	242.84

नोट: कोष्ठक में दिये गये आंकड़े संदर्भित कुल को प्रतिशत में दर्शाते हैं

मार्च 2009 की समाप्ति तक जीवन बीमा कार्यालयों की संख्या

बीमाकर्ता	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009
एगोन रेलीगेयर	-	-	-	-	-	-	-	-	58
अविवा	-	3	12	22	50	110	140	213	224
बजाज अलायंज	1	17	33	49	153	567	877	1007	1164
भारती एक्सा	-	-	-	-	-	1	16	77	200
बिरला सनलाइफ	2	19	29	41	53	97	148	538	660
केनरा एचएसबीसी ओबीसी	-	-	-	-	-	-	-	-	32
डीएलएफ प्रीमेरिका	-	-	-	-	-	-	-	-	15
फ्यूचर जनरली	-	-	-	-	-	-	-	9	93
एचडीएफसी स्टैंडर्ड	-	4	18	26	90	150	448	569	609
आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल	6	14	29	69	109	175	583	1958	2102
आईडीबीआई फोर्टिस	-	-	-	-	-	-	-	2	33
आईएनजी वेश्या	-	4	16	26	38	68	183	265	265
कोटक महिन्द्रा	-	9	28	39	43	46	75	151	198
मैक्स न्यू यार्क	-	15	23	33	64	84	118	194	705
मेटलाइफ	-	3	8	16	35	43	53	94	190
रिलायंस	-	17	35	48	80	157	159	745	1145
सहारा	-	-	-	2	18	18	33	33	49
एसबीआई	1	5	10	19	31	46	138	200	489
श्रीराम	-	-	-	-	-	11	12	53	98
स्टार यूनियन	-	-	-	-	-	-	-	-	2
टाटा एआईजी	3	6	13	26	40	72	89	283	454
निजी कुल	13	116	254	416	804	1645	3072	6391	8785
भारतीय जीवन बीमा निगम	2186	2190	2191	2196	2197	2220	2301	2522	3030
उद्योग कुल	2199	2306	2445	2612	3001	3865	5373	8913	11815

* प्राधिकरण की अनुमति मिलने के बाद खुले कार्यालय

टिप्पणी:

- 1) विशेष रिटर्न के माध्यम से बीमा प्रदाता द्वारा जुटाये गये आंकड़े.
- 2) कार्यालय जिस प्रकार बीमा अधिनियम 1938 के अनुच्छेद 64 वीसी में निर्देशित किये गये।

विवरण 60

31 मार्च 2009 को जीवन बीमाकर्ताओं के कार्यालयों का वितरण

बीमाकर्ता	महानगर	नगर	उपनगर	कुल	कंपनी कुल
एगोन रेलीगेयर	17	34	7	-	58
अविवा	34	68	95	27	224
बजाज अलायंस	66	164	455	479	1164
भारती एक्सा	32	66	92	10	200
बिरला सनलाइफ	73	100	396	91	660
केनरा एचएसबीसी ओबीसी	9	17	6	-	32
डीएलएफ प्रीमेरिका	3	4	8	-	15
फ्यूचर जनरली	14	49	30	-	93
एचडीएफसी स्टैंडर्ड	84	114	326	85	609
आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल	142	200	569	1191	2102
आईडीबीआई फोर्टिस	9	17	6	1	33
आईएनजी वेश्या	23	61	161	20	265
कोटक महिन्द्रा	39	67	84	8	198
मैक्स न्यू यार्क	106	139	233	227	705
मेटलाइफ	41	66	73	10	190
रिलायंस	88	118	551	388	1145
सहारा	6	27	15	1	49
एसबीआई	48	116	251	74	489
श्रीराम	11	24	61	2	98
स्टार यूनियन	2	-	-	-	2
टाटा एआईजी	80	143	184	47	454
निजी कुल	927	1594	3603	2661	8785
भारतीय जीवन बीमा निगम	338	529	910	1253	3030
उद्योग कुल	1265	2123	4513	3914	11815

* प्राधिकरण की अनुमति मिलने के बाद खुले कार्यालय

नोट:

1) विशेष रिटर्न के माध्यम से बीमा प्रदाता द्वारा जुटाये गये आंकड़े.

2) वित्त मंत्रालय द्वारा किये गये स्थलों के एचआरए वर्गीकरण पर आधारित

महानगर: दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता, हैदराबाद एवं बंगलौर

शहर: ए, बी-1, बी-2 वर्ग के शहरों के लिए एचआरए वर्गीकरण पर आधारित

अर्धशहरीय: एचआरए वर्गीकरण पर आधारित सी वर्ग के शहर

अन्य: एचआरए के वर्गीकरण सूची में शामिल नहीं होने वाले स्थल.

कार्यालयों का भौगोलिक आधार पर वितरण - 31 मार्च 2009 तक

* प्राधिकरण की अनमति मिलने के बाद खले कार्यालय

टिप्पणी: 1) विशेष रिटर्न के माध्यम से बीमा प्रदाता द्वारा जूटाये गये आंकड़े.

(2) कार्यालय जिस प्रकार बीमा अधिनियम 1938 के अनुच्छेद 64 वीसी में निर्दिष्ट किये गये।

राज्यानुसार बीमा लेखन किया गया व्यक्तिगत नया व्यापार - 2008 - 09

(प्रीमियम रु. करोड़ में)

राज्य / केन्द्र शासित प्रदेश		एगोन रेलिंगर	अविवा	बजाज अलायंस	भारती ए एम्स ए	बिरला सनलाइफ	केनरा एचएसबीसी	डीएलएफ	एनयूर जमरली	एचडीएफसी स्टैंडर्ड	प्रीमियम	पॉलिसियों की संख्या	प्रीमियम	पॉलिसियों की संख्या	प्रीमियम	पॉलिसियों की संख्या	प्रीमियम	पॉलिसियों की संख्या		
राज्य / केन्द्र शासित प्रदेश	पॉलिसियों की संख्या	पॉलिसियों की संख्या	पॉलिसियों की संख्या	पॉलिसियों की संख्या	पॉलिसियों की संख्या	पॉलिसियों की संख्या	पॉलिसियों की संख्या	पॉलिसियों की संख्या	पॉलिसियों की संख्या	पॉलिसियों की संख्या	पॉलिसियों की संख्या	पॉलिसियों की संख्या	पॉलिसियों की संख्या	पॉलिसियों की संख्या	पॉलिसियों की संख्या	पॉलिसियों की संख्या	पॉलिसियों की संख्या	पॉलिसियों की संख्या		
आंध्र प्रदेश	1660	214	17014	38.11	242804	297.80	13715	22.54	100589	96.30	2056	12.79	-	-	9430	10.91	99232	151.36	383184	370.64
अरुणाचल प्रदेश	-	-	340	0.96	2325	5.79	-	-	1	0.00001	1	0.02	-	-	-	-	-	-	-	-
असम	164	0.04	7770	10.82	70377	100.02	1138	1.307	46113	32.66	156	0.58	1	0.002	658	0.63	17422	26.95	38379	79.35
बिहार	-	-	21309	22.75	235378	305.20	3305	4.75	59442	63.61	820	4.92	7	0.01	1441	1.81	11189	20.99	66790	113.73
छत्तीसगढ़	236	0.09	3269	4.46	29657	53.31	2464	2.92	15439	15.13	290	1.96	7	0.002	80	0.12	8291	18.33	30486	37.66
गोवा	-	-	799	3.36	4663	15.14	670	1.07	3071	7.84	69	1.14	-	-	374	0.48	4589	19.36	4680	22.99
गुजरात	1559	1.91	15281	33.11	98821	189.26	11367	17.98	41674	81.80	861	10.44	11	0.01	8509	7.61	72388	191.54	164384	434.97
हरियाणा	586	0.58	17852	43.89	40737	80.55	983	1.37	41452	86.21	2180	17.10	263	0.45	6172	7.47	25749	55.22	27203	49.99
हिमाचल प्रदेश	-	-	1214	1.64	20428	40.42	815	1.13	4677	5.55	180	0.73	8	0.01	571	0.88	3240	7.48	29648	30.47
जम्मू और कश्मीर	-	-	852	1.67	17996	41.47	718	0.77	1466	2.347	27	0.271	3	0.01	718	0.75	3879	8.46	18176	35.39
झारखंड	299	0.19	6673	11.34	82771	129.18	4434	5.80	29581	29.34	275	1.28	2	0.001	2477	2.40	9605	26.26	55371	104.86
कर्नाटक	1796	2.52	12128	36.02	253495	343.54	12672	20.17	75010	126.95	3359	25.02	-	-	3534	3.61	51337	163.97	139476	320.12
केरल	719	0.97	15925	33.02	117700	230.10	8367	13.43	19874	46.17	1296	11.10	-	-	5688	7.74	68444	217.37	134441	443.80
मध्य प्रदेश	471	0.71	19654	23.80	77918	155.72	6214	7.35	55978	42.93	407	2.25	7	0.004	3301	4.10	46557	63.94	59213	117.34
महाराष्ट्र	6708	7.28	38261	68.87	187925	420.29	40492	33.06	325080	1071.69	5425	79.53	17	0.02	18885	29.87	221384	469.37	323365	914.49
मणिपुर	-	-	213	0.32	12319	11.04	-	-	24763	2.92	1	0.02	-	-	-	-	-	-	2109	1.65
मेघालय	-	-	232	0.45	2994	5.30	180	0.21	1887	10.70	12	0.03	-	-	-	-	1338	2.26	1213	3.20
मिजोरम	-	-	81	0.19	1250	26.90	-	-	1175	4.541	-	-	-	-	-	-	-	-	554	3.20
नागालैंड	-	-	172	0.26	1066	1.58	-	-	6280	5.89	2	0.02	-	-	-	-	-	-	-	-
उड़ीसा	562	0.70	10404	23.48	129509	200.61	6123	9.40	38985	38.97	172	0.96	-	-	3287	4.01	24525	45.45	89724	118.58
पंजाब	836	0.88	25859	61.99	59496	158.95	9983	15.54	43207	82.18	4320	18.79	1483	1.46	5401	9.10	33324	104.14	147886	405.43
राजस्थान	746	0.75	39190	32.90	65047	109.59	5156	7.50	61207	68.25	1516	7.35	15	0.02	3646	3.70	41101	68.29	106185	173.28
सिक्किम	-	-	991	2.42	1995	5.97	62	0.17	515	1.145	3	0.05	-	-	-	-	1209	2.80	1488	342
तमिलनाडु	1324	2.16	25282	59.76	252914	295.71	15517	22.96	70413	69.60	2370	16.60	1	0.001	6286	7.59	72411	183.73	169520	415.35
त्रिपुरा	-	-	2138	3.69	10301	14.54	212	0.3153	2710	2.10	11	0.07	-	-	-	-	3584	7.12	5591	1248
उत्तर प्रदेश	2821	3.97	30690	49.00	290248	456.70	24125	29.61	161165	196.11	3105	17.69	161	0.18	8454	13.05	91481	169.04	329065	374.17
उत्तराखंड	168	0.10	3960	6.85	15909	31.20	2177	1.80	16132	14.90	604	2.26	14	0.01	461	0.88	5369	11.18	44892	34.93
पश्चिम बंगाल	1419	2.63	27117	45.61	212393	340.38	15718	20.53	92842	99.49	3212	30.67	2	0.001	4942	6.64	75795	148.34	131674	262.43
अंडमान तथा निकोबार द्वीपसमूह	-	-	11	0.00	579	1.13	-	-	-	-	4	0.06	-	-	-	-	-	-	1441	251
चंडीगढ़	409	1.02	1690	4.98	4322	10.51	4699	8.12	2118	8.54	275	2.37	70	0.06	407	0.87	11920	40.42	-	-
दादर तथा नगर हवेली	-	-	92	0.33	424	7.07	-	-	1	0.0003	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
दमन और दीव	-	-	48	0.19	651	1.05	-	-	-	-	4	0.02	-	-	-	-	-	-	-	-
दिल्ली	1102	2.57	21888	71.89	42443	109.05	20069	31.48	39000	99.54	2695	30.16	705	1.14	8938	11.23	66895	227.91	149557	479.14
लक्षद्वीप	-	-	-	-	133	0.43	-	-	-	-	3	0.01	-	-	-	-	-	-	-	-
पांडिचेरी	-	-	779	1.29	3695	4.93	-	-	1622	3.05	18	0.11	-	-	-	-	1757	5.34	-	-
कंपनी कुल	23985	31.21	374188	698.42	2589943	4200.43	211575	281.25	1383469	2416.46	35729	296.39	2777	3.36	103660	135.48	1074015	2466.63	2637675	5365.54

जारी...

राज्य / केंद्र शासित प्रदेश	आईडीबीआई पॉलिसियों की संख्या	आईएनजी वर्यथा पॉलिसियों की संख्या	कोटक मॉलिट्रा पॉलिसियों की संख्या	मैक्स न्यू यार्क पॉलिसियों की संख्या	मेट लाइफ पॉलिसियों की संख्या	श्रीराम पॉलिसियों की संख्या	एसबीआई लाइफ पॉलिसियों की संख्या	सहारा पॉलिसियों की संख्या	एस्बीआई लाइफ पॉलिसियों की संख्या	श्रीराम पॉलिसियों की संख्या	स्टार यूनिफ पॉलिसियों की संख्या	टाटा एंशइजी पॉलिसियों की संख्या	राज्य कुल (निजी)												
आंध्र प्रदेश	5210	15.47	76154	146.44	11197	26.22	125237	129.88	23782	79.96	146756	197.62	3766	557	120677	361.91	75277	175.17	681	1.90	106560	4652	1544881	2189.24	
अरुणाचल प्रदेश	63	0.49	30	0.08	-	-	-	-	-	-	1682	3.13	-	-	1077	2.10	-	-	-	-	-	-	-	5519	12.56
असम	546	2.17	3083	5.29	4422	12.59	11675	14.20	3035	5.14	52822	48.86	1414	1.83	29317	71.10	-	-	155	0.59	24104	4293	312751	457.05	
बिहार	659	1.77	1050	1.74	138	0.27	14711	15.21	2114	3.60	113299	113.63	22149	23.57	30025	104.48	73	0.11	69	0.24	24107	3855	610075	840.95	
छत्तीसगढ़	678	3.93	1151	1.47	857	2.51	8845	10.67	2201	4.67	9583	18.13	1266	1.86	28869	85.28	1356	2.88	7	0.02	4699	851	149931	273.90	
गोवा	1367	7.31	1655	3.57	548	4.44	9847	21.80	557	2.61	2500	4.184	-	-	1634	8.72	25	0.11	4	0.01	380	0.67	37432	124.79	
गुजरात	5576	17.27	11843	27.55	57027	152.64	97730	186.58	10659	17.92	106941	185.79	4966	5.63	44043	137.51	1216	2.57	801	1.97	50769	71.68	806806	1775.75	
हरियाणा	1776	7.94	9552	14.09	19172	46.76	45575	65.05	2836	6.56	31499	67.35	1023	1.33	18305	41.89	133	0.12	448	2.01	21769	3272	315965	628.65	
हिमाचल प्रदेश	211	0.77	2425	5.83	-	-	9881	11.74	-	-	10850	20.05	-	-	7053	9.50	12	0.011	18	0.249	6331	954	97662	146.60	
जम्मू और कश्मीर	136	0.38	2038	3.42	77	0.19	5620	8.48	27854	91.50	11136	17.23	-	-	3109	8.81	1	0.001	-	-	-	-	93606	221.14	
झारखंड	962	4.58	1462	2.32	2377	5.23	9096	13.05	2202	3.94	41567	45.21	5403	6.36	15324	45.49	254	0.49	176	0.56	12375	2115	282786	459.01	
कर्नाटक	4027	14.39	50085	102.58	10708	39.26	46979	80.96	33010	108.72	92761	118.46	832	1.72	67454	262.08	3848	11.65	321	1.21	18607	4441	881719	1828.26	
केरल	9793	65.54	20843	45.43	19586	45.07	34209	48.11	30726	116.86	53789	114.61	-	-	59882	290.49	4246	8.21	31	0.04	40887	7812	646436	1816.19	
मध्य प्रदेश	3418	11.80	9388	14.47	6405	15.11	31975	41.05	1776	3.79	84214	117.76	3090	4.02	44512	172.18	2570	5.90	1080	2.82	7834	1139	465982	818.43	
महाराष्ट्र	19600	64.80	18239	35.92	71036	259.06	170187	312.70	43515	190.62	167369	876.24	1783	2.79	84762	311.12	4457	12.11	4356	18.61	70161	133.66	1821007	5312.32	
मणिपुर	83	0.30	18	0.04	-	-	2442	3.22	-	-	-	-	-	-	1687	5.16	3	0.01	-	-	-	-	43638	24.69	
मेघालय	88	0.36	21	0.03	-	-	587	0.71	-	-	3431	6.86	-	-	1548	1.99	-	-	1	0.001	221	0.56	12853	32.67	
मिजोरम	27	0.23	77	0.07	-	-	2	0.001	-	-	954	4.58	-	-	257	1.30	-	-	-	-	418	1.54	4795	42.56	
नागालैंड	75	0.34	74	0.11	-	-	165	0.21	-	-	517	1.82	-	-	1743	3.03	-	-	-	-	-	-	10084	13.25	
उड़ीसा	2380	1.34	13003	23.71	385	0.79	29455	35.85	3402	5.97	60146	61.44	3925	4.24	55095	139.04	287	0.76	270	0.63	4362	4524	523301	761.17	
पंजाब	2883	12.89	14406	24.17	17533	61.49	67583	115.63	13887	29.13	95629	105.75	292	0.19	24347	45.45	97	0.14	496	2.01	5194	963	538152	1264.93	
राजस्थान	4110	12.56	16447	22.04	14844	30.20	55361	76.21	3480	6.99	69389	84.60	12567	16.95	50060	152.05	649	0.99	547	1.60	45500	3947	595743	915.30	
सिक्किम	82	0.45	87	0.24	-	-	-	-	-	-	620	1.15	-	-	345	1.91	-	-	-	-	250	0.54	7617	20.26	
तमिलनाडु	3881	10.76	60448	98.32	19542	54.06	81330	111.17	22798	71.46	123599	169.54	612	0.88	117721	449.13	30350	88.75	500	1.39	42827	5703	1128706	2184.94	
त्रिपुरा	61	0.22	57	0.09	-	-	1870	3.52	-	-	4444	9.18	-	-	566	2.42	-	-	-	-	2738	422	34283	59.98	
उत्तर प्रदेश	7707	22.05	20677	34.57	11459	32.84	124203	148.66	7807	14.07	262620	307.38	38315	42.94	51503	168.25	768	1.08	2008	4.10	40218	5506	1508700	2140.60	
उत्तराखंड	1416	3.18	3382	7.91	564	1.24	20184	26.49	1712	3.26	10304	11.19	783	1.10	4302	22.06	196	0.31	81	0.17	0	0.67	132620	181.70	
पश्चिम बंगाल	2823	11.53	7678	14.28	156675	200.26	80924	103.32	48866	149.95	576544	449.57	6315	7.52	55688	159.89	86	0.12	334	1.05	98412	17441	1597469	2228.60	
अंडमान तथा निकोबार द्वीपसमूह	28	0.09	12	0.03	-	-	919	1.44	-	-	-	-	-	-	523	2.27	-	-	-	-	-	-	3517	7.53	
चंडीगढ़	373	3.40	1008	0.52	2659	7.11	13868	21.78	-	-	11157	17.71	400	0.50	2336	155.52	4	0.01	-	-	5449	1127	63384	254.71	
दादर तथा नगर हवेली	44	0.13	122	0.21	386	0.63	-	-	-	-	-	-	-	-	70	0.31	7	0.01	1	0.004	-	-	1157	8.89	
दमन और दीव	5	0.004	12	0.02	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13	1.09	34	0.08	4	0.02	-	-	771	2.48	
दिल्ली	3869	18.27	10226	19.83	67021	196.28	102337	196.95	43815	157.51	97961	157.81	1596	1.57	11250	120.38	190	0.37	856	4.66	24246	5469	716769	1996.42	
लक्षद्वीप	-	-	266	0.52	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	402	0.97	
पांडिचेरी	14	0.05	789	1.18	238	0.38	3919	4.35	-	-	2270	4.48	-	-	2376	14.34	483	1.50	-	-	-	-	17890	41.01	
केपमो कुल	84001	316.75	358208	658.10	484876	1194.73	1206716	1811.99	328134	1074.43	2219273	3341.83	110547	138.57	837483	3359.14	126612	313.45	13285	45.85	697818	99418	15013539	29126.30	

शिकायतें: जीवन बीमा

2008-09									
समय के वर्गीकरण के अनुसार शेष									
क्र. सं.	बीमाकर्ता	प्रारंभिक खाता	वर्ष के दौरान वर्ष के दौरान		वर्ष के दौरान वर्ष के अंत में		15 दिन से 30 से 180 दिन से		अधिक
			प्राप्त दावों की संख्या	निपटायें गये दावे	निपटायें गये दावे का प्रतिशत	शेष	कम समय	दिन	
1	एगोन रेलोगेयर	0	0	0	-	0	0	0	0
2	अविवा	17	193	197	93.81	13	6	2	0
3	बजाज अलायंज	78	211	251	86.85	38	5	1	14
4	भारती एक्सा	0	5	5	100	0	0	0	0
5	बिरला समलाइफ	13	109	113	92.62	9	7	1	1
6	केनरा एचएसबीसी ओबीसी	0	0	0	-	0	0	0	0
7	डीएलएफ प्रोमेरिका	0	0	0	-	0	0	0	0
8	पयूचर जनरली	0	5	3	60	2	1	1	0
9	एचडीएफसी स्टैंडर्ड	57	94	95	62.91	56	5	6	8
10	आईसीआईसीआई फ्रैंडशिपल	20	196	202	93.52	14	3	5	2
11	आईडीबीआई फोर्टिस	0	1	0	0	1	0	0	1
12	आईएनजी वेश्या	6	35	20	48.78	21	1	2	4
13	कोटक महिंद्रा	17	95	102	91.07	10	4	1	5
14	भारतीय जीवन बीमा निगम	685	481	980	84.05	186	28	12	43
15	मैक्स न्यू यार्क	33	112	105	72.41	40	6	10	6
16	मेटलाइफ	29	46	66	88	9	1	2	6
17	रिलायंस	19	79	75	76.53	23	7	4	10
18	सहाय	1	1	1	50	1	0	0	0
19	एसबीआई	16	62	59	75.64	19	1	6	6
20	श्रीराम	2	4	6	100	0	0	0	0
21	स्टार यूनिन	0	0	0	-	0	0	0	0
22	टाटा एआईजी	24	65	73	82.02	16	2	2	4
	कुल	1017	1794	2353	83.71	458	77	55	110
									216

अप्र मृत्यु दावे - 2008 - 09

[illegible]

नोट: कोष्टक में दिये गये आंकड़ें संदर्भित कुल को प्रतिशत में दर्शाते हैं

जीवन बीमाकर्ताओं के सूक्ष्म बीमा उत्पादों का विवरण *

बीमाकर्ता	उत्पाद का नाम	जारी करने की तिथि	उत्पाद का नाम	जारी करने की तिथि
व्यक्तिगत				
अविवा बचाव अलायन्स	श्रीमण सुखा	16 मार्च 2007	क्रैडिट प्लस	6 अप्रैल 2002
	बचाव अलायन्स जन विकास योजना	7 मार्च 2007		
	बचाव अलायन्स सरल सुखा योजना	7 मार्च 2007		
	बचाव अलायन्स आर्य मित्रेशा योजना	7 मार्च 2007		
विरला समवाहक	बीमा क्षत संरक्ष	31 अप्रैल 2007		
	बीमा सुखा सुर	31 अप्रैल 2007		
केनरा एचएसबीसी			केनरा एचएसबीसी ऑरिएण्टल बैंक ऑफ कॉमर्स ग्रुप सुखा प्लान	9 मार्च 2009
डीएलएफ प्रीमेरिक्स			डीएलएफ प्रीमेरिक्स सर्व सुखा	30 मार्च 2009
आईसीआईसीआई पू	सर्व जन सुखा	15 जुलाई 2008		
आईडीबीआई फोटोस			आईडीबीआई फोटोस ग्रुप माइक्रो इश्योरेंस	16 दिसम्बर 2008
आईएनजी केरवा	सेम्बुर्गिंग लाइफ रूलर इंडिमेंट प्लान	24 फरवरी 2003 (उत्पाद को 13 मार्च बेमॉग ग्रुप टर्म इश्योरेंस फोर सोशल सेंटर 2008 को बाजार से वापस ले लिया गया)		27 मार्च 2002
	सुरक्षित जीवन रूलर इंडिमेंट प्लान	10 मार्च 2002 (उत्पाद को 1 अप्रैल आईएनजी सरल सुखा 2008 को बाजार से वापस ले लिया गया)		30 नवम्बर 2007
मेट लाइफ	मेट विभास	10 जून 2008		
सहारा	सहारा सहयोग	26 जून 2006		15 मार्च 2005
एसबीआई लाइफ **			सहारा जन कल्याण	1 दिसम्बर 2007
			ब्रामीन सुपर सुखा	1 दिसम्बर 2007
श्रीराम			श्री सहब - एसपी	18 मार्च 2007
			श्री सहब - एपी	15 मई 2007
स्टार ग्रुनिवन			एसबूडी लाईड फस्टर सुखा प्लान	17 मार्च 2009
टाटा एआईजी	टाटा एआईजी अनुपान योजना	8 अप्रैल 2006		
	टाटा एआईजी लाइफ नवकल्याण योजना	8 अप्रैल 2006		
	टाटा एआईजी लाइफ संपूर्ण बीमा योजना	8 अप्रैल 2006		
	टाटा एआईजी सुमानव बीमा योजना	3 जून 2008		
एलआईसी	जीवन मधुर	28 सितम्बर 2006	वन श्री बीमा योजना आम आदमी बीमा योजना	10 अप्रैल 2000 2 अक्टूबर 2007

* सभी सूक्ष्म बीमा उत्पाद आईआरडीए (सूक्ष्म बीमा) अधिनियम 2005 के दायरे में आते हैं परंतु इस अधिनियम के आने के पहले शुरू किये गये।

** एसबीआई लाइफ इश्योरेंस कंपनी ने 31 मार्च 2008 तक 5 उत्पाद जारी किये। ये सभी अभी चालू हैं।

समयानुसार मृत्यु दावों का निपटारा - व्यक्तिगत वर्ग - 2008-09

जीवन बीमाकर्ता	अवधि										निपटारे गये कुल दावे
	सूचना के 30 दिनों के अंदर		31 से 90 दिन		91 से 180 दिन		181 दिन से 1 वर्ष		1 वर्ष से ज्यादा		
	पॉलिसियों की संख्या	हित राशि	पॉलिसियों की संख्या	हित राशि	पॉलिसियों की संख्या	हित राशि	पॉलिसियों की संख्या	हित राशि	पॉलिसियों की संख्या	हित राशि	
एगोन रेलीगेयर *	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
अविवा	681	14.09	185	4.43	102	2.54	41	0.99	23	0.33	1032
बजाज अलायंस	5550	80.61	3863	73.84	889	17.07	127	2.14	55	0.76	10484
भारती एक्सा	24	0.46	55	1.68	28	0.96	1	0.02	-	-	108
बिरला सनलाइफ	1736	34.28	640	22.01	65	1.69	10	0.78	6	0.34	2457
केनरा एचएसबीसी ओबीसी	3	0.14	2	0.06	-	-	-	-	-	-	5
डीएलएफ प्रीमेरिका *	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
फ्यूचर जनरली	2	0.07	11	0.35	4	0.20	-	-	-	-	17
एचडीएफसी स्टैंडर्ड	1214	8.88	753	14.53	352	8.15	190	5.10	40	1.17	2549
आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल	7274	63.30	1263	22.30	573	12.79	178	3.10	10	0.20	9298
आईडीबीआई फोर्टिस	3	0.06	7	0.08	2	0.05	-	-	-	-	12
आईएमजी वेर्या	209	2.66	420	7.29	344	5.64	168	1.52	39	0.08	1180
कोटक महिन्द्रा	386	5.60	319	5.87	247	4.08	35	0.43	15	0.23	1002
मैक्स न्यू यार्क	332	8.48	2097	39.01	793	14.37	280	4.20	43	0.68	3545
मेटलाइफ	182	6.50	132	5.21	79	3.35	22	1.81	7	0.25	422
रिलायंस	3073	32.24	73	1.74	30	0.59	13	0.28	15	0.21	3204
सहारा	1	0.01	12	0.19	30	0.23	88	0.73	67	0.62	198
एसबीआई	1765	21.00	965	16.04	404	7.61	108	2.03	20	0.31	3262
श्रीराम	70	0.78	138	1.74	76	0.90	25	0.60	3	0.09	312
स्तर यूनिन *	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
टाटा एआईजी	803	9.78	744	14.96	89	3.48	4	0.07	12	0.07	1652
निजी कुल	23308	288.94	11679	231.33	4107	83.69	1290	23.81	355	5.35	40739
भारतीय जीवन बीमा निगम	338629	2499.02	111874	828.03	69544	504.84	39502	291.49	4840	41.72	564389
उद्योग कुल	361937	2787.96	123553	1059.36	73651	588.53	40792	315.30	5195	47.07	605128
											4798.22

टिप्पणी: * व्यवसाय वर्ष 2008-09 में शुरू किया गया।

समयानुसार मृत्यु दावों का निपटारा - ग्रुप वर्ग - 2008-09

हित राशि (रू. करोड़ में)

अवधि

जीवन बीमाकर्ता	सूचना के 30 दिनों के अंदर		31 से 90 दिन		91 से 180 दिन		181 दिन से 1 वर्ष		1 वर्ष से ज्यादा		निपटारे गये कुल दावे	
	जीवन की संख्या	हित राशि	जीवन की संख्या	हित राशि	जीवन की संख्या	हित राशि	जीवन की संख्या	हित राशि	जीवन की संख्या	हित राशि	जीवन की संख्या	हित राशि
एगोन रेलीगेयर *	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
आविवा	2654	5.70	67	0.69	30	0.06	4	0.02	4	0.02	2759	6.49
बजाज अलायंज	11291	37.29	1628	4.67	230	1.00	109	0.50	42	0.18	13300	43.64
भारती एक्सा	4	0.03	1	0.003	1	0.003	-	-	-	-	6	0.04
बिरला समलाइफ	492	5.41	44	2.29	4	0.02	-	-	-	-	540	7.72
केनरा एचएसबीसी ओबीसी	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
डीएलएफ प्रीमिक्का *	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
फ्यूचर जनरली	29	0.04	41	1.45	20	0.33	6	0.14	-	-	96	1.96
एचडीएफसी स्टैंडर्ड	199	2.22	6	0.20	4	0.13	2	0.12	1	0.04	212	2.71
आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल	998	17.72	64	2.91	36	1.37	6	0.34	-	-	1104	22.34
आईडीबीआई फोर्टिस	5	0.003	-	-	-	-	-	-	-	-	5	0.003
आईएमजी वेश्या	54	0.86	30	0.64	13	0.15	-	-	-	-	97	1.65
कोटक महिंद्रा	324	8.54	207	5.54	139	3.35	36	0.88	23	0.36	729	18.68
मैक्स न्यू यार्क	31	0.65	198	2.76	128	1.87	65	0.81	12	0.07	434	6.16
मेटलाइफ	435	12.33	91	3.49	42	1.21	28	0.52	21	0.28	617	17.83
रिलायंस	942	19.59	37	0.56	8	0.27	3	0.16	5	0.03	995	20.61
सहारा	3	0.01	2	0.02	-	-	-	-	-	-	5	0.03
एसबीआई	14352	111.62	1292	26.23	402	6.31	169	3.60	172	3.87	16387	151.63
श्रीराम	2	0.08	-	-	-	-	-	-	-	-	2	0.08
स्वार यूनिनय *	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
टाटा एआईजी	296	5.48	184	6.40	113	4.15	97	2.15	222	2.57	912	20.76
निजी कुल	32111	227.59	3892	57.86	1170	20.22	525	9.23	502	7.43	38200	322.33
भारतीय जीवन बीमा निगम	219726	970.13	1769	29.11	801	5.77	5	0.07	6	0.07	222307	1005.15
उद्योग कुल	251837	1197.72	5661	86.97	1971	25.99	530	9.30	508	7.50	260507	1327.48

टिप्पणी: * व्यवसाय वर्ष 2008-09 में शुरू किया गया।

विवरण 68

सूक्ष्म बीमा के अंतर्गत नया व्यापार: वर्ष 2008-09

प्रीमियम रु. लाखों में

बीमाकर्ता	व्यक्तिगत		ग्रुप		
	पॉलिसी	प्रीमियम	योजना	बीमित किये गये जीवन	प्रीमियम
एगोन रेलीगेयर	-	-	-	-	-
अविवा	310	1.52	-	872244	16.75
बजाज अलायंज	10226	85.47	-	-	-
भारती एक्सा	-	-	-	-	-
बिरला सनलाइफ	280659	147.69	-	-	-
केनरा एचएसबीसी ओबीसी	-	-	1	2586	2.34
डीएलएफ प्रीमेरिका	-	-	1	2602	0.01
फ्यूचर जनरली	-	-	-	-	-
एचडीएफसी स्टैंडर्ड	-	-	-	-	-
आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल	234299	122.05	-	-	-
आईडीबीआई फोर्टिस	-	-	2	22602	2.97
आईएनजी वेश्या	-	-	2	40000	0.78
कोटक महिन्द्रा	-	-	-	-	-
मैक्स न्यू यार्क	-	-	-	-	-
मेटलाइफ	734	18.69	-	-	-
रिलायंस	-	-	-	-	-
सहारा	604	8.21	1	50	0.10
एसबीआई	-	-	7	558910	3303.85
श्रीराम	-	-	-	-	-
स्टार यूनियन	-	-	-	-	-
टाटा एआईजी	84019	154.17	-	-	-
निजी कुल	610851	537.81	14	1498994	3326.80
भारतीय जीवन बीमा निगम	1541218	3118.74	6883	11052815	17268.54
उद्योग कुल	2152069	3656.55	6897	12551809	20595.34

टिप्पणी: नये व्यवसाय का प्रीमियम प्रथम वर्ष का प्रीमियम तथा एकल प्रीमियम को मिलाकर

विवरण 69

जीवन बीमाकर्ताओं के सूक्ष्म बीमा मध्यस्थों का विवरण: वर्ष 2008-09

बीमाकर्ता	1 अप्रैल 2008 को	परिवर्धन	घटाये गये	31 मार्च 2009 को
एगोन रेलीगेयर	-	-	-	-
अविवा	-	1	-	1
बजाज अलायंज	168	29	4	193
भारती एक्सा	-	-	-	-
बिरला सनलाइफ	77	119	92	104
केनरा एचएसबीसी ओबीसी	-	-	-	-
डीएलएफ प्रीमेरिका	-	-	-	-
फ्यूचर जनरली	-	-	-	-
एचडीएफसी स्टैंडर्ड	-	-	-	-
आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल	-	14	-	14
आईडीबीआई फोर्टिस	-	-	-	-
आईएनजी वेश्या	-	-	-	-
कोटक महिन्द्रा	-	-	-	-
मैक्स न्यू यार्क	-	-	-	-
मेटलाइफ	-	-	-	-
रिलायंस	-	-	-	-
सहारा	8	5	-	13
एसबीआई	-	-	-	-
श्रीराम	1	-	-	1
स्टार यूनियन	-	-	-	-
टाटा एआईजी	164	113	-	277
निजी कुल	418	281	96	603
भारतीय जीवन बीमा निगम	4166	2482	1	6647
उद्योग कुल	4584	2763	97	7250

जीवन बीमाकर्ताओं के व्यवसायिक मध्यस्थों का विवरण: वर्ष 2008-09

बीमाकर्ता	1 अप्रैल 2008 को	परिवर्धन	घटाये गये	31 मार्च 2009 को
एगोन रेलीगेयर	-	7	-	7
अविवा	21	7	11	17
बजाज अलायंज	520	187	25	682
भारती एक्सा	2	10	-	12
बिरला सनलाइफ	161	188	32	317
केनरा एचएसबीसी ओबीसी	-	3	-	3
डीएलएफ प्रीमेरिका	-	2	-	2
फ्यूचर जनरली	-	4	-	4
एचडीएफसी स्टैंडर्ड	848	29	506	371
आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल	46	5	4	47
आईडीबीआई फोर्टिस	2	39	-	41
आईएनजी वेश्या	41	26	14	53
कोटक महिन्द्रा	235	60	195	100
मैक्स न्यू यार्क	29	55	-	84
मेटलाइफ	35	6	4	37
रिलायंस	39	103	16	126
सहारा	1	5	1	5
एसबीआई	23	76	5	94
श्रीराम	4	-	-	4
स्टार यूनियन	-	2	-	2
टाटा एआईजी	63	26	6	83
निजी कुल	2070	840	819	2091
भारतीय जीवन बीमा निगम	345	161	91	415
उद्योग कुल	2415	1001	910	2506

भारत में काम करने वाली बीमा कंपनियाँ जीवन बीमाकर्ता

सार्वजनिक क्षेत्र

1. भारतीय जीवन बीमा निगम (एलआईसी)

निजी प्रतियोगी

1. एगोन रेलीगेयर इश्योरेंस क. लि.
2. अविवा लाइफ इश्योरेंस क. लि. (अविवा)
3. बजाज अलायंज लाइफ इश्योरेंस क. लि.
4. भारती एक्सए लाइफ इश्योरेंस क. लि. (भारती एक्सए)
5. बिरला सन लाइफ इश्योरेंस क. लि. (बीएसएलआई)
6. केनरा एचएसबीसी ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स लाइफ इश्योरेंस क. लि.
7. डीएलएफ प्रीमेरिका लाइफ इश्योरेंस क. लि.
8. फ्यूचर जनरल इंडिया लाइफ इश्योरेंस क. लि. (फ्यूचर जनरल इंडिया लाइफ)
9. एचडीएफसी स्टैंडर्ड लाइफ इश्योरेंस क. लि. (एचडीएफसी स्टैंडर्ड लाइफ)
10. आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल लाइफ इश्योरेंस क. लि. (आईसीआईसीआई प्रू)
11. आईडीबीआई फोर्टिस लाइफ इश्योरेंस क. लि.
12. आईएनजी वेश्या लाइफ इश्योरेंस क. लि. (आईएनजी वेश्या)
13. कोटक महिन्द्रा ओल्ड म्युचुअल इश्योरेंस क. लि..
14. मैक्स न्यूयार्क लाइफ इश्योरेंस क. लि. (एमएनवाईएल)
15. मैट लाइफ इश्योरेंस क. प्रा. लि. (मैटलाइफ)
16. रिलायंस लाइफ इश्योरेंस क. लि.
17. सहारा इंडिया लाइफ इश्योरेंस क. लि. (सहारा लाइफ)
18. एसबीआई लाइफ इश्योरेंस क. लि. (एसबीआई लाइफ)
19. श्रीराम लाइफ इश्योरेंस क. लि. (श्रीराम लाइफ)
20. स्टार यूनियर डाई-ईची लाइफ इश्योरेंस क. लि.
21. टाटा एआईजी इश्योरेंस क. लि. (टाटा एआईजी)

गैर - जीवन बीमाकर्ता

सार्वजनिक क्षेत्र	निजी प्रतियोगी
1 नेशनल इश्योरेंस कं. लि. (नेशनल)	1 बजाज अलायंज जनरल इश्योरेंस कं. लि. (बजाज अलायंज)
2 न्यू इंडिया एश्योरेंस कं. लि. (न्यू इंडिया)	2 भारती एएक्सए जनरल इश्योरेंस कं. लि.
3 द ओरिएंटल इश्योरेंस कं. लि. (ओरिएंटल)	3 चोलामंडलम एमएस जनरल इश्योरेंस कं. लि. (चोलामंडलम)
4 यूनाइटेड इंडिया इश्योरेंस कं. लि. (यूनाइटेड)	4 फ्यूचर जनरल इंडिया इश्योरेंस कं. लि. (फ्यूचर जनरल इंडिया)
	5 एचडीएफसी जनरल इश्योरेंस कं. लि. (एचडीएफसी)
	आईसीआईसीआई लंबार्ड जनरल इश्योरेंस कं. लि.
	6 (आईसीआईसीआई लंबार्ड)
	7 इफको टोकियो जनरल इश्योरेंस कं. लि. (इफको टोकियो)
	8 रहेजा क्यूबीई जनरल इश्योरेंस कं. लि.
	9 रिलायंस जनरल इश्योरेंस कं. लि. (रिलायंस)
	10 रॉयल सुन्दरम अलायंस इश्योरेंस कं. लि. (रॉयल सुन्दरम)
	11 श्रीराम जनरल इश्योरेंस कं. लि.
	12 टाटा एआईजी जनरल इश्योरेंस कं. लि. (टाटा एआईजी)
	13 यूनिवर्सल सोमो जनरल इश्योरेंस कं. लि.
विशेषज्ञ बीमाकर्ता	स्वास्थ्य बीमाकर्ता
5 भारतीय कृषि बीमा संस्थान (एआईसी)	14 अपोलो डीकेवी इश्योरेंस कं. लि. (अपोलो डीकेवी)
6 एक्सपोर्ट क्रेडिट गारंटी कोरपोरेशन लि.(ईसीजीसी)	15 स्टार हेल्थ एंड एलाइड इश्योरेंस कं. लि.

पुर्न बीमाकर्ता: भारतीय साधारण बीमा निगम

आईआरडीए अधिनियम, 1999 के अधीन बनाये गये विनिर्देशन

क्र. सं.	अधिसूचना
1	आईआरडीए (बीमा सलाहकार समिति के सदस्य)
2	आईआरडीए बीमा सलाहकार समिति का चयन विनिर्देशन, 2000
3	आईआरडीए (बीमा सलाहकार समिति) (बैठक) विनिर्देशन, 2000
4	आईआरडीए (नियुक्त बीमांकक) विनिर्देशन, 2000
5	आईआरडीए (बीमांकक रिपोर्ट तथा एबस्ट्रैक्ट्स) विनिर्देशन, 2000
6	आईआरडीए (बीमा एंजेंटों का लाइसेंसीकरण) विनिर्देशन, 2000
7	आईआरडीए (बीमाकर्ता की संपत्ति, दायित्व और सोल्वेन्सी मार्जिन्स) विनिर्देशन, 2000
8	आईआरडीए (साधारण बीमा-पुनर्बीमा) विनिर्देशन, 2000
9	आईआरडीए (भारतीय बीमा कंपनियों का पंजीकरण) विनिर्देशन, 2000
10	आईआरडीए (बीमा एडवर्टाइजमेंट तथा डिस्कलोज़र्स) विनिर्देशन, 2000
11	आईआरडीए (ओब्लिगेशन्स ऑफ इश्यूर्स टू रूरल सोशल सेक्टर) विनिर्देशन, 2000
12	आईआरडीए (बैठक) विनिर्देशन, 2000
13	आईआरडीए (निवेश) विनिर्देशन, 2000
14	आईआरडीए (ऑफिसर्स एवं अन्य कर्मचारियों की कार्य करने के नियम) विनिर्देशन, 2000
15	आईआरडीए (बीमा सर्वक्षक एवं हानि निर्धारक (लाइसेंस, प्रोफेशनल रिकवायरमेंट्स तथा कोड ऑफ कंडक्ट)) विनिर्देशन, 2000
16	आईआरडीए (जीवन बीमा-पुनर्बीमा) विनिर्देशन, 2000
17	आईआरडीए (निवेश) (अमेन्डमेंट) विनिर्देशन, 2001
18	आईआरडीए (तीसरा पक्ष प्रशासक-स्वास्थ्य सेवाये) विनिर्देशन, 2001
19	आईआरडीए (पुनर्बीमा सलाहकार समिति) विनिर्देशन, 2001
20	आईआरडीए (निवेश) (अमेन्डमेंट) विनिर्देशन, 2002
21	आईआरडीए (प्रीपेरेशन ऑफ फाइनांशियल स्टेटमेंट्स एंड ऑडिटर्स रिपोर्ट ऑफ इश्योरेस कम्पनीज) विनिर्देशन, 2002
22	आईआरडीए (बीमा धारकों के हित की सुरक्षा) विनिर्देशन, 2002
23	आईआरडीए (बीमा दलाल) विनिर्देशन, 2002
24	आईआरडीए (ओब्लिगेशन्स ऑफ इश्यूर्स टू रूरल सोशल सेक्टर) विनिर्देशन, 2002
25	आईआरडीए (कोर्पोरेट एडेंट्स का लाइसेंसीकरण) विनिर्देशन, 2002
26	आईआरडीए (बीमा एंजेंटों का लाइसेंसीकरण) (अमेन्डमेंट) विनिर्देशन, 2002
27	आईआरडीए (बीमा धारकों के हित की सुरक्षा) (अमेन्डमेंट) विनिर्देशन, 2002
28	आईआरडीए (मेनर ऑफ रिसिट ऑफ प्रीमियम) विनिर्देशन, 2002
29	आईआरडीए (डिस्ट्रिब्यूशन ऑफ सरप्लस) विनिर्देशन, 2002
30	आईआरडीए (भारतीय बीमा कंपनियों का पंजीकरण) (अमेन्डमेंट) विनिर्देशन, 2003
31	आईआरडीए (निवेश) (अमेन्डमेंट) विनिर्देशन, 2004
32	आईआरडीए (बीमांकक की योग्यता) विनिर्देशन, 2004
33	आईआरडीए (ओब्लिगेशन्स ऑफ इश्यूर्स टू रूरल सोशल सेक्टर) (अमेन्डमेंट) विनिर्देशन, 2004
34	आईआरडीए (बीमा सलाहकार समिति) विनिर्देशन, 2005
35	आईआरडीए (सूक्ष्म बीमा) विनिर्देशन, 2005
36	आईआरडीए (प्रसव छुट्टी) विनिर्देशन, 2005
37	आईआरडीए (ओब्लिगेशन्स ऑफ इश्यूर्स टू रूरल सोशल सेक्टर) (अमेन्डमेंट) विनिर्देशन, 2005
38	आईआरडीए (ओब्लिगेशन्स ऑफ इश्यूर्स टू रूरल सोशल सेक्टर) (अमेन्डमेंट) विनिर्देशन, 2005
39	आईआरडीए (पुनर्बीमा अध्यग्रण) अधिसूचना
40	आईआरडीए (बीमा अभिकर्ताओं का पंजीकरण) (अमेन्डमेंट) विनिर्देशन, 2007
41	आईआरडीए (निगमीय अभिकर्ताओं का पंजीकरण) (अमेन्डमेंट) विनिर्देशन, 2007
42	आईआरडीए (बीमा दलाल) (अमेन्डमेंट) विनिर्देशन, 2007
43	आईआरडीए (बीमाकर्ताओं का ग्रामीण अथवा सामाजिक क्षेत्रों के प्रति दायित्व) (तीसरा अमेन्डमेंट) विनिर्देशन, 2008

जीवन बीमा कंपनियों में नियुक्त किये गये बीमांकक (31 मार्च 2009 को)

बीमाकर्ता	नियुक्त बीमांकक
एगोन रेलीगेयर लाइफ इंश्योरेंस कं. लि.	श्री के एस गोपालकृष्णन
अविवा लाइफ इंश्योरेंस कं. लि.	श्री चंदन खासनोबिस
बजाज अलायंज लाइफ इंश्योरेंस कं. लि.	श्री अनिल कुमार सिंह
भारती ए एक्स ए लाइफ इंश्योरेंस कं. लि.	श्री जी एल एन शर्मा
बिरला सन लाइफ इंश्योरेंस कं. लि.	श्री फैबिन ज्यूडी
केनरा एचएसबीसी ओबीसी लाइफ इंश्योरेंस कं. लि.	श्री पॉल ब्रेसफोर्ड
डीएलएफ प्रीमेरिका लाइफ इंश्योरेंस कं. लि.	श्री प्रदीप कुमार थपरियाल
फ्यूडर जनरली इंडिया लाइफ इंश्योरेंस कं. लि.	श्री डी साई श्रीनिवास
एचडीएफसी स्टैंडर्ड लाइफ इंश्योरेंस कं. लि.	श्री डब्ल्यू जे मार्टिन
आईसीआईसीआई लाइफ इंश्योरेंस कं. लि.	श्री अविजीत चटर्जी
आईडीबीआई फोर्टिस लाइफ इंश्योरेंस कं. लि.	श्री माईक जे वुड
आईएनजी वेश्या लाइफ इंश्योरेंस कं. लि.	सुश्री हेमामालिनी रामकृष्णन
कोटक महिन्द्रा ओल्ड म्यूच्युल लाइफ इंश्योरेंस कं. लि.	श्री ए डब्ल्यू कार्टराइड
भारतीय जीवन बीमा निगम	श्री टी भार्गव
मैक्स न्यूयार्क लाइफ इंश्योरेंस कं. लि.	श्री जन्म चार्लस पूली
मैटलाइफ इंडिया इंश्योरेंस कं. लि.	श्री एम एस वी एस फनेश
रिलायंस लाइफ इंश्योरेंस कं. लि.	सुश्री पूर्णिमा गुप्ते
सहारा इंडिया लाइफ इंश्योरेंस कं. लि.	श्री के के धरनी
एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस कं. लि.	श्री संजीव कुमार पुजारी
श्रीराम लाइफ इंश्योरेंस कं. लि.	श्री एन एस शास्त्री
स्टार यूनियर डा-ईची लाइफ इंश्योरेंस कं. लि.	श्री आई सांभाशिव राव
टाटा एआईजी टाटा एआईजी लाइफ इंश्योरेंस कं. लि.	श्री हीरक बासु

गैर जीवन बीमा कंपनियों में नियुक्त किये गये बीमांकक (31 मार्च 2009 को)

बीमाकर्ता	नियुक्त बीमांकक
भारतीय कृषि बीमा कंपनी	श्री एस चिदम्बरम
अपोलो डीकेवी जनरल इंश्योरेंस	श्री गौतम कक्कर
बजाज अलायंस जनरल इंश्योरेंस कं. लि.	सुश्री आशा जे जोशी
भारती एक्सा जनरल इंश्योरेंस कं. लि.	श्री एम वेंकटेशन
चोलामंडलम एमएस जनरल इंश्योरेंस कं. लि.	श्री के पी शर्मा
फ्यूचर जनरली इंडिया जनरल इंश्योरेंस कं. लि.	श्री बिरेश गिरी
भारतीय साधारण बीमा निगम (जीवन- पुर्नबीमा विभाग)	श्री ए के गर्ग
भारतीय साधारण बीमा निगम (गैर जीवन- पुर्नबीमा विभाग)	श्री एन श्रीनिवासन
एचडीएफसी चब्ब जनरल इंश्योरेंस कं. लि.	श्री एन लक्ष्मण
आईसीआईसीआई लंबार्ड जनरल इंश्योरेंस कं. लि.	श्री लियाकत खान
इफको टोकियो जनरल इंश्योरेंस कं. लि.	श्री के के वाधवा
नेशनल इंश्योरेंस कं. लि.	श्री बी चटर्जी
रहेजा क्यूबीई जनरल इंश्योरेंस कं. लि.	श्री ए पी पीताम्बरन
रिलायंस जनरल इंश्योरेंस कं. लि.	श्री एन जी पाई
रॉयल सुन्दरम अलायंस इंश्योरेंस कं. लि.	श्री ओ लक्ष्मीनारायण
श्रीराम जनरल इंश्योरेंस कं. लि.	श्री पी ए बालासुब्रह्मण्यम
स्टार हेल्थ एंड एलाइड इंश्योरेंस कं. लि.	श्री पी आई मजूमदार
टाटा एआईजी जनरल इंश्योरेंस कं. लि.	श्री के हनुमंत राव
द न्यू इंडिया एश्योरेंस कं. लि.	श्री ए आर प्रभु
द ओरिएंटल इंश्योरेंस कं. लि.	श्री वाई पी सभरवाल
यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कं. लि.	श्री एस कृष्णन
यूनिवर्सल सोम्पो जनरल इंश्योरेंस कं. लि.	श्री पी सी गुप्ता

भारतीय जन्म-मृत्यु दर (1994-96) (संशोधित) निर्धारण

आयु	मृत्यु दर	आयु	मृत्यु दर
0	0.001630	50	0.005244
1	0.000960	51	0.005819
2	0.000670	52	0.006443
3	0.000620	53	0.007116
4	0.000470	54	0.007839
5	0.000420	55	0.008611
6	0.000380	56	0.009433
7	0.000400	57	0.010294
8	0.000400	58	0.011025
9	0.000400	59	0.011951
10	0.000380	60	0.013073
11	0.000450	61	0.014391
12	0.000530	62	0.015904
13	0.000650	63	0.017612
14	0.000713	64	0.019516
15	0.000770	65	0.021615
16	0.000823	66	0.022724
17	0.000873	67	0.025617
18	0.000919	68	0.028823
19	0.000961	69	0.032372
20	0.000999	70	0.036294
21	0.001033	71	0.040623
22	0.001063	72	0.045392
23	0.001090	73	0.050639
24	0.001113	74	0.056404
25	0.001132	75	0.062728
26	0.001147	76	0.069655
27	0.001159	77	0.077231
28	0.001166	78	0.085502
29	0.001170	79	0.094519
30	0.001170	80	0.104331
31	0.001171	81	0.114992
32	0.001201	82	0.126553
33	0.001246	83	0.139067
34	0.001308	84	0.151077
35	0.001387	85	0.162298
36	0.001482	86	0.174149
37	0.001593	87	0.186638
38	0.001721	88	0.199775
39	0.001865	89	0.213560
40	0.002053	90	0.227995
41	0.002247	91	0.243072
42	0.002418	92	0.258782
43	0.002602	93	0.275109
44	0.002832	94	0.292031
45	0.003110	95	0.309522
46	0.003438	96	0.327549
47	0.003816	97	0.346073
48	0.004243	98	0.365052
49	0.004719	99	0.384436

भारतीय जीवन बीमा निगम में बीमाकृत के जन्म-मृत्यु दर निर्धारण
एलआईसी ए (96-98) अंतिम

आयु	मृत्यु दर	अपेक्षित जन्म दर	आयु	मृत्यु दर	अपेक्षित जन्म दर
20	0.000919	57.45	65	0.013889	17.33
21	0.000961	56.50	66	0.015286	16.56
22	0.000999	55.56	67	0.017026	15.81
23	0.001033	54.61	68	0.019109	15.08
24	0.001063	53.67	69	0.021534	14.36
25	0.001090	52.72	70	0.024301	13.67
26	0.001113	51.78	71	0.027410	12.99
27	0.001132	50.84	72	0.030862	12.35
28	0.001147	49.89	73	0.034656	11.72
29	0.001159	48.95	74	0.038793	11.13
30	0.001166	48.01	75	0.043272	10.56
31	0.001170	47.06	76	0.048093	10.01
32	0.001170	46.12	77	0.053257	9.49
33	0.001171	45.17	78	0.058763	9.00
34	0.001201	44.22	79	0.064611	8.53
35	0.001246	43.28	80	0.070802	8.08
36	0.001308	42.33	81	0.077335	7.66
37	0.001387	41.38	82	0.084210	7.26
38	0.001482	40.44	83	0.091428	6.88
39	0.001593	39.50	84	0.098988	6.52
40	0.001721	38.56	85	0.106891	6.19
41	0.001865	37.63	86	0.115136	5.87
42	0.002053	36.70	87	0.123723	5.56
43	0.002247	35.77	88	0.132652	5.28
44	0.002418	34.85	89	0.141924	5.01
45	0.002602	33.93	90	0.151539	4.76
46	0.002832	33.02	91	0.161495	4.52
47	0.003110	32.11	92	0.171794	4.29
48	0.003438	31.21	93	0.182436	4.07
49	0.003816	30.32	94	0.193419	3.87
50	0.004243	29.43	95	0.204746	3.68
51	0.004719	28.56	96	0.216414	3.50
52	0.005386	27.69	97	0.228425	3.33
53	0.006058	26.84	98	0.240778	3.17
54	0.006730	26.00	99	0.253473	3.01
55	0.007401	25.17	100	0.266511	2.86
56	0.008069	24.35	101	0.279892	2.72
57	0.008710	23.55	102	0.293614	2.59
58	0.009397	22.75	103	0.307679	2.46
59	0.010130	21.96	104	0.322087	2.33
60	0.010907	21.18	105	0.336836	2.19
61	0.011721	20.41	106	0.351928	2.05
62	0.011750	19.64	107	0.367363	1.89
63	0.012120	18.87	108	0.383139	1.70
64	0.012833	18.10	109	0.399258	1.45
			110	0.415720	1.08

वित्त वर्ष 2008-09 के दौरान पारित किये गये जीवन बीमा उत्पाद

क्र. स.	बीमाकर्ता का नाम	उत्पाद का नाम	यूआईएन
1	एगोन रेलीगेयर	एगोन रेलीगेयर प्रोटेक्ट गेन प्लान	138L001V01
		एगोन रेलीगेयर स्टार चाइल्ड प्लान	138L005V01
		एगोन रेलीगेयर प्रीमियम गेन प्लान	138L006V01
		एगोन रेलीगेयर पेंशन प्लान	138L010V01
		एगोन रेलीगेयर इन्क्रीजिंग टर्म प्लान	138N002V01
		एगोन रेलीगेयर लेवर टर्म प्लान	138N003V01
		एगोन रेलीगेयर डीक्रीजिंग टर्म प्लान	138N004V01
		एगोन रेलीगेयर सिंगल प्रीमियम गारंटीड प्लान	138N007V01
		एगोन रेलीगेयर सिंगल रूरल टर्म प्लान	138N008V01
		एगोन रेलीगेयर सिंगल ग्रुप टर्म प्लान	138N009V01
		एगोन रेलीगेयर सिंगल इस्टा पेंशन प्लान	138N011V01
		एगोन रेलीगेयर सिंगल गारंटीड रिटर्न प्लान	138N012V01
		एगोन रेलीगेयर सिंगल गारंटीड सीआई राईडर	138C001V01
		एगोन रेलीगेयर सिंगल गारंटीड एडीडीडी राईडर	138C002V01
		एगोन रेलीगेयर सिंगल गारंटीड वेभर ऑफ प्रीमियम राईडर	138C003V01
		एगोन रेलीगेयर सिंगल टर्म राईडर	138C004V01
2	अविवा	अविवा ग्रुप सुपर न्यूटेसन प्लान	122L056V01
		अविवा लाईफ लाइन	122L058V01
		सचिन सेंचुरी प्लान	122L059V01
		अविवा वेल्थ प्लस	122L061V01
		अविवा पेंशन इलाइट	122L062V01
		अविवा यंग स्कोलर	122L063V01
		अविवा हेल्थ प्लस	122N057V01
		अविवा मनी बैक	122N060V01
		अविवा लाइफ शील्ड प्लस	122N064V01
		टर्म राईडर	122A010V01
		पेयोर राईडर	122A011V01
		अविवा पेयोर प्लस राईडर	122A012V01
		अविवा फैमिली इनकम बेनिफिट राईडर	122A013V01
		अविवा ड्रीड डिजीज राईडर	122B014V01
3	बजाज अलायंस	बजाज अलायंस फोरव्यून प्लस	116L062V01
		बजाज अलायंस फैमिली एश्यूर	116L064V01
		बजाज अलायंस आईगेन	116L066V01
		बजाज अलायंस कैपिटल शील्ड	116L068V01
		बजाज अलायंस सेंचुरी प्लस	116L070V01
		बजाज अलायंस यूनिट गेन प्रोटेक्शन प्लस	116L072V01
		बजाज अलायंस स्वयं शक्ति सुरक्षा	116N060V01
		बजाज अलायंस ग्रुप एन्युटी	116N059V01
		बजाज अलायंस फैमिली केयर फर्स्ट	116N061V01
		बजाज अलायंस न्यू रिस्क केयर	116N063V01
		बजाज अलायंस ग्रुप लीव इनकैंशमेंट स्कीम	116N065V01
		बजाज अलायंस ग्रुप सुपर एन्युशन गोल्ड	116N067V01
		बजाज अलायंस ग्रुप इनकम प्रोटेक्शन	116N069V01
		बजाज अलायंस ग्रुप प्रेच्युटी गोल्ड	116N071V01
		बजाज अलायंस हेल्थ क्रीटिकल इलनेस राईडर	116B020V01

क्र. स.	बीमाकर्ता का नाम	उत्पाद का नाम	यूआईएन
4	भारती एक्सा	भारती एक्सा लाईफ स्पोर्ट सुरक्षा भारती एक्सा लाईफ ब्राइट स्टार्स भारती एक्सा लाईफ शील्ड भारती एक्सा लाईफ संजीवनी भारती एक्सा लाईफ स्वास्थ्य संजीवनी	130L015V01 130L016V01 130N014V01 130N017V01 130N018V01
5	बिरला सन लाइफ	बिरला सन लाइफ इश्योरेंस फ्रीडम बिरला सन लाइफ इश्योरेंस हेल्थ प्लान बिरला सन लाइफ इश्योरेंस यूनिवर्सल हेल्थ प्लान बिरला सन लाइफ इश्योरेंस गारंटीड बचत प्लान बिरला सन लाइफ इश्योरेंस सेक्युर बिरला सन लाइफ इश्योरेंस मनी बैक प्लस प्लान	109L038V01 109N039V01 109N040V01 109N042V01 109N043V01 109N041V01
6	केनरा एचएसबीसी	केनरा एचएसबीसी ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स लाइफ यूनिट केनरा एचएसबीसी ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स लाइफ यूनिट केनरा एचएसबीसी ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स लाइफ यूनिट लिंकड होल लाइफ प्लान केनरा एचएसबीसी ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स लाइफ यूनिट लिंकड इंडोवमेंट प्लान केनरा एचएसबीसी ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स इमिडिएट पेंशन प्लान केनरा एचएसबीसी ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स लाइफ थोर टर्म प्लान केनरा एचएसबीसी ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स लाइफ ग्रुप लॉन प्रोटेक्शन केनरा एचएसबीसी ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स लाइफ ग्रुप टर्म प्लान	136L004V01 136L005V01 136L001V01 136L002V01 136N003V01 136N006V01 136N007V01 136N008V01
7	डीएलएफ प्रीमेरिका	डीएलएफ प्रीमेरिका विशाल वेल्थ बिल्डर प्लस प्लस डीएलएफ प्रीमेरिका चाइल्ड केयर प्लस प्लस डीएलएफ प्रीमेरिका गोल्डन एज डीएलएफ प्रीमेरिका वेल्थ प्लस डीएलएफ प्रीमेरिका फैमिली इनकम प्लान डीएलएफ प्रीमेरिका इमीडिएट एन्युटी प्लान डीएलएफ प्रीमेरिका सर्व सुरक्षा डीएलएफ प्रीमेरिका ट्रेडिशनल एक्सीडेंट डेथ बेनिफिट राइडर डीएलएफ प्रीमेरिका ट्रेडिशनल क्रिटीकल इलनेस राइडर डीएलएफ प्रीमेरिका यूनिट लिंकड एक्सीडेंट डेथ बेनिफिट राइडर डीएलएफ प्रीमेरिका यूनिट लिंकड क्रिटीकल इलनेस राइडर	140L003V01 140L004V01 140L005V01 140L002V01 140N001V01 140N006V01 140N007V01 140B001V01 140B002V01 140A003V01 140A004V01
8	फ्यूचर जनरली	फ्यूचर संजीवनी फ्यूचर पेंशन एडवांटेज प्लान फ्यूचर जनरली ग्रुप ग्रेच्युटी यूनिट लिंकड प्लान फ्यूचर ईजी यूलिप फ्यूचर गारंटी यूलिप फ्यूचर फ्रीडम यूलिप फ्यूचर ग्रुप क्रेडिट सुरक्षा फ्यूचर जनरली इमीडिएट एन्युटी प्लान फ्यूचर जनरली ग्रुप ग्रेच्युटी प्लान फ्यूचर पेंशन प्लान	133L008V01 133L010V01 133L011V01 133L012V01 133L014V01 133L015V01 133N005V01 133N006V01 133N007V01 133N009V01

क्र. स.	बीमाकर्ता का नाम	उत्पाद का नाम	यूआईएन
		फ्यूचर चाइल्ड बेनिफिट प्लान	133N013V01
		फ्यूचर जनरली ग्रुप ट्रेडीशनल सुपरएनयुशन प्लान	133N016V01
		फ्यूचर जनरली ग्रुप ट्रेडीशनल लीव इनकैशमेंट प्लान	133N017V01
		ग्रुप एक्सीलेटेड टर्मिनल इलनेस राइडर	133B008V01
9	एचडीएफसी	एचडीएफसी सिम्पली लाइफ	101L033V01
		एचडीएफसी यूनिट लिंकड वेल्थ मैक्जीमाइजर प्लस	101L034V01
		एचडीएफसी यंग स्टार टू	101L036V01
		एचडीएफसी यूनिट लिंकड इंडोमेंट टू	101L038V01
		एचडीएफसी यूनिट लिंकड पेंशन टू	101L039V01
		एचडीएफसी यूनिट लिंकड पेंशन मैक्जीमाइजर टू	101L040V01
		एचडीएफसी यूनिट लिंकड इंडोमेंट विनर	101L041V01
		एचडीएफसी यूनिट लिंकड यंग स्टार चैम्पियन	101L042V01
		एचडीएफसी क्रीटिकल तेयर प्लान	101N035V01
		एचडीएफसी ग्रामीण बीमा मित्र योजना	101N037V01
		एचडीएफसी स्टैंडर्ड लाइफ सरजीकेयर प्लान	101N043V01
10	आईसीआईसीआई	आईसीआईसीआई प्रू लाइफ स्टेज एय्युर	105L083V01
		आईसीआईसीआई प्रू वेल्थ एडवांटेज	105L085V01
		आईसीआईसीआई प्रू अनमोल निवेश	105L086V01
		आईसीआईसीआई प्रू हेल्थ सेवर	105L087V01
		आईसीआईसीआई प्रू सेक्युर सेव	105L088V01
		आईसीआईसीआई प्रू सर्व जन सुरक्षा	105N081V01
		आईसीआईसीआई प्रू मेडी एय्युर	105N082V01
		आईसीआईसीआई प्रू प्यूर प्रोटेक्ट	105N084V01
		आईसीआईसीआई प्रू ग्रुप सुपरएनयुशन सुरक्षा	105N089V01
		आईसीआईसीआई प्रू ग्रुप ग्रेन्युटी सुरक्षा	105N090V01
		आईसीआईसीआई प्रू ग्रुप लीव इनकैशमेंट सुरक्षा	105N091V01
11	आईडीबीआई फोर्टिस	आईडीबीआई फोर्टिस रिटायरएय्युरेंस पेंशन प्लान	135L008V01
		आईडीबीआई फोर्टिस बॉन्डसेक्युर	135N003V01
		आईडीबीआई फोर्टिस ग्रुप माइक्रोएय्युरेंस प्लान	135N004V01
		आईडीबीआई फोर्टिस होमएय्युरेंस प्रोटेक्शन प्लान	135N005V01
		आईडीबीआई फोर्टिस टर्मएय्युरेंस ग्रामीण सुरक्षा	135N006V01
		आईडीबीआई फोर्टिस इनकमएय्युरेंस इमीडिएट एय्युटी	135N007V01
		वेवर ऑफ प्रीमियम ऑन डेथ	135C003V01
		वेवर ऑफ प्रीमियम ऑन टोटल एंड परमानेंट डीस्एबिलिटी	135C006V01
		आईडीबीआई फोर्टिस ग्रुप माइक्रोएय्युरेंस एक्सीडेंटल डेथ बेनिफिट राइडर	135B007V01
12	आईएनजी वेश्या	आईएनजी ग्राइम लाइफ	114L038V01
		आईएनजी वन लाइफ प्लस	114L039V01
		आईएनजी स्मार्ट शीलड	114N037V01
13	कोटक महिन्द्रा	कोटक प्लेटिनम एडवांटेज प्लस	107L046V01
		कोटक रिटायरमेंट इन्वेस्टमेंट प्लान	107L049V01
		कोटक सेकंड इनींग प्लन	107L052V01
		कोटक लाइफ टाईम इनकम प्लान	107N047V01
		कोटक ग्रुप एय्युटी प्लान	107N048V01
		कोटक ग्रुप शीलड	107N050V01

क्र. स.	बीमाकर्ता का नाम	उत्पाद का नाम	यूआईएन
		कोटक ग्रुप एस्युर	107N051V01
		कोटक टर्मिनल इलनेस बेनिफीट राइडर	107B014V01
14	एलआईसी	एलआईसी मनी प्लस -वन	512L248V01
		एलआईसी मार्केट प्लस -वन	512L249V01
		एलआईसी चाइल्ड फोर्चयून प्लस	512L251V01
		एलआईसी हेल्थ प्रोटेक्शन प्लस	512L253V01
		एलआईसी जीवन साथी प्लस	512L255V01
		एलआईसी जीवन भारती -वन	512N247V01
		एलआईसी जीवन आस्था	512N252V01
		एलआईसी जीवन वर्षा	512N254V01
		एलआईसी कोन्जिनेन्टल बेनिफीट राइडर	512B208V01
15	मैक्स न्यू यार्क	मैक्स न्यू यार्क लाइफ यूनिट बिल्डर	104L050V01
		मैक्स सुपर लाइफ	104N048V01
		मैक्स विजय	104N049V01
		मैक्स न्यू यार्क लाइफ - ग्रुप क्रीटीकल इलनेस राइडर	104B020V01
		मैक्स न्यू यार्क लाइफ - ग्रुप टोटल एंड परमानेंट डिस्एबिलिटी (दुर्घटना अथवा बीमारी के कारण) राइडर	104B021V01
		मैक्स न्यू यार्क लाइफ - ग्रुप टर्मिनल इलनेस राइडर	104B022V01
16	मेट लाइफ	मेट ग्रोथ	117L044V01
		मेट लिटिल स्टार	117L045V01
		मेट मैजिक	117L046V01
		मेट विश्वास	117N042V01
		मेट इनकम गारंटीड	117N043V01
		क्रीटिकल इलनेस राइडर	117C013V01
		एक्सीडेंटल डेथ बेनीफिट राइडर	117C014V01
17	रिलायंस लाइफ	रिलायंस सुपर इन्वेसट एस्युर प्लान	121L031V01
		रिलायंस ग्रुप सेविंग लिंकड इश्योरेंस प्लान	121L033V01
		रिलायंस इमान इन्वेस्टमेंट प्लान	121L034V01
		रिलायंस सुपर मार्केट रिटर्न प्लान	121L035V01
		रिलायंस सुपर ऑटोमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान	121L036V01
		रिलायंस सुपर गोल्डन इयर्स प्लान	121L037V01
		रिलायंस सुपर गोल्डन इयर्स प्लान प्लस	121L038V01
		रिलायंस सुपर गोल्डन इयर्स प्लान वेल्यू	121L039V01
		रिलायंस सुपर इन्वेसट एस्युर प्लान प्लस	121L040V01
		रिलायंस गारंटीड रिटर्न प्लान सीरीज वन - इश्योरेंस	121L041V01
		रिलायंस गारंटीड रिटर्न प्लान सीरीज वन - पेंशन	121L042V01
		रिलायंस सेविंग लिंकड इश्योरेंस प्लान	121L043V01
		रिलायंस ग्रुप क्रेडिट शील्ड प्लान	121N032V01
18	सहारा	सहारा समर्थ	127L017V01
		सहारा विशेष	127L018V01

क्र. स.	बीमाकर्ता का नाम	उत्पाद का नाम	यूआईएन
19	एसबीआई लाइफ	एसबीआई लाइफ कल्याण यूलिप एसबीआई लाइफ स्मार्ट यूलिप स्वर्ण जीवन एसबीआई लाइफ ग्रुप क्रीटी प्लान एसबीआई लाइफ सुरक्षा प्लस	111L052V01 111L053V01 111N049V01 111N050V01 111N051V01
20	श्रीराम	श्रीराम जन सुरक्षा श्रीराम क्रेडिट शील्ड	128N018V01 128N019V01
21	स्टार यूनियन	एसयूडी लाइफ ध्रुव तारा एसयूडी लाइफ प्रभात तारा एसयूडी लाइफ धन सुरक्षा एसयूडी लाइफ धन सुरक्षा प्रीमियम एसयूडी लाइफ ग्रुप टर्म इश्योरेंस स्कीम एसयूडी लाइफ आशियान सुरक्षा प्लान एसयूडी लाइफ जीवन सफर एसयूडी लाइफ इमिडिएट एन्युटी प्लान एसयूडी लाइफ शिक्षा सुरक्षा प्लान एसयूडी लाइफ परस्पर सुरक्षा प्लान एसयूडी ग्रुप क्रीटिकल इलनेस बेनिफिट राइडर एसयूडी लाइफ ग्रुप एक्सीडेंटल डेथ एंड डिस्मेम्बरमेंट बेनिफिट राइडर एसयूडी एक्सीडेंटल एंड टोटल परमानेंट डिस्एबिलिटी बेनिफिट राइडर एसयूडी लाइफ क्रीटिकल इलनेस बेनिफिट राइडर	142L010V01 142L008V01 142L003V01 142L004V01 142N001V01 142N002V01 142N005V01 142N006V01 142N007V01 142N009V01 142B001V01 142B002V01 142C003V01 142B004V01
22	टाटा एआईजी	टाटा एआईजी लाइफ इन्वेस्ट एश्योर हेल्थ टाटा एआईजी लाइफ इन्वेस्ट एश्योर ऑप्टिमा टाटा एआईजी लाइफ यूनाइटेड उज्ज्वल भविष्य टाटा एआईजी लाइफ इन्वेस्ट इश्योर इंस्टा टाटा एआईजी लाइफ इन्वेस्ट एश्योर स्वर्ण जीवन टाटा एआईजी लाइफ इन्वेस्ट एश्योर एपेक्स टाटा एआईजी लाइफ सुमंगल बीमा योजना टाटा एआईजी लाइफ होस्पी कैश बैक टाटा एआईजी लाइफ फैमिली इनकम बेनिफिट राइडर टाटा एआईजी लाइफ इयरली रीनिवेबल टर्म राइडर टाटा एआईजी लाइफ सर्जिकल बेनिफिट राइडर	110L062V01 110L063V01 110L064V01 110L065V01 110L067V01 110L068V01 110N061V01 110N066V01 110A019V01 110C020V01 110C021V01

वित्त वर्ष 2008-09 के दौरान पारित किये गये गैर जीवन बीमा उत्पाद

क्र. सं	जीवन बीमाकर्ता	उत्पाद / लक्षिका का नाम
1	एआईसी	मौसम आधारित फसल बीमा योजना
2	अपोलो डीकेवी	इंश्यूर हेल्थ इंश्योरेंस व्यक्तिगत पर्सनल एक्सीडेंट पॉलिसी ईजी ट्रेवल कोर्पोरेट इंश्योरेंस ईजी हेल्थ इंडीविजुअल - रिवाइज्ड ईजी ट्रेवल इंश्योरेंस - रिटेल ईजी डोमेस्टिक ट्रेवल इंश्योरेंस पॉलिसी
3	बजाज अलायंस	यूनाइटेड संपूर्ण सुरक्षा
4	भारती एक्सा	स्मार्ट ड्राइव कोमर्शियल व्हीकल इंश्योरेंस पॉलिसी स्मार्ट ड्राइव लाइब्रिटी ओनली इंश्योरेंस स्मार्ट ड्राइव प्राइवेट कार इंश्योरेंस स्मार्ट ड्राइव टू व्हीलर्स इंश्योरेंस स्टैंडर्ड फायर एंड स्पेशल पर्लिस कोन्सिक्व्यूशनल लॉस (फायर) कॉन्ट्रैक्टर्स प्लान्ट एंड मशीनरी इंश्योरेंस पॉलिसी बोइलर्स प्रेशर प्लान्ट इंश्योरेंस पॉलिसी मशीनरी ब्रेकडाउन इंश्योरेंस पॉलिसी कॉन्ट्रैक्टर्स ऑल रिस्कस इरेक्शन्स ऑल रिस्कस इंश्योरेंस पॉलिसी मशीनरी ब्रेकडाउन इंश्योरेंस पॉलिसी इलोक्ट्रिकल इक्विपमेंट इंश्योरेंस पॉलिसी एग्जीक्यूटिव पंप सेट इंश्योरेंस पॉलिसी वर्कमैन कम्पनशेसन इंश्योरेंस पॉलिसी मरिन क्राफ्ट व्यक्तिगत पर्सनल एक्सीडेंट पॉलिसी फेडिलिटी गारंटी इंश्योरेंस पॉलिसी प्लेट ग्लास बर्गरली एंड हाउस ब्रेकिंग स्मार्ट ग्रुप पर्सनल एक्सीडेंट पॉलिसी ग्रुप हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी नियोन साइन तथा ग्लो साइन अथवा होर्डिंग इंश्योरेंस पॉलिसी बैगेज बीमा स्मार्ट हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी पोर्टेबल इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट इंश्योरेंस पॉलिसी मनी इंश्योरेंस पॉलिसी फार्मर्स पैकेज पॉलिसी पब्लिक लाइब्रिटी इंश्योरेंस पॉलिसी (उद्योग) पब्लिक लाइब्रिटी बीमा अधिनियम योजना एडवांस लॉस ऑफ प्रोफीट्स स्मार्ट प्लान ऑफिस पैकेज पॉलिसी कैटल इंश्योरेंस पॉलिसी स्मार्ट प्लान बिजनेस एडवांटेज पॉलिसी स्मार्ट हेल्थ क्रीटिकल इलनेस पॉलिसी

क्र. सं	जीवन बीमाकर्ता	उत्पाद / लक्षिका का नाम
5	चोलमांडलम	ग्रुप हेल्थ इश्योरेंस (सूक्ष्म) एक्सटेन्डेड वारंटी इश्योरेंस मोटर एंड ओन
6	ईसीजीसी	स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेज (एसएमई) डोमेस्टिक क्रेडिट इश्योरेंस फोर बैंक डोमेस्टिक क्रेडिट इश्योरेंस प्रोडक्ट्स
7	फ्यूचर जनरली	प्रोडक्ट लाइब्रिटी इश्योरेंस हेल्थ सुरक्षा डायरेक्टर्स एंड ऑफिसर्स लाइब्रिटी इश्योरेंस ग्रुप पर्सनल एक्सीडेंट पॉलिसी प्लेट ग्लास इश्योरेंस पॉलिसी ऑल रिस्क पॉलिसी ओवरसीज ट्रेवल इश्योरेंस - ट्रेवल सुरक्षा फोडेलिटी गारंटी इश्योरेंस पॉलिसी कैटल इश्योरेंस पॉलिसी एग्रीकल्चर पंप सेट इश्योरेंस पॉलिसी होम सेक्युर
8	जीआईसी	आतंकवाद सुरक्षा के अंतर्गत मूल्य का पुर्ननिर्धारण
9	एचडीएफसी	होम क्रेडिट एश्युर इश्योरेंस पब्लिक लाइब्रिटी इश्योरेंस कीडनेपिंग एंड रेन्सम पॉलिसी मरिन हल एंड मशीनरी
10	आईसीआईसीआई लंबार्ड	एक्सटेन्डेड वारंटी इश्योरेंस हेल्थ केयर प्लस पॉलिसी इनलैंड फिश इश्योरेंस जेट प्रोटेक्ट रिलीजियस इंस्टीट्यूशन पॉलिसी फार्मर्स पैकेज पॉलिसी
11	इफको टोकियो	प्रवासी भारतीय बीमा योजना जनता बीमा पॉलिसी मौसमी बीमा (सूक्ष्म) जन हित बीमा ग्रुप मेडीशील्ड (जन स्वास्थ्य बीमा) क्रोमपेहन्सव हॉस्पिटल एक्सीडेंट पॉलिसी जन कल्याण बीमा पॉलिसी (जन सुविधा) ब्रोकर्स इन्डेमिनिटी इश्योरेंस ऑन रोड कवर पशु धन बीमा पॉलिसी मेडीशील्ड प्लस पॉलिसी इवेंट केन्सिलेसन पॉलिसी

क्र. सं	जीवन बीमाकर्ता	उत्पाद / लक्षिका का नाम
12	नेशनल	यूनिवर्सल हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम बडौदा हेल्थ पॉलिसी ग्रामीण सुरक्षा बीमा ग्रामीण स्वास्थ्य बीमा आरएसबीवाई नेशनल स्वास्थ्य बीमा
13	न्यू इंडिया	यूनिवर्सल हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम
14	रहेजा क्यू बी ई	स्टैंडर्ड फायर एंड स्पेशल पॉलिस प्राइवेट कार पैकेज पॉलिसी इंडीविजुवल पर्सनल एक्सीडेंट
15	रिलायंस	होम लॉन प्रोटेक्ट पॉलिसी
16	रॉयल सुन्दरम	गो सेक्युर स्मार्ट प्रोटेक्ट डॉ कैश प्लस हेल्थ शील्ड इंश्योरेंस
17	श्रीराम जनरल	वर्कमैन्स कम्पनशेसन प्रोफेशनल इंडेमिटी - चिकित्सक मेडिकल आस्ट प्रो. नेगलिशेन्स इंश्योरेंस प्रोफेशनल इंडेमिटी - कैश / मैनेजमेंट कंसलटेन्स एडवोकेट्स मशीनरी ब्रेकडाउन इंश्योरेंस बोइलर प्रेशर प्लांट इंश्योरेंस इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट इंश्योरेंस कॉन्ट्रेक्टर्स प्लांट एंड मशीन कॉन्ट्रेक्टर्स ऑल रिस्क इंश्योरेंस इरेक्शन ऑल रिस्क इंश्योरेंस पॉलिसी पर्सनल एक्सीडेंट इंश्योरेंस हाउसहोल्डर्स अमबरेला इंश्योरेंस शॉपकीपर अमबरेला इंश्योरेंस बर्गरली इंश्योरेंस श्री सुरक्षा इंश्योरेंस मोटर प्राइवेट कार मोटर टू व्हीलर मोटर कॉमर्शियल व्हीकल मोटर ट्रेड मटर ट्रेड इंटरनल रिस्क मोटर प्राइवेट कार मोटर टू व्हीलर मोटर कॉमर्शियल व्हीकल मोटर ट्रेड स्टैंडर्ड फायर एंड स्पेशल पॉलिसी
18	स्टार यूनियन	स्टार हेल्थ गेन इंश्योरेंस पॉलिसी स्टार सुपर सरप्लस पॉलिसी - फैमिली फ्लोटर स्टार डेंटल केयर इंश्योरेंस पॉलिसी

क्र. सं	जीवन बीमाकर्ता	उत्पाद / लक्षिका का नाम
19	टाटा एआईजी	प्राइवेट क्लाइंट ग्रुप होम सेक्युर
20	यूनाइटेड इंडिया	यूनिवर्सल हेल्थ इश्योरेंस फोर बीपीएल फैमिलीज राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना टॉप अप मेडिकेयर पॉलिसी सुपर टॉप अप मेडिकेयर पॉलिसी आश्रय बीमा योजना
21	यूनिवर्सल सोमो	आपात सुरक्षा बीमा पॉलिसी मशीनरी ब्रेकडाउन फायर कॉन्सिक्विसेन्स लॉस पॉलिसी बर्गरली इश्योरेंस मोटर प्राइवेट कार पैकेज पॉलिसी फायर स्टैंडर्ड एंड स्पेशल पॉलिसी मरिन कार्गो स्पेसिफिक ट्रांसिट पॉलिसी मरिन ओपन एंड एनुअल सेल्स टर्नओवर पॉलिसी प्राइसिंग स्ट्रैटेजी एंड अंडरराइटिंग पॉलिसी इंडीविजुअल पर्सनल एक्सीडेंट पॉलिसी ग्रुप पर्सनल एक्सीडेंट पॉलिसी इंडीविजुअल हेल्थ इश्योरेंस पॉलिसी ओपनिंग ऑफ न्यू प्लेस ऑफ बिजनेस कैटल इश्योरेंस पॉलिसी ऑल रिस्क इश्योरेंस पॉलिसी फेडीलिटी गारंटी शॉपकीपर्स इश्योरेंस पॉलिसी फार्मर्स पैकेज पॉलिसी वर्कमैनस कॉम्पनजेशन पॉलिसी इलेक्ट्रॉनिक इक्वीपमेंट पॉलिसी ग्रुप हेल्थ इश्योरेंस पॉलिसी मोटर (टू व्हीलर) इश्योरेंस पॉलिसी मोटर (पैसेंजर केरियिंग व्हीकल) इश्योरेंस पॉलिसी मोटर (माल ढोने वाला) इश्योरेंस पॉलिसी मोटर (विविध व्हीकल) इश्योरेंस पॉलिसी कॉन्ट्रेक्टर्स ऑल रिस्क पॉलिसी इरेक्शन ऑल रिस्क इश्योरेंस हाउस होल्डर्स इश्योरेंस पॉलिसी ऑफिस पैकेज पॉलिसी ज्वेलर्स ब्लॉक इश्योरेंस पॉलिसी आईओबी हेल्थ केयर प्लस पॉलिसी बोईलर एंड प्रेशर प्लांट इश्योरेंस कॉन्ट्रेक्टर्स प्लांट एंड मशीनरी पॉलिसी मशीनरी / बोईलर लॉस ऑफ प्रोफिट पॉलिसी मनी पब्लिक लाइब्रिटी (व्यक्तिगत) पॉलिसी इंडीविजुअल ऑल रिस्क इश्योरेंस प्रोडक्ट्स लाइब्रिटी इश्योरेंस पब्लिक लाइब्रिटी (अधिनियम) पॉलिसी जनता पर्सनल एक्सीडेंट इश्योरेंस पॉलिसी पब्लिक लाइब्रिटी (गैर औद्योगिक) इश्योरेंस पॉलिसी मोटर ट्रेड इश्योरेंस पॉलिसी पॉलिट्री इश्योरेंस पॉलिसी

जीआईसी को प्राप्त जिम्मेदार सेशन

श्रेणी	रकम में सेशन की सीमा बीमाकृत या पीएमएल	पुर्नबीमा कमीशन लाभ कमीशन
अग्नि, आईएआर, एएल	रू. 100 करोड़ पीएमएल प्रति जोखिम	35% 25%
बड़े जोखिम	रू. 100 करोड़ पीएमएल प्रति जोखिम	लीड टर्मस 20%
मरिन कार्गो	रू. 10 करोड़ रकम प्रति पॉलिसी में बीमाकृत	25% 10% -36
वार एंड एसआरसीसी		महीने की समाप्ति पर
मरिन हल	रू. 16 करोड़ बीमाकृत प्रति वेसल के लिये	कुल जोखिम 5%
वार एंड एसआरसीसी		महायोग जोखिम 17.5%
मोटर	कोई सीमा नहीं	20% कुछ नहीं
कर्मचारियों का मुआवजा	कोई सीमा नहीं	20% कुछ नहीं
जनरल एविएशन हल	कोई सीमा नहीं	12.5% कुछ नहीं
सामान्य उडान दायित्व	कोई सीमा नहीं	12.5% कुछ नहीं
हवाई (एयरलाइन्स)	हल वेन लिये रू. 120 करोड़ एवं अन्य बीमाओं पर प्रति खतरे के लिये	औसत टर्म कुछ नहीं
तेल एवं उर्जा	रू. 15 करोड़ बीमाकृत प्रति जोखिम	5% 20% -36
		महीने की समाप्ति पर
सारे दायित्व संबंधी उत्पाद, वित्त दायित्व के अलावा	अमेरिका को मिलाकर प्रति पॉलिसी वेन लिये रू. 5 करोड़ / अमेरिका को निकालकर रू. 10 करोड़	25% कुछ नहीं
वित्त, ऋण एवं गारंटी लाइन, मार्गज कर्टिजेन्सी पॉलिसियाँ आदि	प्रति घटना के लिये रू. 10 करोड़ बीमाकृत	10% कुछ नहीं
कृषि / मौसम बीमा	प्रति घटना के लिये रू. 10 करोड़ बीमाकृत	20% कुछ नहीं
अन्य विविध	कोई सीमा नहीं *	25% कुछ नहीं
मशीन का खराब होना, बॉयलर एक्सप्लोजन तथा संबंधित लाभों का	रू. 30 करोड़ पीएमएल, लेकिन जहाँ पीएमएल 33.3% से ज्यादा होता है, वहाँ 90 करोड़ सामान का नुकसान एवं लाभों का नुकसान	30% 2 5 % राशि बीमावृत्त साथ में
ठेकेदार के सभी खतरे, खड़ा करने के सभी खतरे, लाभों का अग्रिम नुकसान, डीएसयू बीमा	रू. 60 करोड़ पीएमएल, लेकिन जहाँ पीएमएल 33.3% से ज्यादा होता है, वहाँ 180 करोड़ सामान का नुकसान एवं लाभों का नुकसान	30% 2 5 % राशि बीमावृत्त साथ में

**पंजीकृत दलाल (राज्यानुसार)
(30 सितम्बर 2009 को)**

क्र. सं.	राज्य	पंजीकृत दलालों की संख्या 30-09-2009 तक
1	आंध्र प्रदेश	19
2	चंडीगढ़	5
3	दिल्ली	59
4	गुजरात	11
5	हरियाणा	1
6	कर्नाटक	11
7	केरल	6
8	मध्य प्रदेश	3
9	महाराष्ट्र	95
10	पंजाब	12
11	राजस्थान	5
12	तमिलनाडु	27
13	उत्तर प्रदेश	15
14	पश्चिमी बंगाल	27
	कुल	296

प्राधिकरण द्वारा जारी किये गये परिपत्र / आदेश / नोटिफिकेशन 2008-09

क्रमांक	रिफ. नंबर	जारी करने की तिथि	विषय
1	001/आईआरडीए/ एसीटीएल /सीआईआर/अप्रैल-08	4/4/08	बीमाप्रदाताओं की वेबसाइट में दैनिक आधार पर प्रकाशित एनएवी सामान्य बीमा परिषद अधिनियम, 2008
2	002/ आईआरडीए /जीआईसी/एनएल/मई-08	5/12/08	श्री जीवी राव के स्थान पर श्री बीडी बेनर्जी सलाहकार समिति के सदस्य बने
3	003/ आईआरडीए / एनएल /नवंबर-06	5/14/08	गैर-जीवन उत्पादों के संदर्भ में नियम और शर्तों में स्वतंत्रता
4	आईआरडीए / एनएल /एफ एंड यू/005/मई08	5/14/08	
5	006 आईआरडीए /ओआरडी/लाइफ इंश्योरेंस कार्डसिल/ जुलाई 2008	7/4/08	श्री सीआर मुरलीधरन के स्थान पर श्री कुणाल प्रेम जीवन बीमा परिषद के कार्यकारी समिति के सदस्य बने
6	007 आईआरडीए /हेल्थ/एलएन/जुलाई08	7/14/08	स्वास्थ्य बीमा पालिसी के संबंध में प्रीमियम की गणना- पूर्ण आयु के संबंध गणना
7	009/ आईआरडीए /एफ एंड ए/अगस्त-08	8/13/08	प्राधिकरण द्वारा एमार्टइज्ड लागत से नीचे दिये गये ऋण प्रतिभूतियों के मूल्यांकन पर तथा साल्वेंसी मार्जिन के बाजार मूल्य की गणना पर दिये गये निर्देश पर मोहलत
8	010 आईआरडीए /सीआईआर/हेल्थ/एससी/अगस्त-08	8/19/08	वरिष्ठ नागरिकों के लिए पृथक श्रृंखला का सभी बीमाप्रदाता एवं टीपीए की ओर से गठन
9	011/ आईआरडीए /ब्रोकर./कमी./अगस्त-08	8/25/08	सामान्य बीमा कारोबार में कमीशन अथवा ब्रोकरेज के भुगतान पर सीमाW.e.f. 1.10.2008
10	आईएनवी/एलटीआर/012/2008-09	12/5/08	डेट / डिबेंचर / इचिटी / लोन / अन्य निवेश की स्वीकृति के लिए बीमाप्रदाताओं द्वारा तय किये गये आंतरिक मानक जो बोर्ड/निवेश समिति द्वारा स्वीकृत हों।
11	013/ आईआरडीए /एटीआई/ सीआईआर /अक्टूबर-08	10/6/08	अधिकर्ता प्रशिक्षण संस्थाओं का प्रत्यायन एवं नवीनीकरण डूब्लैकट एप्रूवल 31 दिसंबर 2008 तक
12	15 आईआरडीए /ओआरडी/अक्टूबर/08-09	10/10/08	एजेंसी कार्पोरेट एजेंसी फीस का भुगतान
13	018/ आईआरडीए /ओआरडी/अक्टूबर-2008	10/17/08	पंजीकरण प्रमाणपत्र के नवीनीकरण के लिए लगने वाले शुल्क का भुगतान
14	019/ आईआरडीए / एनएल /एफ एंड यू/अक्टूबर-08	11/6/08	सामान्य बीमा उत्पादों के लिए फाइल एंड यूज गाइडलाइन- कवर के लिए नियम और शर्तों में छूट
15	021/ आईआरडीए /एचआई/एचडीएफजी/08-09	11/14/08	स्वास्थ्य बीमा व्यवसाय के संदर्भ में अर्धवार्षिक इलेक्ट्रॉनिक रिटर्न जमा करना।
16	022/ आईआरडीए /एमएमएमएल/नवंबर 08	11/24/08	बीमाप्रदाताओं के एंटी-मनी लाँड्रिंग कार्यक्रम के लिए मुख्य परिपत्र

क्रमांक	रिफ. नंबर	जारी करने की तिथि	विषय
17	023/ आईआरडीए /एचआई/टीपीए/सीआईआर/नवंबर-08	11/25/08	टीपीए के प्रदर्शन के मूल्यांकन के लिए बनी समिति का गठन
18	024/ओआरडी/ आईआरडीए /एफएंडआई/नवंबर-08	11/27/08	प्रथम पांच वर्षों के लिए प्रबंधन के खर्च पर सीमा
19	25/ आईआरडीए/ एसीटीएल /आरएसएम/2008-09	12/17/08	जीवन बीमा व्यवसाय में साल्वेंसी मार्जिन का निर्धारण
20	आईआईआईएसएलए/ईएलई/डीआईआर	11/12/08	आईआईआईएसएलए का काउंसिल के चुनाव के मुद्दे पर निर्देशन
21	026/ आईआरडीए /एसयूआर/ सीआईआर /दिसंबर-08	12/22/08	वर्गीकृत सर्वेयर के लिए सर्वे हानि सीमा- बीमाप्रदाता को दी हुई
22	आईआरडीए /आईएनवी/ सीआईआर /027/2008-09	12/26/08	डेट / इचिटी वर्ग में निवेश के मानकों पर दी गई छूट
23	028 आईआरडीए / सीआईआर /डीएफ/टीएसी/दिसंबर-08	12/30/08	सामान्य बीमा कारोबार के संबंध में जमा की जाने वाली अर्धवार्षिक इलेक्ट्रॉनिक रिपोर्ट
24	029/ आईआरडीए / एसीटीएल /आरएसएम/2008-09	1/1/09	जीवन बीमा कारोबार के संबंध में आवश्यक साल्वेंसी के निर्धारण पर
25	30/ आईआरडीए /एएमएल/जनवरी-09	13/1/09	उजबेकिस्तान, ईरान, पाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, साओ टोमे प्रिंसिप, साइप्रस का उत्तरी भाग
26	32/ आईआरडीए / एसीटीएल /एआरए/वीईआर.6.0	1/20/09	2008-09 को अंत हुए वर्ष के एक्जुरियल रिपोर्ट एवं सार हेतु नियुक्त किये गये एक्जुरी के उपयोग पर नोट
27	33/ आईआरडीए / एसीटीएल /एएएआर/वीईआर.4.0	1/20/09	नियुक्त एक्जुरी की वार्षिक रिपोर्ट- जीवन बीमा व्यवसाय
28	आईआरडीए /34/एफएफ/08-09	1/21/09	विदेशों में भारतीय बीमाप्रदाताओं द्वारा प्रतिनिधि/ संपर्क कार्यालय खोले ने जाने पर संशोधित मार्गदर्शन(आईआरडीए द्वारा विनियमित)
29	035/ आईआरडीए /ओआरडी/टीपीए/फरवरी-09	2/6/09	मेसर्स डान सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड के टीपीए लाइसेंस को नवीनीकृत नहीं किया जाना।
30	37 आईआरडीए /जीआरएम/सीआईआरएल/2009	2/11/09	पालिसीधारकों एवं अन्य हितधारियों को विशेष सूचनाओं का खुलासा
31	39/ आईआरडीए /एएमएल/ सीआईआर /फरवरी-09	2/26/09	प्रीमियम/ प्रपोजल के भुगतान के लिए नगद स्वीकार्य सीमा

क्रमांक	रिफ. नंबर	जारी करने की तिथि	विषय
32	42/ आईआरडीए / एसीटीएल /ईएम/2008-09	3/13/09	प्रबंधन का व्यय- जीवन बीमा कंपनियां
33	43/ आईआरडीए / एसीटीएल /एएसएम/2008-09	3/13/09	साल्वेंसी मार्जिन तक पहुंचने के लिए स्क्रिप- वार उपलब्ध निवेश
34	043/ आईआरडीए / सीआईआर /सीओएमपी/मार्च-09	3/17/09	एम्पलाई स्टॉक ऑप्शन प्लान(ईसाप) / सीईओ/ एमडी / डब्ल्यू टी निदेशक को दी गई स्वीट इचिटी
35	आईआरडीए /429/2/एफ एंड ए/ओआरडी/45/मार्च-09	3/20/09	अनुच्छेद 32 बी एवं सी का अनुपालन नहीं करने पर न्यू इंडिया एश्योरेंस पर लेवी आफ पेनाल्टी
36	आईआरडीए /429/2/एफ एंड ए/ओआरडी/46/मार्च-09 पर नेशनल इश्योरेंस कंपनी लिमिटेड पर लेवी आफ पेनाल्टी	3/20/09	अनुच्छेद 32 बी एवं सी का अनुपालन नहीं करने
37	आईआरडीए /429/2/एफएंड ए/ओआरडी/47/मार्च-09	3/20/09	अनुच्छेद 32 बी एवं सी का अनुपालन नहीं करने पर इफको-टोकियो
38	आईआरडीए /429/2/एफ एंड ए/ओआरडी/48/मार्च-09	3/19/09	सामान्य बीमा कंपनी पर लेवी आफ पेनाल्टी न्यू इंडिया एश्योरेंस पर अनुच्छेद 14(1) का अनुपालन नहीं करने पर लेवी आफ पेनाल्टी
39	आईआरडीए /एफ एंड ए/ सीआईआर /49/मार्च-09	3/24/09	असमाप्त जोखिम के लिए कोष(रिजर्व) का निर्माण
40	52/15/ आईआरडीए /हेल्थ/एसएन/08-09	3/31/09	स्वास्थ्य बीमा पालिसी का नवीनीकरण
41	004/ आईआरडीए /एफ एंड ए/ सीआईआर /अप्रैल 09	4/22/09	सांविधिक लेखापरीक्षकों की नियुक्ति
42	आईआरडीए /एजेंट्स/ओआरडी/02/अप्रैल 09	4/5/09	वितरक शृंखलाओं को देखने के लिए समिति का गठन
43	005/ आईआरडीए /एफ एंड ए/ सीआईआर /मई-09	7/5/09	वित्तीय विवरणों के खुलासे वाले हिस्से
44	006/ आईआरडीए /एफ एंड ए/ सीआईआर /मई-09	11/5/09	पेंशन फंड मैनेजर(पीएफएमएस)/प्वाइंट आफ प्रेंजेंस (पीओपी)
45	007/ आईआरडीए /मोटर-टीपी/मई-09	5/15/09	बीमा अधिनियम यू/एस 34 के निदेश-भारतीय मोटर तृतीय पक्ष बीमा कोष-प्रशासनिक शुल्क
46	सीआईआर/011/3/हेल्थ/एसएन/09-10	5/25/09	वरिष्ठ नागरिकों के लिए स्वास्थ्य बीमा
47	12/ आईआरडीए /एफ एंड ए/मई-09	5/26/09	बची हुई राशि के लिए समझौता / बीमा व्यवसाय कर रही ईकाईयों से ली गई राशि
48	आईआरडीए /लाइफ/ सीआईआर /13/2009	4/22/09	इस्तेमाल कर देखों अवधि के दौरान बीमाप्रदाता द्वारा पालिसी को छोड़े जाने पर काटे गये आनुपातिक जोखिम प्रीमियम को अनुमति न देना।

क्रमांक	रिफ. नंबर	जारी करने की तिथि	विषय
49	आईआरडीए /एफ एंड ए/ सीआईआर /014/मई-09	5/29/09	1938 बीमा एक्ट 1938 के अनुच्छेद 49 के अंतर्गत बोनस की घोषणा
50	आईआरडीए /एजेंट्स/ओआरडी/ 17 /जुलाई 2009	3/7/09	निगमित बीमा अभिकर्ता एवं अभिकर्ता प्रशिक्षण संस्थाओं के फैकल्टी की योग्यता पर मार्गदर्शन
51	018/ एएमएल- सीआईआर / आईआरडीए /ई-पेमेंट्स/जुलाई-09	9/7/09	जीवन बीमा कंपनियों द्वारा किये गये ई-भुगतान
52	आईआरडीए /डीसी/ सीआईआर /19/जुलाई 09	7/13/09	आईआरडीए आंकड़ा केंद्र में आंकड़ों का जमा करना
53	20/ आईआरडीए / एसीटीएल /यूलिप/09-10	7/22/09	यूनिट लिंकड उत्पाद- शुल्कों पर नियंत्रण
54	021/ आईआरडीए /लाइफ/पीएन/जुलाई-2009	7/23/09	बीमा उत्पादों के लिए परमानेंट एकाउंट नंबर(PAN) की आवश्यकता
55	आईएनवी/ सीआईआर /023/2009-10	4/8/09	निवेश जोखिम प्रबंधन व्यवस्था का लेखा एवं प्रणाली, आंतरिक/ समवर्ती का लेखा
56	आईआरडीए एजेंट्स /ओआरडी/25 / अगस्त 2009	6/8/09	निगमित अभिकर्ता की बीमा योग्यता
57	27/ आईआरडीए / एसीटीएल /गैर-जीवन/2009-10	8/13/09	नियुक्त एक्जुअरी की भूमिका
58	028/ आईआरडीए /लाइफ/पैन/अगस्त-2009	8/18/09	बीमा उत्पादों में पैन की भूमिका
59	29/ आईआरडीए / एसीटीएल /यूलिप्स/09-10	8/20/09	यूनिट लिंकड उत्पाद- शुल्कों में नियंत्रण
60	30/ आईआरडीए /एएमएल/ सीआईआर /अगस्त-09	8/24/09	एंटी मनी लाँड्रिंग(एएमएल) मार्गदर्शन(प्रमुख परिपत्र)
61	आईआरडीए /एनएल/ सीआईआर /000/004/01/2009	1/21/09	विदेशों में भारतीय बीमाप्रदाताओं द्वारा प्रतिनिधि/ संपर्क कार्यालय खोले ने जाने पर संशोधित मार्गदर्शन(आईआरडीए द्वारा विनियमित)
62	आईआरडीए /एनएल/ सीआईआर /ऋद्ध/042/08/2009	10/19/09	सूचना के अधिकार के प्रश्नों का जवाब
63	आईआरडीए /एनएल/ सीआईआर /आरटीआई/041/08/2009	8/24/09	सूचना के अधिकार के प्रश्नों का जवाब
64	आईआरडीए /एनएल/ सीआईआर /एमपीएल/022/05/2009	5/15/09	भारतीय मोटर तृतीय पक्ष बीमा कोष- प्रशासनिक शुल्क

31 मार्च, 2009 को समाप्त हुये वित्त वर्ष के लिये वार्षिक लेखा विवरण

प्रपत्र ए
बीमा विनियामक तथा विकास प्राधिकरण, हैदराबाद
31 मार्च 2009 को तुलन पत्र

पूर्व वर्ष के लिए आंकड़े (रु.) (2007-08)	दायित्व	चालू वर्ष के लिए आंकड़े (रु.) (2008-09)	पूर्व वर्ष के लिए आंकड़े (रु.) (2007-08)	परिसंपत्तियाँ
सामान्य कोष				
i) आइआरडीए कोष (टिप्पणी 4 देखें)				
893,244	- वर्ष के प्रारंभ में	893,244	32,999,688	परिसंपत्तियों का शुद्ध बॉक
-	- वर्ष में प्राप्ति	-	21,884,468	घटाएँ : अमूल्य
893,244	- वर्ष के अंत में शेष	893,244	11,115,220	परिसंपत्तियों का कुल बॉक
ii) पूंजी निधि				
-	- पूंजी अनुदान	-	-	निवेश (टिप्पणी 2 देखें)
-	- वर्ष के प्रारंभ में शेष	-	-	- (मूल्यांकन की विधि-लागत पर)
-	जोड़े : वर्ष के दौरान अनुदान के रूप में प्राप्त	-	-	- i) केन्द्रीय तथा राज्य सरकार की प्रतिभूतियाँ
-	स्थायी परिसंपत्तियों का मूल्य	-	-	- ii) इकाईयें
-		-	3,375,387,177	iii) अनुसूचित बैंक के साथ स्थायी जमाएँ
				iv) अन्य
1,968,280,808	iii) अतिशेष तथा कोष	2,916,176,197		वर्तमान परिसंपत्तियाँ, ऋण तथा अग्रिम (नोट 3 देखें)
	- निछले तुलन पत्र के अनुसार जमा			
947,895,389	जोड़े : आय तथा व्यय खाते के अनुसार व्यय	1,211,155,021		
	से अधिक आय - संतान			
-	घटाएँ : आय तथा व्यय खाते के अनुसार	-	880,306	i) अभिकरणों के पास जमाएँ
2,916,176,197	आय से अधिक व्यय - संतान	4,127,331,218	38,873,030	ii) स्टॉक को ऋण तथा अग्रिम
	- वर्ष के अंत में शेष	-	106,500	iii) बीमा कंपनियों तथा अन्य से देय राशियाँ
			114,871,246	iv) अन्य वर्तमान परिसंपत्तियाँ
- iv) उपहार तथा दान		-		v) नकद तथा बैंक जमाएँ
- v) अन्य जमाएँ		-	55,000	क) हथ रोकड (हाथ में बैंक तथा व्यवहारित नकद राशि सहित)
			6,278,088	ख) बैंक शेष
ऋण				
- i) सुरक्षित (प्रोजेक्ट के लिए प्रस्तुत सुझा बताएँ)		-		
- ii) असुरक्षित		-		
- iii) भारत सरकार से प्राप्त ऋण		-		
- iv) अन्य ऋण		-		
वर्तमान दायित्व तथा प्राक्कान				
[टिप्पणी 5 देखें]				
i) विविध लेनदार :				
58,676	- पूंजीगत मदों के लिए	-		
24,827,208	- अन्य मदों के लिए	25,521,239		
ii) प्राक्कान:				
106,500	- संदिग्ध कर्ज और अग्रिमों के लिए प्राक्कान	106,500		
-	- निवेश के मान में गिरावट के लिए प्राक्कान	-		

बीमा विनियामक तथा विकास प्राधिकरण, हैदराबाद
31 मार्च 2009 को तुलन पत्र

पूर्व वर्ष के लिए आंकड़े (रु.) (2007-08)	दायित्व	चालू वर्ष के लिए आंकड़े (रु.) (2008-09)	पूर्व वर्ष के लिए आंकड़े (रु.) (2007-08)	परिसंपत्तियाँ
iii) अन्य दायित्वः				
-	1. अव्ययित अनुदान	-	-	
-	2. शासकीय/अन्य ऋणों पर भुगतान योग्य ब्याज	-	-	
550,574	3. भविष्य निधि, सेवानिवृत्ति तथा अन्य कल्याणकारी कोषः (क) भविष्य निधि (ख) अन्य कल्याणकारी कोष (ग) सेवा निवृत्ति कोष तथा स्टॉफ कल्याण कोषः	757,070 14,210,010		
9,997,247	4. अन्य (निर्दिष्ट करें) - अन्य दायित्व (स्त्रोत पर कर कटौती) - पेशगी प्राप्त पंजीयन नवीनीकरण शुल्क - सॉफ्ट फ़र्निशिंग रिकवरी लेखा ओवरड्राफ्ट	1,549,804 760,958,032 107,377 4,937,418		
766,533				
594,071,311				
119,077				
-				
3,547,566,567		4,936,371,912	3,547,566,567	

महत्वपूर्ण लेखा को तैयार करने वाले हिस्सों की पॉलिसियाँ तथा टिप्पणियाँ – संलग्नक IX

टिप्पणियाँ

1. स्थायी परिसंपत्तियों से संबंधित सूचनाएँ संलग्नक 1 में दी गई हैं।
2. निवेश से संबंधित सूचना संलग्नक 2 में दी गई हैं।
3. वर्तमान परिसंपत्तियाँ, ऋण तथा अग्रिम से संबंधित जानकारी संलग्नक 3 में दी गई है।
4. आईआरडीए कोष के विवरण संलग्नक 4 में दिए गए हैं। (कोष में अधिनियम की धारा 16 के अन्तर्गत केन्द्र सरकार, अन्य संगठन तथा निकायों से प्राप्त अनुदान शामिल हैं)
5. आकस्मिक दायित्वों के विवरण संलग्नक 5 में दिए गए हैं।
6. महत्वपूर्ण लेखा पॉलिसियाँ तथा लेखों के भागों को तैयार करने वाली टिप्पणियों से संबंधित सूचनाएँ संलग्नक 9 में दी गई हैं।
7. व्यवसाय के विवरण तथा टिप्पणियों/लेखाओं के भागों को बनाने वाली लेखा पॉलिसियों से संबंधित सूचनाओं के समस्त संलग्नक।

(एन श्रीनिवासा राव)
मुख्य लेखा अधिकारी

(जी प्रभाकरा)
सदस्य

(आर कन्नन)
सदस्य

(के के श्रीनिवासन)
सदस्य

(सी आर मुरलीधरन)
सदस्य

(जे हरि नारायण)
अध्यक्ष

प्रपत्र ब
बीमा विनियामक तथा विकास प्राधिकरण, हैदराबाद
31 मार्च 2009 को समाप्त वर्ष के लिए आय तथा व्यय खाता

पूर्व वर्ष के लिए आकड़े (रु.) (2007-08)	व्यय	चालू वर्ष के लिए आकड़े (रु.) (2008-09)	पूर्व वर्ष के लिए आकड़े (रु.) (2007-08)	आय
4,322,264 अध्यक्ष और सदस्यों को भुगतान		17,103,354 अनुदान		
52,298,640 स्टॉक सदस्यों को भुगतान तथा प्रावधान (टिप्पणी 1 देखें)		83,177,191 - प्राप्त		
58,976,488 स्थापना व्यय (टिप्पणी 2 देखें)		67,103,197 - प्राप्ति योग्य		
1,657,283 भाड़ा		9,902,866 - घटाएँ : पूंजी निधि में हस्तांतरित		
- अनुसंधान तथा परामर्श शुल्क		शुल्क :		
- सेमिनार, अधिवेशन, प्रकाशन आदि (प्रतिदर्स देखें)		पंजीकरण शुल्क		
- व्याज		2,112,455 सर्वेक्षक शुल्क		
4,244,625 असमूल्य		250,000 बीमाकर्ता शुल्क		
बट्टे खाते में डाली गई पूंजीगत परिसंपत्तियाँ		अभिकर्ता शुल्क		
परिसंपत्तियों के बट्टे खाते खाते जाने पर हानि		690,000 बोरर शुल्क		
- संदिग्ध ऋण तथा अभिमाँ के लिए प्रावधान		50,000 टीपीए शुल्क		
विकास व्यय		-		
2,268,079 विज्ञापन संबंधी व्यय		25,607,734 नवीनीकरण शुल्क		
242,143 अन्य व्यय		275,240 अनुज्ञप्ति का नवीनीकरण - बीमाकर्ता		
1,307,936 अनुपंगी लाम कर		2,149,862 अनुज्ञप्ति का नवीनीकरण - अभिकर्ता		
947,895,389 वर्ष के लिए अंग्रेजी की गई व्यय से अधिक आय		1,211,155,021 अनुज्ञप्ति का नवीनीकरण - दत्ताल		
		390,100 अनुज्ञप्ति का नवीनीकरण - टीपीए		
		अन्य		
		2,501,601 शास्त्रियाँ, अर्धदण्ड आदि		
		सेमिनार, अधिवेशन तथा प्रकाशन आदि		
		निकास से आय - अनुसूचित बैंकों में जमा राशियों पर व्याज		
		274,106,946 जमाओं पर व्याज		
		अभिमाँ पर व्याज		
		1,153,748 i) अवसीय तथा अन्य प्रयाजनों से स्टॉक सदस्यों को प्रदत्त		
		ii) अन्य		
		2,770,726 विविध आय		
1,073,212,847		1,420,854,440	1,073,212,847	

महत्वपूर्ण लेखा को तैयार करने वाले हिसाब की पोलिसियाँ तथा टिप्पणियाँ - संलग्नक IX
कर्मचारियों को भुगतान तथा उनके लिए प्रकाशन से संबंधित सूचना संलग्नक 6 में दी गई है।
स्थापना व्यय से संबंधित सूचना संलग्नक 7 में दी गई है।
व्याज सौंप से संबंधित सूचना संलग्नक 8 में दी गई है।
आय तथा व्यय खाते के सभी संलग्नक तथा लेखा के हिसाब को तैयार करने वाली महत्वपूर्ण लेखा नीतियों से संबंधित टिप्पणियाँ/सूचनाएँ

(एन श्रीनिवासा राव) मुख्य लेखा अधिकारी	(जी प्रभाकरा) सदस्य	(आर कन्नन) सदस्य
(के के श्रीनिवासन) सदस्य	(सी आर मुरलीधरन) सदस्य	(जे हरि नारायण) अध्यक्ष

प्रपत्र सी
बीमा विनियामक तथा विकास प्राधिकरण, हैदराबाद
31 मार्च, 2009 को समाप्त हुए वर्ष के लिए प्राप्तिर्था तथा भुगतान खाता

क्र. सं.	प्राप्तिर्था	राशि (रु.)	क्र. सं.	भुगतान
1	अग्रणीत जमा		1	शोध तथा परामर्श शुल्क
	बैंक में नगद	6,278,088	2	सेमिनार, अधिवेशन, प्रकाशन आदि से
	हथ रोकड़	55,000	3	भाड़ा भुगतान से
	हथ में बैंक	-	4	विकास व्यय से
	पारगमन में नगद/बैंक	-	5	विज्ञापन व्यय से
2	पंजीयन शुल्क	350,000	6	अध्यक्ष और सचिवों को भुगतान द्वारा
	- बीमा कंपनियों		(i)	वेतन तथा भत्ते
	- तृतीय पक्ष प्रशासक टीपीए		(ii)	अन्य लाभ
	- बीमा ब्रोकर्स	646,000	(iii)	यात्रा व्यय
	- बीमा अधिकर्ता		स्थापना व्ययों से	
	- बीमा सर्वेयर	2,752,030	(i)	वेतन तथा भत्ते
	- अन्य		(ii)	अन्य लाभ
3	पंजीकरण नवीकरण शुल्क		(iii)	यात्रा व्यय
	- बीमा कंपनियों	728,699,518	(iv)	सेवानिवृत्ति लाभ
	- तृतीय पक्ष प्रशासक टीपीए	360,000	कार्यालय व्ययों से	
	- बीमा सर्वेयर		ब्याज द्वारा	
	- बीमा अधिकर्ता	453,274,000	(i)	सरकारी ऋणों से
	- बीमा ब्रोकर्स	21,655,305	(ii)	अन्य ऋणों से
	- अन्य		परिसंपत्तियों की खरीदी से	
4	बीमाकर्ता तथा मध्यस्थों से प्राप्त शास्तिर्था तथा अर्थदण्ड		चल रहे पूंजीगत कार्यो से	
5	सेमिनार, अधिवेशन आदि	1,612,842	स्टॉफ तथा अन्यो को अग्रिम तथा यात्रा भत्ता अग्रिम	
6	निवेशों से आय		निवेश से	
7	निवेशों से विक्रय		सरकारी ऋणों/शुल्कों के पुनर्भुगतान से	
8	अनुदान	3,305,387,177	अन्य ऋणों के पुनर्भुगतान से	
	i) केन्द्रीय सरकार/राज्य सरकार/अन्य		अन्य व्ययों से	
	ii) उपहार तथा दान		आईआईआरएम को भुगतान से	

प्रपत्र सी
बीमा विनियामक तथा विकास प्राधिकरण, हैदराबाद
31 मार्च, 2009 को समाप्त हुए वर्ष के लिए प्रारितियाँ तथा भुगतान खाता

क्र. सं.	प्राप्तियाँ	राशि (रु.)	क्र. सं.	भुगतान
9	ऋण		18	अनुसंगी लाभ कर से
10	प्रकाशनों आदि के विक्रय		19	सुरक्षा जमा के भुगतान से
11	परिसंपत्तियों के विक्रय	14,792	i)	बैंक में नगद
12	ब्याज प्राप्त			बैंक ऑफ इंडिया, बरीरबाग शाखा
	- जमाओं पर			आईसीआईसीआई बैंक, हिमावतनगर शाखा
	- अभिर्भों पर	326,399,552		आईओबी
	- अन्य			स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, परिश्रम भवन शाखा
13	कर्मचारियों से वसूली		ii)	हाथ में नगद
	(क) ऋण तथा अभिर्भ	4,532,511		आईआरडीए, हैदराबाद
	(ख) ऋण तथा अभिर्भों पर ब्याज	1,879		दिल्ली कार्यालय
	(ग) विविध वसूलियाँ			दिल्ली अतिथि गृह
14	अन्य प्राप्तियाँ		iii)	हाथ में बैंक
	(क) विविध आय	167,164	iv)	पारगमन में नगद/बैंक
	(ख) ठेकेदारों से सुरक्षा जमा			
	(ग) पुनः प्राप्त सुरक्षा जमा	6,501		
	(घ) बैंक खाते पर ब्याज			
15	बैंक ऑफ इंडिया खाते में बुक ओवर ड्राप्टदेबें	4,937,418		
		<u>4,857,129,777</u>		

(एन श्रीनिवासा राव) मुख्य लेखा अधिकारी	(जी प्रभाकरा) सदस्य	(आर कन्नन) सदस्य
(के के श्रीनिवासन) सदस्य	(सी आर मुरलीधरन) सदस्य	(जे हरि नारायण) अध्यक्ष

संलग्नक I
बीमा विनियामक तथा विकास प्राधिकरण, हैदराबाद
31 मार्च, 2009 को तुलन पत्र के संलग्नक तथा भाग के रूप में-स्थायी परिसंपत्तियों की सूची

विवरण	शुद्ध ब्लॉक		अवमूल्यन		शुद्ध ब्लॉक	
	01.04.2008 को वर्ष के दौरान मूल्य	वर्ष के दौरान जोड़	वर्ष के दौरान बचा/निपटारा गया	31.03.2009 को योग	01.04.2008 वर्ष के लिए समायोजन	31.03.2009 तक
कार्यालय परिसर						
(क) भूमि	-	-	-	-	-	-
(ख) भवन	-	-	-	-	-	-
आवासीय फ्लेट्स						
(क) भूमि	-	10,000	-	10,000	-	-
(ख) भवन	-	-	-	-	-	-
वाहन	577,255	520,289	-	1,097,544	479,953	519,907
उपकरण	6,364,166	201,575	10,000	6,555,741	2,965,620	3,619,901
फर्नीचर तथा उपस्कर	6,915,177	1,803,504	-	8,718,681	3,527,701	4,684,439
कम्प्यूटर	18,350,317	2,989,092	581,350	20,758,059	14,118,421	16,040,831
पुस्तकें	792,773	29,951	-	822,724	792,773	822,724
योग	32,999,688	5,554,411	591,350	37,962,749	21,884,468	25,687,801
					4,379,975	576,642
					576,642	12,274,948
					576,642	11,115,220

एन श्रीनिवासा शव	जि प्राभाकरा	आर कन्न	जे हरि नारायण
मुख्य लेखा अधिकारी	सदस्य	सदस्य	अध्यक्ष

संलग्नक-II
बीमा विनियामक तथा विकास प्राधिकरण, हैदराबाद
31 मार्च, 2009 को तुलन पत्र के संलग्नक तथा भाग के रूप में
निवेश

बैंक	एफडीआर संख्या	प्रारंभिक तिथि	परिपक्वता तिथि	अवधि	31.3.2009	जमा धनराशि	ब्याज का प्रतिशत	उपार्जित ब्याज परन्तु देय नहीं
					को शेष दिनों की संख्या			
आंध्रा बैंक	21419	16/12/08	16/12/09	365	105	9500000	9.75%	267371
आंध्रा बैंक	21420	16/12/08	16/12/09	365	105	9500000	9.75%	267371
आंध्रा बैंक	21421	16/12/08	16/12/09	365	105	9500000	9.75%	267371
आंध्रा बैंक	209709	23/12/08	23/12/09	365	98	9500000	9.75%	249180
आंध्रा बैंक	209710	23/12/08	23/12/09	365	98	9500000	9.75%	249180
आंध्रा बैंक	209711	23/12/08	23/12/09	365	98	9500000	9.75%	249180
आंध्रा बैंक	209712	23/12/08	23/12/09	365	98	9500000	9.75%	249180
आंध्रा बैंक	209713	23/12/08	23/12/09	365	98	9500000	9.75%	249180
आंध्रा बैंक	209732	26/12/08	26/12/09	365	95	9500000	9.75%	241384
आंध्रा बैंक	209733	26/12/08	26/12/09	365	95	9500000	9.75%	241384
आंध्रा बैंक	209734	26/12/08	26/12/09	365	95	9500000	9.75%	241384
आंध्रा बैंक	209735	26/12/08	26/12/09	365	95	9500000	9.75%	241384
आंध्रा बैंक	209736	26/12/08	26/12/09	365	95	9500000	9.75%	241384
आंध्रा बैंक	209743	27/12/08	27/12/09	365	94	9500000	9.75%	238785
आंध्रा बैंक	209744	27/12/08	27/12/09	365	94	9500000	9.75%	238785
आंध्रा बैंक	209745	27/12/08	27/12/09	365	94	9500000	9.75%	238785
आंध्रा बैंक	209746	27/12/08	27/12/09	365	94	9500000	9.75%	238785
आंध्रा बैंक	209747	27/12/08	27/12/09	365	94	9500000	9.75%	238785
आंध्रा बैंक	21460	30/12/08	30/12/09	365	91	9500000	9.75%	230989
आंध्रा बैंक	21461	30/12/08	30/12/09	365	91	9500000	9.75%	230989
आंध्रा बैंक	21458	30/12/08	30/12/09	365	91	9500000	9.75%	230989
आंध्रा बैंक	21459	30/12/08	30/12/09	365	91	9500000	9.75%	230989
आंध्रा बैंक	209768	30/12/08	30/12/09	365	91	100000000	9.50%	2369103
आंध्रा बैंक	411418	05/03/09	05/03/10	365	26	9000000	8.00%	51288
आंध्रा बैंक	411419	05/03/09	05/03/10	365	26	9000000	8.00%	51288
आंध्रा बैंक	411420	05/03/09	05/03/10	365	26	9000000	8.00%	51288
आंध्रा बैंक	411421	05/03/09	05/03/10	365	26	9000000	8.00%	51288
आंध्रा बैंक	411605	31/03/09	31/03/10	365	0	9000000	8.00%	0
आंध्रा बैंक	411606	31/03/09	31/03/10	365	0	9000000	8.00%	0
आंध्रा बैंक	411607	31/03/09	31/03/10	365	0	9000000	8.00%	0
आंध्रा बैंक	411608	31/03/09	31/03/10	365	0	9000000	8.00%	0
आंध्रा बैंक	411609	31/03/09	31/03/10	365	0	9000000	8.00%	0
आंध्रा बैंक	411610	31/03/09	31/03/10	365	0	9000000	8.00%	0
आंध्रा बैंक	411611	31/03/09	31/03/10	365	0	9000000	8.00%	0
आंध्रा बैंक	411612	31/03/09	31/03/10	365	0	9000000	8.00%	0
आंध्रा बैंक	411613	31/03/09	31/03/10	365	0	9000000	8.00%	0
आंध्रा बैंक	411614	31/03/09	31/03/10	365	0	9000000	8.00%	0
आंध्रा बैंक	411615	31/03/09	31/03/10	365	0	9000000	8.00%	0
आंध्रा बैंक	411616	31/03/09	31/03/10	365	0	9000000	8.00%	0
आंध्रा बैंक	411617	31/03/09	31/03/10	365	0	9000000	8.00%	0

वार्षिक रिपोर्ट 2008-2009

बैंक	एफडीआर संख्या	प्रारंभिक तिथि	परिपक्वता तिथि	अवधि	31.3.2009		जमा धनराशि	ब्याज का प्रतिशत	उपार्जित ब्याज परन्तु देय नहीं
					को शेष दिनों की संख्या				
आंध्रा बैंक	21419	16/12/08	16/12/09	365	105	9500000	9.75%	267371	
आंध्रा बैंक	21420	16/12/08	16/12/09	365	105	9500000	9.75%	267371	
आंध्रा बैंक	21421	16/12/08	16/12/09	365	105	9500000	9.75%	267371	
आंध्रा बैंक	209709	23/12/08	23/12/09	365	98	9500000	9.75%	249180	
आंध्रा बैंक	209710	23/12/08	23/12/09	365	98	9500000	9.75%	249180	
आंध्रा बैंक	209711	23/12/08	23/12/09	365	98	9500000	9.75%	249180	
आंध्रा बैंक	209712	23/12/08	23/12/09	365	98	9500000	9.75%	249180	
आंध्रा बैंक	209713	23/12/08	23/12/09	365	98	9500000	9.75%	249180	
आंध्रा बैंक	209732	26/12/08	26/12/09	365	95	9500000	9.75%	241384	
आंध्रा बैंक	209733	26/12/08	26/12/09	365	95	9500000	9.75%	241384	
आंध्रा बैंक	209734	26/12/08	26/12/09	365	95	9500000	9.75%	241384	
आंध्रा बैंक	209735	26/12/08	26/12/09	365	95	9500000	9.75%	241384	
आंध्रा बैंक	209736	26/12/08	26/12/09	365	95	9500000	9.75%	241384	
आंध्रा बैंक	209743	27/12/08	27/12/09	365	94	9500000	9.75%	238785	
आंध्रा बैंक	209744	27/12/08	27/12/09	365	94	9500000	9.75%	238785	
आंध्रा बैंक	209745	27/12/08	27/12/09	365	94	9500000	9.75%	238785	
आंध्रा बैंक	209746	27/12/08	27/12/09	365	94	9500000	9.75%	238785	
आंध्रा बैंक	209747	27/12/08	27/12/09	365	94	9500000	9.75%	238785	
आंध्रा बैंक	21460	30/12/08	30/12/09	365	91	9500000	9.75%	230989	
आंध्रा बैंक	21461	30/12/08	30/12/09	365	91	9500000	9.75%	230989	
आंध्रा बैंक	21458	30/12/08	30/12/09	365	91	9500000	9.75%	230989	
आंध्रा बैंक	21459	30/12/08	30/12/09	365	91	9500000	9.75%	230989	
आंध्रा बैंक	209768	30/12/08	30/12/09	365	91	100000000	9.50%	2369103	
आंध्रा बैंक	411418	05/03/09	05/03/10	365	26	9000000	8.00%	51288	
आंध्रा बैंक	411419	05/03/09	05/03/10	365	26	9000000	8.00%	51288	
आंध्रा बैंक	411420	05/03/09	05/03/10	365	26	9000000	8.00%	51288	
आंध्रा बैंक	411421	05/03/09	05/03/10	365	26	9000000	8.00%	51288	
आंध्रा बैंक	411605	31/03/09	31/03/10	365	0	9000000	8.00%	0	
आंध्रा बैंक	411606	31/03/09	31/03/10	365	0	9000000	8.00%	0	
आंध्रा बैंक	411607	31/03/09	31/03/10	365	0	9000000	8.00%	0	
आंध्रा बैंक	411608	31/03/09	31/03/10	365	0	9000000	8.00%	0	
आंध्रा बैंक	411609	31/03/09	31/03/10	365	0	9000000	8.00%	0	
आंध्रा बैंक	411610	31/03/09	31/03/10	365	0	9000000	8.00%	0	
आंध्रा बैंक	411611	31/03/09	31/03/10	365	0	9000000	8.00%	0	
आंध्रा बैंक	411612	31/03/09	31/03/10	365	0	9000000	8.00%	0	
आंध्रा बैंक	411613	31/03/09	31/03/10	365	0	9000000	8.00%	0	
आंध्रा बैंक	411614	31/03/09	31/03/10	365	0	9000000	8.00%	0	
आंध्रा बैंक	411615	31/03/09	31/03/10	365	0	9000000	8.00%	0	
आंध्रा बैंक	411616	31/03/09	31/03/10	365	0	9000000	8.00%	0	
आंध्रा बैंक	411617	31/03/09	31/03/10	365	0	9000000	8.00%	0	
आंध्रा बैंक	411618	31/03/09	31/03/10	365	0	9000000	8.00%	0	
आंध्रा बैंक	411619	31/03/09	31/03/10	365	0	9000000	8.00%	0	
आंध्रा बैंक	411620	31/03/09	31/03/10	365	0	9000000	8.00%	0	
आंध्रा बैंक	320001	31/03/09	31/03/10	365	0	9000000	8.00%	0	
आंध्रा बैंक	320002	31/03/09	31/03/10	365	0	9000000	8.00%	0	
आंध्रा बैंक	320003	31/03/09	31/03/10	365	0	9000000	8.00%	0	
आंध्रा बैंक कुल						516000000		7947069	
बैंक ऑफ बड़ौदा	352289	26/12/08	26/12/09	365	95	55000000	9.50%	1361608	
बैंक ऑफ बड़ौदा कुल						55000000		1361608	
बैंक ऑफ इंडिया, वशीरबाग	860145110000628	02/05/08	02/05/09	365	333	12500000	9.15%	1166837	
बैंक ऑफ इंडिया, वशीरबाग	860145110000817	11/12/08	11/12/09	365	110	20000000	9.50%	575041	
बैंक ऑफ इंडिया, वशीरबाग	860145110000818	15/12/08	15/12/09	365	106	9500000	9.75%	269969	
बैंक ऑफ इंडिया, वशीरबाग	860145110000819	16/12/08	16/12/09	365	105	9500000	9.75%	267371	
बैंक ऑफ इंडिया, वशीरबाग	860145110000820	17/12/08	17/12/09	365	104	9500000	9.75%	264772	
बैंक ऑफ इंडिया, वशीरबाग	860145110000821	20/12/08	20/12/09	365	101	100000000	9.50%	2635474	
बैंक ऑफ इंडिया, वशीरबाग	860145110000826	22/12/08	22/12/09	365	99	9900000	9.75%	262380	
बैंक ऑफ इंडिया, वशीरबाग	860145110000827	23/12/08	23/12/09	365	98	9900000	9.75%	259672	

वार्षिक रिपोर्ट 2008-2009

बैंक	एफडीआर संख्या	प्रारंभिक तिथि	परिपक्वता तिथि	अवधि	31.3.2009		जमा धनराशि	ब्याज का प्रतिशत	उपार्जित ब्याज परन्तु देय नहीं
					को शेष दिनों की संख्या				
केनरा बैंक	1787401002245/5	20/12/08	20/12/09	365	101	9500000	10.00%	263583	
केनरा बैंक	1787401002245/6	22/12/08	22/12/09	365	99	9900000	10.00%	269122	
केनरा बैंक	1787401002245/7	23/12/08	23/12/09	365	98	9900000	10.00%	266343	
केनरा बैंक	1787401002245/8	24/12/08	24/12/09	365	97	9900000	10.00%	263564	
केनरा बैंक	1787401002259/1	26/12/08	26/12/09	365	95	150000000	9.50%	3713477	
केनरा बैंक	1787401002245/9	26/12/08	26/12/09	365	95	9900000	10.00%	258006	
केनरा बैंक	1787401002245/10	29/12/08	29/12/09	365	92	9900000	10.00%	249668	
केनरा बैंक	1787401002245/11	30/12/08	30/12/09	365	91	100000000	9.50%	2369103	
केनरा बैंक	1787401002245/12	31/12/08	31/12/09	365	90	9900000	10.00%	244110	
केनरा बैंक	1787401002245/13	12/01/09	12/01/10	365	78	9900000	8.75%	185116	
केनरा बैंक	1787401002245/14	12/01/09	12/01/10	365	78	9900000	8.75%	185116	
केनरा बैंक	1787401002245/15	22/01/09	22/01/10	365	68	8500000	8.75%	138562	
केनरा बैंक कुल						385200000		9492103	
एचडीएफसी बैंक	00214540000641	17/07/08	20/07/09	368	257	40000000	10.50%	3030546	
एचडीएफसी बैंक	00214540000658	17/07/08	21/07/09	369	257	40000000	10.50%	3030546	
एचडीएफसी बैंक कुल						80000000		6061092	
आईसीआईसीआई बैंक	024414006051	23/08/08	23/08/09	365	220	25000000	11.05%	1700350	
आईसीआईसीआई बैंक	024414006050	05/09/08	05/09/09	365	207	26000000	11.35%	1706334	
आईसीआईसीआई बैंक	068014000100	25/09/08	24/09/09	364	187	20000000	11.50%	1196975	
आईसीआईसीआई बैंक कुल						71000000		4603659	
आईडीबीआई बैंक	002106400003254	28/11/08	28/11/09	365	123	45000000	10.90%	1664837	
आईडीबीआई बैंक कुल						45000000		1664837	
इंडसइनड बैंक	HYMEU21340001	02/09/08	02/09/09	365	210	32500000	11.05%	2106630	
इंडसइनड बैंक	HYBE220810001	26/09/08	26/09/09	365	186	15000000	11.75%	912445	
इंडसइनड बैंक	HYBE220810002	01/10/08	01/10/09	365	181	30000000	11.80%	1781422	
इंडसइनड बैंक	HYMEU21340002	29/10/08	29/10/09	365	153	15000000	13.00%	828186	
इंडसइनड बैंक	HYMEU21340003	07/11/08	07/11/09	365	144	80000000	12.86%	4107091	
इंडसइनड बैंक	HYMEU21340004	19/11/08	19/11/09	365	132	75000000	11.86%	3246754	
इंडसइनड बैंक कुल						247500000		12982528	
आईइनजी वेश्या बैंक लि.	323092102983	31/03/09	31/03/10	365	0	5492191	9.00%	0	
आईइनजी वेश्या बैंक लि.	323092102994	31/03/09	31/03/10	365	0	5492191	9.00%	0	
आईइनजी वेश्या बैंक लि. कुल						10984382		0	
करूर वेश्या बैंक	1410515000000370/1	31/03/09	31/03/10	365	0	50000000	9.00%	0	
करूर वेश्या बैंक	1410515000000383/1	31/03/09	31/03/10	365	0	20000000	9.00%	0	
करूर वेश्या बैंक कुल						70000000		0	
करूर वेश्या बैंक, आर पी रोड	1410515000000341/1	17/02/09	17/02/10	365	42	15000000	9.25%	159658	
करूर वेश्या बैंक, आर पी रोड	1410516000027561/1	13/03/09	13/03/10	365	18	30000000	9.50%	140548	
करूर वेश्या बैंक, आर पी रोड	1410516000027561/2	20/03/09	20/03/10	365	11	18000000	9.50%	51534	
करूर वेश्या बैंक, आर पी रोड	1410516000027561/3	25/03/09	25/03/10	365	6	15000000	9.50%	23425	
करूर वेश्या बैंक, आर पी रोड कुल						78000000		375165	

वार्षिक रिपोर्ट 2008-2009

बैंक	एफडीआर संख्या	प्रारंभिक तिथि	परिपक्वता तिथि	अवधि	31.3.2009		ब्याज का प्रतिशत	उपार्जित ब्याज परन्तु देय नहीं
					को शेष दिनों की संख्या	जमा धनराशि		
ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स	10583091000144	12/04/08	12/04/09	365	353	4223784	9.00%	387599
ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स	10583091000151	15/04/08	15/04/09	365	350	33276216	9.00%	3053623
ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स	10583222000012	22/07/08	22/07/09	365	252	30000000	10.30%	2184075
ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स	10583222000029	07/08/08	07/08/09	365	236	35000000	10.76%	2490706
ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स	10743222000010	14/10/08	14/10/09	365	168	35000000	12.15%	1984540
ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स		31/03/09	31/03/10	365	0	350000000	8.50%	0
ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स कुल						487500000		10100543
पंजाब नेशनल बैंक	423900GR00000012	20/12/08	20/12/09	365	101	50000000	9.50%	1317737
पंजाब नेशनल बैंक, कुल						50000000		1317737
स्टेट बैंक ऑफ इंडिया - पीबी	30415556102	07/01/08	30/06/09	540	449	70000000	10.00%	7163691
स्टेट बैंक ऑफ इंडिया - पीबी	30360437457	03/04/08	04/04/09	366	362	40000000	9.00%	3670637
स्टेट बैंक ऑफ इंडिया - पीबी	30458582267	19/08/08	19/08/09	365	224	22500000	11.00%	1551861
स्टेट बैंक ऑफ इंडिया - पीबी	850062	31/03/09	31/03/10	365	0	9000000	8.10%	0
स्टेट बैंक ऑफ इंडिया - पीबी	850063	31/03/09	31/03/10	365	0	9000000	8.10%	0
स्टेट बैंक ऑफ इंडिया - पीबी	850064	31/03/09	31/03/10	365	0	9000000	8.10%	0
स्टेट बैंक ऑफ इंडिया - पीबी	850065	31/03/09	31/03/10	365	0	9000000	8.10%	0
स्टेट बैंक ऑफ इंडिया - पीबी	850066	31/03/09	31/03/10	365	0	9000000	8.10%	0
स्टेट बैंक ऑफ इंडिया - पीबी	850067	31/03/09	31/03/10	365	0	9000000	8.10%	0
स्टेट बैंक ऑफ इंडिया - पीबी	850068	31/03/09	31/03/10	365	0	9000000	8.10%	0
स्टेट बैंक ऑफ इंडिया - पीबी	850069	31/03/09	31/03/10	365	0	9000000	8.10%	0
स्टेट बैंक ऑफ इंडिया - पीबी	850070	31/03/09	31/03/10	365	0	9000000	8.10%	0
स्टेट बैंक ऑफ इंडिया - पीबी	850071	31/03/09	31/03/10	365	0	9000000	8.10%	0
स्टेट बैंक ऑफ इंडिया - पीबी	850072	31/03/09	31/03/10	365	0	9000000	8.10%	0
स्टेट बैंक ऑफ इंडिया - पीबी	850073	31/03/09	31/03/10	365	0	9000000	8.10%	0
स्टेट बैंक ऑफ इंडिया - पीबी	850074	31/03/09	31/03/10	365	0	9000000	8.10%	0
स्टेट बैंक ऑफ इंडिया - पीबी	850075	31/03/09	31/03/10	365	0	9000000	8.10%	0
स्टेट बैंक ऑफ इंडिया - पीबी	850076	31/03/09	31/03/10	365	0	9000000	8.10%	0
स्टेट बैंक ऑफ इंडिया - पीबी	850077	31/03/09	31/03/10	365	0	9000000	8.10%	0
स्टेट बैंक ऑफ इंडिया - पीबी	850078	31/03/09	31/03/10	365	0	9000000	8.10%	0
स्टेट बैंक ऑफ इंडिया - पीबी	850079	31/03/09	31/03/10	365	0	9000000	8.10%	0
स्टेट बैंक ऑफ इंडिया - पीबी	850080	31/03/09	31/03/10	365	0	9000000	8.10%	0
स्टेट बैंक ऑफ इंडिया - पीबी	850081	31/03/09	31/03/10	365	0	9000000	8.10%	0
स्टेट बैंक ऑफ इंडिया - पीबी	850082	31/03/09	31/03/10	365	0	9000000	8.10%	0
स्टेट बैंक ऑफ इंडिया - पीबी	850083	31/03/09	31/03/10	365	0	9000000	8.10%	0
स्टेट बैंक ऑफ इंडिया - पीबी	850084	31/03/09	31/03/10	365	0	9000000	8.10%	0
स्टेट बैंक ऑफ इंडिया - पीबी	850085	31/03/09	31/03/10	365	0	9000000	8.10%	0
स्टेट बैंक ऑफ इंडिया - पीबी	850086	31/03/09	31/03/10	365	0	9000000	8.10%	0
स्टेट बैंक ऑफ इंडिया - पीबी	850087	31/03/09	31/03/10	365	0	9000000	8.10%	0
स्टेट बैंक ऑफ इंडिया - पीबी	850088	31/03/09	31/03/10	365	0	9000000	8.10%	0
स्टेट बैंक ऑफ इंडिया - पीबी	850089	31/03/09	31/03/10	365	0	9000000	8.10%	0
स्टेट बैंक ऑफ इंडिया - पीबी	850090	31/03/09	31/03/10	365	0	9000000	8.10%	0
स्टेट बैंक ऑफ इंडिया - पीबी	850091	31/03/09	31/03/10	365	0	9000000	8.10%	0
स्टेट बैंक ऑफ इंडिया - पीबी	850092	31/03/09	31/03/10	365	0	9000000	8.10%	0
स्टेट बैंक ऑफ इंडिया - पीबी	850093	31/03/09	31/03/10	365	0	9000000	8.10%	0
स्टेट बैंक ऑफ इंडिया - पीबी	850094	31/03/09	31/03/10	365	0	9000000	8.10%	0

वार्षिक रिपोर्ट 2008-2009

बैंक	एफडीआर संख्या	प्रारंभिक तिथि	परिपक्वता तिथि	अवधि	31.3.2009		ब्याज का प्रतिशत	उपार्जित ब्याज परन्तु देय नहीं
					को शेष दिनों की संख्या	जमा धनराशि		
स्टेट बैंक ऑफ इंडिया - पीबी	850095	31/03/09	31/03/10	365	0	9000000	8.10%	0
स्टेट बैंक ऑफ इंडिया - पीबी	850096	31/03/09	31/03/10	365	0	9000000	8.10%	0
स्टेट बैंक ऑफ इंडिया - पीबी	850097	31/03/09	31/03/10	365	0	9000000	8.10%	0
स्टेट बैंक ऑफ इंडिया - पीबी	850098	31/03/09	31/03/10	365	0	9000000	8.10%	0
स्टेट बैंक ऑफ इंडिया - पीबी	850099	31/03/09	31/03/10	365	0	9000000	8.10%	0
स्टेट बैंक ऑफ इंडिया - पीबी	850100	31/03/09	31/03/10	365	0	9000000	8.10%	0
स्टेट बैंक ऑफ इंडिया - पीबी कुल						483500000		12386189
सिंडीकेट बैंक	30044050017969/25	03/01/08	03/01/10	731	453	9500000	9.75%	947037
सिंडीकेट बैंक	30044050017969/26	03/01/08	03/01/10	731	453	9500000	9.75%	947037
सिंडीकेट बैंक	30044050017969/27	03/01/08	03/01/10	731	453	9500000	9.75%	947037
सिंडीकेट बैंक	30044050017969/28	03/01/08	03/01/10	731	453	9500000	9.75%	947037
सिंडीकेट बैंक	30044050017969/29	03/01/08	03/01/10	731	453	9500000	9.75%	947037
सिंडीकेट बैंक	30044050017969/30	03/01/08	03/01/10	731	453	9500000	9.75%	947037
सिंडीकेट बैंक	30044050017969/31	03/01/08	03/01/10	731	453	9500000	9.75%	947037
सिंडीकेट बैंक	30044050017969/32	03/01/08	03/01/10	731	453	8500000	9.75%	847349
सिंडीकेट बैंक	30044050017969/22	26/12/08	20/12/09	359	95	54525995	9.50%	1349873
सिंडीकेट बैंक	30044050017969/23	30/12/08	30/12/09	365	91	290000000	9.50%	6870398
सिंडीकेट बैंक	30044050017969/24	31/12/08	31/12/09	365	90	100000000	9.50%	2342466
सिंडीकेट बैंक	300440517969/33	15/01/09	15/01/10	365	75	9000000	8.75%	161815
सिंडीकेट बैंक	300440517969/34	15/01/09	15/01/10	365	75	9000000	8.75%	161815
सिंडीकेट बैंक	30044050017969/35	24/01/09	24/01/10	365	66	7000000	8.75%	110753
सिंडीकेट बैंक	30044050017969/36	02/02/09	02/02/10	365	57	9000000	8.50%	119466
सिंडीकेट बैंक	30044050017969/37	02/02/09	02/02/10	365	57	9000000	8.50%	119466
सिंडीकेट बैंक	30044050017969/38	02/02/09	02/02/10	365	57	9000000	8.50%	119466
सिंडीकेट बैंक	30454050017720/2	04/03/09	03/03/10	364	27	9000000	8.00%	53260
सिंडीकेट बैंक	30454050017720/3	04/03/09	03/03/10	364	27	9000000	8.00%	53260
सिंडीकेट बैंक	30044580000010/1	31/03/09	31/03/10	365	0	300000000	7.50%	0
सिंडीकेट बैंक	30454580000012/1	31/03/09	31/03/10	365	0	100000000	7.50%	0
सिंडीकेट बैंक	30114580000048/1	31/03/09	31/03/10	365	0	20000000	7.50%	0
सिंडीकेट बैंक कुल						1009525995		18938646
यूनियन बैंक ऑफ इंडिया	561311	30/12/08	30/12/09	365	91	50000000	9.50%	1184551
यूनियन बैंक ऑफ इंडिया	509529	30/12/08	30/12/09	365	91	50000000	9.50%	1184551
यूनियन बैंक ऑफ इंडिया कुल						100000000		2369102
विजया बैंक	400303311000016	21/04/08	21/04/09	365	344	85000000	9.16%	7943454
विजया बैंक	400303311000061	19/06/08	19/06/09	365	285	14000000	9.15%	1306857
विजया बैंक कुल						99000000		9250311
महा योग						4707374515		124000652

(एन श्रीनिवासा राव)
मुख्य लेखा अधिकारी

(जी प्रभाकरा)
सदस्य

(आर कन्नन)
सदस्य

(के के श्रीनिवासन)
सदस्य

(सी आर मुरलीधरन)
सदस्य

(जे हरि नारायण)
अध्यक्ष

बीमा विनियामक तथा विकास प्राधिकरण, हैदराबाद
31 मार्च, 2009 को तुलन पत्र के संलग्नक तथा भाग के रूप में
वर्तमान परिसंपत्तियाँ, ऋण तथा अग्रिम

विवरण	वर्तमान वर्ष के लिए आंकड़े (₹.) (2008-09)	पिछले वर्ष के लिए आंकड़े (₹.) (2007-08)
जमा		
- परिसर के लिए	47,825	545,825
- एमटीएनएल - अन्य से	68,663	67,730
- विद्युत के लिए	282,099	259,101
- ईंधन के लिए	7,650	7,650
- के लिए	314,300	-
योग	720,537	880,306
स्टॉफ को ऋण तथा अग्रिम		
- स्टॉफ को आवासीय ऋण	41,607,168	15,257,911
- दूसरे प्रयोजनों के लिए स्टॉफ को ऋण	7,605,368	6,846,850
- अन्य अग्रिम - त्र्यौहार	485,787	395,734
- वसूली योग्य ब्याज	5,092,307	3,125,993
- अग्रिम - अन्य	-	13,246,542
- अग्रिम - अन्य	350,000	-
योग	55,140,630	38,873,030
बीमा कंपनियों तथा दूसरों से देय राशियाँ		
- बीमा कंपनियों (राज्य बीमा कंपनियों से देय राशियाँ दिखाता है)	69,100	69,100
- अभिकर्ता (पूर्व में अभिकर्ताओं से प्राप्त हस्ते चैक की राशियाँ दिखाता है)	37,400	37,400
योग	106,500	106,500
अन्य वर्तमान परिसंपत्तियाँ		
- वसूली योग्य व्यय	-	-
- पूर्वदत्त व्यय	1,672,460	1,082,624
- उपार्जित ब्याज परन्तु देय नहीं - बैंक जमाएँ	124,000,652	82,992,467
- वसूली योग्य राशि - अन्य	525,308	59,947
- पूंजी खातों पर अग्रिम - (सॉफ्टवेयर विकास के लिए)	204,120	204,120
- बीमा तथा जोखिम प्रबंधन संस्थान को अग्रिम	25,888,906	27,562,520
- पीएफआरडीए को अग्रिम	1,681,305	-
- अन्य - यात्रा के लिए अग्रिम	207,435	620,745
- आईआरडीए अधिवार्षिता ट्रस्ट को अग्रिम	-	-
- तेरहवें वित्त आयोग को अग्रिम	0	2,348,823
योग	154,180,186	114,871,246
नगद तथा बैंक शेष		
- हाथ रोकड़	63,723	55,000
- हस्ते चैक	-	-
- पारगमन में नगद/चैक	-	-
- अनुसूचित बैंकों में शेष		
(क) चालु खाते में	6,546,312	5,793,500
(ख) जमा खाते में	-	-
(ग) बचत खाते में	23,237	484,588
योग	6,569,550	6,278,088
गैर अनुसूचित बैंकों में शेष		
(क) चालु खाते में	-	-
(ख) जमा खाते में	-	-
योग	-	-

(एन श्रीनिवासा राव)
मुख्य लेखा अधिकारी

(जी प्रभाकरा)
सदस्य

(आर कन्नन)
सदस्य

संलग्नक IV

बीमा विनियामक तथा विकास प्राधिकरण, हैदराबाद
31 मार्च, 2009 को तुलन पत्र के संलग्नक तथा भाग के रूप में

विवरण	वर्तमान वर्ष के लिए आंकड़े (रु.)	पिछले वर्ष के लिए आंकड़े (रु.)
भारत सरकार से प्राप्त अनुदान	-	-
योग	-	-

(एन श्रीनिवासा राव)
मुख्य लेखा अधिकारी

(जी प्रभाकरा)
सदस्य

(आर कन्नन)
सदस्य

(के के श्रीनिवासन)
सदस्य

(सी आर मुरलीधरन)
सदस्य

(जे हरि नारायण)
अध्यक्ष

संलग्नक V

बीमा विनियामक तथा विकास प्राधिकरण, हैदराबाद
31 मार्च, 2009 को तुलन पत्र के संलग्नक तथा भाग के रूप में

विवरण	वर्तमान वर्ष के लिए आंकड़े (रु.)	पिछले वर्ष के लिए आंकड़े (रु.)
	-	-
	-	-

(एन श्रीनिवासा राव)
मुख्य लेखा अधिकारी

(जी प्रभाकरा)
सदस्य

(आर कन्नन)
सदस्य

(के के श्रीनिवासन)
सदस्य

(सी आर मुरलीधरन)
सदस्य

(जे हरि नारायण)
अध्यक्ष

बीमा विनियामक तथा विकास प्राधिकरण, हैदराबाद
31 मार्च, 2009 को समाप्त हुए वर्ष के लिए आय तथा व्यय खाते का हिस्सा तथा उसका संलग्नक

कर्मचारियों को भुगतान तथा प्रावधान

विवरण	वर्तमान वर्ष के लिए आंकड़े (रु.) (2008-09)	पिछले वर्ष के लिए आंकड़े (रु.) 2007-08)
i) वेतन, भत्ते मजदूरी तथा बोनस	56,400,308	46,225,902
ii) भविष्य निधि आदि में अंशदान (अधिवर्षिता निधि में रु. 75,66,633 का अंशदान)		
	15,140,822	2,044,786
iii) उपदान	1,311,781	1,014,480
iv) स्टॉफ कल्याण व्यय	844,523	373,065
v) अन्य		
– पुस्तक अनुदान	9,292	
– छुट्टी यात्रा रियायत	877,422	750,608
– बीमा	-	
– केन्टीन व्यय	-	
– आर्थिक पुरस्कार – अध्ययन	-	
– समूह बीमा योजना में अंशदान	1,113,019	881,273
– स्टॉफ के द्वारा वहन किए गए व्ययों का भुगतान	5,900,881	1,008,526
– अवकाश वेतन	1,579,143	-
योग	83,177,191	52,298,640
(एन श्रीनिवासा राव) मुख्य लेखा अधिकारी	(जी प्रभाकरा) सदस्य	(आर कन्नन) सदस्य
(के के श्रीनिवासन) सदस्य	(सी आर मुरलीधरन) सदस्य	(जे हरि नारायण) अध्यक्ष

संलग्नक VII

बीमा विनियामक तथा विकास प्राधिकरण, हैदराबाद

31 मार्च, 2009 को समाप्त हुए वर्ष के लिए आय तथा व्यय खाते का हिस्सा तथा उसका संलग्नक

स्थापन व्यय

विवरण	वर्तमान वर्ष के लिए आंकड़े (रु.) (2008-09)	पिछले वर्ष के लिए आंकड़े (रु.) (2007-08)
भवन तथा परिसर की मरम्मत तथा रखरखाव	5,496,003	1,466,045
गृह व्यवस्था – कार्यालय रखरखाव	1,260,472	549,200
उपकरणों की मरम्मत तथा रखरखाव	862,393	
मरम्मत तथा रखरखाव – अन्य	-	
विद्युत तथा जल व्यय	1,530,274	1,362,091
बीमा व्यय	99,968	224,002
दरें तथा कर	-	
छपाई तथा स्टेशनरी	1,734,923	1,244,546
बुक्स/जर्नल्स आदि	46,691	45,025
डाक, तार, टेलिफोन आदि	3,942,770	4,802,957
यात्रा तथा परिवहन आन्तरिक	18,982,234	15,639,819
परिवहन – विदेशी	14,811,718	11,199,186
विधिक तथा व्यावसायिक शुल्क	11,434,143	5,847,443
शिक्षा/प्रशिक्षण/शोध तथा अध्ययन/शिकायत समाधान व्यय	392,410	
ऑडिट व्यय	285,000	260,360
सॉफ्टवेयर	-	
प्रचार तथा विज्ञापन	-	8,643,932
भर्ती	-	
प्राधिकरण तथा सलाहकार समिति की बैठक के व्यय तथा अन्य बैठकों के व्यय सहित समिति के सदस्यों को भुगतान किए गए दैनिक भत्ते	1,660,124	2,198,714
सदस्यता तथा चन्द्रा	1,553,269	1,991,994
सुरक्षा सेवाएँ	714,097	445,106
वेब पोर्टल विकास व्यय	-	
केन्टीन व्यय	2,036,025	2,344,583
कार मरम्मत तथा रखरखाव व्यय	111,004	161,318
अन्य व्यय	149,679	550,168
योग	67,103,197	58,976,488

(एन श्रीनिवासा राव)

मुख्य लेखा अधिकारी

(के के श्रीनिवासन)

सदस्य

(जी प्रभाकरा)

सदस्य

(सी आर मुरलीधरन)

सदस्य

(आर कन्नन)

सदस्य

(जे हरि नारायण)

अध्यक्ष

बीमा विनियामक तथा विकास प्राधिकरण, हैदराबाद

31 मार्च, 2009 को समाप्त हुए वर्ष के लिए आय तथा व्यय खाते का हिस्सा तथा उसका संलग्नक

ब्याज

विवरण	वर्तमान वर्ष के लिए आंकड़े (रु.)	पिछले वर्ष के लिए आंकड़े (रु.)
सरकारी	-	-
बैंक	-	-
अन्य	-	-
योग	-	-

(एन श्रीनिवासा राव)
मुख्य लेखा अधिकारी

(जी प्रभाकरा)
सदस्य

(आर कन्नन)
सदस्य

(के के श्रीनिवासन)
सदस्य

(सी आर मुरलीधरन)
सदस्य

(जे हरि नारायण)
अध्यक्ष

बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण निधि लेखा

वित्तीय विवरण के लिये टिप्पणियाँ

(अन्यथा विशिष्ट रूप में निर्दिष्ट के अलावा अन्य सभी राशियाँ रूपयों में होगी)

1. पृष्ठभूमि

बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण का गठन संसद द्वारा पारित कानून बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण अधिनियम 1999 के अनुसार किया गया और इसकी स्थापना 19 अप्रैल 2000 को भारत सरकार के गैजेट में जारी अधिसूचना के साथ किया गया। इस प्राधिकरण के गठन का मुख्य उद्देश्य बीमा पॉलिसी धारकों के हितों की रक्षा करना है, ताकि बीमा उद्योग के विकास को नियमित, प्रोत्साहित और सुनिश्चित किया जा सके। साथ ही उससे संबंधित मामलों का निपटारा किया जा सके और अचानक उभरने वाले संकटों का मुकाबला किया जा सके, आवेदक को पंजीकरण प्रमाण-पत्र जारी किया जा सके, पंजीकरण के नवीनीकरण निलंबन अथवा रद्दकरण की प्रक्रिया सुलभ बनाई जा सके और अधिनियम के लक्ष्यों की पूर्ति के लिये शुल्क और अन्य खर्च की वसूली की जा सके। बीमा अधिनियम की धारा 13 के अनुसार प्राधिकरण 19 अप्रैल 2000 के अपने स्थापना दिवस के मौजूद अंतरिम बीमा विनियामक की संपत्ति और दायित्वों का अधिकारी है। अधिनियम की धारा 16 के तहत बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण निधि के नाम से निधि की स्थापना की जा सकती है। इस निधि के लिये सभी सरकारी अनुदानों तथा वसूल किये जाने वाले शुल्क एवं अन्य खर्च की राशि का उपयोग करने का प्रावधान किया गया है। प्राधिकरण द्वारा निधि का उपयोग सरकार द्वारा प्राप्त होने वाले अनुदान एवं शुल्क तथा अन्य खर्च के रूप में वसूली जाने वाली राशि एवं बीमाकर्ताओं से प्राप्त होने वाले कमीशन के प्रतिशत के आधार पर तय किया जाता है। खास तौर पर इस निधि का उपयोग कर्मचारियों के वेतन तथा भत्तों के भुगतान और अधिनियम के लक्ष्यों की पूर्ति हेतु किये जाने वाले कार्यों से संबंधित खर्चों, कर्मचारियों और प्राधिकरण सदस्यों, अधिकारियों के पारिश्रमिक के भुगतान के लिये किया जाता है।

2. महत्वपूर्ण लेखा नीतियों का सारंश

वित्तीय विवरण खास तौर पर ऐतिहासिक शुल्क विश्लेषण के आधार पर तैयार किया जाता है, जो निम्नलिखित पद्धति के अनुसार राजस्व पूर्ति के लिये किये जाने वाले अकेक्षण के दस्तावेजों के आधार पर होता है। साथ ही यह इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया द्वारा निर्धारित मानकों के अनुसार होता है। महत्वपूर्ण लेखा नीतियाँ निम्नलिखित हैं-

(ए) स्थिर संपत्तियों और अवमूल्यन सिर संपत्तियों को शुल्क विरहित एकीकृत अवमूल्यन के आधार पर स्पष्ट किया जाता है। स्थिर

संपत्तियों के अवमूल्यन का विश्लेषण कंपनी अधिनियम 1956 के परिशिष्ट XIV में उल्लेखित शुल्क के आधार पर निर्धारित शुल्क के अनुसार समतुल्य पद्धति के उपयोग में कमी लाकर किया जाता है। 5,000 रूपयों से कम मूल्य की संपत्तियों का वार्षिक खरीदी में 100 प्रतिशत अवमूल्यन किया जाता है, अन्यथा संबंधित खंड में संपत्तियाँ 10 प्रतिशत अधिक दिखाई देती हैं। ऐसे मामलों में परिशिष्ट XIV में उल्लेखित शुल्क के अनुसार ही संपत्तियों का अवमूल्यन किया जाता है।

(बी) निवेश:

बैंकों में मिथादी जमा के रूप में निवेश की जाने वाली राशि का उल्लेख शुल्क में किया गया है।

(सी) राजस्व:

(i) पंजीकरण शुल्क

ए) किसी भी बीमाकर्ता द्वारा भारत में किसी भी प्रकार बीमा व्यवसाय की श्रेणी में पहली बार पंजीकरण के रूप में प्राप्त होने वाली राशि वार्षिक आय के रूप में शामिल की जाती है।

बी) पहले ही स्वीकृत पंजीकरण के नवीनीकरण संबंधी बीमाकर्ताओं द्वारा प्राप्त होने वाली राशि संबंधित खंड की वार्षिक आय के रूप में स्वीकार की जाती है।

(ii) लाइसेंस शुल्क

बीमा अभिकर्ताओं, सर्वेक्षकों, दलालों तथा बीमा क्षेत्र के अन्य मध्यस्थों से प्राप्त होने वाली लाइसेंस शुल्क की राशि संबंधित खंड की वार्षिक आय के रूप में स्वीकार की जाती है। बीमा अभिकर्ताओं, सर्वेक्षकों, दलालों तथा बीमा मध्यस्थों के नाम जारी किये जाने वाले लाइसेंस उसी वर्ष के लिये होते हैं, जिसमें वे जारी किये जाते हैं और उनकी शुल्क अवधि समाप्त होने का बाद उनका फिर से नवीनीकरण करना पड़ता है। उनके संबंधित वर्षों में लाइसेंस शुल्क का वितरण करना संभव नहीं है।

(iii) भारत सरकार के वित्त मंत्रालय द्वारा जारी किये जाने वाला अनुदान

प्राप्त होने वाली प्राथमिक अनुदान राशि उसी वर्ष की आय के रूप में स्वीकार की जाती है, जिसके दौरान वहन प्राप्त हुई है।

डी) विदेशी मुद्रा का लेने देन

विदेशी मुद्रा का लेन-देन, लेन-देन की तिथि पर ही विनिमय नियंत्रण शुल्क के आधार पर दर्ज किया जाता है। विदेशी मुद्रा की संपत्ति और योग्यता का रूपये में रूपांतरण जमा-खर्च किया जाता है। स्थिर संपत्ति के अधिग्रहण से संबंधित विदेशी मुद्रा दायित्वों के रूपांतरण के दौरान आने वाले अंतर को स्थिर संपत्ति के मूल्य के आधार पर किया जाता है। अन्य रूपांतरण संबंधी अंतर आय और खर्च संबंधी लेखा-जोखा में स्पष्ट हो जाते हैं।

ई) वेब पोर्टल का विकास और रख-रखाव

वेब पोर्टल के विकास और रख-रखाव पर आने वाला खर्च उसी वर्ष के आय एवं व्यय लेखा में शामिल किया जाता है।

एफ) सेवानिवृत्ति लाभ

कर्मचारियों का भविष्य निर्वाह निधि, सेवानिवृत्ति पर मिलने वाली अतिरिक्त राशि अवकाश वृद्धि प्रावधान आदि का नियमन के साथ मेल बीमा अधिनियम में किया गया है।

अवकाश नगदीकरण का प्रावधान कुल शेष अवकाश संबंधी नगद वेतन के भुगतान के उद्देश्य से किया गया है।

प्राधिकरण सभी आईआरडीए कर्मियों एवं आईआरडीए सुपरनेशन फंड ट्रस्ट के लिये योगदान करता है।

सेवानिवृत्ति पर अतिरिक्त राशि भुगतान की योग्यता प्राधिकरण द्वारा तैयार की गई ग्रैचुटी योजना के तहत संपूर्ण मूल्यांकन पर ही निर्भर होती है।

3. आयकर

प्राधिकरण की आय को आयकर अधिनियम 1961 की सं. 10(23 बीबीई) धारा के तहत कर मुक्त घोषित किये जाने के कारण आयकर का कोई प्रावधान नहीं किया गया है।

4. पंजीकरण / नवीनीकरण शुल्क

ए) बीमाकर्ताओं के पंजीकरण का नवीनीकरण करने संबंधी शुल्क रियायत में कुल प्रीमियम के 2 प्रतिशत के बजाये एक प्रतिशत तक कटौती करने संबंधी लिये गये निर्णय के मद्देनजर वार्षिक आय का अंकेक्षण किया जा

रहा है। यह निर्णय 1 अप्रैल 2001 से प्रभावी माना गया है।

5. भारत के लोक लेखा में प्राधिकरण की निधियों का निवेश

प्राधिकरण को 17 जुलाई 2002, 9 जुलाई 2005, 18 जुलाई तथा 13 सितम्बर 2006 तथा 28 फरवरी 2008 को वित्त मंत्रालय से प्राप्त हुए पत्रों के अनुसार, जिसमें प्राधिकरण को वसूली गई राशि गैर व्याज धारी खाते के तौर पर लोक खाते में जमा करने का निर्देश दिया गया है। साथ ही प्राधिकरण को यह भी बताया गया है कि वह अपने खर्चों की पूर्ति के लिये प्रत्येक वित्त वर्ष के प्रारंभ में निर्धारित राशि की निकासी करे। प्राधिकरण ने वैधानिक दृष्टिकोण से विचार के लिये इस निर्देश को स्वीकार कर लिया। उसके नजरिये से बीमाकर्ताओं तथा मध्यस्थों से वसूली गई राशि राशि सरकारी के रूप में नहीं है, और ना ही वह भारत सरकार की सार्वजनिक निधि का हिस्सा है।

6. प्राधिकरण का मुख्यालय

प्राधिकरण के मुख्यालय नई दिल्ली से हैदराबाद को स्थानांतरित करने संबंधी भारत सरकार द्वारा नवम्बर 2001 में लिये गये निर्णय के मद्देनजर प्राधिकरण ने मूल्य निर्धारण विभाग का स्थानांतरण अप्रैल 2002 में तथा अन्य विभागों का स्थानांतरण अगस्त 2002 में किया जा चुका है। प्राधिकरण का कार्यालय परिश्रम भवन में स्थित है, जिसकी तीसरी मंजिल आंध्र प्रदेश औद्योगिक विकास निगम लिमिटेड द्वारा प्राधिकरण को बिना किसी शुल्क के मुहैया करायी गयी है।

आंध्र प्रदेश सरकार ने भी आंध्र प्रदेश औद्योगिक संरचना निगम लिमिटेड के माध्यम से हैदराबाद के समीप ही रंगारेड्डी जिले के शेरीलिंगमपल्ली मंडल स्थित नानकरामगुड़ा क्षेत्र में 5 एकड़ भूमि मात्र 10000/— रूपये में मुहैया करवाई है। भूमि का स्थानांतरण प्राधिकरण के नाम से अक्टूबर 2008 में किया गया।

7. परिचालन पट्टे

गैर रद्दकरण योग्य किसी भी प्रकार के पट्टे समझौते नहीं है। पट्टा भुगतान आय-व्यय खाते में निर्देशित राशि के अनुसार।

8. पिछले वित्त वर्ष का तुलनात्मक विवरण

पिछले वर्ष के आंकड़े पुनःसमायोजित किये गये हैं और जब कभी आवश्यकता होगी उनका उपयोग वर्तमान वित्त वर्ष के आंकड़ों के साथ तुलना के लिये किया जायेगा।

(एन श्रीनिवासा राव)
मुख्य लेखा अधिकारी

(जी प्रभाकरा)
सदस्य

(आर कन्नन)
सदस्य

(के के श्रीनिवासन)
सदस्य

(सी आर मुरलीधरन)
सदस्य

(जे हरि नारायण)
अध्यक्ष

बीमाकर्ता तथा बीमा लोकपाल के पते

जीवन बीमाकर्ता

क्र. सं.	बीमाकर्ता	मुख्य अधिकारी	डाक पता	संपर्क
1	एगोन रेलीगेयर लाइफ इंश्योरेंस कं. लि.	श्री राजीव जामखेडकर	जीएचवाई हाइट्स, दूसरा तल, पारंजपे बी स्कीम, सुभाष रोज, गरवाले हाउस के पास, विरे पारले (पू) मुंबई 400 057	टेली नं.: 022- 67293300 / 67292929 फैक्स: 022-66542617 वेब: www.aegonreligare.com
2	अविवा लाइफ इंश्योरेंस कं. लि.	श्री टी आर रामाचंद्रन	अविवा टॉवर, सेक्टर रोड गोल्फ कोर्स के सामने, डीएलएफ फेस V, सेक्टर 43, गुडगांव- 122 003.	टेली नं.: 0124 - 2804121 फैक्स: 0124-2804123 / 2571202. वेब: www.avivaindia.com
3	बजाज अलायंस लाइफ इंश्योरेंस कं. लि.	श्री कामेश गोयल	जीई प्लाजा, एयरपोर्ट रोड, येरावडा, पुणे 411 006.	टेली नं.: 020-4026666 फैक्स: 020-4026789 वेब: www.bajajallianzlife.co.in
4	भारती एक्सा लाइफ इंश्योरेंस कं. लि.	श्री नीतिन चोपड़ा	601-602, छायां तल, रहेजा टाइटेनियम, गोरेगांव (पू), मुंबई - 400 059.	टेली नं.: 022 - 40306326/ 40306484 फैक्स: 022 - 40306347 वेब: www.bharti-axalife.com
5	बिरला सन लाइफ इंश्योरेंस कं. लि.	श्री अजय श्रीनिवासन	वन इंडिया बुल्स सेंटर, टॉवर वन, सोलहवां तल, ज्यूफिटर मिल कंपाउंड, सेनापति बापत मार्ग, एल्फिन्स्टोन रोड, मुंबई-400 013	टेली नं.: 022- 66783332 फैक्स: 022- 56783377 वेब: www.birlasunlife.com
6	केनरा एचएसबी ओबीसी लाइफ इंश्योरेंस कं. लि.	श्री हरपाल सिंह कालकट	यूनिटेक ट्रेड सेंटर, सेक्टर 43, मुशांत लोक I, , पार्क प्लाजा होटल के सामने, गुडगांव -122 001	टेली नं.: 0124-4535556 फैक्स: 0124-4535559 वेब: www.canarahsbclife.com
7	डीएलएफ प्रोमेरिका लाइफ इंश्योरेंस कं. लि.	श्री कपिल मेहता	चौथा तल, टॉवर बी, बिल्डींग नं. 9, डीएलएफ साईबरसिटी, फेस III, गुडगांव -122 002	टेली नं.: 0124-4697001 / 4697000 फैक्स: 0124-4697100 वेब: www.dlfpramericalife.com
8	फ्यूचर जनरली इंश्योरेंस कं. लि.	श्री जयंत खोसला	001, ट्रेड प्लाजा, निचला तल, वीर सावरकर मार्ग, प्रभादेवी, मुंबई - 400 025.	टेली नं.: 022-40976806 / 40976666 फैक्स: 022- 40976868 वेब: www.futuregenerali.in
9	एचडीएफसी स्टैंडर्ड लाइफ इंश्योरेंस कं. लि.	श्री परेश एस परसनिस	दूसरा तल, ट्रेड स्टार बिल्डिंग, ए विंग, कोडिवता और एमवी रोड का जंक्शन, अंधेरी कुर्ला रोड (पू), मुंबई 400 059.	टेली नं.: 022-67516666 फैक्स: 022-2822 8844 वेब: www.hdfcinsurance.com
10	आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल लाइफ इंश्योरेंस कं. लि.	श्री वी वैद्यनाथन	आईसीआईसीआई प्रूलाइफ टावर्स, 1089, अप्पासाहेब मराठे मार्ग, प्रभादेवी मुंबई - 400 025.	टेली नं.: 022-56621996 फैक्स: 022-56622031 वेब: www.icicprulife.com
11	आईडीबीआई फोर्टिस लाइफ इंश्योरेंस कं. लि.	श्री जी वी नागेश्वरा राव	ट्रेड व्यू, ओआसिस कॉम्प्लेक्स, कमला सिटी, पी वी मार्ग, लोवर परेला (प) मुंबई - 400 013	टेली नं.: 022-24908102 / 24908104 फैक्स: 022-24941016 वेब: www.idbifortis.com
12	आईएनजी वेश्या लाइफ इंश्योरेंस कं. लि.	श्री क्षितिज जैन	पांचवां तल, आईएनजी वेश्या हाउस, 22, महात्मा गांधी रोड, बैंगलौर- 560 001.	टेली नं.: 080-25328000 फैक्स: 080-25559764 वेब: www.inglife.co.in
13	कोटक महिन्द्रा ओल्ड म्युचुल लाइफ इंश्योरेंस कं. लि.	श्री गौरंग शाह	नवां तल, गोदरेज कोलेजियम, एवर्ड नगर के पीछे, सियोन (पू), मुंबई - 400 022.	टेली नं.: 022-6621 5801 फैक्स: 022- 66635102 / 66215757 वेब: www.kotaklifeinsurance.com

क्र. सं.	बीमाकर्ता	मुख्य अधिकारी	डाक पता	संपर्क
14	भारतीय जीवन बीमा निगम	श्री टी एस विजयन	केन्द्रीय कार्यालय, 'योगक्षमा' जीवन बीमा मार्ग, पो. बॉ. नं. 19953, मुंबई 400 021.	टेली नं.: 022 - 22020997 फैक्स: 022 - 22810680 वेब: www.licindia.com
15	मैक्स न्यूयार्क लाइफ इंश्योरेंस कं. लि.	श्री राजेश सूद	11वां तल, डीएलएफ स्कवियर, जकरन्दा मार्ग, डीएलएफ सिटी, फेस II गुडगांव 22 022.	टेली नं.: 0124-2561717 फैक्स: 0124-2561764 वेब: www.maxnewyorklife.com
16	मैटलाइफ इंडिया इंश्योरेंस कं. लि.	श्री राजेश रलन	ब्रिगेड शीशमहल, नं. 5, वाणी विलास रोड, बसवअनगुडी, बैंगलूर - 560 004.	टेली नं.: 080-26438638 फैक्स: 080-26521970 वेब: www.metlife.co.in
17	रिलायंस लाइफ इंश्योरेंस कं. लि.	श्री मल्य घोष	प्रथम तल, सहारा प्लाजा कॉम्प्लेक्स, कोहिनूर होटल के पास, अंधेरी-कुर्ला रोड, अंधेरी (पू) मुंबई 400 059	टेली नं.: 022-30887462 फैक्स: 022- 56633305 / 30886587 वेब: www.reliancelife.co.in
18	सहारा इंडिया लाइफ इंश्योरेंस कं. लि.	श्री एन सी शर्मा	सहारा इंडिया भवन, 1, कपूरथला कॉम्प्लेक्स, लखनऊ - 226 024.	टेली नं.: 0522- 2373018 फैक्स: 0522-2332683 वेब: www.saharalife.co.in
19	एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस कं. लि.	श्री महादेव नागेन्द्र राव	दूसरा तल, टर्नर मॉरिशन बिल्डिंग, जी एन विद्या मार्ग, फोर्ट, मुंबई - 400 023.	टेली नं.: 022- 66392010 / 66392011 फैक्स: 022- 66392012 वेब: www.sbilife.co.in
20	श्रीराम लाइफ इंश्योरेंस कं. लि.	श्री आर ध्रुवसन	पंजीकृत कार्यालय: 3-6-478, तीसरा तल, लिबर्टी रोड, हिमायतनगर, हैदराबाद - 500029	टेली नं.: 040- 27671723 फैक्स: 040- 27671726 वेब: www.shriramlife.co.in
21	स्टार यूनिवन डा ईवी इंश्योरेंस कं. लि.	श्री कमलजी सहाय	स्टार हाउस, तीसरा तल, सी - 5, बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स, बांद्रा (पू), मुंबई - 400 013	टेली नं.: 022-32909088 वेब: www.sudlife.in
22	टाटा एआईजी लाइफ इंश्योरेंस कं. लि.	श्री एम सुरेश	पांचवा तथा छठा तल, पेनिन्सुल्ला टावर्स, गणपतराव कदम मार्ग, लोवर परेल, मुंबई- 400013.	टेली नं.: 022-66516002 फैक्स: 022-66550710 वेब: www.tata-aig.com

गैर - जीवन बीमाकर्ता

क्र.सं.	बीमाकर्ता	मुख्य अधिकारी	डाक पता	संपर्क
1	भारतीय कृषि बीमा कम्पनी लिमिटेड	श्री एम प्रसाद	तेरहवां तल, अम्बादीप बिल्डिंग, 14, कस्तूरबा गाँधी मार्ग, कनाट प्लेस, नयी दिल्ली – 110 001	टेली नं.: 011-41081991-4 फैक्स: 011-41081995 वेब: www.aicofindia.org
2	अपोलो डीकेवी	श्री एंटोनी जैकब	10 बी, दसवां तल, डीएलएफ साइबरसिटी, गुडगांव – 122 001	टेली नं.: 0124 - 4584333 / 4584100 फैक्स: 0124 - 4584111 वेब: www.apollodkv.co.in
3	बजाज अलायंस जनरल इंश्योरेंस कं. लि.	श्री स्वराज कृष्णन	पहला तल, द फर्नस आइकोन, सर्व नं. 28, एकमे बैलेट के बाद, डूडानेगुंडी, बैंगलूर – 560 037.	टेली नं.: 020-66026666 फैक्स: 020-66026667 वेब: www.bajajallianz.com
4	भारती एक्सा जनरल इंश्योरेंस कं. लि.	डॉ ए अनन्तनारायणन	जीई प्लाजा, पहला तल, एयरपोर्ट रोड, एरविंडा, पुणे - 411 006.	टेली नं.: 080 - 40260111 / 40260100 फैक्स: 080-40260101 वेब: www.bharti-axagi.co.in
5	चोलामंडलम एमएस जनरल इंश्योरेंस कं. लि.	श्री एस एस गोपालरत्नम	डेर हाउस, दूसरा तल, नया नं. 2 (पुराना नं. 234) एन एस सी बोस रोड, चैन्नई – 600 001	टेली नं.: 044-42166000 फैक्स: 044-42166001 वेब: www.cholainsurance.com
6	भारतीय निर्यात ऋण गारंटी निगम लिमिटेड	श्री ए वी मुरलीधरन	एक्सप्रेस टावर, दसवां तल, नरीमन प्वाइंट, मुंबई – 400 021.	टेली नं.: 022-56590512-515 फैक्स: 022-56590517 / 56590530 वेब: www.ecgcindia.com
7	फ्यूचर जनरली इंश्योरेंस कं. लि.	श्री दीपक सूक	001, ट्रेड प्लाजा, निचला तल, वीर सावरकर मार्ग, प्रभादेवी, मुंबई – 400 025.	टेली नं.: 022- 40976828 / 40976666 फैक्स: 022- 40976868 वेब: www.futuregenerali.in
8	एचडीएफसी इरगो जनरल इंश्योरेंस कं. लि.	श्री रितेश कुमार	छाँटा तल, लीला बिजनेस पार्क, अंधेरी कुर्ला रोड, अंधेरी (पू), मुंबई – 400 059	टेली नं.: 022-66383600 फैक्स: 022-66383699 वेब: www.hdfcergo.com
9	आईसीआईसीआई लंबार्ड जनरल इंश्योरेंस कं. लि.	श्री भार्गव दास गुप्ता	जेनिथ हाउस, केशवराव खांडे मार्ग, महालक्ष्मी, मुंबई – 400 034.	टेली नं.: 022-24906999 फैक्स: 022-24927624 वेब: www.icicilombard.com
10	इफको टोकियो जनरल इंश्योरेंस कं. लि.	श्री एस नारायणन	चौथा एवं पाँचवां तल, इफको टावर, प्लॉट नं. 3, सेक्टर 29, गुडगांव - 122001. (हरियाणा)	टेली नं.: 0124-28050100 फैक्स: 0124-2577923/924 वेब: www.itgi.co.in
11	नेशनल इंश्योरेंस कं. लि.	श्री एन एस आर चंद्राप्रसाद	3, मिडलटन स्ट्रीट, पो. बॉ. नं. 9229, कोलकता – 700 071.	टेली नं.: 033-22831705 / 22831706 फैक्स: 033-22831712 / 22402369 वेब: www.nationalinsuranceindia.com
12	द न्यू इंडिया एश्योरेंस कं. लि.	श्री बी चक्रवर्ती	न्यू इंडिया एश्योरेंस बिल्डिंग, 87, एम जी रोड, फोर्ट, मुंबई – 400 001.	टेली नं.: 022-22674617-22 फैक्स: 022-22652811 वेब: www.newindia.co.in
13	द ओरिएंटल इंश्योरेंस कं. लि.	श्री एम रामदास	ओरिएंटल हाउस, ए-25/27, आसफ अली रोड, नयी दिल्ली – 110 002.	टेली नं.: 011-23279221-25 फैक्स: 011-23287192/93, 23283971 वेब: www.orientalinsurance.nic.in

क्र.सं.	बीमाकर्ता	मुख्य अधिकारी	डाक पता	संपर्क
14	व्हेजा क्यूबीई जनरल इंश्योरेंस कं. लि.	श्री प्रवीण गुप्ता	कोमर्ज, दसवां तल, इंटरनेशनल बिजनेस पार्क, ओबेराय सिटी, वेस्टर्न एक्सप्रेस हाइवे, गोरेगांव (पूर्व), मुंबई- 400 063.	टेली नं.: 022- 42313600 फैक्स: 022 - 42313777 वेब: www.rahejaqbe.com
15	रिलायंस जनरल इंश्योरेंस कं. लि.	श्री के ए सोमशेखरन	570, नैगम क्रॉस रोड, रॉयल इंडस्ट्रियल स्टेट के आगे, वडाला (प), मुंबई -400 031	टेली नं.: 022-30479602 फैक्स: 022-330479650 वेब: www.reliancegeneral.co.in
16	रॉयल सुन्दरम अलायंस इंश्योरेंस कं. लि.	श्री अजय बीमबेत	45-46, सुन्दरम टावर्स, व्हाइट्स रोड, रोयापेट, चैन्नई-600 014.	टेली नं.: 044-42227373 फैक्स: 044-28517376 वेब: www.royalsundaram.com
17	श्रीराम जनरल इंश्योरेंस कं. लि.	श्री जे एस गुजराल	श्रीम्स ड्रगर, पांचवां तल, नं. 149, श्रीम्स रोड, चैन्नई- 600 006.	टेली नं.: 044 - 3220896 / 3220898 फैक्स: 044 - 2770693 / 2770426 वेब: www.shriramgi.com
18	स्टार हेल्थ एंड अलाइड इंश्योरेंस कं. लि.	श्री वी जगन्नाथन	नं. 1, न्यू टैंक स्ट्रीट, वल्लुवरकोट्टम हाई रोड, चैन्नई - 600 034	टेली नं.: 044-28260053 फैक्स: 044-28260062 वेब: www.starhealth.in
19	टाटा एआईजी जनरल इंश्योरेंस कं. लि.	श्री गौरव गर्ग	पेनिनसुला कोर्पोरेट पार्क, निकोलस पिरमल टावर, नवां तल, गणपतराव कदम मार्ग, लोवर परेल, मुंबई- 400 013.	टेली नं.: 022- 66699696 फैक्स: 022-56546464 वेब: www.tata-aiggeneral.com
20	युनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कं. लि.	श्री जी श्रीनिवासन	24, व्हाइट्स रोड, चैन्नई - 600 014.	टेली नं.: 044-28520161 फैक्स: 044-28523825 वेब: www.uiic.co.in
21	यूनिवर्सल सैम्पो जनरल इंश्योरेंस कं. लि.	श्री ओ एन सिंह	310.311, ट्रेड सेटर, एमटीएनएल बिल्डींग के सामने, ब्रांद्रा कुर्ली कॉम्प्लेक्स, अंधेरी (पूर्व), मुंबई - 400 051.	टेली नं.: 022- 40287776 / 4028 7777 फैक्स: 022-40287781 वेब: www.universalsompo.com

पुर्नबीमाकर्ता

क्र.सं.	पुर्नबीमाकर्ता	मुख्य अधिकारी	डाक पता	संपर्क
1	भारतीय साधारण बीमा निगम	श्री योगेश लोहिया	सुरक्षा, 170, जे टाटा रोड, चर्चगेट, मुंबई 400 020.	टेली नं.: 022-22833046 फैक्स: 022-22833209, 22841231, 2282233 ईमेल: info@gicofindia.com वेब: www.gicindia.com

बीमा ओम्बड्समैन

क्र. सं.	केन्द्र	ओम्बड्समैन	डाक पता	संपर्क जानकारी
1.	अहमदाबाद	श्री अमिताभ	दूसरा तल, अंबिका हाउस, सी यू शाह कॉलेज के पास, 5 नवयुग कॉलोनी, आश्रम रोड, अहमदाबाद - 380 014	टेलीफोन: 079-27546150, 27546139 फैक्स: 079-27546142 ईमेल: insombahd@rediffmail.com
2.	भोपाल	श्री एन ए खान	पहला तल, 117 जोन II, डी एम मोटर्स के ऊपर, महाराण प्रताप नगर, भोपाल - 462 011	टेलीफोन: 0755-2769200, 2769202, फैक्स: 0755-2769203 ईमेल: bimalokpalbhopal@airtelbroadband.in
3.	भुवनेश्वर	श्री एस के ढल	62, फॉरेस्ट पार्क, भुवनेश्वर - 751 009	टेलीफोन: 0674- 2531607 फैक्स: 0674-2531607 ईमेल: ioobbsr@dataone.in
4.	चंडीगढ़	श्री के एम चट्टा	एस सी ओ नं. 101-103 , दूसरा तल, बत्रा बिल्डिंग, सेक्शन 17 डी, चंडीगढ़ - 160 017	टेलीफोन: 0172 - 2706468 फैक्स: 0172-2708274 ईमेल: ombchd@yahoo.co.in
5.	चैन्नई	श्री के श्रीधर	फातिमा अख्तर कोर्ट, चौथा तल, 453, अन्ना सलई, टेनापेट, चैन्नई - 600 018	टेलीफोन: 044 - 24335284 / 24333668 फैक्स: 044-24333664 ईमेल: insombud@md4.vsnl.net.in
6.	दिल्ली	श्री पी के मिश्रा	2/2 ए, पहला तल, यूनिवर्सल इंश्योरेंस बिल्डिंग, आसिफ अली रोड, न्यू दिल्ली - 110 002	टेलीफोन: 011-23237532 फैक्स: 011-23230858 ईमेल: iobdelraj@rediffmail.com
7.	गुवाहटी	श्री शरत चंद्र शर्मा	जीवन निवेश, पाँचवां तल, पान बाजार ओवरब्रिज के पास, एस आर रोड, गुवाहटी - 781 001	टेलीफोन: 0361-2415430 फैक्स: 0361-2414051 ईमेल: omb_ghy@sify.com
8.	हैदराबाद	श्री पी ए चौधरी	6-2-46, पहला तल, मोइन कोर्ट लेन, सलीम फंक्शन पैलेस के सामने, ए सी गार्ड्स, लकड़ी का पुल, हैदराबाद - 500 004	टेलीफोन: 040-65504123 फैक्स: 040-23376599 ईमेल: hyd2_insombud@sancharnet.in
9.	एर्नाकुलम	श्री जेम्स मुरिकन	दूसरा तल, सीसी 27/ 2603, पुलिनाट बिल्डिंग, कोच्ची शिपयार्ड के सामने, एम जी रोड, एर्नाकुलम - 682 015	फैक्स: 0484-2358759 फैक्स: 0484-2359336 ईमेल: ombudsmankochi@yahoo.co.in
10.	कोलकता	श्री के रंगाश्याम	नॉर्थ ब्रिटिश बिल्डिंग, 29, एन एस रोड, तीसरा तल, कोलकता - 700 001	टेलीफोन: 033-22134866 फैक्स: 033-22134868 ईमेल: iombkol@vsnl.net
11.	लखनऊ	श्री एम एस प्रताप	जीवन भवन, फ़ैस 2 , छैठां तल, नवल किशोर रोड, हसरतगंज, लखनऊ - 226 001	टेलीफोन: 0522-2231331 फैक्स: 0522-2231310 ईमेल: ioblko@sancharnet.in
12.	मुंबई	श्री आर के वशिष्ठ	तीसरा तल, जीवन सेवा एनेक्स, एमटीएनएल के ऊपर, एस वी रोड, सांताक्रूज (प), मुंबई - 400054	टेलीफोन: 022-26106880 फैक्स: 022-26106052 ईमेल: ombudsman@vsnl.net

टिप्पणी